षष्ठम् माला, खंड 5, अंक 36, शुक्रवार, जुलाई 22, 1977/आषाढ़ 31, 1899 (शक)
Sixth Series, Vol. V, No. 36, Friday, July 22, 1977/Asadha 31, 1899 (Saka)

लोक-सभा वाद विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र / Second Session]

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. 50(5)
Date 17-1-78

[खंड 5 में अंक 31 से 40 तक हैं / Vol. V contains Nos. 31 to 40]

Preservation Unit
Fumigated
On 1-9-92
Parliament Library

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपए   Price : Four Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेंजी, हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 36, शुक्रवार, जुलाई 22, 1977/आषाढ़ 31, 1899 (शक)

No. 36, *Friday, July* 22, 1977/*Asadha* 31, 1899 (*Saka*)

विषय	SUBJECT	PAGES/पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	Oral Answers to Questions—	
तारांकित प्रश्न संख्या 585 से 588 और 590	*Starred Questions Nos. 585 to 588 and 590.	1—15
अल्प सूचना प्रश्न के बारे में	Re. Short Notice Question . .	15—16
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 23	Short Notice Question No. 23 . . .	16—23
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	Written Answers to Questions—	
तारांकित प्रश्न संख्या 589 और 591 से 604	Starred Questions Nos. 589 and 591 to 604	23—34
अतारांकित प्रश्न संख्या 4402 से 4502 और 4504 से 4581	Unstarred Questions Nos. 4402 to 4502 and 4504 to 4581.	34—147
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	148—49
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha . . .	149
विधेयकों पर अनुमति	Assent to Bills	149
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
मूंगफली के तेल के बाजार से गायब होने तथा मूल्यों में असाधारण वृद्धि का कथित समाचार	Reported disappearance of groundnut oil from market and abnormal rise in its price.	149—53
श्री यादवेन्द्र दत्त	Shri Yadvendra Dutt . . .	149—50, 151
श्री मोहन धारिया	Shri Mohan Dharia . . .	150—52
सभा का कार्य	Business of the House . . .	153—54
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee—	
तीसरा प्रतिवेदन	Third Report	154—55

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	PAGES
अन्तर्देशीय वाष्प जलयान (संशोधन) विधेयक—पुर:स्थापित	Inland Steam-Vessels (Amendment) Bill—Introduced	155
अनुदानों की मांगें (नागालैंड), 1977–78—	Demands for Grants (Nagaland), 1977-78	156—62
श्री टी० ए० पाई	Shri T. A. Pai	156—57
श्रीमती रानो एम० शैजा	Shrimati Rano M. Shaiza	157—58
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	158—60
श्री एम० एन० गोविन्दन नायर	Shri M. N. Govindan Nair	160
श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे	Shri Annasaheb P. Shinde	160—61
श्री पूर्ण सिन्हा	Shri Purna Sinha	161—62
श्री उग्रसेन	Shri Ugrasen	162
अतिरिक्त महंगाई भत्ते की जमा राशियों की दूसरी किश्त की वापसी अदायगी के बारे में वक्तव्य—	Statement *re.* repayment of second instalment of additional dearness allowance deposits—	
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel	162—64
गैर-सरकारी विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
तीसरा प्रतिवेदन	Third Report	164
तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों के हनन के बारे में संकल्प—	Resolution *re.* subversion of Democratic Norms by the former Prime Minister	165—71
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa	165
श्री मुख्तियार सिंह मलिक	Shri Mukhtiar Singh Malik	165—66
श्रीमती चन्द्रावती	Shrimati Chandravati	166
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan	167
श्री उग्रसेन	Shri Ugrasen	167
श्री हुकमदेव नारायण यादव	Shri Hukamdeo Narain Yadav	167—68

विषय	SUBJECT	PAGES/पृष्ठ
श्री युवराज	Shri Yuvraj	168
श्री समरेन्द्र कुन्डु	Shri S. Kundu	168—69
श्री चरण सिंह	Shri Charan Singh	169
श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath . . .	170
राष्ट्र निर्माण के बारे में युवकों के भाग लेने के बारे में संकल्प--	Resolution *re.* Participation of Youngmen in Nation-building—	
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Deo.	171

लोक–सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, जुलाई, 22, 1977/आषाढ 31, 1899 (शक)

Friday, July 22, 1977/ Asadha 31, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

हवाई अड्डों पर अधिक समय तक प्रतीक्षा करना

*585. **श्री के० लकप्पा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 जून, 1977 के 'स्टेट्समैन' में यात्रियों द्वारा हवाई अड्डों पर अधिक समय तक प्रतीक्षा करने के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मई, 1977 के महीने में यात्रियों को नागर विमानन विभाग के इतिहास में सबसे अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी ;

(ग) क्या इतने अधिक समय तक प्रतीक्षा करने से यात्रियों को कठिनाई हुई और राष्ट्र को हानि हुई ;

(घ) इसको रोकने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ; और

(ङ) जून, 1977 में इस सम्बन्ध में क्या स्थिति थी और स्थिति में अब कितना सुधार हुआ है ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik): (a) Yes, Sir.

(b) and (d). No, Sir. The performance during the months of September 1976, to January 1977 were lower than in May, 1977 when the overall 'on time performance' was 60·26 % Out of 29 trunk route flights at Calcutta 3 were on time, 22 were delayed due to bad weather resulting in late arrivals or departures, for reasons beyoned the control of the Corporation, and 4 were delayed due to engineering and other snags. Government have directed Indian Airlines to tighten control on operations so as to prevent those delays/cancellations etc. reasons for which are within their control.

(c) Long waits do cause inconvenience to the travelling public and some financial loss to the Corporation due to cancellation of tickts also takes place sometimes.

(e) The 'on time performance' for the month of June, 1977 was lower than for May, 1977, again mainly due to bad weather, in the north-eastern region.

श्री के० लकप्पा : इस सत्र के दौरान एयर लाइन्स के सम्बन्ध में यह तीसरा मौखिक प्रश्न हैं। पिछली बार माननीय सदस्य ने बताया था कि वहां पर कोई अनुशासनहीनता नहीं है और सब ठीक चल रहा है परन्तु पिछली सरकार के समय में काम ठीक नहीं था। हजारों लोग हवाई जहाज से यात्रा करते हैं। **'दि स्टेटसमैन'** में 'हवाई अड्डों पर लम्बी प्रतीक्षा' शीर्षक के अन्तर्गत यह समाचार प्रकाशित हुआ कि 'हाल में लगभग 140 यात्रियों सहित पिछली जाने वाली एयरबस सायं को उड़ने वाले स्थल से वापस लौट आई। यह घोषणा की गई कि एक बोईंग, जहाज बदले में भेजा जायेगा। जनता पार्टी के सत्तारुढ़ होने के बाद इण्डियन एयरलाइन्स के इतिहास में यह विलम्ब सबसे अधिक था। पहले पिछली सरकार थी। अब ऐसा प्रतीत होता है कि स्थिति पर कोई नियंत्रण नहीं है। क्या यह सच है कि वहां पर काम करने वाली इंजीनियरिंग कर्मचारियों की ओर से प्रशासनिक कर्मचारियों को कोई सूचना न देने के कारण न केवल विलम्ब हुआ अपितु यह हवाई अड्डे पर यात्रियों के मन में चिन्ता का कारण भी बना ? इस प्रकार के विलम्ब के कारण क्या हैं ? क्या स्थिति पर कोई नियंत्रण है और क्या एयरलाइन्स के कार्यक्रम और उसकी समय-सारिणी के बारे में यात्रियों को बताने की कोई व्यवस्था की गई है ?

Shri Purushottam Kaushik : I am sorry for the inconvenience caused to passengers due to delay. But I would like to submit that there are two causes for the delay in flights. First, delay is caused due to certain technical defects for which officers of the department can be held responsible to some extent. Secondly, delay is caused due to bad weather which is beyond their control. The main cause for delay in most of the flights during May was bad weather. I may inform you that this year in North Eastern region weather played a very big role and rains were heavy as compared to in last May. This year in May 36 cms. rains were recorded as against only 17 cms. in 1976.

In Meghalaya, this year 42 cms. rains were recorded as against 19 cms. during the last year Similarly in Nagaland, Mizoram, Manipur and Tripura 37 cms. rains were recorded this year as against 29 cms. last year. So delay is due to bad weather for which I am sorry.

The second point raised is that as I said previously that, there is great improvement in the working of the Aviation Department after the Janata Government came into power. I still hold this view. I want to place certain figures before you in this regard.

There is constant increase in working capacity and performance which was there during emergency from September to January. It was as under :

In September	58·54
In October	58·92
In November	62·73
In December	58·47
In January 1977.	54·50

As against it in May, 1977 the performance was 60·26 percent. This proves that its working capacity has improved constantly.

श्री के० लकप्पा : यहां पर मंत्री महोदय ने यह स्वीकार करने के बजाय, केवल स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया है, कि उड़ानों में असाधारण विलम्ब होता है जिसका कारण असक्षम इंजीनियरों की नियुक्ति किया जाना है। कभी कभी वे पता नहीं लगा पाते कि कहीं हवाई जहाज गिर गया है या उसके इंजन में कोई खराबी है। बताया गया है कि इस कारण हवाई अड्डों पर भारी प्रतीक्षा करनी पड़ती है इससे राष्ट्र को हानि होती है। उन्होंने मेरे प्रश्न के भाग (ग) का उत्तर नहीं दिया है। पिछली बार लगभग 140 यात्रियों के लिये होटल में रहने के लिये किये गये प्रबन्ध पर 18000 रुपये की हानि हुई थी। उन्होंने इस हानि के बारे में कुछ नहीं बताया। यहां तक कि हवाई जहाज की उड़ान भरने की क्षमता के बारे में भी कुछ नहीं बताया। अतः वहां पर पूर्ण रुप से अनुशासनहीनता आ गई है। और कर्मचारियों में एक प्रकार का असन्तोष व्याप्त है।

अतः मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय समूची स्थिति पर विचार करेगा और यात्रियों के हित में स्थिति को सुधारेगा और हवाई जहाज के उड़ान भरने की स्थिति का समय पर पता लगायेगा? जहां तक मेरा विचार है इण्डियन एयरलाइन्स का उड़ानों पर एकाधिकार है। डा० कर्ण सिंह अपने समय में इसे ठीक तरह से चला रहे थे। मेरे प्रश्न का आप क्या उत्तर देना चाहते हैं?

Shri Purushottam Kaushik : I have only to say in this connection that the same engineers are working under me who were working for the previous Government. We are trying to reform their old habits so that they may work more efficiently.

श्री ए० सी० जार्ज : प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने मौनसून अथवा भारी वर्षा को कारण बताया है। मैं यह मानता हूं कि हमारे देश में वर्षा नागरिक उड्डयन विभाग को छोड़कर सभी विभागों के लिए लाभप्रद है। इण्यिन एयललाइन्स की उड़ाने भी वर्षा से प्रभावित होती हैं। कोचीन भी वर्षा से काफी प्रभावित रहता है। इसलिए वहां के लिए छोटा एवरोविमान रखा गया है लेकिन वहां यातायात अत्यधिक है। रोज़ ही कम से कम 100 यात्री कोचीन से बम्बई जाते हैं। वहा की हवाई पट्टी के विस्तार का प्रस्ताव था। वास्तव में काम भी शुरू हो चूका है और 90 लाख रुपया इस कार्य पर अब तक व्यय किया जा चूका है। लेकिन कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। मेरा विचार है कि पांचवी योजना के अन्त तक यह पूरा नहीं होगा। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे सदन को आश्वासन देगें कि इस कार्य में तेज़ी लाई जाएगी और 6 महीने के भीतर यह पूरा हो जाएगा ताकि बोइग 707 विमान वहां पर उत्तर सके। इंडियन एयरलाइन्स ने अब अंतराष्ट्रीय उड़ाने भी शुरू कर दी हैं। उसके विमान काठमंडू माली और कोलम्बो इत्यादि देशों में जाते हैं। प्रतिदिन लगभग 300-400 यात्री विमान द्वारा कोचीन से त्रिवेन्द्रम और बम्बई जाने वाले होते हैं। वह हमारे देश के लिए बहुत सी विदेशी मुद्रा ला रहे हैं। क्या मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करेंगे कि जिस प्रकार माली, कोलम्बो और काठमंडू के लिए इंडियन एयरलाइन्स की सेवाएं उपलब्ध है उसी प्रकार खाड़ी के देशों तथा कोचीम अथवा त्रिवेन्द्रम के बीच भी बोंइग 737 विमान की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी?

Shri Purushattam Kaushik : The Government's endevour is to minimise the traditional delay. The projects that have already been undertaken will be expedited.

Shri D. N. Tiwari : The capacity and capability of a transport is judged by the facilities it provides to passengers and the punctuality it maintains. The punctlity in the Railways is upto 80, 85 and 90 percent. I would like to know how punctual is his department and what measures are being taken to improve the punctuality?

Shri Purushottam Kaushik : As I have stated earlier we are constantly trying to improve the punctualtiy. The on time performance in May 1977, was 60, 20 percent and June 1977 in was 57·82 percent. The deterioration in punctuality was not due to any mechanical fault but because of monsoon and bad weather. The delay due to mechanical faults is being minimised. The situations is improving day by day. The yearwise improvement break up is as under :

1973-74	8·66 %
1974-75	5·20 %
1975-76	4·59 %
1976-77	4·42 %
Upto June 1977	4·28 %

The House should be satisfied with the considerable improvement that has taken place in performance. But I am not satisfied with the present level. I want further improvement since this Government has come to power. there is steady improvement in this department. I assure the house that this process will continue.

डा० कर्ण सिंह : यह प्रश्न अंतराष्ट्रीय विमान पत्तनों के संबंध में है। 18 जुलाई, की 'टाइम' पत्रिका में 'टाइम्ज गाइड टू एयरपोर्टस्' शीर्षक के अंतर्गत एक लेख प्रकाशित हुआ है। उसमें विश्व के विभिन्न 20 विमान पत्तनों के बारे में जानकारी दी गई है। सबसे अच्छे विमान पत्तन को तीन सितारों की कोटि में रखा गया है और 'खराब' पत्तन को आधे सितारे की कोटि में रखा गया हैं। दुर्भाग्यवश दिल्ली के अंतराष्ट्रीय विमान पत्तन को आधे सितारे की कोटि में रखा गया है अर्थात् इसे 'खराब' श्रेणी का माना गया है। लेख में दिल्ली के विमान पत्तन को बम्बई की तुलना में बहुत बेहतर बताया गया है। इसमें बम्बई की अपेक्षा भीड़-भाड़ कम और काम अधिक कुशलता से होता है। इससे यह स्पष्ट है कि हमारे अंतराष्ट्रीय विमान पत्तनों की स्थिति अत्यंत खराब है। क्या मंत्री महोदय इस संबंध में कुछ कार्यवाही करेंगे ?

मैंने अतराष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण विधेयक संसद में पेश किया था। बहुत आशाओं के साथ इसे बनाया गया था। लगता है अंतराष्ट्रीय विमान पत्तनों को सुधारने की हमारी सभी योजनाएं अब हवा हो गई है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं अंतराष्ट्रीय विमान सेवा क्षेत्र में हमारी प्रतिष्ठा धूमिल न पड़े इसके लिए उनका क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

Shri Purushottam Kaushik : I haven't read this article. Our effort is improve our airports If I get this magazine I will see what this article contains.

अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों का काफी सुधार किया गया है। सामान रखने के लिए इमारते बनाई गई हैं, हवाईपट्टियों का विस्तार किया गया है, इत्ययदि।

महाराष्ट्र राज्य सरकार को जीवन बीमा निगम द्वारा वित्तीय सहायता

***586. श्री अण्णासाहिब गोटखिण्डे :** क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम से पाइप द्वारा जल सप्लाई की विभिन्न योजनाओं के लिये वित्तीय सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या जीवन बीमा निगम से धनराशि उपलब्ध न होने के कारण उस राज्य में पाइप द्वारा जल सप्लाई की योजनायें ठप्प हो गई हैं ; और

(घ) स्थिति में सुधार करने तथा अपेक्षित धनराशि उपलब्ध कराने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (घ). अप्रैल, 1977 में महाराष्ट्र सरकार ने जीवन बीमा निगम से चालू वर्ष के दौरान शहरी जल पूर्ति और मल निकासी की 30 योजनाओं के खर्च को पूरा करने के लिए 450.69 लाख रुपए का एक ऋण मांगा था। जीवन बीमा निगम ने इन योजनाओं के खर्च के लिए महाराष्ट्र जल पूर्ति और मल निकासी बोर्ड को 449 लाख रुपए का एक ऋण दिया है। जहां तक ग्रामीण जल पूर्ति योजनाओं का सम्बन्ध है, जीवन बीमा निगम के पास अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

महाराष्ट्र सरकार से शहरी और ग्रामीण जल पूर्ति और मल निकासी योजनाओं के लिए और अधिक धन देने के वास्ते एक मामला आया है और इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे : मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न के (ग) भाग का उत्तर नहीं दिया है। प्रश्न यह है कि क्या जीवन बीमा निगम से धनराशि उपलब्ध न होने के कारण उस राज्य में पाइप द्वारा जल सप्लाई की योजनाएं ठप्प हो गई हैं ?

श्री एच० एम० पटेल : मैं इसका उत्तर अभ्र दूगां। किसी भी योजना के पूरे वित्तपोषण के लिए जीवन बीमा निगम जिम्मेदार नहीं है। योजना ठप्प होने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि राज्य से अथवा अन्य स्त्रोतों से पैसा न प्राप्त हुआ हो। जहां तक जीवन बीमा निगम का संबंध है, जो राशि इसे देनी थी वह उसने दे दी है।

श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे : मेरे प्रश्न का अभी भी उत्तर नहीं दिया गया है। मुझे लिखित उत्तर में कुछ विरोधाभास लगता है। उत्तर में कहा गया है कि जहां तक ग्रामीण जल पूर्ति योजनाओं का संबंध है जीवन बीमा निगम के पास अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि महाराष्ट्र सरकार से शहरी और ग्रामीण जल पूर्ति और मल निकासी योजनाओं के लिए और अधिक धन देने के लिए एक मामला आया है और इस मामले पर विचार किया जा रहा है। मेरा प्रश्न यह है कि राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है। लिखित उत्तर में कहा गया है कि अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं आया है। वर्तमान स्थिति क्या है। मेरे विचार में लिखित उत्तर में कुछ विरोधाभास है।

श्री एच० एम० पटेल : मैंने जो कुछ भी कहा है उसमें कुछ विरोधाभास नहीं है। मैंने यह कहा है कि अधिक धन देने के बाद बारे में एक मामला आया है और उस पर विचार किया जा रहा है।

श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे : क्या अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

श्री एच० एम० पटेल : किसी विशिष्ट योजना के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है । धन आवंटन में सामान्य वृद्धि के लिए कहा गया है । दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं ।

श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे: लगभग 4000 गांव ऐसे हैं जिनमें पेय जल योजना को अभी क्रियान्वित करना है । पेय जल की सप्लाई के लिए ग्रामीण लोगों की मांग बढ़ रही है । लेकिन धनाभाव के कारण राज्य सरकार को अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने में कठिनाई हो रही है । जीवन बीमा निगम ने 5 सितारों वाले होटलों के निर्माण के लिए काफी धनराशि को स्वीकृति दी है ।यदि 5 सितारों वाले होटलों के निर्माण के लिए जीवन बीमा निगम राशि दे सकता है तो ग्रामीण क्षेत्रों में जल सप्लाई योजनाओं के लिए धनराशि क्यों नहीं देता है ? शहरी क्षेत्रों में 5 सितारों वाले होटलों की ऐसी क्या एकदम जरूरत है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को पीने का पानी भी मयस्सर नहीं ? मैं यह जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार ने कितनी योजनाओं के लिए जीवन बीमा निगम से वित्तीय सहायता मांगी और कितमी योजनाओं को स्वीकृति दी गई है ।

श्री एच० एम० पटेल : जीवन बीमा निगम को योजनाओं से कोई सरोकार नहीं है वह तो राज्य सरकार का विषय है । जीवन बीमा निगम का तो विशेष प्रयोजनों जैसे जल सप्लाई इत्यादि, से सम्बन्ध है । सारे देश के लिए योजनाएं बनती हैं और उनके लिए धन आवंटित किया जाता है । महाराष्ट्र सरकार को इस वर्ष कुछ धन प्राप्त हुआ है । उदाहरणार्थ, 41 करोड़ रुपये के आवंटन में से महाराष्ट्र को 8 करोड़ रुपया प्राप्त होगा । अतः महाराष्ट्र को जो राशि प्राप्त हो रही है वह समुचित है । जीवन बीमा निगम की यह जिम्मेदारी नहीं है कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं बनाई गई हैं सभी के लिए यह पैसा जुटाया जाए । इस वर्ष के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 4.5 करोड़ रुपया मांगा था जिसमें से 4.49 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी जा चुकी है । किस योजना को पूरा किया जाए और कितना धन उस पर व्यय किया जाए इसका निर्णय महाराष्ट्र सरकार करती है ।

श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे : महाराष्ट्र की विशिष्ट भौगोलिक दशाओं को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार सदन को आश्वासन देगी कि महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप जल सप्लाई की समुचित योजनाओं को जीवन बीमा निगम और सरकार द्वारा स्वीकृति दी जाएगी ?

श्री एच० एम० पटेल : मैं ऐसा कोई आश्वासन नहीं दे सकता । सरकार केवल यह आश्वासन दे सकती है कि ऐसी सामाजिक योजनाओं के लिए किए गए कुल आवंटन में से महाराष्ट्र सरकार को जितनी अधिकाधिक राशि दी जा सकती है वह उसे उपलब्ध कराई जाएगी । समुचित धनराशि उपलब्ध कराई गई है ।

श्री सोनु सिंह पाटिल : मन्त्री महोदय ने कहा है कि 41 करोड़ रुपये की कुल राशि में से 8 करोड़ रुपये की राशि महाराष्ट्र के लिए स्वीकृत की गई है ।

जल सप्लाई की बढ़ती हुई मांग को दृष्टिगत रखते हुए यह राशि समुचित नहीं लगती । उन्होंने यह भी कहा है कि जीवन बीमा निगम ने ऋण की स्वीकृति दे दी है और कुछ औपचारिकताओं को पूरा करना है । मैं यह जानना चाहता हूं कि योजना की प्रगति को तथा राशि के आवंटन को रोकने वाली ऐसी क्या औपचारिकताएं हैं जिन्हें पूरा करना है ?

श्री एच० एम० पटेल: औपचारिकताओं के कारण कोई विलम्ब नहीं हुआ और न ही कोई काम रुका पड़ा है। मैंने केवल यही कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने 4.5 करोड़ रुपये की मांग की थी और उन्हें 4.49 करोड़ रुपये की स्वीकृति कर दी गई है। महाराष्ट्र सरकार ने जिन योजनाओं को स्वीकृति दी है उनका वित्त पोषण किया जाएगा और किया जा भी रहा है ।

श्री एस० आर० दामाणी : क्या यह सच नहीं है कि जीवन बीमा निगम और अन्य वित्तीय संस्थान प्रार्थनापत्रों पर विचार करने और तदुपरांत धन आवंटन पर काफी समय लगाते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं औसतन इस कार्य पर कितना समय लगता है। यदि मन्त्री महोदय अभी नहीं बता सकते तो यह सूचना मुझे बाद में दे दें।

श्री एच० एम० पटेल : औसतन समय जैसी कोई बात नहीं है। सभी अर्जियों पर जल्दी विचार करके निपटा दिया जाता है। यदि आप किसी ऐसे मामले को जानते हैं जिस पर असाधारण विलम्ब हुआ हो तो मुझे उसकी जानकारी दें। मैं उसकी जांच करूंगा।

श्री हरिशंकर महाले : उत्तर के अन्तिम भाग में कहा गया है कि मामले पर विचार किया जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस पर अन्तिम निर्णय कब तक किया जाएगा

श्री एच० एम० पटेल : महाराष्ट्र सरकार ने अधिक आवंटन के लिए कहा है, इसीलिए, मामले पर विचार किया जा रहा है। सभी राज्यों के अनुरोध प्राप्त होने पर ही हम इसका निर्णय कर सकते हैं। महाराष्ट्र की सरकार बहुत भाग्यशाली है। बिहार सरकार ने इस योजना का लाभ नहीं उठाया। यदि वह भी इस योजना का इतना लाभ उठाए तो महाराष्ट्र सरकार के लिए इतना धन प्राप्त करना कठिन हो जाएगा।

Shri Yuvraj : Will the hon. Minister be pleased to state the name of those states other than Maharashtra, that have approached the Life Insurance Corporation of India for financial assistance for various pipe water supply schemes.

श्री एच० एम० पटेल : इस सम्बन्ध में मैं आपको आंकड़े दे सकता हूं। वर्ष 1973–74 में जल सप्लाई योजनाओं के लिए कुल 2263 लाख रुपया आवंटित किया गया। इसमें से उत्तर प्रदेश को 153 लाख रुपए, तमिलनाडु को 303 लाख रुपए, राजस्थान को 95 लाख रुपये, केरल को 447 लाख रुपये, कर्नाटक को 388 लाख रुपए, हिमाचल प्रदेश को 8 लाख रुपये, हरियाणा को 136 लाख रुपये गुजरात को 128 लाख रुपए और आन्ध्र प्रदेश को 230 लाख रुपये प्राप्त हुए। अगले वर्ष आन्ध्र प्रदेश को कुछ नहीं मिला क्योंकि उन्होंने इसके लिए कुछ मांगा नहीं। गुजरात को 47.5 लाख रुपये, कर्नाटक को 138 लाख, केरल को 334 लाख और मध्य प्रदेश को 430 लाख रुपये प्राप्त हुये। हर साल आवंटित की जाने वाली राशि अलग-अलग होती है। गत वर्ष 1975–76 में..... **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : आसाम के बारे में क्या है ?

श्री एच० एम० पटेल : आसाम को कुछ नहीं मिला, क्योंकि उसने कभी मांगा ही नहीं।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मैं महाराष्ट्र से भली भांति परिचित हूं। मैं महाराष्ट्र के बारे में इतना ही जानता हूं जितना श्री धारिया। मैं महाराष्ट्र वालों से भी बेहतर प्रश्न पूछ सकता हूं। इसलिए कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।

श्री आर० मोहनरंगम : तमिलनाडु में राष्ट्रपति का शासन था। भारत सरकार के प्रतिनिधियों का यह दायित्व था कि वे तमिलनाडु जल सम्भरण योजनाओं के लिए अधिक राशि प्राप्त करने का प्रयत्न करते। परन्तु केवल इस कारण से कि वहां डी०एम०के० सत्ता में है, गत नौ वर्षों से कुछ भी नहीं किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है.... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

आसाम की बांस दस्तकारी और नक्काशी की वस्तुओं के समुद्र पार बाजार

†587. **श्री निहार लास्कर** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में बनी बांस दस्तकारी और नक्काशी की वस्तुओं के निर्यात की काफी सम्भावनाएं हैं और समुद्रपार के देशों में उन्हें अच्छे बाजार मिल गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(ग) क्या इन वस्तुओं के निर्यात के लिये किन्हीं विदेशी बाजारों का पता लगाया गया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार ने इस शिल्प की वस्तुओं की विकास तथा निर्यात सम्भाव्यता सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये निम्नोक्त संस्थान स्थापित किये हैं :

(1) उत्तर-पूर्वी हस्तशिल्प तथा हथकरघा विकास निगम, शिलांग।

(2) बैंत तथा बांस विकास संस्थान, अगरतला।

(ग) ये वस्तुएं बहुत से बाजारों को निर्यात की जा रही हैं जिनमें ये शामिल हैं : बैल्जियम, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, नीदरलैण्ड, डेनमार्क, ब्रिटेन, सं०रा० अमरीका, स्विटजरलैण्ड, आयरलैण्ड, आस्ट्रेलिया, कुवैत तथा सऊदी अरब आदि।

श्री निहार लास्कर : महोदय, यह सुन्दर दस्तकारी है। यदि आप उन वस्तुओं को देखें तो अवश्य पसन्द करेंगे। मैंने आसाम के बारे में पूछा है। जिन दो संस्थानों का उल्लेख किया गया है, उन में से एक शिलांग में है तथा दूसरा अगरतला में। क्या आप आसाम के बारे में कुछ कर रहे हैं ?

श्री मोहन धारिया : वे समूचे उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए हैं और मेरे माननीय मन्त्री इस बात को स्वीकार करेंगे कि आसाम उत्तर-पूर्व क्षेत्र का भाग है। स्वाभाविक रूप से इस बात को ध्यान में रखा गया है। इस के अतिरिक्त अब यह निर्णय किया गया है कि एक सम्पूर्ण क्षेत्रीय डिजाइन और तकनीकी विकास केन्द्र गोहाटी में खोला जाये। परन्तु यह समूचे क्षेत्र के लिए होगा। मैं उस क्षेत्र की समस्याओं से भली भांति परिचित हूं। 1972 में मैं जब उस क्षेत्र में गया तो उस केन्द्र में भी गया था। यह न केवल देश के लिए अपितु निर्यात के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। उसे हमारे प्रोत्साहन की आवश्यकता है। इसलिए ये संस्थाएं बनाई गई हैं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किये जा रहे हैं। सभा को यह जानकर हर्ष होगा कि यद्यपि अगरतला का संस्थान अभी हाल में 1 जून, 1977 से ही आरम्भ

किया गया है, तथापि लगभग 25 प्रशिक्षणार्थी आ गये हैं तथा और आ रहे हैं। हमें इस सुन्दर कला का विकास करना है और हम इस बारे में हर सम्भव सहयोग देंगे।

श्री निहार लास्कर : गत दो वर्षों में इन वस्तुओं के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

श्री मोहन धारिया : 1975-76 में 25 लाख तथा 1976-77 में 37 लाख रुपये की।

श्री वेदव्रत बरुआ : मंत्री महोदय ने निर्यात की मात्रा बताई है। केवल मुरादाबाद से प्रति वर्ष 20 करोड़ रुपये का निर्यात होता है। पूरे उत्तर-पूर्व क्षेत्र से केवल 37 लाख का हुआ है। वस्तुतः मैं इसके लिए सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं। वहां बनी सुन्दर वस्तुएं लोकप्रिय नहीं हुई हैं। इन संस्थानों ने निर्यात बढ़ाने में कोई कार्य नहीं किया है। जो भी काम हुआ है, वह केवल कागज पर हुआ है। पर्यटकों को आसाम नहीं जाने दिया जाता और बाहरी दुनिया से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। हमने हमेशा इसका विरोध किया है। क्या मंत्री महोदय आश्वासन देंगे कि ये संस्थान निर्यात बढ़ाने के लिए वास्तव में कुछ करेंगे ? आप ये कार्य राज्य सरकार अथवा निर्यात गृहों पर नहीं छोड़ सकते। केन्द्रीय सरकार को विशेष रुचि लेनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्यात के मामले में इस क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दिया जाये। मैं आशा करता हूं कि वह आश्वासन देंगे।

श्री मोहन धारिया : मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस बारे में हर संभव प्रयास किया जायेगा परन्तु अन्ततः क्षेत्र के विकास के लिए स्थानीय नेताओं की जिम्मेदारी होती है। यदि मेरे माननीय मित्र कोई रचनात्मक कार्य करें, तो वह बहुत बड़ी सहायता होगी।

श्रीमती रेणुका बरकटकी : मंत्री महोदय, स्थानीय नेताओं पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। जब तक हमें सरकार से प्रोत्साहन और सहायता नहीं मिलती, स्थानीय नेता क्या कर सकते हैं ? सहकारिता के कार्यभार भी मंत्री महोदय के पास हैं। उनको पता है कि यह एक कुटीर उद्योग है। क्या वह यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करेंगे कि इस उद्योग का विकास सहकारी क्षेत्र में हो ? क्या वह यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इस क्षेत्र से भी निर्यात का कार्य उसी प्रकार से हो जैसा मुरादाबाद से होता है ?

श्री मोहन धारिया : मैं पहले भी कह चुका हूं। उत्तर-पूर्वी हस्तशिल्प तथा हथकरघा विकास निगम, शिलांग का हाल ही में 31 मार्च, 1977 को पंजीकरण हुआ है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि यह संस्थान इस उद्योग के विकास में पूर्ण सहयोग दे।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा जिलों में ऋण सम्बन्धी अन्तर का सर्वेक्षण

***588. श्री पी० राजगोपाल नायडू** : **क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया कुछ जिलों में ऋण सम्बन्धी अन्तर का सर्वेक्षण कर रहा है;**

(ख) यदि हां, तो उन जिलों के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या रिजर्व बैंक का विचार सीधे सहकारी ऋण समितियों को ऋण देने का है ?

वित्त और राजस्व तथा बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) :

विवरण

(क) जी हां, रिजर्व बैंक, आगामी दो वर्षों (1977-78 और 1978-79) में अपनी सघन कृषि ऋण विकास योजना के अन्तर्गत 41 जिलों में मुख्य रूप से कृषक और तत्सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये हो सकने वाली ऋण की मांग का मूल्यांकन कर रहा है ।

(ख) सघन कृषिक ऋण विकास योजना के अन्तर्गत चुने गये जिलों के नाम नीचे दिये गये हैं :—

राज्य	जिला
1. गुजरात .	1. भावनगर 2. मेहसाना
2. मध्य प्रदेश	1. झाबुआ 2. सतना 3. रायपुर 4. नरसिंहपुर
3. महाराष्ट्र .	1. धूलिया 2. औरंगाबाद 3. शोलापुर
4. कर्नाटक	1. चित्र दुर्ग 2. शिमोगा
5. आंध्र प्रदेश	1. करीम नगर 2. चित्तूर 3. प्रकाशम
6. केरल . .	1. त्रिचूर 2. क्विलोन
7. तमिलनाडु .	1. साउथ अर्काट 2. मदुरै
8. राजस्थान .	1. बांसवाड़ा 2. उदयपुर 3. गंगा नगर
9. पंजाब . .	1. फरीदकोट 2. रोपड़
10. उत्तर प्रदेश .	1. रायबरेली 2. जौनपुर 3. बस्ती 4. मेरठ 5. नैनीताल 6. बांदा 7 देहरादून
11. हरयाणा .	1. हिसार 2. रोहतक
12. पश्चिम बंगाल .	1. नदिया 2. वैस्ट दीनाजपुर
13. मेघालय .	1. गारो हिल्स
14. उड़ीसा . .	1. बलासौर 2. कलाहांडी
15. बिहार . .	1. पूर्णिया 2. रांची-कुती 3. ससराम-झबुआ
16. असम . .	1. नौगांव

(ग) जी नहीं, ऋणों का संघीय सहकारी ढांचे के जरिये दिया जाना जारी रहेगा, जैसा कि आजकल किया जा रहा है ।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सर्वेक्षण पूरा हो गया है और आगामी दो वर्षों के लिए ऋण का अन्तर कितना है ?

श्री एच० एम० पटेल : 41 में से 40 जिलों में सर्वेक्षण पूरा हो गया है, परन्तु ऋण की मांग का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि सर्वेक्षण विभिन्न जिलों में आरम्भ की जाने वाले कार्यक्रमों को देखते हुए, उन जिलों को परिस्थितियों के संदर्भ में किया गया है। सर्वेक्षण से पता चला है कि किन किन क्षेत्रों में ऋणों की आवश्यकता है तथा उसे किस प्रकार पूरा किया जाये। अतः उसके लिए व्यवस्था की जा रही है ।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या आन्ध्र प्रदेश में सर्वेक्षण पूरा हो गया है और क्या इसमें भेड़ पालन तथा कृषि सम्बन्धी अन्य कार्यों के लिए ऋण भी शामिल है ?

श्री एच० एम० पटेल : आन्ध्र प्रदेश में सर्वेक्षण पूरा हो गया है।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या सर्वेक्षण में भेड़ पालन तथा अन्य कृषि सम्बन्धी कार्यों के लिए ऋण की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा गया है ?

श्री एच० एम० पटेल : वस्तुतः कृषि का मूल महत्व है। सर्वेक्षण के अन्तर्गत विभिन्न बातें शामिल हैं जैसे कि विभिन्न फसलों के लिए कितने ऋण की आवश्यकता होगी, छोटे तथा सीमान्त किसानों, देहाती कारीगरों, भूमिहीन श्रमिकों, लघु तथा कुटीर उद्योग के लिए कितनी आवश्यकता होगी, आदि आदि। इस समय में आन्ध्र प्रदेश के लिए विशेष रूप से बताने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री अनन्त देव : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सघन खेती ऋण विकास योजनाओं के लिए जिलों का चयन किन मानदण्डों के आधार पर किया गया है ?

श्री एच० एम० पटेल : मैं उन जिलों के नाम बता सकता हूं जिन्हें विभिन्न राज्यों में इस के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

श्री अनन्त देव : मेरा प्रश्न यह है कि क्या इसके लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किया गया है ?

श्री एच० एम० पटेल : यह प्रश्न एक भिन्न योजना अर्थात् सघन क्षेत्र विकास योजना से सम्बन्धित है। यह एक भिन्न योजना है। आपने जो अभी मुझसे पूछा वह रिजर्व बैंक द्वारा किये गये सर्वेक्षण से सम्बन्धित है ।

श्री चित्त बसु : महोदय, विवरण से यह ज्ञात होता है कि प्रत्येक राज्य से दो अथवा तीन जिलों को चुना गया है। मैं जानना चाहता हूं कि यह चयन किस मानदण्ड के आधार पर किया गया है ?

श्री एच० एम० पटेल : सघन खेती विकास ऋण योजना दिसम्बर, 1976 में आरम्भ की गई थी। मैं यह बताने की स्थिति में नहीं हूं कि जिलों का चयन किस मानदण्ड के आधार पर किया गया है। परन्तु मैं यह बता दूं कि सघन क्षेत्र विकास योजना के लिए प्रत्येक राज्य से कुछ जिलों को चुना गया है तथा उन में से किसी जिले को इस योजना के अन्तर्गत नहीं चुना गया है।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जब सरकार अथवा रिजर्व बैंक कोई सर्वेक्षण करे, तो उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए। इस सर्वेक्षण का क्या उद्देश्य है ? वास्तविक समस्या यह है कि बैंक का कार्यक्षेत्र ग्रामों तक उतने प्रभावी ढंग से नहीं बढ़ाया गया, जितना बढ़ाया जाना चाहिए था। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है, किन मानदण्डों के आधार पर जिलों का सर्वेक्षण किया गया है तथा सर्वेक्षण से क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

श्री एच० एम० पटेल : माननीय विपक्ष नेता को ज्ञात है कि यह योजना पहले आरम्भ की गई थी तथा इसका उद्देश्य है कि विभिन्न क्षेत्रों के समन्वित विकास के लिए कार्यक्रम बनाये जायें और उनके लिए ऋण की आवश्यकताओं का पता लगाया जाये। इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी ऋणदाता संस्थानों को सुदृढ़ बनाना भी है। इसलिए सर्वेक्षण से यह पता लगाया जायेगा कि प्रत्येक जिले की ऋण आवश्यकता कितनी है, वहां कौन कौन सी ऋण समितियां हैं, वे कितनी आवश्यकता पूरी कर सकती हैं और जिले की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और क्या क्या करने की जरूरत है ।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : मंत्री महोदय के विवरण से ज्ञात होता है कि जम्मू तथा काश्मीर को छोड़ कर लगभग सभी राज्यों को इस सर्वेक्षण में शामिल किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि जम्मू तथा काश्मीर को शामिल क्यों नहीं किया गया तथा क्या उसे भी शामिल किया जायेगा ?

श्री एच० एम० पटेल : मैं यह बताने की स्थिति में नहीं हूं कि जम्मू तथा काश्मीर को क्यों शामिल नहीं किया गया। मैं इसका पता लगाऊंगा कि ऐसा क्यों नहीं किया गया। मुझे उसे शामिल करने में कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि उसे योजना में शामिल किया जा सका। यह योजना भूतपूर्व सरकार के समय आरम्भ की गई थी । मैंने इस में से जम्मू तथा काश्मीर को नहीं निकाला है। मैं इसका अवश्य पता लगाऊंगा कि जम्मू तथा काश्मीर को क्यों शामिल नहीं किया गया। मुझे जम्मू तथा काश्मीर को शामिल करने में खुशी होगी।

श्री ए० बाला० पजनौर : भूतपूर्व सरकार ने पांडिचेरी को भी शामिल नहीं किया। आप पांडिचेरी को भी शामिल कीजिए।

श्री एच० एम० पटेल : अवश्य ।

श्री पी० के० कोडियान : मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर तथा विवरण से यह ज्ञात होता है कि यह सर्वेक्षण अभी 41 जिलों में अभी पूरे हुए हैं और यदि हां, तो इनका उद्देश्य कैसे पूरा होगा। विवरण में कहा गया है कि सर्वेक्षण 1977-78 और 1978-79 के लिए ऋणों की आवश्यकता का पता लगाएगा। वर्ष 1977 आधे से अधिक पहले ही पूरा हो गया है। इसका क्या लाभ और अब कैसे पूरा होगा ? ऋण आवश्यकताओं के बारे में रिजर्व बैंक द्वारा की गई विशेष सिफारिशें तथा सुझाव क्या हैं और जहां सर्वेक्षण हुआ है उन जिलों का ऋण अन्तर कितना है ?

श्री एच० एम० पटेल : यह सच है कि 16 राज्यों में 1977-78 और 1978-79 के लिये ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया गया था। यह काम अब पूरा हो गया है। लेकिन 1977-78 के लिये ऋण के अन्तर का हिसाब लगाना है। यह सही

है कि आधा वर्ष बीत गया होता। पर हम इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कार्य अभी पूरा हुआ है।

Shri Om Prakash Tyagi : Is the Hon'ble Minister aware that the loan is first given to the State Co-operative Bank, which in turn gives to the Director Cooperative Bank for making advances to the agriculturists. Is it a fact that every Bank adds its interest and therefore, the agriculturist has to pay more interest? Will the Government arrange to advance loans to the agriculturists direct so that they may have to pay less interest?

श्री एच० एम० पटेल : हम इन बिचौलियों की संख्या कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तव में रिजर्व बैंक सीधे जिला सहकारी बैंक को और जहां जिला सहकारी बैंक न हों वहां राज्य सहकारी बैंक को धन देता है।

श्री समर गुह : ऋण का अन्तर 348 जिलों के बीच ही नहीं है, भारत में सभी जगह है। माननीय मंत्री ने बताया कि देश भर में ग्रामीण बैंकों में जमा किये धन में से आधा धन उद्योगों के विकास के लिये और बड़े-बड़े व्यापारियों को ऋण देने के लिये नगरीय बैंकों द्वारा ले लिया जाता है। तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण देने की नीति पर पुर्नविचार किया जायेगा ताकि ग्रामीण बैंकों को दिया गया धन ग्रामीण लोगों को ही ऋण के रूप में दिया जा सके? दूसरे, ब्याज की अलग-अलग दरें जो पिछली सरकार ने शुरू की थीं वे कहां तक लागू की गई हैं, उनके बारे मे स्थिति क्या है?

श्री एच० एम० पटेल : ग्रामीण क्षेत्रों में जो धन इन बैंकों द्वारा दिया जाता है वह उन्हीं क्षेत्रों में दिया जायेगा। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकतायें पूरी की जायेंगी। इसीलिये यह सर्वेक्षण किया गया है। जहां-जहां ब्याज की अलग-अलग दरें दी जा सकती हैं वे दी जा रही हैं।

रिजर्व बैंक को फटे-पुराने नोट वापस करने की प्रक्रिया

***590. श्री रशीद मसूद** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि दुकानदारों, बैंकों, सरकारी कार्यालयों तथा अन्य लोगों द्वारा बैंक और करेंसी नोट स्वीकार न किये जाने और रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा बैंकिंग तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से फटे-पुराने नोट वापस लेने के संबंध में कठोर नीति अपनाये जाने के कारण आम जनता को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या उनको इस बात की जानकारी है कि जिन स्थानों पर रिजर्व बैंक आफ इंडिया की ओर से स्टट बैंक आफ इंडिया "राजकोष तिजोरी" के रूप में कार्य करता है, वहां वह फटे हुए नोटों के बदले नये नोट नहीं देता; और

(ग) रिजर्व बैंक को फट-पुराने नोट वापस करने की प्रक्रिया को सरल बनाने और नोट छापने वाले कागज की किस्म में सुधार करने के लिये उनका क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

इस प्रश्न का सम्बन्ध मैले और फटे-पुराने नोट स्वीकार किये जाने और उनके बदले जाने से है। रिजर्व बैंक की पारिभाषिक शब्दावली के अनुसार "मैला नोट" (सायल्ड नोट) वह नोट है जो रोजमर्रा के आम इस्तेमाल के कारण गंदा हो गया हो लेकिन जो अन्यथा पूरा का पूरा हो और किसी तरह से भी कटा-फटा नहीं हो तथा "कटेफटे" (म्यूटिलेटिड नोट) का अभिप्राय उस नोट से है जो फटा हुआ हो और जिसके टुकड़े हो गये हों अथवा जिसका कोई हिस्सा गायब हो, उन नोटों को जो थोड़े कट-फट गये हों उन्हें "मामूली कटे-फटे नोट" (स्लाइटली म्युटिलेटिड नोट) कहा जाता है।

2. साधारणतया लोगों को गंदे नोटों, मामूली कटे-फटे नोटों और ऐसे नोटों को बदलने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए जिनके दो टुकड़े हो गये हों बशर्ते कि दोनों टुकड़ों को देखने से साफ पता लग जाये कि ये एक ही नोट के हिस्से हैं क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक सहित सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को, रिजर्व बैंक ने पहले ही इस सम्बन्ध में लोगों को अपेक्षित सुविधाएं देने की हिदायतें दे रखी हैं। डाकतार विभाग के सभी कार्यालयों और रेलवे को भी रिजर्व बैंक ने देनदारियों की अदायगी के रूप में लोगों से गंदे और मामूली कटे-फटे नोट स्वीकार करने का अधिकार दे दिया है। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक (नोट प्रत्यर्पण) नियमावली, 1975 के अन्तर्गत, जो 1935 की नियमावली के स्थान पर बनायी गई है, बहुत अधिक कटे-फटे नोट जांच-पड़ताल और अदायगी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालयों में भेजने या पेश करने होते हैं। इन सुविधाओं के बारे में आम लोगों की जानकारी के लिए रिजर्व बैंक द्वारा 8 जून, 1976 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी, जो 13 जून, 1976 के समाचार पत्रों में भी छपी थी। सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को रिजर्व बैंक की इस सार्वजनिक सूचना को अपनी सभी शाखाओं में मुख्य स्थानों पर प्रदर्शित करने के लिए कहा गया था। सार्वजनिक सूचना की एक प्रति संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखी गई/देखिए संख्या एल०टी० 1797/77]. । कटे-फटे नोट बदलने में आम लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक के कार्यालयों में उन मामलों को प्राथमिकता दी जाती है जिनमें नोट बड़ी संख्या में पेश किये जाते हैं।

3. लेकिन बैंकों की कुछ शाखाओं आदि में मैले अथवा कटे-फटे नोट स्वीकार न किये जाने अथवा उनको बदलने में आम जनता को आने वाली कठिनाइयों की छुटपुट शिकयातें मिलती रहती हैं। ये कठिनाइयां बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से मैले नोट वापस लेने के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई कार्यपद्धति संबंधि हिदायतों के कारण पैदा नहीं हुई हैं। रिजर्व बैंक में ऐसी प्रत्येक शिकायत की जांच की जाती है और संबंधित बैंक को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जाता है कि इस सम्बन्ध में आम जनता को बिना किसी रुकावट के, सुविधाएं दी जायें। अभी **अप्रैल, 1977 में रिजर्व बैंक ने बैंकों को कहा है कि वे नोट बदलने के लिए जहां तक संभव हो अधिक से अधिक सुविधाएं दें।**

4. नोट प्रत्यर्पण नियमावली, 1975 के जारी किये जाने के बावजूद अथवा उक्त नियमों के कारण आम जनता को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के विचार से रिजर्व बैंक इस बात की जांच कर रहा है कि इन नियमों में और कैसे संशोधन किये जा सकते हैं और इन्हें कैसे सरल और उदार बनाया जा सकता है। रिजर्व बैंक इस बात की भी जांच कर रहा है कि सरकारी क्षेत्र के बैंक किस हद तक कटे फटे नोटों को स्वीकार कर सकते हैं अथवा बदल सकते हैं।

5. हाल के वर्षों में नोटों के कागज में भी काफी सुधार हुआ है और अन्तर्राष्ट्रीय मानकों की तुलना में वह काफी अच्छा है; फिर भी सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद में, जिसमें करेंसी और बैंक नोटों के लिए कागज तैयार किया जाता है, अच्छी किस्म के कच्चे माल और फिनिश देने के बेहतर तरीकों द्वारा पहले से अच्छी किस्म का कागज तैयार करने की लगातार कोशिश की जा रही है।

श्री रशीद मसूद : क्या मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि ये मैले और फटे पुराने नोट डाकखानों और राष्ट्रीयकृत बैंको द्वारा भी स्वीकार कर लिये जायें और रिजर्व बैंक के पास भेज दिये जायें ?

श्री एच० एम० पटेल : वर्तमान आदेशों के अन्तर्गत, ये मैले नोट रिजर्व बैंक द्वारा ही नहीं बल्कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा भी स्वीकार किये जाते हैं। डाकखानों में इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि डाकखानों की इस संबंध में कुछ कठिनाइयां हैं।

Shri Ugra Sen : Leave aside the nationalised banks, even the branches of the State Bank in various districts do not accept soiled and mutilated notes. Will the Hon'ble Minister issue some circular directing these branches to accept such notes?

श्री एच० एम० पटेल : हम यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे मैले और फटे पुराने नोट जो रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत आते हैं, स्टेट बैंक और इसकी शाखाओं द्वारा स्वीकार कर दिये जायें।

Chowdhary Balbir Singh : May I know whether the defected and stamped currency notes that had been taken away from the Banks, were again thrown into circulation in the country through some agency and for this some big congress leaders were responsible, as reported in the press, and if so, what punishment is proposed to be awarded to them?

श्री एच० एम० पटेल : जहां हम देखेंगे कि कुछ अनुचित कार्य किया गया है, हम अवश्य कार्यवाही करेंगे।

अल्प सूचना प्रश्न संख्या के बारे में
RE : SHORT NOTICE QUESTION

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस अल्प सूचना प्रश्न की अविलम्बनीयता पर अध्यक्ष महोदय ने विचार किया होगा लेकिन उससे सभा को अवगत नहीं कराया गया। यह प्रश्न स्पष्ट नहीं है। प्रश्न में कहा गया है कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 जुलाई, 1977 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "टेक्स्ट बुक्स फेट अनसर्टेन" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई विभिन्न टिप्पणियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?"

सभा इस प्रश्न को समझने में असमर्थ है और इसीलिये मंत्री महोदय से अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। इस प्रश्न की विषय वस्तु क्या है, हमें इसका पता नहीं है। अतः प्रश्न की ग्राह्यता के सम्बन्ध में अध्यक्ष ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया गया है। प्रश्न बोधगम्य नहीं है। अध्यक्ष को हमें प्रश्न की विषय वस्तु से अवगत कराना चाहिये ताकि हम उसके सम्बन्ध में अनुपूरक प्रश्न पूछ सकें।

अध्यक्ष महोदय : मैंने प्रश्न को गृहीत करने से पहले इसे समझ लिया है और मंत्री महोदय ने भी इसे समझ लिया है। अब इस आदेश पर पुनर्विचार करने का अधिकार मुझे नहीं है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : इस प्रकार आप सभा के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं।

श्री ए० बाला पजनौर : मैं श्री श्यामनन्दन मिश्र से स्पष्टीकरण चाहता हूं। अब चूंकि प्रश्न गृहीत कर लिया गया है, क्या वे अध्यक्ष महोदय पर या सम्बन्धित सदस्य पर आक्षेप लगा रहे हैं? **(व्यवधान)**

अल्प सूचना प्रश्न संख्या 23

SHORT NOTICE QUESTION No. 23

पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन

†23. **श्री वसन्त साठे :**

श्री कंवर लाल गुप्त :

डा० हेनरी आस्टिन :

श्री पी० राजगोपाल नायडू :

डा० बापू कालदाते :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का ध्यान 8 जुलाई, 1977 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "टेक्स्ट बुक्स फेट अनसर्टेन शीर्षक" के अन्तर्गत हमें समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई विभिन्न टिप्पणियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख). हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित प्रेस रिपोर्ट में कुछ सवाल उठाये गये हैं। विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

"टैक्सट बुक्स फेट अनसर्टेन" नामक शीर्षक के अन्तर्गत 8 जुलाई, 1977 को हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित रिपोर्ट से रा०शि०अ०प्र०परि० द्वारा पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के मामले में उपलब्ध वास्तविक स्थिति का आभास नहीं होता है।

उपरोक्त समिति की नियुक्ति के कारण पाठ्य-पुस्तकों के निर्माण के वर्तमान कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं है। नीचे दिये गये ब्यौरों के अनुसार क्रमिक कार्यक्रम में पाठ्य-पुस्तकों का निर्माण किया जा रहा है :

1. **प्रथम चरण :**

I, III, VI, IX तथा XI कक्षाओं में 1977–78 में नई पाठयपुस्तकें लागू की जायेंगी।

2. **द्वितीय चरण** :

II, IV, VII, X तथा XII कक्षाओं में 1978–79 में नई पाठयपुस्तकें लागू की जायेंगी।

3. **तृतीय चरण** :

V तथा VIII कक्षाओं में 1979–80 में नई पाठयपुस्तकें लागू की जायेंगी।

प्रथम चरण के लिए जुलाई, 1977 में 1977–78 सत्र के लिए कुल 56 पुस्तकों (जिनमें-अंग्रेजी व हिन्दी दोनों रूपान्तरण शामिल हैं) की आवश्यकता है। ये पाठयपुस्तकें पहले ही निर्माणाधीन हैं। इनमें से अधिकांश पाठयपुस्तकें जुलाई, 1977 के अन्त तक उपलब्ध हो जायेंगी।

कक्षा XI के द्वितीय सेमिस्टर, की कुछ अतिरिक्त पुस्तकें बाद में उपलब्ध हो जायेंगी (द्वितीय सेमिस्टर की पुस्तकों की नवम्बर, 1977 तक जरूरत होगी।)

प्रेस रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि परिषद ने IV, VIII और XII कक्षाओं की कुछ पाठयपुस्तकों के प्रकाशन को रोक दिया है। इनमें से किसी भी पाठ्यपुस्तक के प्रकाशन को नहीं रोका गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 1978–79 में IV और XII कक्षाओं को नई पाठयपुस्तकों में शामिल किया जायेगा। VIII कक्षा के मामले में, नई पाठयपुस्तकें 1979–80 में लागू की जायेंगी। इसको ध्यान में रखते हुए पहले तैयार की गई पाठयपुस्तकों का 1977–78 के दौरान IV और VIII कक्षाओं में उपयोग किया जायेगा।

प्रकाशन कार्य की वित्तीय जिम्मेदारियों के मामले के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने पर जांच की जायेगी।

सदन को जानकारी है कि I से X कक्षाओं के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार किये गये पाठ्य विवरण और पाठयपुस्तकों का पुनरीक्षण करने के लिए गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद के कुलपति डा० ईश्वर भाई पटेल की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई है। इसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :

(1) रा० शै०अ०प० परि० के "10 वर्षीय स्कूल के लिए पाठ्यचर्या" नामक दस्तावेज में बताये गये स्तरवार और विषयवार उद्देश्यों का पुनरीक्षण।

(2) उपरोक्त (1) के अनुसार पुनरीक्षण कार्य को ध्यान में रखते हुए रा०शै०अ० प० परि० के पाठ्यविवरण और पाठ्यपुस्तकों की जांच करना।

(3) उक्त दस्तावेज में बताई गई अध्ययन योजना की जांच करना और इसकी जांच करना कि क्या अध्ययन योजना अथवा समयसारणी अथवा दोनों में कोई उपयुक्त संशोधन नहीं किया जाना चाहिए और स्टाफ निर्धारित करने को उपयुक्त पद्धति का प्रस्ताव करना।

(4) वर्तमान अध्ययन योजना और विभिन्न विषयों के लिए आवंटित समय का पुनरीक्षण करना, ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि :

(i) संस्था/अध्यापक के पास प्रयोग, सर्जनात्मक कार्य, उपचारी अनुदेश इत्यादि के लिये पर्याप्त समय है।

(ii) विकास के राष्ट्रीय लक्ष्यों और शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उच्च स्तरीय पाठयक्रमों के लिए मेधावी बच्चों की आवश्यकताओं, केवल कुछ विषय क्षेत्रों में बच्चों की विशिष्ट रूचि और अभिरूचि अथवा इनकी कमी को पूरा करना।

आशा है कि समिति तीन महीने के समय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

श्री वसन्त साठे : मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय ने कम से कम न केवल मेरे प्रश्न को समझा है बल्कि उसे पढ़कर उसका विस्तृत उत्तर भी दिया है। मंत्री महोदय के विवरण से एसा प्रतीत होता है कि पहली, तीसरी, छठी, नवीं और ग्यारहवीं कक्षाओं के लिए 1977–78 के लिए पाठ्यक्रम की पुस्तकें उपलब्ध हो जायेंगी यद्यपि समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों से लगता है कि इन कक्षाओं के लिए भी पुस्तकें बाजार में उपलब्ध नहीं। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि विवरण के पृष्ठ 2 पर कहा गया है कि गुजरात विश्वविद्यालय के डा० ईश्वर भाई पटल की अध्यक्षता में बनी समिति 10 वर्षीय स्कूल के लिए पाठ्यचर्या का स्तर-वार और विषय-वार पुनरीक्षण करेगी। इसलिए समूचे पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण किया जायगा। समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद् के पाठ्य विवरण और पाठ्य पुस्तकों में परिवर्तन किया जायगा। यह भी कहा गया है कि वर्तमान अध्ययन योजना और विभिन्न विषयों के लिए आवंटित समय का भी पुनरीक्षण किया जायगा।

इससे 10+2 कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी कठिनाइयां आ जायेंगी इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। सारी पुस्तकों में संशोधन होगा और पाठ्य विवरण में परिवर्तन करना होगा। आप इन पुस्तकों को तैयार करने की उचित योजना क्यों नहीं बनाते ताकि व अगले ही वर्ष पुनरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के बाद पुरानी न पड़ें ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : वास्तव में कुछ कक्षाओं के बारे में यह क्रमबद्ध कार्यक्रम है। जनता द्वारा बार-बार यह मांग किये जाने पर कि यह पाठ्यक्रम बहुत भारी है, यह पुनरीक्षण समिति नियुक्त

की गई है। अभी पता नहीं कि इस समिति की सिफारिशें क्या होंगी इसलिए हमने यथा स्थिति रखी है और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद ने क्रमिक कार्यक्रम अपनाया है। प्रतिवेदन मिलने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सी और कितनी पुस्तकें आवश्यक हैं। हम निश्चित रुप से इस बात पर ध्यान देंगे कि बच्चों के माता-पिता पर अधिक बोझ न पड़े।

श्री वसन्त साठे : आप ने कहा है कि 1977–78 के सत्र के लिए जुलाई, 1977 में 56 पुस्तकें (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण सहित) की जरूरत होगी। पर यदि आज आप माता-पिता को उन पुस्तकों को खरीदने के लिए बाध्य करते हैं जो तीन महीने के बाद या अगले वर्ष पुरानी पड़ जायेंगी तो उन्हें फिर नई पुस्तकें खरीदनी होंगी। यह कहा जा रहा है कि अकेले दिल्ली में ही जो 47,000 स्कूली छात्र 'जमा-2' मे पहुंच रहे हैं उन्हें बिना पुस्तकों के पढ़ाई आरम्भ करनी होगी।

दूसरे, शिक्षा विदों का यह भी विचार है कि 10+2 प्रणाली में छात्र गणित एवं भाषाओं में कमजोर रह जायेंगे।

इस लिए सरकार छात्रों को शिक्षा तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी पूरी सुविधाएं देने के लिए क्या कर रही है? 10+2 प्रणाली ने समाज के लिए झमेला खड़ा कर दिया है?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : इस के लिए मैं तो उत्तरदायी नहीं हूं। मैं तो उसे कम करने का प्रयास कर रहा हूं। छात्रों, अभिभावकों और अध्यापकों द्वारा बार-बार मांग किय जाने पर ही यह पुनरीक्षण समिति बनाई गई है। मैं आश्वासन देता हूं कि पुनरीक्षण समिति की जांच के परिणामों पर उचित विचार किया जायगा। और वे प्रभाव पीछे की ओर ले जाने वाले नहीं होंगे। अत: वर्तमान छात्र उस रिपोर्ट से प्रभावित नहीं होंग।

श्री कंवर लाल गुप्त : 10+2 प्रणाली में बहुत भ्रान्ति और बहुत गड़बड़ी है। मंत्री जी के अनुसार पहले स्तर पर तो पुस्तकें प्रकाशित की जायेंगी। नौवीं और दसवीं कक्षाओं में 1.20 लाख छात्र हैं और उनके लिए 15 पुस्तकें चाहियें जबकि बाजार में केवल चार ही उपलब्ध हैं। कक्षा ग्यारह और बारह में 17,000 विद्यार्थी हैं और जुलाई में 31 नई पुस्तकें काशित की जानो हैं। इस समय केवल 5 उपलब्ध हैं। उनका मूल्य भी बढ़ा है। छपाई इतनी गन्दी है कि आपको दूरबीन की जरुरत पड़ती है। इसके अतिरिक्त 5 विदेशी प्रकाशकों को पुस्तकें प्रकाशित करने का ठेका दिया गया है। पुस्तकें हर वर्ष ही विलम्ब से प्रकाशित हो रही हैं।

क्या मंत्री जी इस परिषद के कार्यों की जांच करायेंगे जिसने ये घपला किया है। सरकार पुस्तकें समय पर उलब्ध कराने के लिए क्या उपाय कर रही है?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैं दूसरे प्रश्न का उत्तर पहले दे रहा हूं। छात्रों को पुस्तकें समय पर दिलाने सम्बन्धी कठिनाई है। हम लोग गैर-सरकारी प्रकाशकों से पुस्तकें छपवा रहे हैं ताकि काम जल्दी हो सके। पहले यह कार्य उक्त परिषद के पास था। जब यह देखा गया कि वे पूरा काम नहीं कर पा रहे तो हमने इसे गैर-सरकारी प्रकाशकों को, जिन्हें काफी अनुभव है, यह काम सौंप दिया है।

श्री कंवर लाल गुप्त : चूंकि सदा ही इस कार्य में विलम्ब होता है इसलिए इस बार क्या विशेष उपाय किये जा रहे हैं ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : इन पुस्तकों के प्रकाशन में विलम्ब के कई कारण हैं । कभी कागज की कमी, कभी बिजली की कमी या कभी प्रेस ही नहीं काम करता लेकिन मैं विलम्व को उचित नहीं ठहरा रहा । हम प्रयत्न कर रहे हैं कि यह कार्य यथा सम्भव शीघ्र हो ।

एक नये निदेशक की नियुक्ति की गई है । वह परिषद् का काम देख रहा है । यदि जरूरी समझा गया तो जांच भी कराई जायगी ।

डा० हेनरी ग्रास्टिन : क्या सरकार को परिषद् की यह आलोचना किय जाने की जानकारी है कि पुस्तकें विश्वविद्यालयों द्वारा तैयार की गई हैं जिन्हें बच्चों के मनोविज्ञान का पता नहीं कि वे कितना ज्ञान ग्रहण कर पायेंगे । इसके परिणामस्वरुप बच्चों का बोझ प्रत्येक वर्ष बढ़ता जा रहा है । यह भी आलोचना की जाती है कि ये पुस्तकें पहले महानगरों में बड़े स्कूलों में पढ़ायी जाती हैं जहां अच्छे अध्यापक और अन्य सभी सुविधाएं होती हैं । यदि ये स्कूल इन पुस्तकों को स्वीकार कर लेते हैं तो उन्हें आदर्श मान कर सारे देश के स्कूलों में लगा दिया जाता है । जैसा कि सबको विदित है कि शिक्षा स्तर और अन्य सुविधाएं प्रत्येक राज्य में और प्रत्येक क्षेत्र में अलग-अलग हैं । इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में काफी गड़बड़ पैदा हो गई है और देश भर में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष चिंता उत्पन्न हो गई है । क्या सरकार इस बारे में कोई ठोस उपाय उठायेगी ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : सरकार को स्थिति की पूरी जानकारी है । वास्तव में बहुत से माता-पिता, अध्यापक और छात्रों के शिष्टमंडल मुझसे मिले हैं और मैंने स्वयं इन पुस्तकों की जांच की है । कल सभा में गणित की नयी पुस्तक दिखायी गयी थी । माननीय सदस्य ने ठीक ही आलोचना की है । हमने मामले की छानबीन करने के लिए ही पुनरीक्षण समिति नियुक्त की है ।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : यदि पुस्तकों के प्रकाशन में विलम्ब होता है तो क्या मंत्री महोदय आश्वासन देंगे कि छात्रों के लिए विशेष कक्षाएं लगायी जायेंगी ।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : यदि आवश्यक हुआ तो सम्बन्धित स्कूलों से सिफारिश की जायेगी ।

Dr. Bapu Kaldate : We can make arrangements for the publication of books etc. after taking into account the number of students likely to step into different classes next year. We can make plans for the next year at least.

Dr. Pratap Chandra Chunder : We are taking steps to avoid such type of difficulties in future.

Sh. Gauri Shankar Rai : The chart shows that the publication has been entrusted to the five foreign firms. I want to know the reasons therefor and why our money is being sent outside the country like this ?

If there is any difficulty in the publication of books, why all the responsibility has been entrusted to only five or six firms?

Further, we are spending one and half times more money in this way. Why don't you decentralise the work by publishing them in the country at cheaper rates?

Dr. Pratap Chandra Chunder : It is only the name of the firm which appears to be foreign. Macmillan Company of India is an Indian firm. They have assured us to finish the work at the earliest.

श्री गौरी शंकर राय : मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया कि यह काम केवल पांच छः फर्मों को ही क्यों सौंपा गया है ? दूसरी फर्मे इसे और भी सस्ते दामों पर छाप देतीं ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि यह फर्म विदेशी नहीं है ।

श्री गौरी शंकर राय : मंत्री जी को निश्चित रूप से पता नहीं कि फर्में विदेशी हैं या देशी ।

Shri Hukamdeo Narain Yadav : It is the question of publication of books only but the syllabus is being changed continuously. This system of changes is going on. In Bihar the prices of notices prepared in respect of text books are much more than the prices of text books. If a man does not purchase notes, he is denied the text book also. Private persons have been made wholesalers. Those, who are entrusted with the distribution of books, exploit the poor children. I want to know the steps being taken to check it.

Dr. Pratap Chandra Chunder : The Hon. Member is correct but the Bihar Government is responsible for it. I cannot do anything in this regard.

डा० कर्ण सिंह : मुझे खुशी है कि मंत्री जी पाठ्यक्रम को देख रहे हैं क्योंकि नये पाठ्यक्रम से बच्चों का गृह कार्य बहुत बढ़ गया है । मंत्री जी ने कहा है कि अधिकतर किताबें जुलाई में ही उपलब्ध होंगी । उन्हें पता है कि स्कूल कल खुल गये हैं । किताबें न मिलने से बच्चों के भविष्य पर असर पड़ेगा । इसलिए पुनरीक्षण स्वागत योग्य है । आप इस कार्य में शीघ्रता लाने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैंने स्वीकार किया है कि कुछ विलम्ब हो गया है । पर जैसा कि हम जानते हैं कि पहले कुछ दिन तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती । फिर भी मैं आपको बता दूं कि साइक्लो-स्टाइल की हुई कुछ सामग्री अध्यापकों को दे दी गई है ।

Shri Vijay Kumar Malhotra : The suggestions of the Reviewing Committee will be enforced from next year but why don't you implement them from this year itself so that the number of subjects for students is decreased. The curriculum is very confusing and students, teachers, principals etc. are all against it. Thousands of students have failed. So you should relax it to admit students.

Dr. Pratap Chandra Chunder : All these suggestions are good and I will look into the matter.

प्रो० पी० जी० मावलंकर : क्या यह सच है कि 10+2+3 प्रणाली कुछ ही राज्यों में लागू की गई थी, सभी में नहीं और कुछ राज्यों द्वारा इसे अच्छी प्रणाली मान कर स्वेच्छा से लागू किया गया था । क्या यह पुनरीक्षण समिति अन्य बातों के अतिरिक्त पाठ्य विवरण और पाठ्य पुस्तकों के मामले पर भी विचार करेगी ताकि देश भर में एक समान पाठ्यक्रम लागू किया जा सके या यह पाठ्यक्रम और पुस्तकें राज्यों की अपनी जरूरतों के अनुसार निर्धारित किया जायगा । यदि ऐसा है तो पुनरीक्षण समिति के विचारार्थ विषयों में इसे शामिल क्यों नहीं किया गया ।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : यह विषय राज्यों का है । राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद् इस बारे में सिफारिशें करके पहल करती है । उसके आगे हम नहीं जा सकते । इस बारे में मैंने

अगले महीने की 10 और 11 तारीख को शिक्षा मंत्रियों की बैठक बुलाई है।

श्री समर गुह : भूतपूर्व शिक्षा मंत्री ने जो गड़बड़ घोटाला किया है खास कर उच्चतर शिक्षा के बारे में, उसे दूर करने लिए मंत्री जी को काफी प्रयत्न करने होंगे। मैं भी लेखक हूं और पिछले 16 या 17 वर्षों से मेरी किताबें उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं जैसे नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं के लिए लगी हुई है। पुनरीक्षण समिति के विचारार्थ विषयों में यह कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार किये गये 10 वर्षीय स्कूली पाठ्यविवरण का पुनरीक्षण किया जाये। लेकिन कठिनाई यह है कि न केवल माध्यमिक बल्कि उच्चतर माध्यमिक के लिए 10+2 पाठ्यक्रम चालू हो गये हैं। दूसरे इस परिषद् द्वारा तैयार पाठ्यक्रम केवल केन्द्रीय विद्यालयों द्वारा अपनाया जाता है और राज्यों के स्कूल बोर्डों द्वारा तैयार किया गया पाठ्यक्रम राज्यों द्वारा अपनाया जाता है। इस कारण ये विषय अपर्याप्त हैं। क्या शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में इन्हें पर्याप्त और पूरा बनाने पर कोई ध्यान दिया जायेगा ?

यह समस्या स्कूल अध्यापकों के सामने आती है लेकिन हैरानी यह है कि पुनरीक्षण समिति का अध्यक्ष उपकुलपति को बनाया गया है और उसके सदस्य प्रोफसरों को ही बनाया गया है तथा कई अन्य सदस्यों का उच्चतर माध्यमिक शिक्षा से कोई सम्बन्ध नहीं। इस समिति के सदस्य तो ऐसे होने चाहियें जिन्हें पर्याप्त अनुभव हो और जिन्होंने पाठ्य पुस्तकें लिखी हों। क्या इस समिति का विस्तार किया जायगा जिस में नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षाओं से सम्बन्धित व्यक्तियों को शामिल किया जा सके।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : इस पुनरीक्षण समिति को यथा सम्भव संतुलित किये जाने का उद्देश्य है। उसमें स्कूल अध्यापकों और माता-पिता के भी प्रतिनिधि हैं। पश्चिम बंगाल के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रधान प्रो० सतीन्द्र चटर्जी को भी उसमें शामिल किया गया है।

प्रो० समर गुह : देश भर में राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान प्रशिक्षण के पाठ्य विवरण को लागू नहीं किया जाता। मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में इस प्रणाली के अन्तर्गत दूसरा और तीसरा वर्ष आरम्भ हो चुका है। लाखों छात्रों को कठिनाइयां आ रही हैं। इन्हें दूर किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहें तो इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा की सूचना दे सकते हैं।

श्री वयालार रवि : मंत्री जी ने कहा है कि हिन्दी तथा अंग्रेंजी की पाठ्य पुस्तकें एक-साथ शीघ्र ही उपलब्ध करायी जायेंगी। मेरा विश्वास है कि कई राज्यों ने 10+2+3 फार्मूला स्वीकार कर लिया है। चूंकि विभिन्न राज्यों में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है, इसलिए आवश्यक है कि पाठ्य पुस्तकों में एकरूपता लाई जाये। जब उक्त परिषद् द्वारा पाठ्य पुस्तकें लागू की जायें तो वे राज्यों के विभिन्न शिक्षा अधिकारियों को भी उपलब्ध करायी जायें ताकि क्षेत्रीय भाषाओं में उनका अनुवाद कराया जा सके। मंत्री जी इस बारे में क्या उपाय कर रहे हैं ताकि यह पाठ्य पुस्तकें विभिन्न राज्यों में समय पर क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद के लिए उपलब्ध करायी जा सकें?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : जहां तक मुझे पता है अधिकांश राज्यों की अपनी अलग पाठ्य पुस्तकों सम्बन्धी समितियां हैं। कभी वे परिषद् की पुस्तकें स्वीकार कर लेते हैं और कभी वे अपनी अलग पुस्तकें लगाते हैं। इन सभी विषयों पर शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया जायगा ?

Dr. Ramji Singh : May I know whether the text-books under discussion come under the 10+2+3 scheme which itself is under a cl oud.

Secondly, it may take almost an year to prepare text-books after receiving the recommendations of the Review Committee. Can any student wait for such a long period ? Even if he waits whether the same books will be prescribed for the next year?

Dr. Pratap Chandra Chunder : I have already said that the recommendations of the Committee will be implemented next year.

Sh. Kesavrao Dhondge : It is the duty of the Government to provide books but they have not done their duty. How can the students study without books?

Dr. Pratap Chandra Chundur : Every book has not been changed. Some books have been retained.

Sh. Bhanu Kumar Shastri : The hon. Minister has listed causes for delay. May I know whether the examinations will also be delayed if the students do not read books so that students may be able to read books?

Dr. Pratap Chandra Chunder : It is not right. I have not said that the students will not read books. Some delay may be there but we are doing our best.

एक माननीय सदस्य : पुनरीक्षण समिति अपनी रिपोर्ट कब देगी ? क्या कोई समय-सीमा निश्चित की गई है?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : पुनरीक्षण समिति तीन मास में अपनी रिपोर्ट दे देगी ?

अध्यक्ष महोदय : इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। अब पत्र सभा पटल पर रखे जायेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

केले के व्यापार पर अन्तर्राष्ट्रीय संधि

*589. **श्री के० मालन्ना :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केले का निर्यात तथा आयात करने वाले देश इस बात पर सिद्धान्ततः सहमत हो गये हैं कि केले के व्यापार के बारे में एक अन्तर्राष्ट्रीय संधि की जाये ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ;

(ग) भारत द्वारा केले का प्रतिवर्ष औसतन कितना, विशेषकर खाड़ी के देशों को निर्यात किया जाता है ; और

(घ) निर्यात योग्य स्तर के केले पैदा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख). केले के निर्यातक तथा आयातक देश इस बात पर सहमत हो गये हैं कि केले के विषय में कोई अन्तरष्ट्रिय करार लागू किया जा सकता है। केले के सम्बन्ध में खाद्य कृषि संगठन के एक अन्तः सरकारी दल ने एक अन्तर्राष्ट्रीय केला करार के तत्वों के बारे में एक कार्यकारी दल को स्थापना की है। कार्यकारी दल के दो अधिवेशन जुलाई 1976 और जून 1977 में हो चुके हैं। दल इस निष्कर्ष पर पहुचा है कि केला करार के मूल तत्व केले की विश्वव्यापी आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन तथा निर्यात लक्ष्य तैयार करना होने चाहिएं। आयातक देश, उत्पादकों के लिये लाभप्रद और उपभोक्ताओं के लिये उचित कीमतें प्राप्त कराने के उद्देश्य से उपाय तैयार करने के प्रयत्नों में निर्यातक देशों के साथ साझेदारी में काम करने के लिये तैयार हो गये हैं। अन्तः सरकारी दल के सचिवालय से अनुरोध किया गया है कि वह सम्भाव्य अन्तर्राष्ट्रीय करार का कार्यकारी मसौदा तैयार करे और कीमत तथा कोटा व्यवस्था के लिये विभिन्न वैकल्पिक दृष्टिकोणों की व्यवहार्यता पर विचार करने के लिये तकनीकी विशेषज्ञों की राय मांगें।

(ग) भारत से केले का निर्यात मुख्यतः खाड़ी के देशों को किया जाता है। निर्यात के आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :

	मात्रा	मूल्य
	(मे० टन में)	(लाख रु० में)
1974–75	3	0.1
1975–76	1394	24.54
अप्रैल-दिसम्बर '76 . . .	557	11.16

(घ) एक केन्द्र प्रायोजित पैकेज कार्यक्रम, जिसमें 17,500 हैक्टार के क्षेत्र में 4 लाख मे० टन केले के उत्पादन का प्रस्ताव है, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, प० बंगाल, उड़ीसा, केरल, तामिलनाडू, गोआ तथा मध्य प्रदेश में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिये पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 74.64 लाख रु० के व्यय की व्यवस्था है। राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के आधार पर वित्तीय वर्ष 1976–77 के अन्त तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 8083 हैक्टार का क्षेत्र लाया जा चुका है।

बचत बैंक खाता-धारियों को चैक की सुविधाएं

*591. **श्री शिव सम्पत्ति राम** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि बचत बैंक खाता-धारी को, जिसे पहले 5 प्रतिशत ब्याज मिल रहा था, चैक सुविधा का उपयोग करने पर 2 प्रतिशत कम ब्याज मिलेगा ;

(ख) क्या यह सच है कि वही जमाकर्ता यदि चैक सुविधा का उपयोग नहीं करता है तो उसे अब भी 5 प्रतिशत ब्याज मिलेगा ;

(ग) ये दोनों नई दरें कब से लागू होंगी ;

(घ) इस भेदभाव का विशिष्ट प्रयोजन क्या है ; और

(ङ) इस नई प्रणाली से जमा राशियों में किस प्रकार वृद्धि अथवा कमी होने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ङ). 27 मई, 1977 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जमा राशियों पर देय ब्याज दरों को और युक्तिसंगत बनाने की घोषणा की ।

अन्य बातों के साथ-साथ रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को चेकों द्वारा परिचालित और चेकों के बगैर परिचालित बचत खातों में भेद बरतने तथा चेक-परिचालित बचत बैंक खातों पर 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज देने तथा उनकी तुलना में चेकों से परिचालित न होने वाले बचत बैंक खातों पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर बनाये रखने को कहा है । यह परिवर्तन 1 जुलाई, 1977 से प्रभावी हो गया है ।

चेक परिचालित बचत बैंक खातों और अन्य बचत बैंक खातों के बीच का भेद, और चेक परिचालित खातों पर 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की निम्नतर ब्याज दर की शर्त, इन दो प्रकार के खातों की प्रकृति पर आधारित है क्योंकि इन में से पहले प्रकार का खाता वस्तुतः कारोबार-उन्मुख है और दूसरे प्रकार का सचमुच बचत का भाग है । छोटे जमाकर्ता, विशेषतः ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों के लोग और समाज के कमजोर वर्गों के लोग जिनके बचत बैंक खाते प्रायः कारोबार-उन्मुख नहीं होते और जो चेक-सुविधा का उपयोग नहीं करते, अपनी बचत जमा राशियों पर पुरानी दर से ही ब्याज पाने के हकदार बने रहेंगे ।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि क्योंकि बचत जमाएं अधिकांशतः छोटी राशियों की होती है, इसलिये बचत बैंक खातों के लिये संशोधित ब्याज-दर ढांचे से, बचत-जमा की वृद्धि पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है ।

Accumulation of Hybrid-4 Cotton Bales

*592. **Shri Dharamsinhbhai Patel** : Will the **Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether about one lakh hybrid-4 cotton bales have accumulated in Government ginning factories due to non-sale thereof in Gujarat and if so, whether any demand has been made for their disposal, who made the demand as also when and how the demand was made;

(b) whether the farmers are suffering great loss as a result of the accumulation of these one lakh cotton bales and if so, the action proposed to be taken by Government; and

(c) the detailed reasons why Government are supplying cotton to textile mills on subsidised rates by importing it from abroad despite the fact that these cotton bales are lying accumulated ?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia): (a) to (c). In a telegram dated 4-5-1977 and Memorandum dt. 25-4-77, addressed to Commerce Minister, the Gujarat State Co-operative Cotton Marketing Federation, Ahmedabad, requested Government action for the disposal of stocks of long staple cotton, including

27,934 bales of Sanker-4 variety which were lying with various Cooperative Marketing Societies in the State. Since these stocks were with the Co-operative Societies for some time the farmers probably have not received the full sale value. In response to the specific request of the Federation, Government has asked Cotton Corporation of India to take part in the purchases of stocks of cotton lying with the Societies. So far Cotton Corporation of India has contracted purchase of 4,334 bales of Sanker-4 variety of cotton.

7. On account of the short cotton crop during the current cotton year, the inadequate availability, and the unprecedented high prices of cotton, serious difficulties were caused to the working of the industry and the consumer. In order to meet this situation, arrangements were made for import of cotton. Since prices of cotton in the international market were ruling higher than the price levels in the country, Cotton Corporation of India had to be allowed to sell the imported cotton around the price levels of comparable varieties of Indian cotton.

भारत में विदेशी कम्पनियों द्वारा साम्य पूंजी में कमी

* 593. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा जारी किये गये निदेशों के अनुसार कितनी विदेशी कम्पनियों ने अब तक अपनी विदेशी साम्य पूंजी कम करके विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों का पालन किया है ; और

(ख) कितनी विदेशी कम्पनियां इस समय भारत में कार्य कर रही हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) 30 जून, 1977 की स्थिति के अनुसार, 93 कम्पनियों ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत जारी किए गए निदेशों का पालन करते हुए अपने अनिवासी शेयर कम कर दिए हैं।

(ख) भारत में इस समय ऐसी 650 विदेशी कम्पनियां कार्य कर रही हैं जिनके अनिवासी शेयर 40 प्रतिशत से अधिक हैं।

वित्तपोषी फर्मों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि

*594. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तपोषी फर्मों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि को कानून द्वारा नियंत्रण में रखने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या चिट फंड कम्पनियों की वृद्धि को एक केन्द्रीय अधिनियम द्वारा विनियमित करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में संसद् में एक उपयुक्त विधेयक कब तक लाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) आम जनता की जमाओं को निगमित वित्तपोषक कम्पनियां, और अनिगमित वित्तपोषक कम्पनियां दोनों ही स्वीकार करती हैं।

जहां तक निगमित वित्तीय कम्पनियों का सम्बन्ध है, उनके द्वारा स्वीकृत जमाएं, (न कि इन कम्पनियों का विकास) गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (रिजर्व बैंक) के निर्देश, 1977 द्वारा विनियमित होती है। ये निर्देश वित्तीय कम्पनियों की विभिन्न श्रेणियों द्वारा स्वीकार की जाने वाली जमाओं की सीमा निर्धारित करते हैं। और किस पद्धति से जमाएं ली जानी चाहिएं उनको भी विनियमित करते हैं।

जहां तक गैर-निगमित वित्तीय कम्पनियों का सम्बंध है, सरकार उनके द्वारा स्वीकार की जाने वाली जमाओं पर लगाये जाने वाले नियंत्रण की प्रकृति पर विचार कर रही है।

(ख) ये सरकार के विचाराधीन है :—

(i) एक बिल जिसका उद्देश्य परम्परागत ढंग पर चल रहे चिट फंड को विनियमित करना है, और

(ii) एक बिल जिसका उद्देश्य इनामी चिटों की वृद्धि या इसके संचालन और मुद्रा प्रचलन योजना पर रोक लगाना है।

(ग) इन बिलों को संसद में पेश करने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से परामर्श करने के बाद अन्तिम रूप दिया जायेगा।

भारत में पर्यटन की वृद्धि-दर

*595. **श्री समरेन्द्र कुण्डु** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत को विश्व में पर्यटन से होने वाली कुल आय की कितने प्रतिशत आय होती है ;

(ख) क्या विश्व में पर्यटन की वृद्धि की दर की तुलना में भारत में पर्यटन की वृद्धि दर कम होती जा रही है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों में इस वृद्धि की दर के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) क्या भारत में पर्यटन के विकास के लिये अन्तर्राष्ट्रीय वित्त पोषण एजेंसियों से कोई सहायता अथवा ऋण की मांग की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) 1976 के दौरान, विश्व पर्यटन की आय में भारत का भाग 0.63 प्रतिशत था।

(ख) वर्ष 1974, 1975 तथा 1976 के दौरान, भारत के लिये पर्यटन की अभिवृद्धि की दर क्रमशः 3.2 प्रतिशत, 10.0 प्रतिशत तथा 14.8 प्रतिशत थी, जबकि उसी अवधि के दौरान समस्त विश्व में पर्यटन की अभिवृद्धि की दर क्रमशः 2.8 प्रतिशत, 1.8 प्रतिशत तथा 2.8 प्रतिशत थी।

(ग) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने गुलमर्ग में आकाशमार्गीय परिवहन प्रणाली (aerial transport system) के लिए एक तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण करने के लिए 1976 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) से तकनीकी सहायता की मांग की थी, तथा कुल्लू घाटी में विशिष्ठ स्थित गर्मपानी के चश्मों के विकास के लिये 1977 के दौरान एक स्नान विज्ञान विशेषज्ञ की सेवाओं के लिए प्रार्थना की है।

कच्चे पटसन का समर्थन मूल्य

*596. **श्री चित्त बसु :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू फसल के लिए कच्चे पटसन का समर्थन मूल्य निर्धारित करने का कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां।

(ख) 1977-78 मौसम के लिए कच्चे पटसन की न्यूनतम कानूनी कीमत असम में डब्ल्यू-5 ग्रेड के लिए 141 रु० प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है।

Study regarding Tourism interests of Foreign Tourists

*597. **Shri Subhash Ahuja :**

Shri Yagya Datt Sharma†

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether Government have conducted any study regarding tourism interests of foreign tourists; and

(c) if so, the action taken or proposed to be taken accordingly ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik): (a) Yes, Sir.

(b) A statement is laid on the table of the Sabha.

(c) The findings of the various surveys such as the foreign tourists survey; survey on the scope and development of cultural tourism in India with special reference to the monumental heritage; entertainment survey; shopping survey; beach resorts survey, etc., undertaken by the Central Department of Tourism from time to time have enabled the Department to determine the tourists profile, their preferences, travel circuits and expenditure for planning tourist facilities in India and tourism promotion abroad.

2. Accordingly, the following archaeological complexes of tourist interest have been taken up for development :—

(i) Rock-cut caves of Elephanta, Ajanta and Ellora.

(ii) Selected Buddhist centres such as Bodhgaya, Nalanda, Rajgir, Sarnath, Kushinagar, Sravasti and Sanchi.

(iii) Monuments at Aihole, Badami, Pattadakal, Hampi and Bijapur.

(iv) Temples of Khajuraho, Bhubaneshwar and Konark.

(v) Delhi monuments.

(vi) Agra-Fatehpur Sikri, Deeg and Bharatpur.

(vii) Mahabalipuram.

(viii) Martand, Awantipur and Pandrethan in J&K.

(ix) Goa.

(x) Jaisalmer.

3. Similarly, the development of beach resorts at Kovalam and Goa, and winter sports resort at Gulmarg has been taken up.

4. Recreational and leisure-time activities such as skiing, trekking and aquatic sports are being introduced to cater to the interest of younger age group among international tourists.

5. Apropos the findings of the Entertainment Survey, the Central Department of Tourism has suggested to the hotels on its approved list to introduce Indian cultural programmes for the entertainment of tourists so as to give them a glimpse of Indian art and culture.

6. The Shopping Survey revealed that international tourists were mainly interested in purchasing jewellery, ready-made garments, carpets, wood-work, ivory and brass articles. They also found that shopping in India was inexpensive. This information was conveyed to the overseas Tourist Offices to give it wide publicity so as to encourage tourists to shop in India.

डिघा को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिये केन्द्रीय सहायता

*598. **श्री समर गुह** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिघा बंगाल का एक मात्र समुद्र तटीय पर्यटक केन्द्र है और इस दृष्टि से यह समस्त पूर्वी भारत का एक मात्र पर्यटक केन्द्र है ;

(ख) क्या गत कुछ वर्षों में डिघा जाने वाले पर्यटकों की संख्या कई गुना हो गई है ;

(ग) क्या पर्यटन के तीव्र गति से बढ़ते हुए आकार के अनुसार डिघा का बहुत विकास किये जाने की आवश्यकता है ;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार डिघा के विकास के लिये केन्द्रीय सहायता देने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क) यद्यपि डीघा कलकत्ता के निकटतम समुद्रतटीय विहारस्थल है, समुद्रतटीय गोपालपुर (गोपालपुर-ऑन-सी) तथा पुरी भी पूर्वी भारत के अन्य लोकप्रिय समुद्रतटीय विहार-स्थल हैं।

(ख) क्योंकि पर्यटन विभाग पर्यटकों के आंकड़े स्थानवार आधार पर नहीं रखता है, अतः विभाग में पिछले तीन वर्षों के दौरान डीघा की यात्रा करने वाले पर्यटकों के कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) से (ङ). साधनों की कमी के कारण, पर्यटन सुविधाओं के विकास के प्रति एक चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाना जरूरी हो गया है जिसके परिणामस्वरूप डीघा को केन्द्रीय क्षेत्र में विकास के लिये सम्मिलित नहीं किया गया है। तथापि, राज्य सरकार ने डीघा के लिये बढ़ते हुए पर्यटक यातायात की आवश्यकता पूर्ति के लिए 1977-78 में अपने डीघा स्थित वर्तमान पर्यटक लॉज का विस्तार करने के लिए प्रावधान किया है।

ऊटी की पर्यटक संभाव्यतायें

***599. श्री पी० एस० रामलिंगम** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ऊटी में, जो 'पहाड़ों की रानी' कहलाती है, पर्यटक संभाव्यतायें बढ़ रही हैं ;

(ख) इस समय वहां पर्यटकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध किये जाने की क्या स्थिति है ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वहां औसतन कितने विदेशी पर्यटक आए हैं ; और

(घ) ऊटी में पर्यटक अधिक संख्या में आयें, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संवर्धन तथा विकास कार्य के रूप में क्या ठोस कार्यवाही की गई है या की जायेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क) और (ख) पर्यटन केन्द्र के रूप में ऊटी के विशेषतः अंतर्देशीय पर्यटकों के लिए महत्व को महसूस करते हुए केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने दूसरी तथा तीसरी योजनाओं में ऊटी में क्रमशः एक पर्यटक कार्यालय खोलने तथा एक पर्यटक बंगले का निर्माण करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की।

(ग) क्योंकि भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आंकड़ों का संकलन अखिल-भारतीय आधार पर किया जाता है, न कि राज्यवार अथवा स्थानवार आधार पर, अतः ऊटी की यात्रा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के सांख्यिकीय आंकड़े वर्षवार आधार पर उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु, 1972-73 में केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा किये गये विदेशी पर्यटक सर्वेक्षण से पता चलता है कि इस अवधि के दौरान भारत आने वाले कुल पर्यटकों में से 1.25 प्रतिशत ने ऊटी की यात्रा की।

(घ) ऊटी को विदेशों में व्यापक परिमाण पर वितरण के उद्देश्य से केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये प्रकाशित किये गये निम्नलिखित साहित्य में स्थान दिया गया है :—

क्रम सं०	फोल्डर इन्सर्ट का नाम	भाषा
1.	दिस इज़ इंडिया (फोल्डर)	अंग्रेजी, जर्मन, फ्रैंच, स्पेनिश, इटेलियन ।
2.	डिस्कवर इंडिया (फोल्डर)	—यथोपरि—
3.	दि सदर्न हिल्स (फोल्डर)	अंग्रेजी
4.	दि राइट प्लेस (पर्यटक मानचित्र)	अंग्रेजी
5.	डिस्कवर मद्रास इन दि साउथ (फोल्डर)	अंग्रेजी, फ्रैंच, जर्मन, स्पेनिश, इटेलियन ।
6.	साउथ इंडिया हिल रिज़ॉर्ट्स (इंसर्ट)	अंग्रेजी

राज्य व्यापार निगम द्वारा प्राप्त और अपने पास रखी हुई तम्बाकू

*600. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1977 को राज्य व्यापार निगम के पास उसके द्वारा प्राप्त किया हुआ और रखा हुआ कितना और कितने मूल्य का तम्बाकू था और वह तम्बाकू कितनी अवधि से रखा हुआ है;

(ख) तम्बाकू के यह स्टाक प्राप्त किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) राज्य व्यापार निगम ने उनका निपटान किस प्रकार किया है अथवा करेगा ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) फरवरी-मार्च, 1977 के दौरान राज्य व्यापार निगम के सहयोगियों ने लगभग 3.15 करोड़ रुपये मूल्य का लगभग 3500 मे० टन तम्बाकू खरीदा था। इसमें से 1100 मे० टन तम्बाकू जून, 1977 के अन्त तक सहयोगियों ने राज्य व्यापार निगम के सुपुर्द कर दी थी और शेष मात्रा तम्बाकू की ग्रेडिंग तथा पैकिंग पूरी न होने की वजह से अभी तक सहयोगियों के पास ही है ।

(ख) राज्य व्यापार निगम ने इस वर्ष वाणिज्यिक साहस के तौर पर जो खरीदारी की वह सरकार की इस नीति को ध्यान में रखते हुए की कि उसे तम्बाकू के निर्यात में अपनी भूमिका लगातार बढ़ानी चाहिए ।

(ग) खरीदा गया स्टाक राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात किये जाने का विचार है । राज्य व्यापार निगम के पास पहले ही 2400 मे० टन के पुख्ता आदेश हैं और उन्हें और भी अधिक निर्यात आदेश मिलने की आशा है ।

पटसन मिलों में कच्चे पटसन की कमी

*601. **श्री पी० के० कोडियन :**

श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की पटसन मिलों में कच्चे पटसन की अत्यधिक कमी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग). पटसन उद्योग इस समय कच्चे पटसन की कमी का सामना कर रहा है। ऐसी आशा है कि यह कमी बाजार में नई फसल आने तक जारी रहेगी। 1976–77 मौसम से कच्चे पटसन का बचा हुआ स्टाक अपर्याप्त होने की वजह से यह कमी आई।

2. इस समस्या पर विचार करने के लिए वाणिज्य मंत्री ने 3 जुलाई, 1977 को कलकत्ता में एक बैठक की, जिसमें पटसन उद्योग, श्रमिक संघों तथा पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधिय ने भाग लिया जिनमें मुख्य मंत्री तथा उद्योग और श्रम मंत्री भी शामिल थे।

3. इस स्थिति का सामना करने के लिये निम्नोक्त उपाय किए गए हैं :—

(1) विनियमन आदेश जारी किए गए हैं जिनमें मिलों को यह निदेश दिया गया है कि वे चार सप्ताह की खपत से अधिक अपने माल को कम करें और जब तक कि उनके स्टाक उतने कम नहीं हो जाते तब तक उन्हें और आगे खरीदारियां करने से रोक दिया गया है।

(2) पटसन (लाइसेंस तथा नियंत्रण) आदेश के अधीन पटसन आयुक्त द्वारा नोटिस जारी किया गया है जिसमें कच्चे पटसन के स्टाक धारियों के लिए 48 घंटे के भीतर पटसन आयुक्त के समक्ष कच्चे पटसन के अपने स्टाक प्रकट करना अपेक्षित है।

(3) वर्तमान कच्चे पटसन की सप्लाई-स्थिति का अध्ययन करने तथा उसके बारे में उपायों को सिफारिश करने के लिए पटसन आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। समिति के सदस्यों में उद्योग, श्रम तथा पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं।

(4) कीमतों को अनुशासित करने तथा जमाखोरी की प्रवृत्ति रोकने के लिए कच्चे पटसन की विभिन्न श्रणियों के लिए समुचित स्तरों पर अधिकतम कीमतें निर्धारित की गई हैं।

(5) चुने हुए क्षेत्रों में उपज में सुधार लाकर कच्चे पटसन का उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं।

कपड़े के हस्त प्रोसेसरों द्वारा वित्तीय संकट का सामना

***602. डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़े के हस्त प्रोसेसरों को वित्ती। संकट का सामना करना पड़ रहा है तथा उनका उद्योग बंद होने की स्थिति में है ;

(ख) क्या शक्तिचालित प्रोसेसरों पर भिन्न शुल्क लगाने के कारण हस्त चालित प्रोसेसरों की आर्थिक स्थिति पर भारी दुष्प्रभाव पड़ा है ;

(ग) क्या महाराष्ट्र वस्त्र हस्त धुलाई रंगाई संघ ने इस समस्या को हल करने के लिए सरकार को कहा है ; और

(घ) सरकार का इस जनशक्ति चालित लघु उद्योग को बंद होने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) से (घ). हाथ से प्रोसेसिंग करने वाले एकको के बंद होने के बारे में कोई जानकारी नहीं है । 1977–78 के बजट प्रस्तावों में हाथ से प्रोसेस किये गये कपड़े तथा पावर से प्रोसेस किये गये कपड़े के बीच उत्पादन शुल्क का अंतर काफी कम कर दिया गया था। पावर से प्रोसेस किये गये कपड़े पर कुल मिला कर उत्पादन शुल्क घटानें के विरोध में महाराष्ट्र वस्त्र हस्त धुलाई रंगाई संघ तथा अन्य हाथ से प्रोसेस करने वालों की ओर से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। अभ्यावेदनों में यह कहा गया था कि उत्पादन शुल्क में इस कटौती से हाथ से प्रोसेस करने वालों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। संशोधित वित्त विधेयक के अनुसार, जिसे लोक सभा ने अब पारित कर दिया है, हाथ से प्रोसेस किये गये कपड़े तथा स्वतंत्र रूप से पावर द्वारा प्रासेस किये गये कपड़े के बीच शुल्क का अ तर, जो 1–4–1977 से पूर्व विद्यमान था, हाथ से प्रोसेस करने वालों के हितों की रक्षा करने के लिए पूर्ववत से भी अधिक कर दिया गया है ।

पूर्वोत्तर क्षेत्रों में काफी की काश्त

***603. श्री डी० डी० देसाई** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी बोर्ड ने पूर्वोतर क्षेत्रों में काफी को काश्त को प्रोत्साहन देने का निर्णय किया ;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) काफी के विश्व बाजार के सन्दर्भ में इस काश्त से क्या लाभ होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) :(क) काफी बोर्ड नें नेशनल कोंसिल आफ अप्लाइड इकानामिक रिसर्च के सहयोग से देश के उत्तरी पूर्वी भाग में

1400.0 हैक्टार भूमि का अतिरिक्त क्षेत्र काफी के अन्तर्गत लाने को एक योजना बनाई है ।

(ख) काफो बोर्ड की रिपोर्ट से पता चलता है कि निम्नोक्त क्षेत्रों को काफी की खेतों के अन्तर्गत लाना मुमकिन होना चाहिए :--

असम	8000 हैक्टार
मेघालय	2000 हैक्टार
मिजोरम	1000 हैक्टार
नागालैंड	1000 हैक्टार
मणिपुर	1000 हैक्टार
अरुणाचल प्रदेश	1000 हैक्टार

(ग) योजना का मुख्य उद्देश्य काफी उत्पादन बढ़ाना है जिस के साथ ही साथ इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा, आन्तरिक खपत तथा निर्यात, जिससे अतिरिक्त विदेशी मुद्रा की आय होती है दोनों के लिए काफी की उपलब्धता में वृद्धि होगी ।

Proposal to Export Country's Surplus Commodities

*604. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperaton** be pleased to state:

(a) whether Government are considering a special scheme for the convenient export of country's surplus commodities; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia): (a) & (b): No special scheme is under contemplation. A constant watch is kept on major internal and external changes and appropriate export policy measures are taken to promote exports in the light of these developments.

छठे वित्त आयोग की सिफारिशों का पुनरीक्षण

4402. **श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार का विचार संसद् सदस्यों तथा राज्य सरकारों द्वारा बार-बार किये गये अभ्यावेदनों अथवा अनुरोधों तथा माननीय कृषि तथा सिंचाई मंत्री द्वारा दिये गये कुछ आश्वासनों के संदर्भ में राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता दे के बारे में छठे वित्त आयोग की सिफारिशों का पुनरीक्षण करने का है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : दैवो प्रकोपों से भावित राज्यों द्वारा राहत संबंधो व्यय के वित्त पोषण के लिए नीति तथा प्रबन्धों के संबंध में छठे वित्त आयोग की सिफारिश की पुनरीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । परन्तु इस मामले को सातव वित्त आयोग के विचारणीय विषयों में शामिल कर लिया गया है ।

चाय का उत्पादन और निर्यात

4403. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विशेषकर जी० एन० पी० निर्यात व्यापार और रोजगार में इसके हिस्से के सन्दर्भ में चाय उद्योग की स्थिति क्या है ;

(ख) क्या हमारी प्रति हेक्टेयर उपज विश्व में अधिकतम है ; और

(ग) क्या उत्पादन और निर्यात में गतिरोध है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और चाय के उत्पादन तथा निर्यात में वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) नीलामी कीमत के आधार पर, कुल राष्ट्रीय उत्पाद में चाय उद्योग का अंशदान 1976 में लगभग 640 करोड़ रु० अथवा कुल राष्ट्रीय उत्पाद का लगभग 1 प्रतिशत होने का अनुमान है । चाय से निर्यात आय (1976–77 में 273 करोड़ रुपये) देश की कुल निर्यात आय का लगभग 5.5 प्रतिशत बैठती है । चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या लगभग 7.7 लाख है और चाय व्यापार तथा उसके विविध सहायक उद्योगों में लगभग दस लाख व्यक्ति लगे होने का अनुमान है ।

(ख) काली चाय के उत्पादक देशों में भारत की प्रति हेक्टार उपज अधिकतम है । तथापि जापान की, जो हरी चाय पैदा करता है, उस प्रकार की चाय के विषय में भारत से अधिक उपज दर है ।

(ग) जी नहीं । इसके विपरीत उत्पादन तथा निर्यात विगत कुछ वर्षों से लगातार बढ़ रहे हैं । 1972 में चाय का उत्पादन 45.60 करोड़ कि० ग्रा० था जो 1976 में बढ़कर 51.182 करोड़ कि० ग्रा० हो गया । 1972 में केवल 19.820 करोड़ कि० ग्रा० चाय का निर्यात हुआ था जिससे 151.14 करोड़ रुपये की आय हुई थी पर 1976 में 23.361 करोड़ कि० ग्रा० चाय का निर्यात हुआ जिससे 273 करोड़ रुपये की आय हुई (अनन्तिम) ।

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखाविभाग के चयन ग्रेड के लेखापरीक्षकों के वेतनमान

4404. **श्री वयालार रवि : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के चयन ग्रेड के कुछ लेखा-परीक्षकों के वेतन में उनकी सेवानिवृत्ति से 10 से 16 वर्ष पूर्व वृद्धि होनी बन्द हो जाएगी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार चयन ग्रेड के कुछ लेखापरीक्षक अपनी सेवा निवृत्ति से पहले 10 वर्ष और उससे अधिक अवधि के लिए वेतनमान के अधिकतम पर रहेंगे ।

(ख) भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग की विभाग या परिषद् की पिछली बैठक में "चयन ग्रेड लेखा परीक्षक संवर्ग में गतिरोध को हटाने" संबंधी विषय पर चर्चा हुई और इस पर और आगे विचार करने के लिए इसे परिषद् की एक समिति को सौंपा गया । यह समिति अब नियुक्त की जा चुकी है और इसकी सिफारिशें अभी आनी हैं ।

Development of Ambaji in Gujarat as a Tourist Centre

4405. **Shri Motibhai Chaudhary** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether Government propose to develop Ambaji (in Gujarat) as a tourist resort keeping in view that it is a famous place of pilgrimage situated in a hilly area and is visited by thousands of pilgrims and tourists daily; and

(b) if so, the time by which this development programme will be taken up ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik): (a) There is no proposal at present to develop facilities in the Central Sector for pilgrims at Ambaji.

(b) Does not arise.

होटलों में शय्याओं की संख्या

4406. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी पर्यटकों के लिये होटलों में शय्याओं की कुल संख्या कितनी है; क्या आजकल जितने पर्यटक भारत आ रहे हैं उन के आवास के लिये पर्याप्त हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों में गैर सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र के होटलों में नई शय्याओं की कितनी वृद्धि हो सकती थी और क्या उनकी संख्या पर्यटकों की संख्या में प्रत्याशित वृद्धि के अनुरूप थी; और

(ग) क्या गैर सरकारी क्षेत्र में अधिक होटल बनाने के लिए और लाइसेंस देने का कोई प्रस्ताव है और क्या सरकार का विचार इस कार्य के लिए आगे आने वाले लोगों को प्रोत्साहन देने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) होटल आवास के बारे में सूचना होटल कमरों के आधार पर रखी जाती है, होटल शय्याओं के आधार पर नहीं । तदनुसार, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 25,500 कमरों की अनुमानित आवश्यकता की तुलना में देश में अनुमोदित होटलों में इस समय 16,771 कमरे हैं ।

(ख) पिछले तीन वर्षों, अर्थात् 1974–75 से 1975–76 के दौरान निजी क्षेत्र में 3,516 कमरों तथा सार्वजनिक क्षेत्र में 776 कमरों की वृद्धि की जा सकी । इस प्रकार, दिल्ली तथा बम्बई

जसे कुछ स्थानों पर होटलों का निर्माण कार्य इन केन्द्रों के लिए पर्यटक यातायात के प्रवाह में हुई अभिवृद्धि के साथ नहीं चल सका है ।

(ग) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ऐसी होटल परियोजनाओं का अनुमोदन करता है जो निर्धारित न्यूनतम मानकों के अनुरूप होती हैं। ये अनुमोदन तभी किए जाते हैं जब कभी ऐसी परियोजनाओं के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। निजी क्षेत्र में होटलों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसे विभिन्न प्रोत्साहन दिए जाते हैं जसे माली राहत, संस्थागत ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता, अनिवार्य आवश्यकताओं के मामले में प्राथमिकता से विचार, इत्यादि ।

एयर बस सेवाएं

4407. **श्री रामानन्द तिवारी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में खरीदी गई एयर बसों से संतोषजनक सेवा नहीं मिल रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा खरीदी गयी एयर बसें संतोषजनक सेवा दे रही हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर गए अधिकारी

4408. **श्री शिव नारायण :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय सेवाओं के उन अधिकारियों की सेवा-निवृत्ति के लिए कोई मार्ग, निर्देशक सिद्धान्त निर्धारित किए गए हैं जो सेवानिवृत्त होने के एक या दो वर्ष पूर्व भारतीय उर्वरक निगम इंडियन डेरी कोम इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसे विभिन्न सरकारी उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर चले जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या ये अधिकारी अपने 58 वर्ष से 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु के बाद भी सेवा में रहते हैं तथा इस प्रकार सेवा के कुछ और वर्षों का लाभ प्राप्त करते हैं ;

(घ) भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा के उन अधिकारियों के क्या नाम हैं जो 1973 और 1974 में अपनी सेवानिवृत्ति के एक या दो वर्ष पूर्व भारतीय उर्वरक निगम जैसे उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर चले गये ; और

(ङ) इस कदाचार को रोकने तथा सरकारी सेवा और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सेवा-निवृत्ति की आयु में असमानता दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री ए च० एम० पटेल) : (क), (ख), (ग) और (ङ). केन्द्रीय सरकार के सभी सेवाओं जिनमें अखिल भारतीय सेवाएं भी शामिल हैं केन्द्रीय सरकार के उद्यमों में प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले व्यक्तियों को सरकारी नीति के अनुसार अपनी प्रतिनियुक्ति के दो या तीन वर्ष के भीतर यह विकल्प बताना होता है कि वे सम्बन्धित उद्यमों में स्थायी रूप से अपना अन्तर्लयन चाहते हैं या अपने मूल सरकारी संवर्ग में वापस चले जाना चाहते हैं। जिन अधिकारियों का अन्तर्लयन 2500 रुपये या उससे ऊंचे वेतनमान में किया जाता है, उन्हें उद्यमों में अपने पद का वेतन तथा सरकारी पेंशन प्राप्त करने की अनुमति दे दी जाती है, बशर्ते कि वे सरकारी सेवा में अधिवर्षता की आयु के एक वर्ष पहले प्रतिनियुक्त हुए हों। इसी प्रकार नीचे के पदों पर वेतन के साथ-साथ पेंशन का लाभ उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिनकी प्रतिनियुक्ति सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त होने के कम से कम तीन वर्ष पहले हुई हो।

अधिकारियों के अन्तर्लयन के बाद वे उद्यमों के कर्मचारी हो जाते हैं और सेवा निवृत्ति आयु के बारे में उन पर उद्यमों के ही नियम लागू होते हैं। अधिकांश उद्यमों में केन्द्रीय सरकार की सेवाओं की भांति सेवा निवृत्ति की आयु 58 वर्ष ही है। कुछ उद्यमों में अधिवर्षता की आयु विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों के लिए परिचालन सम्बन्धी आवश्यकताओं को देखते हुए अलग-अलग रखी गई हैं, जैसाकि इण्डियन एयर लाइन्स और एयर इण्डिया में है। कुछ अन्य मामले ऐसे भी हैं जिनमें अधिवर्षता की आयु उद्यमों के नियमों के कारण अलग-अलग रखी गई हैं। सेवा-निवृत्ति की आयु के बाद सेवा अवधि बढ़ाने या दुबारा रोजगार देने के मामले कम्पनी के नियमों के अनुसार तय होते हैं। अधिकांश मामलों में ये नियम भी सरकारी नियमों पर ही आधारित हैं। किन्तु 58 वर्ष की आयु के बाद किसी व्यक्ति को 2500—3000 रुपये या उससे ऊंचे वेतनमान के पद पर फिर से नियुक्त करने के लिए उद्यमों को सरकार की स्वीकृति प्राप्त करनी होती है।

(घ) प्राप्त की गई सूचना के अनुसार भारतीय सेवा परीक्षा एवं लेखा-सेवा के केवल ऐसे दो अधिकारी ही 1973 और 1974 में सरकारी उद्यमों में प्रतिनियुक्ति पर गये थे जो अपनी प्रतिनियुक्ति के दो वर्ष के भीतर ही सेवा-निवृत्त होने वाले थे। इनमें से एक अधिकारी भारतीय उर्वरक निगम में और दूसरा भारी इंजीनियरी निगम में गया था।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की जानकारी लेने के लिए दिल्ली में सर्वेक्षण

4409. **श्री एस० जी० मुरुगय्यन** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के विभिन्न भागों में खुदरा दुकानों से दैनिक खपत की विभिन्न आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की जानकारी प्राप्त करने हेतु दिल्ली में कोई नमूना सर्वेक्षण किया गया था ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसा करने का है और कब करने का है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) व (ख). यद्यपि दिल्ली के विभिन्न भागों में खुदरा दुकानों से दैनिक खपत की विभिन्न आवश्यक वस्तुओं

के मूल्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए दिल्ली में कोई विशिष्ट नमूना सर्वेक्षण नहीं किया गया, तथापि, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली की महत्वपूर्ण मंडियों से साप्ताहिक आधार पर आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्यों का पता करता है ।

हवाई अड्डों पर हवाई अड्डा कर और प्रवेश शुल्क

4410. **श्री माधवराव सिन्धिया**: क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हवाई अड्डों पर अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों पर किस तारीख से 15 रु० के बजाय 20 रुपए हवाई अड्डा कर और इसी प्रकार आगन्तुकों पर एक रुपए के बजाय दो रुपये प्रवेश शुल्क कर दिया गया है ;

(ख) बढ़ी हुई दरों की तारीख से 30 जून, 1977 तक सभी सम्बद्ध हवाई अड्डों पर कर और प्रवेश शुल्क की इन बढ़ी हुई दरों के रूप में कितनी अतिरिक्त आमदनी हुई ;

(ग) इस नियम को बनाने और लागू करने में सक्षम प्राधिकारियों के नाम क्या हैं ; और

(घ) इन अतिरिक्त प्रभारों के बाद आगन्तुकों और यात्रियों को सुविधा देने के लिए इन हवाई अड्डों पर क्या अतिरिक्त सुधार किये गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) यात्री सेवा शुल्क बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास के अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र पर एकत्रित किया जाता है । इस शुल्क को 1–2–1977 से 15 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया गया । इन विमान क्षेत्रों पर विमान क्षेत्र प्रवेश शुल्क को 1–6–1976 से एक रुपए से बढ़ा कर दो रुपए कर दिया गया था ।

(ख) बढ़ी हुई दरों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय निम्न प्रकार है :—

यात्री सेवा शुल्क	25 लाख रुपए (लगभग)
विमान क्षेत्र प्रवेश शुल्क	34 लाख रुपए (लगभग)

(ग) अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1971 की धारा 17 (i) (ख) के अन्तर्गत, अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से किसी भी विमानक्षेत्र पर यात्रियों तथा दर्शकों को प्रदान की गयी सुविधाओं के लिये फीस अथवा किराया ले सकता है ।

(घ) अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र पर दर्शकों तथा यात्रियों की सुविधा के लिए निम्नलिखित सुधार कार्य किये गए हैं :—

(i) अधिक यात्री सुविधा क्षेत्रों की व्यवस्था करने के लिये वर्तमान टर्मीनल भवनों में सुधार / विस्तार किये गए हैं ।

(ii) बैगेज कन्वेयर प्रणाली में सुधार किया गया है ।

(iii) वातानुकूलन व्यवस्था में अभिवृद्धि की गयी है ।

(iv) बम्बई तथा दिल्ली विमान क्षेत्र पर संशोधित सार्वजनिक घोषणा प्रणाली की व्यवस्था कर दी गई है। दिल्ली विमान क्षेत्र पर सेंट्रल सर्किट टेलीविजन (सी० सी० टी० वी०) चालू कर दिया गया है।

ए० जी ज० आफिस एम्पलाईज यूनियन, त्रिवेन्द्रम को मान्यता

4411. **श्री बी० के० नायर:** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार ए० जीज० आफिस एम्प्लाईज यूनियन, त्रिवेन्द्रम को मान्यता देने का है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मान्यता देने के संबंध में नवनिर्मित संस्था से प्राप्त हुए अनुरोध में अन्तर्ग्रस्त विभिन्न मसलों पर गौर किया जा रहा है।

Export of Handicrafts by Rajasthan

4412. **Shri Chaturbhuj** : Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state:

(a) the value of the handicrafts exported from Rajasthan during the last two years;

(b) the names of the main handicrafts being exported and the names of the countries importing them; and

(c) the steps being taken to increase the handicraft exports ?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia): (a) Statewise figures of exports are not compiled.

(b) Carpets, rugs & druggets including namdahs, Artmetalware, Hand-printed Textiles and Scarves, Imitation jewellery zari goods, Ivory Products and Leather goods etc. are the main handicrafts items of Rajasthan which are exported to USA, Belgium-Luxemburg, France, West Germany, U.K., Saudi Arabia, Switzerland, Australia, Japan, Singapore and Netherlands.

(c) Development and export promotion measures in the handicrafts sector include organising training programmes for artisans, production-cum-extension centres, design centres to evolve new designs suitable for export marketing, publicity abroad through films, exhibitions and other media, sending delegations abroad and inviting delegations of buyers from abroad. Besides, the usual incentives for export in general are also applicable to the export of a handicraft items.

Rajasthan Small Industries Corporation, Jaipur, is also looking after promotional and developmental aspects of the crafts of the State.

Utilisation of Aid from Britain

4413. **Shri Manohar Lal** : Will the Minister of **Finance & Revenue and Banking** be pleased to state:

(a) the quantum of economic aid received from Britain since 1973 todate as also the aid received in 1976-77;

(b) whether the amount of aid received was fully utilised on specified projects and if not, the reasons therefor and the remedial measures taken in this regard?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel): (a) The quantum of bilateral capital aid committed by Britain in the form of bilateral agreements and the drawals made there against during the period 1973-74 to 1976-77 is as under:

(£ million)

Year	Commitment	Disbursements
1973-74	73·00	68·97
1974-75	95·00	59·37
1975-76	94·20	74·83
1976-77	112·10	91·81

(b) The entire British aid is not extended for specified projects. There is, however, one tranche under the British aid, viz. the UK/India Mixed Project Grant, which is intended to finance the import requirements of large value projects mutually agreed to by the two Governments. Except for a small amount of £ 7 million, the amount provided under this specific Grant has been almost fully utilised.

The gap between the aid commitments and actual drawals arose on account of under utilisation of other tranches of U.K. aid for which there were several reasons, such as restrictive licensing policies followed in 1972-73 (in the context of the overall foreign exchange shortages then prevailing), difficulties in finalisation of contracts arising from the high rate of inflation in U.K., steep rises in prices of equipment, commodities and raw materials in U.K., etc; it will however be noted that the disbursements have already shown sharp increases. Necessary remedial measures such as liberalisation of the import policy, forward planning of purchases of bulk commodities from U. K., identification of suitable large projects which could utilise U.K. goods and services economically, etc., have since been taken to step up the utilisation of the British aid (both from the pipeline and new commitments).

Foreign Exchange earnings from Export of Lac

4414. **Shri Karia Munda** : Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state:

(a) the percentage of lac out of the total production of the country being exported; and

(b) the value of foreign exchange earned from export of lac ?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia): (a) The percentage of lac exported year-wise out of total production of the country during the past three years is as under:—

Year	Percentage	
1974-75	70%	(Percentage is calculated on the basis of Seedlac yield at 50 per cent from Sticklac and Shellac yield at 85% from Seedlac)
1975-76	85%	
1976-77 (Provisional)	70%	

(b) The value of foreign exchange earned from export of lac during the last three years was as under:—

Year	Value (in Rs. crores)
1974-75	24·33
1975-76	12·75
1976-77	10·48 (Provisional)

Procedure adopted for the Appointment of Director of New Delhi Super Bazar

4415. **Shri Ishwar Choudhury** : Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state the procedure adopted by the Central Government the appointment of the Director of New Delhi Super Bazar?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia): Under the Bye-laws of the Cooperative Store Ltd., (Super Bazar), New Delhi, nine Directors of the Managing Committee are to be nominated by the Government of India and six Directors are to be elected by the Members of the Cooperative Store.

तिलहनों का आयात

4416. **श्रीमती पार्वती कृष्णन:** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष तिलहनों का बड़ी मात्रा में आयात करने का निर्णय किया ह ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसका देश में खाद्य तेलों की सप्लाई और मूल्य स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग). खाद्य तिलहनों का आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है : मांग और पूर्ति के बीच के अंतर को दूर करने के लिए आवश्यक मात्रा में खादय तेलों का आयात किया जा रहा है ।

कर्नाटक में सांविधिक निकायों के चेयरमैनों द्वारा अपनी-अपनी सम्पत्तियों आदि का ब्यौरा दिया जाना

4417. **श्री एस० ननजेश गौडा** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में विभिन्न सांविधिक निकायों के चेयरमैनों ने ऐच्छिक प्रकटीकरण योजना के अधीन अपनी-अपनी आस्तियों और आय का ब्यौरा दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन व्यक्तियों के नाम क्या हैं और इस प्रकार घोषित नकदी सहित चल और अचल सम्पत्ति का मूल्य कितना-कितना है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख). कर्नाटक में केवल एक सांविधिक निकाय के अध्यक्ष ने आय और धन के स्वेच्छा प्रकटन अध्यादेश 1975 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत एक घोषणा की थी । आय और धन का स्वेच्छया प्रकटन अध्यादेश 1975 (अब, आय तथा धन का स्वेच्छया प्रकटन अधिनियम, 1976) में, धारा 3 (1) के अन्तर्गत तलाशी लेने तथा माल पकड़ने के मामलों के अलावा अन्य मामलों में आय को स्वेच्छया से प्रकट करने, धारा 14 (1) के अन्तर्गत तलाशी लेने तथा माल पकड़ने के मामलों में आय को

प्रकट करने और धारा 15 (1) के अन्तर्गत धन को प्रकट करने की व्यवस्था है। जहां तक धारा 3 (1) के अन्तर्गत घोषणाओं का सम्बन्ध है, धारा 12 में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी शर्त है कि उसमें निहित सभी ब्यौरे गोपनीय माने जायेंगे और कोई भी सरकारी कर्मचारी, धारा 8 की उप-धारा (1) अथवा धनकर अधिनियम में उल्लिखित कार्यों में से किसी भी कार्य के निष्पादन में नियुक्त किसी अधिकारी को अथवा आय-कर प्राप्तियों अथवा वापसियों की लेखा परीक्षा के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा अथवा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी के अलावा किसी भी अन्य अधिकारी को नहीं बतायेगा। इसलिए कर्नाटक में उपर्युक्त सांविधिक निकाय के अध्यक्ष का नाम और अन्य ब्यौरे प्रस्तुत करने से धारा 12 के उपबन्धों की गोपनीयता का उल्लंघन होगा। कर्नाटक राज्य में किसी भी सांविधिक निकाय के अध्यक्ष ने आय और धन के स्वेच्छया प्रकटन अधिनियम, 1976 की धारा 14 (1) के अन्तर्गत और/अथवा धारा 15 (1) के अन्तर्गत कोई घोषणा नहीं की है।

गुजरात में कपड़ा मिलों का बन्द होना

4418. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में गुजरात राज्य में कोई कपड़ा मिलें बन्द हुई हैं ;

(ख) इसके मुख्य कारण क्या हैं ; और

(ग) उन्हें पुनः चलाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां। तीन मिलें बन्द हो गई है।

(ख) दो एककों के मामले में बन्द होने का कारण वित्तीय कठिनाइयां हैं और तीसरे मामले में चक्रवात द्वारा हुई भारी क्षति के कारण मिल बन्द करनी पड़ी।

(ग) दो मिलों को राज्य सरकार द्वारा प्रबन्ध के लिये अधिकार में लेने के लिये कार्यवाही चल रही हैं और तीसरी मिल के मामल में राज्य सरकार ने कार्यवाही शुरु कर दी है।

Manufacture of Controlled Cloth by Krishna Mills, Beawar (Rajasthan)

4419. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state:

(a) the quantity of controlled cloth manufacture by the Krishna Mills, Beawar (Rajasthan) from 1975 to 1977 year-wise; and

(b) the quantity of controlled cloth sold through its authorised retail shop in Udaipur between 1975 to 1977 year-wise?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) : (a) The Krishna Mills, Beawar (Rajasthan) manufactured controlled cloth from 1975 to 1977 as detailed below:

1975	1166 Bales
1976	508 Bales
1977 (Jan-June)	493 Bales

(b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

कपड़ा उद्योग के रुग्ण एककों के श्रमिकों को देय राशि का भुगतान

4420. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा उद्योग के रुग्ण एककों के बहुत से श्रमिकों को उनके पहले मालिकों द्वारा उचित देय राशि का भुगतान अब तक नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार देय राशि के भुगतान की व्यवस्था करने का है और यदि हां, तो किस प्रकार ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग). अनेक वस्त्र मिलों को रुई की उच्च कीमतों के कारण वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। फिर भी, सरकार को यह जानकारी नहीं है कि आया मिलों ने श्रमिकों को उचित देय राशियां नहीं दी हैं; यद्यपि कुछ मिलों के बारे में पता चला है कि वे अपने कर्मचारियों को देय राशि के मामले में देनदार हैं तथा ऐसे मामलों में सम्बन्धित प्राधिकारियों को उचित कार्यवाही करनी होगी।

Export of Carpets

4421. **Dr. Maha deepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state:

(a) the total number of carpets exported to various countries from India during 1975 to March, 1977 and the total amount of foreign exchange earned thereby; and

(b) the steps being taken by Government to increase this trade?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia): (a) Export of hand-made woollen carpets is recorded in measurement (square metres) and not in numbers. Exports were as under:—

Year	Quantity exported (Sq. metres)	Value (in Rs. crores)
1975-76	29,58,094	39·88
1976-77 (April-December)	27,48,619	41·86

A package of incentives is available to exporters. Other Export Promotion measures include participation on exhibitions, sponsoring of Sales-cum-Study Teams, and inviting delegations of buyers from abroad. New designs are being introduced. The production base for exports is being strengthened through a massive training programme for carpet weavers.

Tourist Guides in Agra

4422. **Shri Ramji Lal Suman** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) the number of approved Tourist Guides in Agra; and

(b) whether any course for guides was organised in Agra in the past ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) as: (a) There are 31 Tourist Guides approved by the Department of Tourism in Agra.

(b) To date, four guide training courses have been held in Agra.

Export of Bidis

4423. **Shri Kachrulal Hem Raj Jain** : Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state:

(a) the number of organised and unorganised bidi factories in the country,

(b) the countries to which bidis are exported from India and the value of bidis exported to each country during the last three years; and

(c) the details of bidi export incentive schemes ?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia): (a) According to the information obtained from the Central Excise Department, the total number of bidi manufacturers in the country is 17,556. These include 3,783 manufacturers who distribute their products under brand names whether registered or not.

(b) A statement is attached.

(c) Under the import policy for registered exporters, exporters of bidis registered with the Tobacco Board are allowed import replenishment at 2 per cent of the f.o.b. value of their exports.

Statement

Exports of bidis during 1973-74, 1974-75 and 1975-76

(Quantity in Kg. and Value in Rs.)

Countries	1973-74		1974-75		1975-76	
	Qty.	Value	Qty.	Value	Qty.	Value
Afghanistan	5,400	61,948	11,200	1,34,018	5,770	76,708
Australia	1,191	16,372	30	645	..	..
Bahrein	347	6,919	1,721	33,618	4,858	76,838
Belgium	144	6,166	130	7,366	155	6,723
Canada	419	9,574	731	20,695	600	20,133
Denmark	..	..	37	3,742	..	..
Dubai	1,769	23,790	5,183	1,29,821	19,485	3,77,793
Germany F.R.	64	2,136	124	5,803	764	20,151
Kuwait	200	3,781	160	2,319	2,535	48,717
Malawi	..	..	..	..	150	4,275
Malaysia	34,680	7,64,376	36,154	9,28,713	38,929	11,34,633
Muscat	170	2,650	1,487	35,583	5,663	1,95,508
Nepal	1,163	15,425	49	680	8,036	84,794
Netherlands	894	19,925	1,132	28,959	1,175	30,150
Norway	11	323	..	..	10	384
Qatar	1,260	18,879	175	5,000	659	14,265
Singapore	18,951	4,18,789	19,733	4,24,568	22,249	5,94,345
Switzerland	3,285	76,826	4,796	1,19,796	7,162	2,32,751
USA	1,823	35,409	4,396	1,16,575	2,795	86,293
UK	199	6,245	228	5,267		..
Nigeria	..	..	160	4,000		..
Lebanon	48	768				..
Mauritius	70	3,471	..			..
Other East African countries	53	860	105	1,700	..	..
TOTAL	72,141	14,96,632	87,731	20,08,868	1,20,955	30,04,461

बैंक अधिकारी के फ्लैट की तलाशी

4424. **डा० बापू कालदाते** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 जून, 1977 के बम्बई से प्रकाशित होने वाले 'टाइम्स आफ इंडिया' में बैंक अधिकारी के फलैट की तलाशी के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो वह अधिकारी कौन है तथा वह किस बैंक में कार्य करता है; और

(ग) उनके फ्लैट में केन्द्रीय जांच ब्यूरो को कितनी धनराशि मिली ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग). दिनांक 18 जून 1977 के 'टाइम्स आफ इंडिया' के बम्बई संस्करण में राष्ट्रीयकृत बैंक के एक अधिकारी के दो फ्लैटों में तलाशी विषयक एक समाचार छपा था। इस संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचना दी है कि उसने मार्च 1977 में देना बैंक के एक अधिकारी, श्री डी० एम० रेले के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया है और अपनी जांच के दौरान उसने श्री डी० एम० रेले के दो फ्लैटों की तलाशी ली है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अनुसार इस अधिकारी के पास लगभग 5 लाख रुपये की परिसम्पत्ति पायी गयी है।

S.C. and S.T. employees working in workshop of Directorate of Radio construction and Development units, Safdarjang Airport, New Delhi

4425. **Shri Mahi Lal** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) the total number of Fitters, Turners, Tool Mechanics, Tinsmiths, Painters, Electro-plators, Instrument Mechanics etc. working in Grade I and Grade II in the workshop of the Directorate of Radio Construction and Development Units, Safdarjang Airport, New Delhi;

(b) the post-wise number of the employees belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, out of them;

(c) whether some Scheduled Caste/Scheduled Tribe employees in the said categories have made representations for their promotion to Grade I; and

(d) if so, the action taken or proposed to be taken by Government in such personal cases keeping in view the provisions of reservation for promotion, especially the 40 point poster?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik): (a) and (b). A statement giving the required information is enclosed.

(c) and (d). Yes, Sir. One employee belonging to Scheduled Caste category had represented for his promotion to the post of Fitter Mechanic Grade I. As the concerned individual had not rendered a minimum of five years of service as Fitter Mechanic Grade II, as stipulated in the recruitment rules, he could not be considered for promotion to Fitter Mechanic Grad I.

Statement

(a) and (b). The posts in the category of Fitters, Turners, Tool Mechanics and Tinsmiths were grouped together and re-designated as Fitter Mechanic Grade II in April, 1966. With this redesignation, no officials now hold the post of Fitters, Turners, Tool Mechanics and Tinsmiths. The sanctioned and actual strength of various categories of posts in the Radio Construction and

Development Units and the number of officials belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribes, out of them, is as under:—

S.No. & Designation	Sanctioned strength	Actual strength	No. of officials belonging to reserved categories.	
			S/C.	S/T.
1. Chargeman 'C'	4	4		
2. Painter	1	1		
3. Fitter Mechanic Gr. I & Gr. II	14	Gr. I-8, Gr. II-3 } 11	1	
4. Electrician Gr. I & Gr. II	12	Gr. I-10, Gr. II-1 } 11	2	
5. Wireless Mechanic	7	3		
6. Instrument Mechanic	4			
7. Welder	2	2		
8. Carpenter	2	2	..	
9. Electroplator	1	1		
10. Black Smith	2			..

प्याज के मूल्य में वृद्धि

4426. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में प्याज के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और मूल्य वृद्धि रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) हाल ही में प्याज के मूल्यों में वृद्धि हुई है ।

(ख) प्याज के मूल्यों में हाल में हुई वृद्धि आंशिक रूप से मौसम के कारण तथा आंशिक रूप से महाराष्ट्र, जो प्याज का उत्पादन करने वाला प्रमुख राज्य है, में कम पैदावार होने के कारण हुई है । मार्च तथा अप्रैल, 1977 में असामयिक वर्षा के कारण प्याज उगाने वाले कुछ दूसरे क्षेत्रों में भी इसकी फसल को नुकसान पहुंचा था । इस स्थिति को सुधारने के लिए 13 मई, 1977 से प्याज का निर्यात रोक दिया गया है ।

अमरीका की बोइंग कम्पनी से खरीदे गये विमान

4427. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 से 20 मार्च, 1977 की अवधि के दौरान अमरीका की बोइंग कम्पनी से कुल कितने विमान खरीदे गये ;

(ख) कुल कितने मूल्य की खरीद की गई ;

(ग) अमरीका की बोइंग कम्पनी के भारतीय एजेंट/प्रतिनिधि कौन-कौन हैं ;

(घ) क्या यह खरीद कम्पनी के भारतीय एजेंटों के जरिए की गई थी ; **और**

(ङ) यदि हां, तो तत्कालीन पर्यटन और नागर **विमानन तथा अमरीका** की **बोइंग कम्पनी** के भारतीय एजेंटों के बीच इस बारे में हुए समझौते का क्या ब्यौरा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) इंडियन एयरलाइंस ने यू० एस० ए० की बोइंग कम्पनी से तेरह विमान खरीदे हैं तथा तीन और वमान खरीदने के आर्डर भी दिये हुए हैं । एयर-इंडिया ने इस कम्पनी से पांच विमान खरीदें हैं तथा दो और वमान खरीदने के आर्डर भी दिए हैं ।

(ख) इंडियन एयरलाइंस के लिए 89,136,336 अमरीकी डालर की एयर-इंडिया के लिए 196.243 मिलियन अमरीकी डालर की ।

(ग) (घ) और (ङ) बोइंग कम्पनी के साथ इंडियन एयरलाइंस तथा एयर-इंडिया द्वारा खरीद की सभी बातचीत सीधें ही की गयी न कि किसी 'एजेंट' के माध्यम से । परन्तु इंडियन एयरलाइंस ने बताया है कि वे बोइंग कम्पनी के निम्नलिखित सलाहकारों/विज्ञापन अभिकर्ताओं से अवगत हैं : —

(i) मानकजी एविएशन, बम्बई ।

(ii) कांन्सेलियम लिमिटेंड, दिल्ली तथा बम्बई ।

(iii) नेशनल एडवर्टाइज़िंग, बम्बई ।

एयर-इंडिया ने बताया है कि मैसर्ज पिलिमैन एयरक्राफ्ट कम्पनी, बम्बई भारत में बोइंग कम्पनी कें सलाहकार हैं ।

उड़ीसा में धन कर की बकाया राशि

4428. **श्री के० प्रधानी** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बड़े औद्योगिक ग्रहों द्वारा गड़बड़ किये जाने के कारण प्रति वर्ष धनकर की बहुत बड़ी बकाया राशि बिना वसूल किये ही रह जाती है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामले विशेषकर उड़ीसा राज्य में, कौन-कौन से और कितने हैं; और

(ग) इन बकाया राशियों को वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) ऐसा अनुमान है कि माननीय सदस्य 'बड़े औद्योगिक घरानों' के मामलों में औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति द्वारा संकलित धन-कर की बसूल नहीं की गयी बकाया की ओर संकेत कर रहे हैं। इन मामलों में केवल लिमिटेड कम्पनियां ही आती हैं। इनमें से किसी भी मामले में 31 मार्च 1977 की स्थिति के अनुसार 25,000 रुपये अथवा उससे अधिक की बकाया नहीं है। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि कर-निर्धारण वर्ष 1960–61 और उसके बाद से लिमिटेड कम्पनियों पर धन-कर नहीं लगाया जाता है।

(ख) और (ग): ऊपर (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, ये प्रश्न नहीं उठते।

लेखों को लेखा-परीक्षा से अलग करना

4419. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों के महालेखाकारों के कार्यालयों के लेखों को लेखा परीक्षा से अलग करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) जब यह विभाजन होगा तो उस समय कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) :(क) अप्रैल, 1976 में यथा संशोधित नियंत्रक महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 10 किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के साथ परामर्श करने के पश्चात् भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से लेखाकरण संबंधी कार्यों को अपने हाथ में लेने और इस प्रकार लेखाओं को लेखा परीक्षा से अलग करने की शक्ति प्रदान करती है। केन्द्रीय मंत्रालयों में लेखाओं के विभागीयकरण की पृष्ठभूमि में भारत सरकार ने नवम्बर 1976 में राज्य सरकारों से लिखा-पढ़ी की थी जिसमें राज्यों को लेखाओं को लेखा परीक्षा से अलग करने के इस प्रकार के सुधार के कार्यान्वयन का सुझाव दिया गया था। इस मामले में पहल करने और व्यापक प्रस्तावों को, जिनमें उससे संबंधित तकनीकी प्रशासनिक और कार्मिक पहलू भी आ जाएं केन्द्रीय सरकार के पास भेजने का काम राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया था।

(ख) हरियाणा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र से प्राप्त लेखाओं को लेखा परीक्षा से अलग करने संबंधी प्रस्तावों पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

(ग) लेखाओं को लेखा परीक्षा से अलग करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा भेजे गये प्रस्तावों पर भारत सरकार की स्वीकृति देते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लेखा परीक्षा विभाग के कर्मचारियों की वर्तमान सेवा शर्तों तथा वेतनमानों को उनके राज्य सरकार में स्थानान्तरण किये जाने की स्थिति में संतोषजनक संरक्षण प्रदान किया जाए। केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृति दिए जाने से पहले प्रत्येक मामले पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से भी परामर्श किया जायेगा।

भारत में कृषि के पुनर्निर्माण के लिए विश्व बैंक से सहायता

4430. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक ने कृषि के पुर्ननिर्माण के लिए प्रत्येक राज्य को वर्ष 1973 से कितनी धन दिया है ;

(ख) इन समझौतों की मुख्य बातें क्या हैं तथा ऋण चुकाने की क्या शर्तें हैं ; और

(ग) क्या विश्व बैंक की ये परियोजनाएं देश के लिए लाभप्रद हैं और यदि हां, तो उसके तथ्य क्या है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें विश्व बैंक और आसान शर्तों पर ऋण देने वाली संस्था यानी अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा पहली अप्रैल, 1973 से कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए दी गई रकमों का ब्यौरा दिया गया है। इन ऋणों की शर्तें भी विवरण में दे दी गई हैं।

(ग) जी, हां। विश्व बैंक समूह द्वारा दी गई सहायता लाभकारी है क्योंकि इन ऋणों से विदेशी मुद्रा में सहायता उपलब्ध होने के अलावा देश में बचतों की रकम जुटाने में भी मदद मिलती है।

विवरण

विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय संघ द्वारा 1–4–1973 से 31–3–1977 तक कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए दिए गए ऋणों/कर्जों में से दी गई रकमों का विवरण

(लाख डालर)

क्रम स०	परियोजना का नाम	ब्याज की दर	ऋण की अवधि		1-4-73 से 31-3-77 की अवधि के दौरान उपयोग की गई रकम	क्षेत्र
1	2	3	4		5	6
अन्तराष्ट्रीय विकास संघ						
1.	कदाना सिंचाई परियोजना†††	$\frac{3}{4}$ प्रतिशत	50 वर्ष	233.0	23.30	गुजरात
2.	गुजरात कृषि ऋण परियोजना	,,	,,	82.3	8.23	गुजरात

1	2	3	4	5	6
3.	पंजाब कृषि ऋण परियोजना	†††$\frac{3}{4}$ प्रतिशत	50 बर्ष	194.3	19.43	पंजाब
4.	आंध्र प्रदेश कृषि ऋण परियोजना	,,	,,	120.8	12.081	आंध्र प्रदेश
5.	हरियाणा कृषि ऋण परियोजना	,,	,,	204.9	20.49	हरियाणा
6.	तमिलनाडु कृषि ऋण परियोजना	,,	,,	250.6	25.06	तमिलनाडु
7.	कोचीन उर्वक परियोजना	,,	,,	181.4	18.14	—
8.	गेहूं भण्डारण	,,	,,	12.6	1.26	उ०प्र०, पंजाब
9.	पोचाम्पद सिचाई परियोजना	,,	,,	247.9	24.79	आंध्र प्रदेश
10.	मैसूर कृषि ऋण परियोजना	,,	,,	346.8	34.68	मैसूर
11.	गोरखपुर उर्वक परियोजना	,,	,,	93.7	9.37	—
12.	महाराष्ट्र कृषि परियोजना	,,	,,	253.9	25.39	महाराष्ट्र
13.	बिहार कृषि विपणन परियोजना	,,	,,	27.4	2.74	बिहार
14.	नंगल उर्वक परियोजना	,,	,,	580.0	58.00	—
15.	मैसूर कृषि थोक बाजार	,,	,,	6.8	0.68	कर्नाटक
16.	मध्य प्रदेश कृषि परियोजना	,,	,,	330.0	33.00	मध्य प्रदेश
17.	उ० प्र० कृषि ऋण परियोजना	,,	,,	245.1	24.51	उ० प्र०
18.	बिहार कृषि ऋण परियोजना	,,	,,	134.7	13.47	बिहार
19.	हिमाचल प्रदेश सेव परियोजना	,,	,,	12.7	1.27	हिमाचल प्रदेश
20.	ट्राम्बे उर्वक संयंत्र संचालन सुधार कार्यक्रम परियोजना	,,	,,	253.7	25.37	—
21.	कर्नाटक डेयरी विकास परियोजना	,,	,,	1.9	0.19	कर्नाटक

†††अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा दिए गए ऋणों पर कोई ब्याज नहीं लगता है लेकिन 3/4 प्रतिशत की दर से सेवा प्रभार देना पड़ता है तथा रियायती अवधि 10 वर्ष है।

1	2	3	4	5	6
22.	राजस्थान नहर सिंचाई क्षेत्र परियोजना	¾ प्रतिशत	50 वर्ष 248.5	24.85	राजस्थान
23.	मध्य प्रदेश डेयरी विकास	,,	, 2.9	0.29	मध्य प्रदेश
24.	राजस्थान डेरी विकास परियोजना	,,	,, 2.7	0.27	राजस्थान
25.	सिंदरी उरर्वक परियोजना	,,	,, 535.1	53.51	—
26.	सूखे की आशंका वाले क्षेत्रों के लिए परियोजना	,,	,, 47.6	4.76	आंध्र प्रदेश कर्नाटक राजस्थान महाराष्ट्र
27.	गोदावरी बराज	,,	,, 99.4	9.94	आंध्र प्रदेश
28.	कृषि पुनर्वित तथा विकास निगम	,,	,, 373.8	37.38	अखिल भारतीय
29.	पश्चिमी बंगाल कृषि विकास परियोजना	,,	,, 20.5	2.051	पश्चिम बंगाल
30.	चम्बल सिंचाई क्षेत्र विकास	,,	,, 25.1	2.51	मध्य प्रदेश
31.	ग्रामीण विद्युतीकरण	,,	,, 10.6	1.06	अखिल भारतीय
32.	उरर्वक उद्योग	,,	,, 70.0	7.00	—
	(क) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋणों का जोड़ :			5240.7	524.07

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक (विश्व बैंक परियोजना)

33.	तराई बीज परियोजना	$6\frac{1}{2}\%$	30 वर्ष	61.5	9.15
34.	चम्बल सिंचाई क्षेत्र परियोजना	$7\frac{1}{4}\%$	25 वर्ष	101.1	10.11
	(ख) जोड़ विश्व बैंक ऋण :			162.6	16.26
	कुल जोड़ (क) + (ख) =			5403.3	540.33

सार्वजनिक क्षेत्र में होटल परियोजनाएं

4431. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित करने के लिए सरकार ने वर्ष 1977–78 में कितनी होटल परियोजनाएं मंजूर की हैं ; और

(ख) प्रत्येक परियोजना पर कितनी राशि खर्च होगी और उनके पूरा होने के लिए क्या तिथि निर्धारित की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख). भारत पर्यटन विकास निगम की, जो कि एक सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यम है, वर्ष 1977–78 की संशोधित वार्षिक योजना में तीन आवास परियोजनाओं की व्यवस्था सम्मिलित है जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)	पूरा होने की नियत तिथि
1. 50 कमरों का एक नया ब्लाक जोड़ कर नई दिल्ली स्थित कुतब होटल का वस्तार	70.00	नवम्बर, 1977
2. 26 डबल कमरे, 2 सूट, एक रेस्टोरेंट तथा एक सम्मेलन कक्ष जोड़ कर भुवनेश्वर स्थित यात्री लां का विस्तार	40.00	दिसम्बर, 1977
3. जयपुर में स्वागत केन्द्र व होटल	96.00	प्रथम चरण, जिसमें स्वागत केन्द्र सम्मिलित है, 1977–78 के दौरान तथा दूसरा चरण, जिसमें 44 कमरों का एक नया ब्लाक सम्मिलित है, मार्च, 1977 तक।

जीवन बीमा निगम और सामान्य बीमा निगम में कथित भ्रष्टाचार

4432. **श्री शंकर सिंहजी वाघला** : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 मई, 1977 के 'ब्लिटज' में 'एल० आई० सी० एण्ड जी० आई० सी० इन्श्योरेंस आफ कराप्सन' शीर्षक के समाचार की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या जीवन बीमा निगम और सामान्य बीमा निगम के कार्यकरण के बारे में किसी जांच का आदेश दिया गया है अथवा देने का प्रस्ताव है ; और

(ग) इन दो संगठनों में कांग्रेस का वित्त पोषण करने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) उक्त लेख में राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनियों द्वारा की गई अंडरराइकिंग और वित्तीय अनियमितताओं के बारे में कई आरोप लगाए गए हैं। मुख्य आरोपों का सारांश नीचे दिया गया हैं:—

साधारण बीमा निगम और इसकी सहायक कम्पनियां

(i) 1971 के चुनावों की तरह हाल ही में चुनावों में, साधारण बीमा कम्पनियों ने कांग्रेस पार्टी को उसके चुनाव अभियान में बड़ी संख्या में जीपों की सप्लाई करने में सहायता की है (जब कांग्रेस को किराया-खरीद अथवा बैंक गारन्टी पालिसियों पर विभिन्न स्रोतों से 1500 से अधिक जीपें सप्लाई कराई गई) इन कम्पनियों ने जीपों का, उपयुक्त गारन्टी के बिना उदारता से बीमा किया।

(ii) "जीपों का बीमा प्रीमियमों का नकद भुगतान करने के लिए किया गया और सभी सिद्धान्तों और विनियमों का उल्लंघन करते हुए, ऐसे प्रीमियमों की रसीद के बिना कवर नोट भी जारी किए गए"। न्यू इन्डिया एश्योरेंश कम्पनी लिमिटेड ने (जो भारतीय साधारण बीमा निगम की सहायक कम्पनी है) 320 जीपों का बीमा किया था जिनके बारे में यह पता नहीं कि "उनको प्रीमियम दिया गया है या नहीं"। इनमें से 170 जीपों के बीमे के प्रीमियमों का भुगतान एक ही चैक से किया गया था और शेष 150 जीपों का बीमा कम्पनी के एक ही यूनिट (मोती महल यूनिट) में किया गया था।

(iii) साधारण बीमा निगम ने कोल्हापुर की मैसर्स न्यू महालक्ष्मी फाईनेंस कम्पनी को, जिसमें महाराष्ट्र के एक बड़े राजनितिज्ञ का लड़का भागीदार हैं, 15 लाख रुपए की गारन्टी दी थी।

(iv) न्यू इण्डिया ने जय भारत इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन और मोटर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी को 25 लाख रुपए की सहायता दी। न्यू इण्डिया का अध्यक्ष इन दोनों कम्पनियों का भी अध्यक्ष हैं।

जीवन बीमा निगम

(v) जीवन बीमा निगम द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण को एक प्लाट खरीदने के लिए मिल्कियत के दस्तावेज की जांच पड़ताल किए बिना ही 46 लाख रुपए की अदायगी कर दी गई। जिस भूमि को जीवन बीमा निगम के हाथ बेचने का विचार था वह दिल्ली विकास प्राधिकरण की थी ही नहीं।

(vi) जीवन बीमा निगम ने, अपने बोर्ड के अनुमोदन के बिना दिल्ली विकास प्राधिकरण के बोर्डों में 2 करोड़ रुपए की रकम लगाई।

(vii) जीवन बीमा निगम ने श्री संजय गांधी को खुश करने के लिए मैसर्स मोहन मीकन ब्रूवरीज लिमिटेड के 25 लाख रुपए के शेयर खरीदे

(viii) जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष ने बैंक आफ इण्डिया द्वारा उनके दामाद विलास देशमुख के खिलाफ की जा रही कार्यवाई को रोक देने के बदले में उस बैंक में 25 करोड रुपए की पूंजी लगाई।

2. **आरोप संख्या (i)** : साधारण बीमा निगम द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार सामान्य कारबार के दौरान बीमा कम्पनियों द्वारा किराया-खरीद वित्त कंपनियों को बैंक गारंटियां जारी की जाती हैं और इन कंपनियों नें चुनाव के समय बैंक की सुविधाएं प्राप्त करने के लिए ऋणों के संबंध में कोई कवरनोट नहीं जारी किया।

3. **आरोप संख्या (ii)** : कानून के अंतर्गत, जोखिम केवल प्रीमियम की अदायगी (नकद अथवा चैक आदि से) या बीमाशुदा द्वारा प्रीमियम की बैंक गारंटी के बाद ही उठाई जा सकती है। सभी जीपों का बीमा इन्हीं उपबंधों के अंतर्गत किया गया था और किसी सिद्धान्त का उल्लंघन नहीं किया गया।

मैसर्स महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेड ने, जो न्यू इंडिया के पुराने ग्राहक हैं, 1977 की पहली तिमाही में अपनी 168 जीपों का शत प्रतिशत बीमा उसी कंपनी से करवाया और जीपों के विभिन्न समूहों के अनुसार अलग-अलग रकमों के 8 चैकों द्वारा बीमे के प्रीमियमों के रूप में 2,62,000 रुपये की अन्तरिम अदायगी की। इस कंपनी के मोती महल यूनिट ने जनवरी–फरवरी, 1977 के महीनों में किसी जीप का बीमा नहीं किया।

4. **आरोप संख्या (iii)** : साधारण बीमा निगम स्वयं कोई बैंक गारंटी पालिसी जारी नहीं करती और यह संकेत स्पष्ट रूप से न्यू इंडिया द्वारा किये गये बीमों की ओर है। यह पक्की बात है कि न्यू इंडिया ने न्यू महालक्ष्मी फाइनेंस कंपनी, कोल्हापुर नामक किसी भी कंपनी के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी है।

5. **आरोप संख्या (iv)** : न्यू इंडिया ने न तो जय भारत क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लि० को (जिसे लेख में जय भारत इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन कहा गया है) और न ही मोटर एण्ड जनरल फाइनेंस कंपनी लि० को (जिसे लेख में मोटर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी कहा गया है) सहायता के मामले में कोई तरजीह दी है। ऐसा पता चला है कि उक्त दोनों कंपनियों ने चुनावों के दौरान किसी

जीप के लिए धन नहीं दिया। इसके अलावा इस बात में भी कोई सच्चाई नहीं कि न्यू इंडिया के अध्यक्ष इसमें से किसी भी कंपनी के अध्यक्ष हैं।

6. **आरोप संख्या** (v) : कुछ वर्षों से जीवन बीमा निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण के बीच दिल्ली में सार्वजनिक आवास योजना के लिए जीवन बीमा निगम को जमीन अलाट किये जाने के संबंध में बातचीत चल रही थी। अतः 14 मई, 1976 को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पापड़गंज में 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 40 हैक्टयर जमीन देने का प्रस्ताव रखा और अनुरोध किया कि निगम 48 लाख रुपया दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास जमा करवा दे "और उसके बाद जमीन का कब्जा मौके पर दे दिया जायेगा।" जीवन बीमा निगम ने इस प्रस्ताव पर इस विचार से गौर किया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण को इस जमीन का स्पष्ट संपूर्ण और बेचने का अधिकार है और इस प्रकार निगम ने 12 अगस्त, 1976 को 38 हैक्टयर जमीन की लागत का 46 लाख रुपये का एक चैक दिल्ली विकास प्राधिकरण को दे दिया (बाकी 2 हैक्टयर जमीन दिल्ली विकास प्राधिकरण ने होटल के लिए अपने पास रख ली थी)। बाद में 9 मार्च, 1977 को दिल्ली विकास प्राधिकरण से एक टेलेक्स संदेश से और उसके बाद उसके साथ बातचीत से जीवन बीमा निगम को यह पता चला कि उस समय तक दिल्ली विकास प्राधिकरण को उक्त जमीन की मिलकियत का हक नहीं मिला था। ऐसे हालात में, जीवन बीमा निगम ने 46 लाख रुपये वापस मांग लिये।

7. **आरोप संख्या** (vi) : यह आरोप ठीक नहीं है; जीवन बीमा निगम ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के बांडों में कोई धन नहीं लगाया। जीवन बीमा निगम ने सरकार से प्राप्त आवंटन के अनुसार मार्च, 1977 में दिल्ली विकास प्राधिकरण को 2.50 करोड़ रुपये के कुल ऋण दिये थे। ये ऋण जीवन बीमा निगम की निवेश समिति की सिफारिशों पर दिये गये थे और इनकी गारंटी केन्द्रीय सरकार ने दी थी।

8. **आरोप संख्या** (vii): यह आरोप गलत है। जीवन बीमा निगम ने 1974 से मैसर्स मोहन मीकन ब्रूवरीज लि० के कोई शेयर नहीं खरीदे। जीवन बीमा निगम ने शेयरों के एक दलाल की मार्फत 9.90 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से आखिरी बार इस कंपनी के 500 शेयर 29 जून, 1974 को खरीदे थे।

9. **आरोप संख्या** (viii): जीवन बीमा निगम ने बैंक आफ इंडिया के 'मांग और सहभागिता पत्रों' में पूंजी लगाने की अपनी सामान्य कार्य विधि के अनुसार धन लगाया था। जीवन बीमा निगम ने नियमित सारणियों के माध्यम से जो धन लगाना होता है वह सभी बड़े बैंकों में मांग और नोटिस जमा के रूप में (14 दिनों से अधिक नहीं) अथवा सहभागिता पत्रों के रूप में रखा रहता है। बैंकों में इस प्रकार रखी जाने वाली रकम का निश्चय बैंकों की आवश्यकताओं को देखते हुए किया जाता है और इस मामले में किसी बैंक को तरजीह नहीं दी जाती है। (12 मई, 1977 को मांग और नोटिस जमा तथा सहभागिता पत्रों के रूप में सब से अधिक रकम बैंक आफ इंडिया, इंडियन बैंक और युनाईटेड कर्माशियल बैंक में लगी थी जो क्रमशः 28.51 करोड़ रुपये, 22.67 करोड़ रुपये और 18.46 करोड़ रुपये थी)।

(ग) प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में स्पष्ट की गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई कारण नहीं है।

उड़ीसा में राष्ट्रीयकृत बैंकों में भर्ती किए गए व्यक्ति

4433. **श्री डी० अमात** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में राष्ट्रीयकृत बैंकों में विभिन्न संवर्गों में ऐसे कितने व्यक्तियों की भर्ती की गई जो अनुसूचित जाति के हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अधिकारी संवर्ग की भर्ती प्राय: अखिल भारतीय आधार पर की जाती है । इसलिए उड़ीसा राज्य से सम्बन्धित सूचना अलग से उपलब्ध नहीं है। भारतीय स्टेट बैंक और 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों में लिपिकीय और अधीनस्थ संवर्गों से संबंधित सूचना जैसी बैंकों द्वारा भेजी गयी है, संलग्न विवरण में दे दी गयी है ।

विवरण

उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वर्ष 1974–75 और 1976 के दौरान क्लर्कों और अधीनस्थ कर्मचारियों की श्रेणियों और उनमें भर्ती किये गये अनुसूचित जाति के कुल व्यक्तियों की संख्या प्रदर्शित करने वाला विवरण

बैंक का नाम	1974				1975				1976			
	कुल		अनु० जाति		कुल		अनु० जाति		कुल		अनु० जाति	
	क्लर्क	अधी० कर्मचारी	क्लर्क	अधी० कर्मचारी	क्लर्क	अधी० कर्मचारी	क्लर्क	अधी० कर्मचारी	क्लर्क	अधी० कर्मचारी	क्लर्क	अधी० कर्मचारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
भारतीय स्टेट बैंक*	148	41	—	—	122	17	2	11	90	5	75	3
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	19	2	5	—	8	6	—	4	13	—	1	—
बैंक आफ इंडिया	28	10	1	2	13	2	—	—	6	2	—	2
पंजाब नेशनल बैंक	4	—	—	—	20	2	6	2	8	4	—	—
बैंक आफ बड़ौदा	1	—	1	—	—	—	—	—	5	1	2	—
युनाइटेड कमर्शियल बैंक	53	10	—	—	22	57	11	2	9	9	3	—
केनरा बैंक	4	6	3	2	16	1	—	—	7	6	—	3
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	6	10	—	—	26	12	5	1	64	53	7	6
देना बैंक	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
सिंडीकेट बैंक	4	3	—	—	9	2	—	—	22	5	5	4
यूनियन बैंक आफ इंडिया	—	5	—	—	5	—	—	—	20	4	—	1
इलाहाबाद बैंक	3	6	—	3	8	1	3	—	37	16	13	5
इंडियन बैंक	20	7	—	3	20	6	10	3	31	10	8	3
इंडियन ओवरसीज बैंक	14	3	2	1	22	—	2	—	31	9	6	2

*भारतीय स्टेट बैंक के आंकड़ों में अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवार भी शामिल हैं।

Central Assistance for Implementation of Development Schemes

4434. **Shri Ugrasen** : Will the **Minister of Finance and Revenue and Banking** be pleased to state; the details of the Central assistance given for the implementation of the development schemes under agriculture, irrigation. power, industries and roads in each of the fourteen Districts of Eastern Uttar Pradesh from 1972 upto 1975?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H. M. Patel): Normal Central assistance for the State Plan is given in the form of block loans and grants. As such, break up of assistance under different heads of development and district-wise cannot be given.

फिल्मों पर उत्पादन शुल्क

4435. **श्री जनार्दन पुजारी :**

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि 2.50 करोड़ रुपयों की लागत से तैयार की गई लगभग 60 फीचर फिल्मों पर नये कर से तुरन्त बुरा प्रभाव पड़ने की सम्भावना है जिससे फिल्म उद्योग को भारी धक्का लगेगा; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार फिल्मों पर लगाये गये कर को समाप्त करने का विचार कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) सरकार को इस तथ्य की जानकारी थी कि वित्त (सं० 2) विधेयक, 1977 के जरिये कथा-चित्रों पर लगाये गये नये मूल्यानुसार शुल्क का उन पर शुल्क-भार में वृद्धि के रूप में तत्काल प्रभाव पड़ेगा। लेकिन, प्रश्न में दिये गये आंकड़ों की पुष्टि नहीं की जा सकती।

(ख) मूल बजट प्रस्तावों में परिवर्तन किया जाना है, जैसा कि 15 जुलाई, 1977 को मेरे भाषण में सदन को पहले ही बता दिया गया है। फिल्मों पर लगाये गये नये संशोधित शुल्क को हटाने का सरकार का विचार नहीं है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के अध्ययन के लिये विदेशी दौरे

4436. **श्री दुर्गा चंद** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अध्ययन प्रयोजनों के लिये केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी विदेशों को जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है जिसके अन्तर्गत विदेशों में अध्ययन किया जाता है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार इन सुविधाओं का लाभ उठाने वाले प्रत्येक विभाग के, वर्गवार और देशवार, कितने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग). आम तौर पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी विदेशों में शैक्षिक किस्म के अध्ययन के लिए नहीं जाते, परन्तु उन्हें विदेशों में ऐसे प्रशिक्षण, अध्ययन-व-प्रेक्षण दौरों, गोष्ठियों, सम्मेलनों आदि के लिए भेजा जाता है, जिनकी आवश्यकता विशिष्ट परियोजनाओं के कार्यान्वियन अथवा संबंधित संगठन की कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए होती है। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधित परियोजनाओं की कुल लागत के अन्तर्गत ही बनाये जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के साथ काम करने वाले केवल एक अखिल भारतीय सेवा अधिकारी को 1975–76 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका के हावर्ड विश्वविद्यालय में आर्थिक विकास में एडवर्ड "एस" मेसन कार्यक्रम के अन्तर्गत शैक्षिक प्रकार के अध्ययन के लिए भेजा गया था।

1977 के लोक सभा चुनावों के दौरान कांग्रेस पार्टी के कोष को भरने के लिए जीवन बीमा निगम तथा ग्राम बीमा निगम द्वारा भारी राशि की मंजूरी दिया जाना

4437. **श्री अनन्त दवे** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय ग्राम बीमा निगम ने 1977 के लोक सभा चुनावों के दौरान कांग्रेस पार्टी के कोष को भरने के लिए भारी राशि की मंजूरी दी थी; और

(ख) क्या सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय ग्राम बीमा निगम के कार्यकरण की जांच कराने का आदेश दिया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) वर्ष 1977 के लोक सभा के चुनावों के दौरान जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम अथवा उसकी किसी भी सहायक कम्पनी द्वारा कांग्रेस पार्टी के लिए कोई ऋण मंजूर नहीं किया गया था।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

Tourist Guide Training Course

4438. **Shri Satya Deo Singh** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether serious irregularities have been committed in the matter of Tourist Guide Training Course, which was started during the emergency for unemployed young persons;

(b) whether any investigation has been conducted by C.B.I. in this regard; and

(c) if so, the result thereof and the immediate action being taken by Government in the matter ?

Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik): (a) to (c). Courses to train tourist guides are held regularly by the field offices of the Department of Tourism, as and when required. On the basis of allegations made that certain irregularities were committed in the holding of one such course at Varanasi, C.B.I. is making a preliminary investigation.

भारतीय विमान नियम

4439. **श्री ग्रहसान जाफरी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी विमान में विमान चालक की बगल में सह-चालक के स्थान पर बिना वैध लाइसेंस के किसी व्यक्ति के बैठने से भारतीय विमान नियमावली के किसी नियम का उल्लंघन होता है ; और

(ख) क्या सिविल विमानन का महानिदेशक उड़ान के दौरान बिना वैध लाइसेंन्स और अधिकार के किसी व्यक्ति के विमान चालक/सहचालक के स्थान पर बैठने पर उस व्यक्ति के विरुद्ध और ऐसी उड़ानों के कमाण्डरों के विरुद्ध कार्यवाही करता है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी हां, यदि विमान के परिचालन के लिए कम से कम दो विमान चालकों की आवश्यकता होती है ।

(ख) यदि ऐसा कोई मामला नागर विमानन के महानिदेशक की जानकारी में आता है तो वह उस पर नियमानुसार यथोचित कार्यवाही करेगा ।

बिहार में पर्यटन स्थलों का विकास करने पर व्यय

4440. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार की राज्य सरकार ने वर्ष 1976—77 के लिए अधिक संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राज्य में पर्यटन स्थलों का और विकास करने के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता की मांग की है ; और

(ख) केन्द्र ने कुल कितनी धनराशि दी है और वस्तुतः कितनी खर्च की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) बिहार राज्य में और अधिक पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिये पर्यटन केन्द्रों का और विकास करने के लिये 1976 —77 के लिये केन्द्रीय सहायता के बारे में बिहार सरकार से कोई मांग नहीं प्राप्त हुई थी ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Finance Minister's visit to Foreign Countries

4441. **Shri Mani Ram Bagri** : Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state:

(a) the names of the countries visited by him from March, 1977 to June, 1977;

(b) the matters he had discussed with the high functionaries of those countries;

(c) the expenditure incurred on those visits, separately; and

(d) the gains achieved as a result thereof?

The Minister of Finance, Revenue and Banking (Shri H. M. Patel): (a), (b) & (d). I visited Washington *via* London in the last week of April, 1977 to participate in the meetings of the Group of 24 Ministers, the Joint Fund-Bank Development Committee and the Interim Committee of the Board of Governors of the IMF. These Committees, *inter alia*, address themselves to the question of international liquidity and the general question of transfer of real resources to developing countries. During my stay in Washington I also met the President of the World Bank, Managing Director of the International Monetary Fund, the U.S. Secretaries of Treasury and State, and the Finance Ministers of the U.K., Federal Republic of Germany, France and Canada to discuss general matters of common interest.

(c) Expenditure incurred on my visit amounts to Rs. 28,051.

हथकरघा वस्त्र के निर्यात में वृद्धि

4442. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों के दौरान हथकरघा वस्त्र निर्यात बढ़ा है ;

(ख) यदि निर्यात में वृद्धि के बारे में कोई दिशावार विश्लेषण किया गया है तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) इस विश्लेषण के निष्कर्षों के अनुसार निर्यात में तेजी लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या हमारा माल मंगाने वाले देशों की रुचि और डिजाइन की पसंद को पूरी करने के लिये हथकरघा उद्योग के कुछ क्षेत्र कार्य कर रहे हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किये गये विशेष प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां ।

(ख) हथकरघा उत्पादों के निर्यातों की समीक्षा समय समय पर हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद् करती है । जनवरी से मई, 1977 तक के अनन्तिम निर्यात आंकड़ों के आधार पर किये गये विश्लेषण से प्रकट होता है कि सं० रा० अमरीका को तौलियों तथा तकियों के गिलाफों, मलयेशिया, सिंगापुर को लुंगियों, ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी, मलयेशिया, सिंगापुर, सं०रा० अमरीका को शहतूती रेशम के माल तथा पश्चिम जर्मनी, सं० रा० अमरीका और ब्रिटेन को टसर रेशम के माल के निर्यातों में वृद्धि हुई है ।

(ग) से (ङ). विगत कुछ वर्षों के दौरान निर्यात की मात्रा में हुई वृद्धि से पता चलता है कि इस उद्योग में हथकरघा माल का आयात करने वाले देशों की रुचि एवं डिजाइन की पंसद को पूरा करने की क्षमता है । उद्योग को केन्द्रीय योजना के अधीन बढ़ी हुई व्यवस्थाओं द्वारा सुदृढ़ एवं पुनर्जीवित किया जा रहा है । सरकार ने विदेशी उपभोक्ताओं की रुचियों के अनुसार अपने उत्पादन को अनुकूल बनाने के लिये तैयार की गई अनेक निर्यात उत्पादन परियोजनाएं स्वीकृत की हैं ताकि वे निर्यात योग्य बढ़िया किस्में पैदा कर सकें । इन परियोजनाओं के अतिरिक्त हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद नये बाजारों की खोज तथा वर्तमान बाजारों में नई किस्में प्रस्तुत करने के लिये बिक्री-सह-अध्ययन दल प्रायोजित कर रहा है । हम हथकरघा माल के निर्यात को बढ़ाने के लिये विदेशी व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भी भाग ले रहे हैं ।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया के कर्मचारियों का एक से अधिक बचत तथा ऋण सहकारी समितियों का सदस्य बनना

4443. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया, दिल्ली मुख्यालय के बहुत से कर्मचारी वेतन भोगी कर्मचारियों को एक से अधिक बचत तथा ऋण सहकारी समितियों के सदस्य हैं ;

(ख) यदि हां, तो अधिनियम के उपबन्ध का उल्लघंन करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ;

(ग) क्या सरकार का इन समितियों का एक समिति में विलय करने और अपने कर्मचारियों से एक-समान किस्त को कटौती करने के लिए स्टेट बैंक आफ इंडिया को सलाह देने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उन कर्मचारियों के परिवारों की कठिनाइयों को कम करने के लिए सरकार का क्या वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार है, जो अपने वेतन से कटौती हो जाने के कारण वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि कर्मचारियों के वर्तिलेख से यह पता चलता है कि मुख्य शाखा और नई दिल्ली स्थानीय मुख्य कार्यालय में काम कर रहे 2,230 कर्मचारियों में से लगभग 403 इस प्रकार की एक से अधिक समितियों के सदस्य हैं ।

(ख) बैंक ने अब यह बात पंजीयक, सहकारी समितियां, दिल्ली जिसके क्षेत्राधिकार में ये समितियां काम करती हैं, के ध्यान में ला दी है ।

(ग) स्टेट बैंक का अपने कर्मचारियों की सहकारी समितियों पर कोई नियंत्रण नहीं है । यह सदस्यों के लिए है कि वे अपनी-अपनी समितियों के स्वेच्छा से विलय के बारे में विचार करें ।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर्मचारियों की वेतन राशि में बहुत अधिक कमी न हो, स्टेट बैंक ने अनुदेश जारी किये हैं कि कर्मचारी के वेतन से की जाने वाली कुछ कटौतियां उसके कुल वेतन के 25 प्रतिशत से अधिक न हों ।

विघटन से पूर्व राज्य सरकारों द्वारा दी गई राहत

4444. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार महीनों में राज्य सरकारों द्वारा इनके विघटन से पूर्व कितनी राहत दी गई थी ;

(ख) राहत का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि दी गई थी; और

(ग) इस मामले पर केन्द्र ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) राज्य सरकारों द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, चालू वर्ष के लिए राज्य आयोजनाओं को अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात् विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा घोषित कर संबंधी रियायतों, कर्मचारियों को राहत तथा अन्य वित्तीय वचन बद्धताओं के कारण 1977–78 में संसाधनों में लगभग 400 करोड़ रुपये से ऊपर क्षय होने का अनुमान है जिसमें से अकेले नौ राज्य में ही जहां 30 अप्रैल, 1977 को विधान सभाएं भंग की गई थीं लगभग 326 करोड़ रुपये का क्षय हुआ ।

(ख) एक विवरण पत्र सभा-पटल पर रख दिया गया है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०--798/77]

(ग) केन्द्रीय सरकार को संसाधनों के इस क्षय के बारे में गम्भीर चिन्ता हुई है । इन राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि वे व्यय में अधिकतम किफायत करें और वार्षिक आयोजना 1977–78 को अन्तिम रूप देते समय की गई सभी वचन बद्धताओं को पूरा करने के लिए तत्परता से प्रयत्न करें ।

बंकिंगघम एण्ड कर्नाटक मिल्स, मद्रास द्वारा वित्तीय सहायता का अनुरोध

4445. **श्रीमती वी० जयलक्ष्मी** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंकिंगघम एण्ड कर्नाटक मिल्स, मद्रास ने सरकार को वित्तीय सहायता देने को कहा है और यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता मांगी गई है ; और

(ख) क्या सरकार निकट भविष्य में इसको रुग्ण मिल के रूप में अपने नियंत्रण में ले लेगी ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) नवम्बर, 1976 में अभूतपूर्व वर्षा के कारण बिन्नी एण्ड कं० के प्रबन्ध के अधीन बंकिंगघम एण्ड कर्नाटक मिल्स मद्रास में विस्तृत क्षति हुई जिसके फलस्वरूप मिल बन्द हो गई । मिल को फिर चालू करने के लिये 5 करोड़ रु० की भारी वित्तीय सहायता के लिये सरकार से अनुरोध किया गया था ।

क्योंकि यह राहत सहायता, बैंकिंग व्यवस्था से शीघ्र सुलभ नहीं थी, अतः 4 करोड़ रु० तक की आवश्यकता निम्नलिखित तरीके से पूरी की गई :

(1) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के विकास सहायता कोष में से तीन करोड़ रु० का तीन वर्षीय ऋण ।

(2) भारतीय स्टेट बैंक से एक करोड़ रु० का तीन वर्षीय ऋण ;

(3) दोनों ऋण केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की गारन्टी पर दिये गये थे ।

इस वित्तीय सहायता के सन्दर्भ में बिन्नी एण्ड कं० के प्रबन्ध में काफी पुनर्गठन किया गया है और उसमें ऋणदाता वित्तीय संस्थाओं, केन्द्रीय सरकार और तामिलनाडु सरकार के प्रतिनिधि शामिल किये गये हैं । तामिलनाडु सरकार का आफिसर कम्पनी का प्रबन्ध संचालक नियुक्त किया गया है । मिल 20-2-77 को पुनः खुल गई ।

(ख) मिल को सरकारी प्रबन्ध में लेने का कोई विचार नहीं है ।

Bank Deposits of Indian Nationals living abroad

4446. **Shri Meetha Lal Patel** : Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state:

(a) whether Government have collected information in regard to the bank deposits of Indian nationals living abroad; and

(b) if so, the amount of deposits, country-wise and at what rate of interest and whether Government of India also check them from time to time?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (**Shri H. M. Patel**) : (a) & (b). The Bank deposits of Indian nationals living abroad fall into four categories which are mentioned below. The amount of deposits in these accounts is also shown against each except in the case of ordinary non-resident accounts as infromation pertaining to the same is not available with the Reserve Bank of India.

Description of Account	Amount of deposit	As on date
(1) Non-Resident (External) Rupee Accounts	Rs. 200·15 crores.	End of May 1977.
(2) Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (in sterling)	£ 11,444,000	End of Feb. 1977.
(3) Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (in dollars)	$ 53 815,000	End of Feb. 1977.
(4) Ordinary Non-Resident Accounts	N.A.	

It will not be in the public interest to disclose country-wise break-up of these accounts.

The rates of interest on deposits are as under:

(1) Foreign Currency (Non-Resident) Accounts

	Period	Interest
(a)	For deposits for 91 days and above but less than six months	5·5 per cent per annum
(b)	For deposits for six months and above but less than nine months	6·0 ,, ,,
(c)	For deposits for nine months and above but less than one year .	7·0 ,, ,,
(d)	For deposits for one year and above but less than three years .	8·0 ,, ,,
(e)	For deposits for three years and above but upto and inclusive of five years	9·0 ,, ,,
(f)	For deposits for five years and one month	10·0 ,, ,,

(2) Non-Resident (External) Rupee Accounts and ordinary Non-Resident Accounts

	Period	Interest
(a)	For deposits for 15 days to 45 days and for deposits subject to withdrawal or repayment by notice for a period not exceeding 45 days	3·0 per cent per annum
(b)	For deposits for 46 to 90 days and for deposits subject to withdrawal or repayment by notice for a period exceeding 90 days . .	3·5 ,, ,,
(c)	For deposits for 91 days and above but less than 6 months .	4·0 ,, ,,
(d)	For deposits for 6 months and above but less than 9 months .	4·5 ,, ,,
(e)	For deposits for 9 months and above but less than 1 year . .	5·0 ,, ,,
(f)	For deposits for 1 year and above but upto and inclusive of 3 years	6·0 ,, ,,
(g)	For deposits for 3 years and above but upto and inclusive of 5 years	8·0 ,, ,,
(h)	For deposits above 5 years	10·0 ,, ,,

The above mentioned accounts are scrutinised by the Reserve Bank of India during periodical inspections.

Persons on deputation in S.T.C. and M.M.T.C.

4447. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state:

(a) the names of the persons on deputation in State Trading Corporation and Minerals and Metals Trading Corporation and the names of the posts against which they are working there;

(b) the names of their parent departments along with their pay scales there;

(c) whether Government propose to fill the higher posts in the State Trading Corporation and Minerals and Metals Trading Corporation through Union Public Service Commission; and

(d) the time by which the persons on deputation there are proposed to be reverted to their parent departments ?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia): (a, b & d). A statement is enclosed [*See Placed in the Library* See No. LT. 799/77]. Some of the persons on deputation have the option also to get permanently absorbed in the Corporation concerned. If they are so absorbed, the question of reversion will not arise.

(c) Selections to top management posts in STC and MMTC are made on the recommendations of the Bureau of Public Enterprises/Public Enterprises Selection Board and to other posts by duly constituted Selection Committees in accordance with the Recruitment Rules framed by the Corporations.

Requirements of Vegetable Oils and Mustard Oil

4448. **Shri Jagdambi Prasad Yadav** : Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state:

(a) the requirements of the country in regard to vegetable oils and mustard oil and the actual production thereof during last year;

(b) whether the cause of shortage is due to less production or export of these items;

(c) the extent of production of these oils this year and whether this will be sufficient to meet our requirements or they will have to be imported; and

(d) the efforts being made to attain self-sufficiency in regard to these oils ?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) : (a) The requirement of vegetable oils, including mustard oil, for the oil year November 1975—October 1976 was estimated at about 32 lakh tonnes. The production was 29.44 lakh tonnes, of which **6.1 lakh** tonnes was accounted for by mustard oil.

(b) The shortage was due to shortfall in production of the oils.

(c) The estimated production of edible oils during the oil year November 1976—October 1977 has been placed around 23.6 lakh tonnes. The shortfall, including a major portion of inputs in the production of vanaspati, is being met by imports.

(d) Mid-term and short-term measures are being worked out to increase indigenous production of oilseeds.

राष्ट्रीयकृत बैंकों की उड़ीसा में शाखाएं

4449. **श्री गोविन्द मुंडा** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों की उड़ीसा में कितनी शाखाएं काम कर रही हैं और वे कहां-कहां पर हैं ;

(ख) उनके द्वारा ऋण संबंधी किस प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं ; और

(ग) कितने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को इन बैंकों से अभी तक ऋण सुविधाएं तथा अन्य सहायता दी गई है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) अप्रैल, 1970 के अन्त की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 422 शाखाएं थीं जिसमें से 219 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित थीं, 120 अर्धशहरी क्षेत्रों में स्थित थीं, 79 शहरी क्षेत्रों में स्थित थीं और 4 शाखाएं पत्तन नगरों में स्थित थीं ।

(ख) सरकारी क्षेत्रों के बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंक कृषि, उद्योग और व्यापार आदि जैसे उत्पादक क्षेत्रों की ऋण आवश्यकतायें पूरी करते हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखायें, विशेष रुप से, कृषि और संबंधित गतिधियों, छोटे पैमाने के उद्योगों, छोटे सड़क और जल यातायात, खुदरा व्यापार, और छोटे व्यापारी तथा व्यावसायिक एवं स्वयंनियोजित व्यक्तियों जैसे उपेक्षित क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती हैं।

(ग) बैंक अपनी ऋण-राशियों के विषय में जातिवार वर्गीकृत आंकड़े नहीं रखते।

कृषि के लिए ब्याज की दर में रियायत

4450. **श्री बालासहिब विखे पाटिल: क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषकों के लिये ब्याज की दर में रियायत देने पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या यह अल्पावधि ऋणों के बारे में है ; और

(ग) क्या बैंकों ने मध्यम अवधि वाले तथा 3 वर्ष की अवधि से अधिक अवधि वाले दीर्घाव ऋणों पर ब्याज की दर पहिले ही घटा दी है ; इस बारे में विशेष बातें क्या हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) और (ख). वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिमों पर ब्याज की दरे, भारतीय रिजर्व बैंक की न्यूनतम और अधिकतम दरों विषयक शर्तों के अधीन होती है। इस समय न्यूनतम ब्याज की दर 12.5 प्रतिशत है। बहरहाल, न्यूनतम ब्याज दर की शर्त एक विशेष सीमा तक कृषि सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये दिये गये अग्रिमों और सी०जी०सी०आफ इण्डिया लि० के अन्तर्गत आने वाले अग्रिमों पर लागू नहीं होती है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा, 5000 रुपये तक के ऋणों की जरूरत वाले छोटे और सीमान्तिक किसानों से अल्पावधि ऋणों सहित कृषि सम्बन्धी ऋणों पर 8.5 से 13 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जाता है।

(ग) दीर्घावधि पूंजी निवेश की आवश्यकता पर बल देने के विचार से भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से कहा है कि वे अपने द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में पूंजी निवेश के लिये 3 वर्ष से अधिक की अवधि के वास्ते दिये गये सावधिक ऋणों पर 12.5 प्रतिशत से अधिक ब्याज न लें। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह भी सलाह दी है कि वे विशेषकर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में ऋण लेने वाले ग्राहकों को उनकी अपनी जमाओं पर ब्याज लागत में हुई बचत का लाभ प्रदान करें।

स्टेनलैस स्टील की चादरों पर आयात शुल्क में कटौती का प्रस्ताव

4451. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्तनों के निर्माण एवं री-रोलिंग प्रयोजन के लिये प्रयुक्त होने वाली स्टेनलैस स्टील की चादरों पर हाल ही में सीमा शुल्क में जो कटौती की गई थी, उसका उपभोक्ताओं को कोई लाभ पहुंचेगा ;

(ख) यदि हां, तो कितना; और

(ग) क्या स्टेनलैस स्टील की चादरों पर शुल्क में कटौती के परिणामस्वरूप 1500 घरेलू एवं लघु एकक बन्द हो जायेंगे और अन्तिम रूप से उपभोक्ताओं पर प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग). स्टेनलैस स्टील की प्लेटों, चादरों और पट्टियों पर आयात शुल्क कम करने संबंधी बजट प्रस्तावों की घोषणा के बाद, सरकार को अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें स्टेनलैस स्टील री-रोलर्स उद्योग से प्राप्त कुछ अभ्यावेदन भी शामिल हैं। री-रोलर्स उद्योग के साथ-साथ स्टेनलैस-स्टील के उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए, स्टेनलैस-स्टील पर शुल्क की दर-संचरना में परिवर्तन किया गया है। शुल्क की रियायती दरें, दिनांक 15–7–77 की अधिसूचना सं० 152–सीमाशुल्क द्वारा अधिसूचित की गयी है।

शुल्क की ये रियायती दरें स्टेनलैस स्टील के आयात के विभिन्न प्रयोजनों से सम्बद्ध हैं तथा राहत की सीमा में आयातों के प्रयोजनों के अनुसार परिवर्तन होगा।

रिजर्व बैंक, बम्बई के भूतपूर्व कर्मचारियों को पेंशन

4452. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री रिजर्व बैंक, बम्बई के भूतपूर्व कर्मचारियों के बारे में दिनांक 1 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2367 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिजर्व बैंक के भूतपूर्व कर्मचारियों को पेन्शन देने के बारे में अभ्यावेदन कब से बैंक के विचाराधीन है ;

(ख) क्या बैंक ने अब निर्णय कर लिया है और यदि हां, तो क्या; और

(ग) यदि निर्णय नहीं किया गया है तो उस के क्या कारण हैं और अक्तूबर 1976 में दिये गये अभ्यावेदन पर बैंक कब तक निर्णय लेगा ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग). भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अक्तूबर, 1976 में उन कुछ भूतपूर्व कर्मचारियों से एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था, जिन्हें प्राथमिक रूप से 1935 में सरकारी सेवा से बैंक की सेवा में अन्तरित किया गया था और जो 1960 से पहले-पहले विभिन्न तारीखों को, बैंक की सेवा से निवृत्त हो चुके थे। इस प्रकार के कर्मचारियों के बारे में अपनायी जा रही कार्य प्रणाली के विषयों में रिजर्व बैंक द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण सरकार से मिलने शेष हैं।

फूलबनी, उड़ीसा में हवाई अड्डा

4453. **श्री श्री बाटचा डीगल :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फूलबनी, उडीसा में हवाई अड्डा बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रत्यक्ष कर विधियों को सरल एव युक्तिसंगत बनाने विषयक समिति

4454. **श्री सुरेन्द्र सिंह :**

श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :

क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच प्रत्यक्ष कर विधियों को सरल एव युक्तिसंगत बनाने के लिये इस विषय की जांच करने तथा कानूनी एंव प्रकाशनीय उपाय सुझाने के लिये विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कर्त्तव्यों एव कृत्यों सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसका प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किया जायेगा ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) समिति के निर्देश पद निम्न प्रकार से हैं:—

(i) समिति आय-कर, अतिकर, धनकर, दान-कर और सम्पदा शुल्क से सम्बन्धित कानूनों का सरलीकरण करने तथा उनको युक्तियुक्त बनाने के, और इन करों से सम्बन्धित कानूनों में, इस दृष्टि से परिवर्तन करने के लिये कि वे करदाताओं के लिये सहज ही बोधगम्य बन सकें, उपायों की सिफारिश करेगी ताकि मुकदमेबाजी कम हो और राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का हित साधन हो सके ;

(ii) समिति उक्त कानूनों के प्रशासन में सुधार करने तथा उन कानूनों के अन्तर्गत किये जा रहे कर-निर्धारण, अपीलीय तथा अन्य कार्यवाही को शीघ्रता से करने के उपाय सुझायेगी;

(iii) समिति आय-कर, अतिकर, धनकर तथा दान-कर से सम्बन्धित चार कानूनों को एक अधिनियम में समेकित करने के औचित्य की जांच करेगी ;

(iv) समिति संसद में प्रस्तुत किये जाने वाले विधेयकों का प्रारूप तैयार करेगी।

समिति को अपनी रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 1977 तक प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

डिब्रूगढ़ से सदिया तक हेलीकाप्टर सेवा आरम्भ करना

4455. **श्री के० बी० चेतरी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसम सरकार ने आसम के डिब्रूगढ़ जिले में सदिया में कोई हैलीपैड बनाया है ;

(ख) क्या उसका उपयोग किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार डिब्रूगढ़ से सदिया तक हेलीकाप्टर सेवा आरम्भ करने का हैं ?

पयटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख). असम सरकार से सूचना प्राप्त की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) इंडियन एयरलाइंस के विमान-बेड़े में कोई हेलीकाप्टर नहीं है । डिब्रूगढ़ और सदिया के बीच हेलीकाप्टर सेवा आरम्भ करने के लिये किसी भी प्राइवेट आपरेटर से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ?

Proposal to open new Textile Mills

4456. **Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether the National Textile Corporation propose to open three new textile mills and if so, the names of the areas where these mills will be opend and the capacity thereof; and

(b) whether the National Textile Corporation has suffered loss of about Rs. 36 crores during 1976-77 and if so, the efforts being made by Government to make good the loss and to make it profit earning?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) : (a) Towards the end of 1976, it was decided that the National Textile Corporation should set up three new export-oriented textile mills. One mill was proposed to be set up at Jagdishpur in District Sultanpur (Uttar Pradesh) and the second at Tirupathi (Andhra Pradesh). The location of the third mill was not decided. The National Textile Corporation was then asked to prepare feasibiltity/project reports. The matter is being reviewed.

(b) The National Textile Corporation has suffered a net loss of about Rs. 35·75 crores during 1976-77. Major part of the cash losses suffered by the National Textile Corporation mills has been reimbured in the shape of loans so as to ensure non-erosion of working capital requirements of these mills. Important steps taken to improve the working of these mills are as follows:—

(i) modernisation/renovation of the machinery;

(ii) rationalisation of surplus labour;

(iii) bulk procurement of raw material on centralised basis;

(iv) diversification in the pattern of production; and

(v) changes in the marketing strategy.

पश्चिम बंगाल में पटसन उद्योगों में कर्मचारियों की छंटनी

4457. **श्री समर मुखर्जी**: क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता हैं कि पश्चिम बंगाल में पटसन मिल मालिकों ने पटसन की कमी होने के तर्क पर फिर कर्मचारियों की छंटनी आरम्भ कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और मिलों को बन्द होने से रोकने लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख). पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, हाल में पश्चिम बंगाल में पटसन मिलों द्वारा किसी भी स्थायी अथवा विशेष बदली कर्मचारी की छंटनी किये जाने की खबर नहीं मिली है ।

दिल्ली में पांच स्टार वाले होटलों में भारतीयों की अधिकारिता

4458. **श्री किशोर लाल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिल्ली में पांच स्टार वाले होटलों में कमरे तथा "सूट" लेने वाले व्यक्तियों में विदेशियों की तुलना में भारतीयों की प्रतिशतता अधिक है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : वर्ष 1976 के दौरान दिल्ली में पांच स्टार वाले होटलों में कमरे/सूट लेने वाले भारतीयों की प्रतिशतता विदेशियों की 74.5 प्रतिशत की तुलना में 25.5 प्रतिशत थी ।

निर्यात के कारण लकड़ी के कोयले के मूल्य में वृद्धि

4459. **श्री बी० सी० काम्बले** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में लकड़ी के कोयले का निर्यात आरम्भ किया गया है ;

(ख) क्या लकड़ी के कोयले का निर्यात किये जाने के परिणामस्वरूप भारत में और विशेषकर बम्बई नगर में लकड़ी के कोयले के मूल्य में वृद्धि हुई है ;

(ग) क्या लकड़ी के कोयले का निर्यात किये जाने के परिणामस्वरूप बम्बई की लगभग 4000 कोयले की दुकानें बन्द होने की स्थिति में हैं ; और

(घ) सरकार का उपभोक्ताओं को विशेष रूप से और दुकानदारों को सामान्य रूप से राहत देने के बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) लकड़ी के कोयले का निर्यात सीमित आधार पर करने की कई वर्षों से अनुमति दी जाती रही है ।

(ख) से (घ). महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार बम्बई में लकड़ी के कोयले की कीमतें बढ़ गई हैं लेकिन ये निर्यात के कारण बढ़ी हों यह जरुरी नहीं है । कीमतों में वृद्धि के लिये बताये गये मुख्य कारण निम्नोक्त हैं :—

(क) लकड़ी के कोयले के उत्पादन में समग्र गिरावट;

(ख) बम्बई पत्तन ट्रस्ट द्वारा लकड़ी के कोयले के भंडारण के किराये में वृद्धि;

(ग) म्यूनिसिपल व्यापार लाइसेंस की फीस में वृद्धि ।

राशन-नियंत्रक, बम्बई द्वारा किये गये नमूना सर्वेक्षण से पता चला है कि लकड़ी के कोयले के निर्यात के कारण किसी भी विक्रेता को अपनी दुकान बंद नहीं करनी पड़ी है । कमी की शिकायतों का परिहार करने के लिये राज्य सरकार की सिफारिशों पर महाराष्ट्र से लकड़ी के कोयले का निर्यात बंद कर दिया गया है ।

महंगाई भत्ते के बारे में आल इंडिया स्टेट बैंक आफिसर्स फेडरेशन द्वारा ज्ञापन

4460. **श्री के० टी० कोशल राम :** क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को महंगाई भत्ते के बारे में आल इंडिया स्टेट बैंक आफिसर्स फैडरेशन से मई, 1977 में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो क्या सरकार ने स्टेट बैंक के अधिकारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के बारे में कोई कार्यवाही की है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : स्टेट बैंक के अधिकारियों को महंगाई भत्ता दिये जाने के बारे में सरकार को अखिल भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी संघ से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है। चूंकि सरकार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के वेतनमानों, महंगाई भत्ते सहित भत्तों और अन्य अनुलाभों के मानकीकरण के बारे में पृथक से विचार कर रही है, इसलिए संघ की मांगों को और आगे जांच के लिए, विचाराधीन रखा गया है।

Loan advanced to Neera Company by Punjab National Bank Parliament Street, New Delhi

†4461. **Shri Ram Naresh Kushwaha :** Will **the Minister of Finance and Revenue and Banking** be pleased to state:

(a) the date on which Neera Company was advanced loan by the Parliament Street Branch of Punjab National Bank indicating the amount of the loan granted;

(b) When it was realised and if not realised, the reasons therefor;

(c) whether an amount of Rs. 15 lakhs was advanced to the company by another Branch of this bank at Sector 22, Chandigarh before the earlier loan was realised from the company; and

(d) if so, the reasons therefor?

The Minister of Finance, Revenue and Banking (Shri H. M. Patel) : (a) Neera Chemicals have been availing themselves of letter of credit facilities from Punjab National Bank from time to time.

(b) The party retired all the documents, except one letter of credit dated 28th May, 1974 for Rs. 3,96,293.

However, at the request of the party the bank has recently sanctioned a scheme for repayment of the outstanding dues.

(c) The bank has reported that no such advance was granted to Neera Chemicals by its branch in sector-22, Chandigarh.

(d) In view of (c) above, the question does not arise.

"देसाईज फ्लाइट्स कांज हार्डशिप" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

4462. **श्री वयालार रवि :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का ध्यान 25 जून, 1977 के 'स्टेट्समैन' में 'देसाईज फ्लाइट्स कॉज़ हार्डशिप' शीर्षक से छपे समाचार की ओर गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां।

(ख) एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स ने सूचित किया है कि उन्हें प्रधान मंत्री को ले जाने वाले विमानों पर यात्रा करने वाले किसी भी यात्री से असुविधा होने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

जापान को भेजे जाने वाला बैलाडिला लौह अयस्क

4463. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जापान के लौह अयस्क के खरीदारों ने किन कारणों से दिसम्बर, 1976 और जनवरी, 1977 के बीच बैलाडिला लौह अयस्क का मंगाना बन्द कर दिया था ;

(ख) अन्ततः मामला किस प्रकार सुलझाया गया ;

(ग) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को कितनी हानि हुई और क्या जापानी खरीदारों से क्षति पूर्ति करने की मांग की गई ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) विशाखापत्तनम की बाहरी बन्दरगाह चालू हो जाने से 20–12–76 से प्रभावी पत्तन प्रभार अधिसूचित किए गए जो उन प्रभारों की अपेक्षा उल्लेखनीय रूप में अधिक थे जो भीतरी बन्दरगाह के सम्बन्ध में वसूल किए जाते थे। जहाजों पर लगने वाले पत्तन प्रभार, जो जहाज मालिकों को चुकाने पड़ते हैं, बाद में खरीदारों पर डाल दिये जाते हैं, वे जापानी खरीदारों को बहुत अधिक लगे और परिणामतः उन्होंने 20 दिसम्बर, 1976 से शिपमेंट आस्थगित कर दिया। 20 जनवरी, 1977 से शिपमेंट फिर से चालू हो गया।

(ख) नई दिल्ली में जनवरी, 1977 में जापानी इस्पात मिलों के प्रतिनिधिमंडल और भारतीय प्राधिकारियों के बीच हुए विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप यह निर्णय लिया गया है कि अस्थायी तौर पर 20 दिसम्बर, 1976 से पहले लागू प्रभार वसूल किये जाएंगे और अन्तिम रूप से निर्धारित किए गए प्रभार भूतलक्षी प्रभाव से लागू होंगे। इस मामले पर दोनों पक्षों के बीच विचार-विमर्श अभी भी चल रहा है।

(ग) तथा (घ). शिपमेंटों के आस्थगन के फलस्वरूप पत्तन तथा खान द्वारों पर भारी मात्रा में माल जमा होने के कारण एन०एम०डी०सी० को कुछ दिनों के लिए उत्पादन में कम या बन्द करना पड़ा जिससे 78.97 लाख रु० मूल्य के 2.63 लाख मे० टन उत्पादन की हानि हुई। जसा कि ऊपर (ख) में बताया गया है मामले पर दोनों पक्षों के बीच विचार-विमर्श चल रहा है। एन०एम०डी०सी० को हुई उत्पादन हानि के बारे में जापानियों के साथ अलग से बातचीत नहीं की गई थी ।

बेराइटिस का निर्यात

4464. **श्री के० ओबुल रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी एजेंसी के माध्यम से निर्यात आरम्भ करने के पश्चात् बेराइटिस का कितना निर्यात किया गया तथा सरकारी एजेंसियों के माध्यम से निर्यात आरम्भ करने से पूर्व 1974-75 और 1975-76 में इसका कितना निर्यात किया गया ;

(ख) क्या सरकारी एजेंसी के माध्यम से निर्यात आरम्भ करने के पश्चात् बेराइटिस के निर्यात में काफी कमी हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या बेराइटिस के निर्यात में वृद्धि के मार्ग में आई बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार का उपयुक्त कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) मार्गीकरण के बाद निर्यात की गई बेराइटिस की मात्रा तथा मार्गीकरण से पहले 1974-75 तथा 1975–76 के दौरान निर्यात की गई मात्रा नीचे दी गई है । बेराइटिस का निर्यात 14–1–1976 से मार्गीकृत किया गया था :

वर्ष	मे० टन
1974–75	1,41,375
1975–76	
(1–4–75 से 13–1–76-1,38,520) (14–1–76 से 31–3–76-16,069)	1,34,589
1976–77	1,56,350

(ख) जी नहीं । तथापि, निर्यात की जाने वाली बेराइटिस की मात्रा को विनियमित किया जाता है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बम्बई, मद्रास और विशाखापत्तनम पत्तनों पर चीनी

4465. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई, मद्रास और विशाखापत्तनम पत्तनों पर बड़ी मात्रा में चीनी बेकार पड़ी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) बम्बई, मद्रास तथा विशाखापत्तनम के पत्तन गोदामों में इस समय चीनी की निम्नोक्त मात्रा उपलब्ध है :—

बम्बई		11592 मे० टन
मद्रास		5142 मे० टन
विशाखापत्तनम		17525 मे० टन
	योग	34259 मे० टन

(ख) विदेशों को पोतलदान के लिए चीनी की उपरोक्त मात्रा मिलों, गोदामों से वर्ष 1976—77 के दौरान उठाई गई थी लेकिन जब तक 1977—78 के लिए चीनी निर्यात नीति का अन्तिम रूप न दे दिया जाये तब तक इन स्टाकों को जहाज पर लादना संभव नहीं हो सका है।

विशुद्ध प्रजनित कुक्कुटादि का निर्यात और आयात

4466. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ मुर्गीपालकों ने विशुद्ध प्रजनित कुक्कुटादि का आयात इस शर्त पर किया था कि वे अपने उत्पाद का 10 प्रतिशत अंश निर्यात करेंगे ;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और गत तीन-चार वर्षों में उन्होंने कितने एवं कितने मूल्य के कुक्कुटादि का निर्यात किया ; और

(ग) सरकार की विशुद्ध प्रजनित कुक्कुटादि के आयात एवं निर्यात के बारे में इस समय क्या नीति है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) (1) प्रजनन के लिए कुक्कुटादि के आयात के लिए विद्यमान वास्तविक प्रयोक्ता नीति निम्नोक्त है :—

बतखों, टर्कियों आदि, शुद्धवंशी कुक्कुटादि, जिनमें अंडे सेने वाले भी शामिल हैं, के आयात सम्बन्धी आवेदन-पत्रों पर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली द्वारा कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग) नई दिल्ली की सिफारिशों पर विचार किया जाएगा।

(2) पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति निम्नलिखित है :—

जीवित चूजों और सेने वाले अंडों के निर्यात के आधार पर तथा कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग) नई दिल्ली की सिफारिश पर प्रजनन के लिये कुक्कुटादि तथा मुर्गियों के टीकों का आयात किया जा सकेगा।

(3) शुद्धवंशी मुर्गियों आदि के निर्यात पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया गया है।

आल इंडिया पोस्ट्स एण्ड टेलीग्राफ एण्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स एसोसियेशन द्वारा अभ्यावेदन

4457. **श्री अहसान जाफरी :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को आल इंडिया पोस्ट्स एण्ड टेलीग्राफ एण्ड सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन, पूना के महामंत्री से भारत सरकार के पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के बच्चों को शिशु शिक्षा भत्ता और फीस की प्रतिपूर्ति के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है और इस बारे में सरकार की क्या नीति होगी ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) ये रियायतें अनुषंगी लाभों की किस्म की हैं जो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को केवल सेवा के दौरान स्वीकार्य हैं और उन्हें पेंशन भोगियों के बच्चों को देना संभव नहीं है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत ऋण सुविधाएं

4468. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ:** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1977–78 की प्रथम तिमाही में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र व्यवस्था के अन्तर्गत अपेक्षित वर्ग को, जिसमें छोटे और सीमांत किसान, रेढ़ी चालक, घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी चालक, रिक्शा चालक, दर्जी, नाई, धोबी, पान-बीड़ी विक्रेता और अन्य स्वनियोजित श्रमिक सम्मिलित हैं, व्यवसाय वार क्या ऋण सुविधाएं दी गई अथवा इन्होंने प्राप्त की ; और

(ख) वास्तव में जरूरत मंद आवेदकों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने में यदि कोई कठिनाई आती है तो क्या है तथा उसे दूर करने लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में आंकड़े इकट्ठा करने की वर्तमान प्रणाली में कृषि, छोटे पमाने के उद्योगों, व्यवसायिक एवं स्वनियोंजित व्यक्तियों, सड़क और जल परिवहन चालकों और छोटे व्यापारी और खुदरा व्यापारी आदि जैसे व्यापक वर्गों के छोटे ऋणकर्ताओं को दिए गए ऋणों के बारे में आंकड़े इकट्ठा करने का उपबंध है। इन व्यापक वर्गों में छोटे और सीमांतिक किसानों, हाथ से गाड़ी चलाने वाले, घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी चालकों, रिक्शा चालकों, दर्जी, नाई, धोबी, पान बीड़ी, विक्रेताओं और अन्य स्वनियोजित कामगरों को दिए गए ऋण आते हैं। इन व्यापक वर्गों को, जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र है दिये गये ऋणों से सम्बन्धित दिसम्बर, 1976 के अन्त तक की अवधि के ताजा उपलब्ध आंकड़े अनुबंध में दिये जा रहे हैं।

(ख) बैंकों से ऋण प्राप्त करने में छोटे ऋणकर्ताओं के समक्ष पेश आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए, ऋण आवेदन पत्रों को तेजी से निपटाने के वास्ते निर्देश जारी कर दिये गये हैं। बैंकों से आशा की जाती है कि वे 10000/- रु० तक के ऋण-आवेदन पत्रों को तीन से चार सप्ताह के अन्दर निपटा दें तथा इससे अधिक की राशि के आवेदन पत्रों को एक माह के अन्दर। इसके आलावा आवेदन पत्रों का सरलीकरण कर दिया गया है और इन्हें क्षेत्रीय भाषाओं में छपवाया जा रहा है। छोटे ऋणकर्ताओं को फार्म भरने के मामले में भी सहायता दी जाती है। कुछ बैंक छोटे उद्यमियों को परामर्श सेवा भी प्रदान कर रहे हैं और उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों को संस्थागत ऋण प्राप्त करने में सहायता देने के लिये विकास अधिकारियों की नियुक्ति भी की है।

विवरण

(राशि लाख रुपयों में)

वर्ग	राशि	खातों की संख्या
कृषि	122922	4400870
छोटे पैमाने के उद्योग . .	127422	383696
सड़क और जल परिवहन चालक . .	23645	143977
खुदरा व्यापार और छोटे व्यापारी . .	22190	804850
व्यावसायिक और स्वनियोजित व्यक्ति .	6871	460177
शिक्षा	587	26075
जोड़	303637	6219645

(आंकड़े अनन्तिम हैं)

मलयेशिया के लिये भारतीय विद्युत उपकरणों का निर्यात

4469. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मलयेशिया में भारतीय विद्युत उपकरणों की बिक्री बढ़ने की क्या सम्भावनाएं हैं और वर्ष 1973-74 के अन्त तक हमारी कम्पनियों ने कुल कितनी पूंजी लगाई ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : मलयेशिया को भारतीय विद्युत उपकरणों के निर्यात की अच्छी संभावनाएं हैं।

1973-74 के अंत तक मलयेशिया में विद्युत उपकरण क्षेत्र में भारतीय कम्पनियों द्वारा किया गया निवेश 10.30 लाख मलयेशियन डालर (लगभग 36 लाख रु०) था।

055 LS—6.

चन्दन की लकड़ी के तेल का निर्यात

4470. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी भारत की चन्दन की लकड़ी के तेल के निर्यात में भारत का एकाधिकार है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितना निर्यात किया गया; और

(ग) उत्पादन को बढ़ाने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है जो पिछले वर्षों में कम हो गया था ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) चन्दन की लकड़ी के तेल के निर्यात में भारत का एकाधिकार सा है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात निम्नोक्त रूप में थे :--

वर्ष	मात्रा (मे० टन)	मूल्य (करोड़ रु० में)
1973-74	92.7	3.51
1974-75	71.4	7.09
1975-76	22.7	1.40
1976-77 . . . . (अप्रैल-फरवरी)	21.1	1.56

(ग) चंदन के वृक्ष लगाने के लिये प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जब ये परिपक्व होंगे तो प्राप्ति बढ़ जायेगी। फिर भी, यह एक दीर्घकालीन प्रोसेस है।

हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण

4471. **श्री रामानन्द तिवारी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो पहले किन-किन हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख). विमान क्षेत्रों का आधुनिकीकरण करने का कार्य एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है तथा इस संबंध में जनता की आवश्यकताओं, यातायात की मात्रा, परिचालनात्मक आवश्यकताओं तथा साधनों की उपलब्धता के अनुरूप लगातार प्रयत्न किये जाते हैं।

पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान, निम्नलिखित विमान क्षेत्रों पर सुधार कार्य करने का प्रस्ताव है :—

दिल्ली	जयपुर	वाराणसी
बम्बई	पोर्ट ब्लेयर	इम्फाल
कलकत्ता	बंगलौर	पटना
मद्रास	जोधपुर	अमृतसर
गौहाटी	कानपुर	आगरा
श्रीनगर	पुणे	लखनऊ
डबोलिम (गोवा)	जोरहाट	नागपुर
अहमदाबाद	इन्दौर	पानागढ़
त्रिवेंद्रम	भुवनेश्वर	बागडोगरा
अगरतला	राजकोट	हैदराबाद
कोचीन	विशाखापत्तनम	
खजुराहो	रायपुर	

सरकारी उपक्रमों की कार्यकुशलता सुधार करने के लिये समय-बद्ध कार्यक्रम

4472. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी उपक्रमों की कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए एक समय-बद्ध कार्यक्रम बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) क्या कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग). सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए सरकार निरन्तर प्रयत्नशील है। यद्यपि कोई समय-बद्ध कार्यक्रम तो नहीं बनाया गया है लेकिन इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समय-समय पर अनेक कदम उठाये जाते हैं; जैसे वर्तमान उत्पादन सुविधाओं को आधुनिक एवं युक्तिसंगत रूप देना, सन्तुलनकारी उपस्करों की व्यवस्था करना, उत्पादों का विविधीकरण, जहां मांग कम हो वहां निर्यात और बढ़ाने के प्रयास करना, श्रमिकों के साथ सम्बन्ध और अच्छे बनाना और उन्हें अभिप्रेरणा देना, आदि। सरकारी उद्यमों के कार्य-संचालन का परिवीक्षण एक प्रबन्ध सूचना-प्रणाली के द्वारा किया जाता है जिससे समस्याओं और गतिरोधों का पता चलता रहता है और उचित समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकती है। पिछले वर्षों में क्षमता के उपयोग में सुधार हुआ है। किन्तु, इस दिशा में अभी और भी सुधार की गुंजाइश है।

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डा प्राधिकरण द्वारा मनोरंजन पर किया गया व्यय

4473. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डा प्राधिकरण के विभिन्न अधिकारियों ने गत तीन वर्षों के दौरान मनोरंजन पर कितना व्यय किया;

(ख) क्या इन खर्चों को उचित पाया गया; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा एयर इंडिया को एयर बसों का पट्टे पर दिया जाना

4474. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने देश में यात्रा करने वाले यात्रियों के बढ़ते हुए यातायात की आवश्यकता पूरी करने के लिये एयर बसें खरीदी थीं;

(ख) क्या इन एयर बसों को अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिये एयर इंडिया को दिया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें किन-किन शर्तों पर पट्टे पर दिया जा रहा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) अन्तर्देशीय यातायात की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से इंडियन एयरलाइन्स ने एयर बसें खरीदी थीं। उनके विमान-बेड़े से केरावेल विमानों को क्रमिक आधार पर बदलने का भी प्रस्ताव था।

(ख) एयर इंडिया के साथ एक समझौते के अनुसार इंडियन एयरलाइन्स ने गल्फ के देशों के लिये बम्बई/दुबई/बम्बई तथा बम्बई/मस्कट/बम्बई सैक्टरों पर क्रमशः 18 तथा 19 जून से एयर बस विमान द्वारा 'वैट लोज' के आधार पर 'चार्टर्ड' उड़ानें परिचालित करनी आरम्भ कर दी हैं। ये उड़ानें सप्ताह में दो बार अर्थात बम्बई/दुबई/बम्बई के लिये शनिवार को तथा बम्बई/मस्कट/बम्बई के लिये रविवार को परिचालित की जा रही हैं। फिलहाल ये परिचालन 15 दिसम्बर, 1977 तक जारी रहेंगे।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स को 14,605 रुपये प्रति घंटे की दर से प्रतिपूर्ति की जाती है। इस राशि में इंडियन एयरलाइन्स के ऊपर के खर्चों (ओवरहैडस) का 50 प्रतिशत तथा विमान की मरम्मत एवं संधारण की लागत का 100 प्रतिशत शामिल है। इंडियन एयरलाइन्स को देय

प्रभारों के अतिरिक्त एयर इंडिया वस्तुत: किये गये व्यय के आधार पर निम्नलिखित खर्चे भी वहन कर रही है :—

(1) विमानन ईंधन,
(2) अवतरण शुल्क,
(3) विमान पर नियुक्त कर्मीदल तथा अन्य स्टाफ को देय 'आउट स्टेशन' भत्ता,
(4) यात्री एवं अन्य 'लीगल लाएबिलिटी इंश्योरेंस',
(5) 'हैंडलिंग' प्रभार,
(6) समस्त टिकट व्यवस्था, सीमा शुल्क का निपटान, बुकिंग एजेंसी कमीशन के एजेंटों का हिसाब, इत्यादि,
(7) विमान पर भोजन व्यवस्था ।

राज्य क्षेत्र में लेखों का लेखा-परीक्षा से पृथक करना

4475. **श्री बी० के० नायर :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य क्षेत्र में लेखों का लेखा-परीक्षा से पृथक करने के बारे में सरकार की नीति क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस संबंध में सरकार द्वारा निर्णय किए जाने में विलम्ब के कारण कर्मचारियों में चिन्ता और असंतोष बढ़ रहा है; और

(ग) क्या योजना को क्रियान्वित करते समय कर्मचारियों से परामर्श लिया जाएगा और उनके विचारों को ध्यान में रखा जाएगा ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) अप्रैल, 1976 में यथा संशोधित नियंत्रक महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 10 किसी राज्य के राज्यपाल को, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श करने के पश्चात् भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से लेखाकरण संबंधी कार्यों को अपने हाथ में लेने और इस प्रकार लेखाओं को लेखा परीक्षा से अलग करने की शक्ति प्रदान करती है । केन्द्रीय मंत्रालयों, में लेखाओं के विभागीयकरण की पृष्ठ-भूमि में भारत सरकार ने नवम्बर, 1976 में राज्य सरकारों से लिखा-पढ़ी की थी जिसमें राज्यों को लेखाओं को लेखा परीक्षा से अलग करने के इसी प्रकार के सुधारों के कार्यान्वयन का सुझाव दिया गया था । इस मामले में पहल करने और व्यापक प्रस्तावों को, जिनमें उससे संबंधित तकनीकी, प्रशासनिक और कार्मिक पहलू भी आ जाए केन्द्रीय सरकार के पास भेजने का काम राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया था । लेखाओं को लेखा-परीक्षा से अलग करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों पर भारत सरकार की स्वीकृति देते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लेखा परीक्षा विभाग के कर्मचारियों की वर्तमान सेवा शर्तों तथा वेतनमानों को उनके राज्य सरकार में स्थानान्तरण होने की स्थिति में संतोषजनक संरक्षण प्रदान किया जाए । केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृति दिए जाने से पहले प्रत्येक मामले पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से भी परामर्श किया जाएगा ।

(ख) जी, नहीं । सरकार को लेखापरीक्षा विभाग के कर्मचारियों में इस कारण से चिन्ता और असंतोष होने का कोई कारण दिखाई नहीं देता ।

(ग) लेंखाओं को लेखा परीक्षा से अलग किए जाने की स्थिति में लेखा परीक्षा विभाग के जिन कर्मचारियों को राज्य सरकारों में स्थानान्तरित किए जाने का प्रस्ताव होगा उनके विचारों को ध्यान में रखा जाएगा ।

एयर बस की चुकाई (पे-आफ) से लाभ पाने वाले व्यक्ति

4476. **श्री शिव सम्पत्ति राम : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 2 अप्रैल, 1977 के साप्ताहिक पत्र "ब्लिटस" में "हू इज दी बेनिफिशियरी आफ एयरबस पे-आफ" शीर्षक मे प्रकाशित समाचार देखा है ; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो के माध्यम से कराने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी हां ।

(ख) आगे की कार्यवाही के बारे में विचार करने के लिये रिकार्डों की जांच की जा रही है ।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

4477. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम पर सरकार की कोई राशि बकाया है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी राशि बकाया है और कब से है ; और

(ग) ऋण वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां ।

(ख) 30-6-1977 को 72,42,66,467.41 रू० की धनराशि बकाया थी, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ? **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-800/77]**

(ग) निगम केन्द्रीय सरकार को ऋण तथा ब्याज की किस्तों का भुगतान ऋणों की शर्तों के अनुसार नियमित रुप से समय से करता रहा है । अतः प्रश्न नहीं उठता है ।

मैसूर का दर्जा बढ़ाया जाना

4478. **श्री के० मालन्ना :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मैसूर का दर्जा 'ग' श्रेणी से बढ़ा कर 'ख' श्रेणी करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, नहीं। 1971 की जनगणना के अनुसार मैसूर नगर की जनसंख्या केवल 3,55,685 थी जो उसे बी-2 श्रेणी का दर्जा देने के लिए 4,00,000 की अपेक्षित न्यूनतम जनसंख्या से कम है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Death of Harijan worker of Ashoka Hotel

4479. **Shri Kacharulal Hemraj Jain** : Will the **Minister of Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether different types of rumours and conjectures are going on among the workers of Ashoka Hotel over the untimely death of Shri Jai Prakash, a Harijan worker of the hotel; and

(b) if so, the factual position in this regard ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik): (a) and (b). According to the Director, New Dehi Tuberculosis Centre, Jawahar Lal Nehru Marg New Delhi, late Shri Jai Prakash was found to be suffering from active tuberculosis of the right lung.

As per the death certificate issued by the Additional Chief Registrar, Births and Deaths and Medical Officer of Health, New Delhi Municipal Committee, New Delhi, Shri Jai Prakash died on the 4th March, 1977.

The India Tourism Development Corporation has no information about rumours and conjectures regarding his death.

गलत ढंग से लोगों की नजरबन्दी के लिये सीमाशुल्क अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

4480. **श्री के० लकप्पा :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी की गतिविधियां निवारण अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत नई दिल्ली में नजरबन्द किये गये कुछ व्यक्तियों से, उनके विरुद्ध बिना किसी विशिष्ट आरोपों के उन्हें गलत ढंग से नजरबन्द किये जाने के बारे में अभ्यावेदन मिले है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दिल्ली के सीमाशुल्क और उत्पादन शुल्क के उक्त अधिकारियों के विरुद्ध जिन्होंने इन व्यक्तियों की नजरबन्दी के आदेश जारी किये थे, वैसी ही कार्यवाही करने का है जैसी दिल्ली पुलिस के उन अधिकारियों के विरुद्ध की जा रही है जिन पर आपात स्थिति के दौरान निर्दोष व्यक्तियों के विरुद्ध गलत कार्यवाहियां किये जाने के कारण मुकदमा चल रहा है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां । सरकार को, कुछ नजरबन्दों से, उनको कथित गलत ढंग से नजरबन्द किये जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं । इनकी संबंधित नजरबन्दी प्राधिकारियों द्वारा जांच की जाती है तथा उपयुक्त कार्यवाही की जाती है ।

(ख) इस समय, सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय दिल्ली के किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

कपड़ा उद्योग में संकट

4481. **श्री के० लकप्पा :**

श्री चित्त बसु :

डा० हेनरी आस्टिन :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कपड़ा उद्योग को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या देश में मई, 1977 तक 35 और कपड़ा मिलें बन्द हो गई हैं ;

(ग) जून, 1977 तक कुल कितनी कपड़ा मिले बन्द हो चुकी थीं ;

(घ) उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो बरोजगार हो गये हैं ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ङ): रुई की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि से सूती वस्त्र उद्योग के लिए कठिनाइयां उत्पन्न हो गई, जिससे कमजोर और सीमान्त मिलें अत्यधिक प्रभावित हुईं । मई, 1977 के अन्त तक 35 मिलें बन्द पड़ी थीं जिससे 25,103 कर्मचारी बेरोजगार हो गए और जून के अन्त में 36 मिलें बन्द पड़ी थीं जिससे 32,410 कर्मचारी प्रभावित हुए ।

2. चूंकि राष्ट्रीय वस्त्र निगम पहले ही 105 वस्त्र मिलों के प्रबन्ध का भार उठा रहा है, इसलिये सरकार और मिलों को अपने अधिकार में लेने के पक्ष में नहीं है। तथापि, अगर कोई सम्बन्धित राज्य सरकार बन्द पड़ी मिलों को अपने प्रबन्ध के अधीन लेने के लिए तैयार है तो केन्द्रीय सरकार सभी संभव सहायता

देगी, बशर्ते कि ये प्रस्थापनाएं जीवनक्षम हों। सूती वस्त्र उद्योग के सामने जो कठिनाइयां हैं उन की जटिलता कम करने के लिये, निम्नोक्त महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं :—

(1) रुई की उपलब्ध सप्लाइयों का वितरण अधिक प्रभावी ढंग से विनियमित करने के अलावा, आयातों के जरिये रुई की उपलब्धता बढ़ाई गई है। स्टेपल रेशे तथा पोलिएस्टर रेशे जैसी प्रतिस्थापन्न सामग्री का, खुले सामान्य लाइसेंस के आधार पर आयात करने की अनुमति दे दी गई है। स्टेपल रेशे के आयात के मामले में शुल्क नहीं लगेगा।

(2) सूती वस्त्र मिलों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे अपनी कच्ची सामग्री का कम से कम 10 प्रतिशत, मानव निर्मित रेशों के रूप में इस्तेमाल करें।

(3) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को यह सलाह दी गई है कि वे वित्तीय रूप से कमजोर मिलों पर ऋण सम्बन्धी प्रतिबन्ध कठोरतापूर्वक अथवा मनमाने ढंग से लागू न करें। उदाहरणार्थ, जिन एककों को नियन्त्रित कपड़े के उत्पादन से छूट दे दी गई है उन्हें 10 प्रतिशत का बढ़े हुए मार्जिन लगाने से छूट दी जा सकती है।

(4) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने आधुनिकीकरण के लिए सूती वस्त्र मिलों को सुलभ ऋण देने के लिए अपनी स्कीम शुरू कर दी है।

भारत में विदेशी कम्पनियों द्वारा व्यापार समाप्त किया जाना

4482. **श्री के० लकप्पा :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बहुत सी ऐसी विदेशी कम्पनियां व्यापार में लगी है जो रिजर्व बैंक आफ इंडिया के निर्देशों का अनुसरण नहीं कर रही हैं ;

(ख) क्या उन्हें हाल में कोई निर्देश जारी किया गया था और इसके परिणामस्वरूप उनमें से बहुत सी कम्पनियों ने अपना कारोबार बन्द करना शुरू कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो भारत में कितनी कम्पनियों ने अपना कारोबार बन्द कर दिया है ; और

(घ) इस बात का ध्यान रखने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है कि ये कम्पनियां अत्यावश्यक वस्तुओं की मूल्यवृद्धि में अन्तर्ग्रस्त न हों ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग). विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 29 के क्रियान्वयन के लिए जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार भारत में काम कर रही विदेशी कम्पनियां अपने कारबार के स्वरूप के अनुसार 74 प्रतिशत अथवा 51 प्रतिशत अथवा 40 प्रतिशत अनिवासी इक्विटी शेयर रख सकती है। अधिकांश कम्पनियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देशों का, जो कानून जैसे ही हैं, पालन करने के लिए कदम उठा रही है। 50 कम्पनियां/शाखाएं ऐसी हैं, जो स्वेच्छापूर्वक अपना कारबार बन्द कर रही

हैं। अन्य 29 मामलो में रिजर्व बैंक ने उन कम्पनियों को भारत में अपना कारबार बन्द करने के लिए कह दिया है क्योंकि वे जमीन जायदाद और शेयरों की दलाली आदि जैसे क्षेत्रों में काम कर रही हैं।

(घ) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों का नियंत्रण करने के लिए जो उपाए किए जाते हैं वे सभी कम्पनियों पर समान रूप से लागू होते हैं चाहे वे भारतीय कम्पनियां हों या विदेशी।

भारतीय औद्योगिक उत्पादों के निर्यात में मन्दी

4483. **श्री निहार लास्कर :**
डा० हेनरी आस्टिन :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यदि विद्युत उत्पादन बढ़ाने और औद्योगिक सम्बन्ध ठीक रखने के लिये तुरन्त कार्यवाही न की गई तो भारतीय उद्योगों के उत्पादों का निर्यात कम हो जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो निर्यात में कितनी कमी होने की संभावना है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है और की गई है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) जी हां।

(ख) निर्यातों पर किस हद तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा इसका ठीक ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

(ग) बिजली की कमी जैसी शिकायतें प्राप्त होने पर, उस मामले में सम्बन्धित राज्य सरकार को लिखा जाता है और उनसे अनुरोध किया जाता है कि निर्यातक औद्योगिक एककों को बिजली की कटौतियों से छूट दी जाये। श्रम सम्बन्धों के विषय में सरकार विवादों को विचार-विमर्श तथा सुलह-समझौते आदि के माध्यम से हल करने के लिये लगातार प्रयत्न करती है।

रूस से तम्बाकू के लिये राज्य व्यापार निगम द्वारा प्राप्त किये गये क्रयादेश

4484. **श्री निहार लास्कर :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम को रूस से तम्बाकू के लिये कोई क्रयादेश प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिये किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख): राज्य व्यापार निगम को 1977 की फसल की विभिन्न श्रेणियों की 2000 मे० टन धूम्र-क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू की सप्लाई के लिए आर्डर मिले हैं, जिसका कुल मूल्य 3.34 करोड़ रुपये है ।

(ग) जी हां । इसके लिए पिछले महीने रेजनोएक्सपोर्ट, मास्को तथा भारतीय राज्य व्यापार निगम लि० के बीच संविदा पर हस्ताक्षर हुए थे ।

पटसन व्यापारियों को निदेश

4485. **श्री निहार लास्कर :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा पटसन व्यापारियों को जारी किये गये निदेशों के पालन की अन्तिम तिथि 15 मई, 1977 थी ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यापारियों ने निदेशों का पालन किया है ;

(ग) जिन व्यापारियों ने निदेश का पालन नहीं किया उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) निदेश की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

टकसालों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि

4486. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में टकसाल कहां-कहां हैं ;

(ख) इन टकसालों का क्या कार्य है ; और

(ग) क्या इन टकसालों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिये सरकार इनमें मशीनों आदि की व्यवस्था कर रही है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) टकसालें बम्बई, कलकत्ता और हैदराबाद में हैं ।

(ख) टकसालों का मुख्य काम सिक्के तैयार करना है । बम्बई-स्थित भारत सरकार की टकसाल जो सोना साफ करने की भारत भर में एकमात्र लाइसेंस शुदा टकसाल है, लाइसेंस शुदा व्यापारियों का सोना साफ करने का काम भी करती है । बम्बई टकसाल क्षमता और लम्बाई मापने के विभिन्न एककों के तोल और माप के मानक तथा स्टाम्प लगाने के उपकरण आदि तैयार और सप्लाई करती है । कलकत्ता स्थित भारत सरकार की टकसाल बम्बई टकसाल की ओर से सोना संग्रह केन्द्र के रूप में कार्य करती है और अशुद्ध सोने को मानक सोने की छड़ों में बदलने में लोगों की सहायता करती है । तीनों टकसालें सरकारी विभागों आदि के लिए पदक भी तैयार करती हैं ।

(ग) टकसालों की वर्तमान उत्पादन क्षमता सिक्कों आदि की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए काफी हैं ।

हवाई अड्डों पर राडार

4487. **श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे हवाई अड्डों पर राडार मौजूद हैं; और

(ख) क्या हम इन राडारों का निर्माण कर रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) नागर विमानन विभाग ने नीचे दिये गए विमानक्षेत्रों पर निम्नलिखित प्रकार के राडार लगाए हैं :—

हवाई मार्ग निगरानी राडार	दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास
विमानक्षेत्र निगरानी राडार	दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास
प्रिसीज़न एप्रोच राडार	दिल्ली, बम्बई तथा कलकत्ता

उपर्युक्त के अलावा, भारत मौसम विज्ञान विभाग के भी निम्नलिखित विमानक्षेत्रों पर तूफान सूचक राडार हैं :—

1. बम्बई	5. बंगलौर	9. नई दिल्ली (सफ्दरजंग)
2. कलकत्ता	6. अगरतला	10. नागपुर
3. मद्रास	7. गौहाटी	11. रांची
4. हैदराबाद	8. मोहनबाड़ी	12. भुवनेश्वर

हैदराबाद तथा भुवनेश्वर स्थित राडार द्वि-प्रयोजनीय अर्थात् बात सूचक तथा तूफान सूचक, राडार हैं ।

(ख) जी, हां । भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड विभिन्न प्रकार के राडारों का निर्माण कर रहे हैं जैसे विमानक्षेत्र निगरानी राडार, सहायक निगरानी राडार; प्रिसीजन एप्रोच राडार, मौसम विज्ञान राडार, आदि ।

हथकरघों में उत्पादित नियंत्रित-कपड़े पर राजसहायता में वृद्धि का प्रस्ताव

4488. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघों से उत्पादित नियंत्रित कपड़े पर एक रुपये प्रति वर्ग मीटर दी जाने वाली राजसहायता अपर्याप्त है और उक्त कपड़े के उत्पादन हेतु, राज्य-वार, निर्धारित लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राजसहायता में वृद्धि करने का है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) :(क) कुछ राज्य सरकारों ने अपने अभ्यावेदनों में संकेत दिया है कि जनता धोती एवं साड़ी की वास्तविक सुपुर्दगी पर दी जा रही एक रुपये प्रति वर्ग मीटर की इमदाद इतनी पर्याप्त नहीं है कि इससे घाटा उठाये बिना योजना को कार्यान्वित किया जा सके, क्योंकि सूत की कीमतों में लगातार एवं तीव्र वृद्धि, विशेषकर दिसम्बर, 1976 से मार्च, 1977 तक हुई है । योजना के अधीन कपड़े का वास्तविक उत्पादन उस दर से कम हो रहा है, जो मार्च, 1978 तक प्रतिवर्ष 10 करोड़ मीटर कपड़े के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये जरूरी है ।

(ख) सरकार, योजना के अधीन उत्पादन बढ़ाने के लिये विविध उपायों पर विचार कर रही है जिनमें इमदाद की वर्तमान दर का पुनरीक्षण भी शामिल हो सकता है ।

अर्जित छुट्टी के बदले वेतन का भुगतान

4489. **श्री के० मालून्ना :**

श्री ईश्वर चौधरी :

क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा अर्जित छुट्टी के बदले वेतन देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस समय ऐसे सरकारी कर्मचारियों के मामले में अर्जित छुट्टी के बदले में अधिक से अधिक 180 दिन तक का वेतन स्वतः देने की अनुमति है जिनकी सेवा में रहते मृत्यु हो जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ग). जी, हां । अर्जित छुट्टी पर जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को अपनी जमा छुट्टी के एक अंश का समर्पण कर देने पर छुट्टी वेतन के बराबर नकद राशि दिए जाने का प्रस्ताव कुछ समय से सरकार के विचाराधीन

रहा है । यह मामला संयुक्त परामर्शदाता तन्त्र के अन्तर्गत स्थापित राष्ट्रीय परिषद की 6 और 7 जनवरी, 1977 को हुई बैठक के समक्ष आया । संयुक्त परामर्शदाता तन्त्र के अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि इस विषय पर अन्तिम निर्णय लेने से पहले कर्मचारी पक्ष की स्थायी समिति के साथ बातचीत की जाएगी । कर्मचारी पक्ष के साथ प्रस्तावित बातचीत अभी होनी है ।

(ख) जी, हां ।

बिक्री कर के स्थान पर उत्पादन-शुल्क का लगाया जाना

4490. **श्री शिव सम्पत्ति राम :**

श्री कचरुलाल हेमराज जैन :

क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री बिक्री कर की दरों में समानता के बारे में 17 जून, 1977 के तारांकित प्रश्न संख्या 94 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिक्री कर समाप्त करने और उसके स्थान पर उत्पादन शुल्क लगाने के बारे में विभिन्न राज्य सरकारों के साथ हुई बातचीत में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इस मम्बन्ध में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

वित्त तथा राजस्व और बंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) तथा (ख). बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने के प्रश्न पर, संसद् के चालू बजट सत्र के समाप्त होने के बाद, राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने का विचार है ।

बम्बई केशोड-पोरबन्दर दैनिक विमान सेवा पुनः आरम्भ करना

4491. **श्री धर्म सिंह भाई पटेल :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोरबन्दर वाणिज्य तथा उद्योग मंडल ने सरकार को अनेक अभ्यावेदन भेजे हैं कि बम्बई केशोड पोरबन्दर और पोरबन्दर-केशोड बम्बई दैनिक विमान सेवाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक आरम्भ की जायें और यदि हां, तो अभ्यावेदन कब भेजे गये थे और उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ;

(ग) बम्बई-केशोड-पोरबन्दर दैनिक विमान सेवा किस तारीख से आरम्भ की जायेगी; और

(घ) क्या कुछ अन्य वाणिज्य मंडलों ने भी इसकी मांग की है और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और उन पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

92

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (घ). इंडियन एयरलाइंस को पोरबन्दर वाणिज्य एवं उद्योग मंडल से बम्बई/पोरबन्दर तथा बम्बई/केशोद की वर्तमान सेवाओं का बम्बई/केशोद/पोरबन्दर सेवा में विलय कर के एक दनिक सेवा का परिचालन करने के संबंध में एक प्रतिवेदन जनवरी, 1976 में प्राप्त हुआ था। कारपोरेशन ने मंडल को परामर्श दिया कि विमान बेड़े की अत्याधिक तंग स्थिति को दृष्टि में रखते हुए तथा इस तथ्य को भी दृष्टि में रखते हुए कि इस प्रकार की व्यवस्था से न तो बम्बई/केशोद और न ही बम्बई/पोरबन्दर की मांग की पर्याप्त रूप से पूर्ति होवेगी, अपेक्षित सेवाओं का परिचालन करना संभव नहीं होगा। इसके अलावा, केशोद/पोरबन्दर सैक्टर वाणिज्यिक रूप से भी व्यवहार्य नहीं होगा। तथापि, कारपोरेशन को उनके विमान बेड़े की स्थिति में सुधार हो जाने पर एक दैनिक बम्बई/केशोद तथा एक दैनिक बम्बई/पोरबन्दर सेवा चालू करने की योजनाएं हैं।

कारपोरेशन को गुजरात वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, अहमदाबाद से भी इसी प्रकार का एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 28 की क्रियान्विति

4492. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 28 की क्रियान्विति में क्या समस्याएं उत्पन्न हुई हैं;

(ख) सरकार का विचार विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 28 की क्रियान्विति के लिये क्या सक्रिय कार्रवाई करने का है; और

(ग) ब्रांड नामों के प्रयोग के लिये प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व के प्रत्यावर्तन पर सरकार कब तक रोक लगा देगी ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) :(क) से (ग). विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 28 के क्रियान्वयन के लिए संचालन सिद्धान्त तैयार कर लिये गये हैं। विदेशों में निगमित कम्पनियों और उन भारतीय कम्पनियों को जिनमें 40 प्रतिशत से अधिक अनिवासी शेयर पूंजी लगी है, प्रायः अन्य भारतीय पार्टियों के बिक्री, खरीद, जहाजी निकासी और अग्रेषण एजेंट आदि के रूप में काम करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। उन्हें गैर तकनीकी अथवा प्रबंध सलाहकार के रूप में काम करने की भी अनुमति नहीं दी जायेगी। भारतीय कम्पनियों के तकनीकी सलाहकारों के रूप में नियुक्ति के अनुरोध पत्रों पर गुणदोषों के आधार पर विचार किया जायेगा।

जहां तक विदेशी ब्रांड नामों के इस्तेमाल का संबंध है उनकी अनुमति केवल निर्यात के लिए, कतिपय प्राणरक्षक औषधियों और पौधा संरक्षण के लिए कीटाणुनाशक दवाओं के लिए दी जा सकती

है। अतः ब्रांड नामों के इस्तेमाल के लिए रायल्टी की रकमें बाहर भेजने की अनुमति केवल इन्हीं मामलों में दी जायेगी।

इस अधिनियम की धारा 28 को लागू करने में कोई विशेष समस्या सामने नहीं आई है।

Export of groundnut shells (Khol)

4493. **Shri Dharamsinhbhai Patel :** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) the quantity of the groundnut shells (khol) in tonnes exported to foreign countries during 1976-77 from Extraction Plants ;

(b) the quantity of groundnut shells (khol) in tonnes exported during 1977-78 uptill now ;

(c) whether any limit , on the export of groundnut shells (khol) has been imposed and if so, the limit so imposed and the reasons for imposing this limit ;

(d) whether Government are aware that it will greatly affect the country's foreign exchange position ; and

(e) whether groundnut producting farmers will suffer a great loss during the ensuing crop season and when the limit imposed on its expert is likely to be removed ?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (**Shri Mohan Dharia**) : (a) & (b) : The information is being collected and will be laid on the table of the House.

(c) No ceiling has been imposed on the export of groundnut shells (khol).

(d) & (e). Do not arise.

Bank loans to Homeless Rural people in Gujarat

4494. **Shri Dharamsinhbhai Patel** : Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) whether it had been decided to advance bank loans to the tune of Rs. 6 crores during 1976-77 for constructing houses on 100-yard plots allotted free of cost to homeless rural people in Gujarat and if so, the amount of loans advanced by banks in Gujarat during this period for this purpose;

(b) if the amount of loan advanced was less, the reasons therefor;

(c) the number of people in Gujarat who sought bank loans in 1976-77 and the amount sought by them and the number of people among them given loans and the amount thereof; and

(d) the amount of loan proposed to be provided to the rest of the people and when ?

The Minister of Finance (**Shri H. M. Patel**) :(a) to (d). Government of Gujarat had, in 1976 formulated a scheme for the construction of 3 lakh houses/huts on the house sites allotted to landless labourers in the rural areas during the 4-year period 1976-1980. Of this, 75,000 houses/ huts were planned to be constructed during 1976-77. The Scheme envisaged construction of a house at an estimated cost of Rs. 1,800/- of which Rs. 1,000/- was anticipated as bank loan, involving a total bank loan of Rs. 7.50 crores during 1976-77. Reportedly banks had agreed to advance loans to the tune of Rs. 406.33 lakhs upto March, 1977.

As on 30th June, 1977, Rs. 35·08 lakhs is reported to have been disbursed by banks on 8,882 applications out of a total of 15,458 applications received. The pending applications of 1976-77 are proposed to be taken up in 1977-78 alongwith the applications for this year.

The slow progress in dealing with loans applications, as reported by banks, is due to factors, such as, delay in allocation of villages to different banks in the State, changes in the Scheme from time to time, delay by Government in waiving the stamp duty on mortgage of lands allotted, and difficulties in creation of mortgage etc.

Now that the preliminary difficulties have been sorted out, the disposal of loan applications is expected to be faster.

पटसन मिलों की समस्याओं की जांच करने के लिये समिति का गठन

4495. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**
डा० हेनरी आस्टिन :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पटसन मिलों की समस्याओं की जांच करने के लिये सरकार ने कोई उच्च शक्ति प्राप्त समिति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) समिति को किन मुख्य बातों की जांच करने के लिये कहा गया है; और

(घ) समिति सम्भव्यता कब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी ?

वाजिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) कोई उच्च शक्ति प्राप्त समिति नहीं बनाई गई है। परन्तु चालू मौसम के दौरान पटसन मिलों को कच्चे पटसन की उपलब्धता का प्रश्न हल करने हेतु पटसन आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

Representation regarding imposition of Excise duty on Mechanical and Battery Operated toys and P.V.C. Dolls

4496. **Shri Kachrulal Hemraj Jain** : Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state whether his Ministry has received a representation demanding exemption from two per cent excise duty imposed during the current Budget on the mechanical and battery operated toys and P.V.C. Dolls manufactured under the small industry section?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia): Yes, Sir. The representation dealt with the request of small-scale manufacturers of mechanically or battery operated toys and dolls. Since this matter is dealt with in the Ministry of Industry, it was passed on to the Development Commissioner, Small-Scale Industries, under that Ministry.

Charges against General Manager of Ashoka Hotel

4497. **Shri Kachrulal Hemraj Jain** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state whether there are several serious charges of committing irregularities against the General Manager of Ashoka Hotel and if so, the action taken in this regard ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (**Shri Purushottam Kaushik**) : The allegations against the former General Manager, Ashoka Hotel, New Delhi are under investigation by the C.B.I.

विश्व बैंक द्वारा दिये जाने वाले धन का उपयोग

4498. **श्री समरेन्द्र कुन्डु** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक तथा आई०डी०ए० ने गत पांच वर्षों के दौरान भारत में कितना धन निवेश किया और इस धन में से कितना धन भारत के भिन्न-भिन्न राज्यों में निवेश किया गया है; और

(ख) इस बारे में भावी योजनाएं क्या हैं और इन एजेंसियों द्वारा उड़ीसा, महाराष्ट्र तथा पंजाब राज्यों के लिये किन-किन योजनाओं के लिए मंजूरी दी गई है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें भारत में विभिन्न परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक और उसकी उदार शर्तों पर ऋण देने वाली संस्था यानी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा दी गई रकमों का ब्यौरा दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या** एल०टी०-801/77]

(ख) आशा है कि 1977-78 के दौरान विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से भारत को 1.1 अरब डालर की सहायता प्राप्त होगी। पंजाब, महाराष्ट्र और उड़ीसा के लिए स्वीकृत योजनाएं विवरण में शामिल हैं।

माल के निर्यात में भिन्न-भिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का हिस्सा

4499. **श्री समरेन्द्र कुन्डु** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान माल के और तकनीकी जानकारी के निर्यात में भिन्न-भिन्न राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों का कितना-कितना हिस्सा था; और

(ख) क्या निर्यात के मामले में कमी वाले राज्यों से निर्यात बढ़ाने के लिये कोई विशेष कार्यवाही की गई है, यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख). विदेश व्यापार में आंकड़े राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र के हिसाब से अलग-अलग नहीं रखे जाते। सरकार द्वारा विभिन्न निर्यात संवर्धन उपाय देश-व्यापी स्तर पर किये जाते हैं और वे विशिष्ट रूप से किसी विशेष राज्य/संघ शासित क्षेत्र के लिये नहीं होते।

बैंकों और वित्त पोषण संस्थाओं द्वारा राज्यों में लगाई गई पूंजी की राशि

4500. **श्री समरेन्द्र कुन्डु** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बारे में कोई जानकारी है कि बैंकों और वित्त पोषण संस्थाओं ने विभिन्न राज्यों में ऋण के रूप में कितनी पूंजी लगाई है तथा इस पूंजी निवेश का तरीका क्या है; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है कि आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यों को पूंजी निवेश के लिये अधिक धनराशि प्राप्त हो सके ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

उड़ीसा में पटसन का विकास

4501. **श्री समरेन्द्र कुन्डु** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में बालासौर के निकट चांदीपुर-ऑन-सी में पर्यटन विकास हेतु तथा कोणार्क और पुरी–कोणार्क–भुवनेश्वर कॉम्पलैक्स में प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम हेतु आरम्भ की जा रही किसी पर्यटन विकास परियोजना का सरकार को पता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख). बालासौर के निकट समुद्र तटवर्ती चांदीपुर (चांदीपुर-ऑन-सी) में पर्यटन सुविधाओं का विकास करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में कोई स्कीम नहीं है। केन्द्रीय क्षेत्र में कोणार्क में ध्वनि-एवं-प्रकाश प्रदर्शन लगाने का ी कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु इस मंदिर में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा पुंज-प्रकाश व्यवस्था की गयी है।

जहां तक पुरी-कोणार्क-भुवनेश्वर कॉम्पलेक्स के विकास का संबंध है, केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने कोणार्क के सूर्य मंदिर के इर्दगिर्द के क्षेत्र की एक मास्टर प्लान (भू-प्रयोग योजना) तैयार करनी

चालू कर दी है जिसमें पर्यटन सुविधाओं के स्थानों, भू-दृश्यांकन तथा पर्यावरणीय आयोजना का निरूपण होगा। भारतीय पुरातात्त्विक सर्वेक्षण विभाग तथा राज्य सरकार के साथ परामर्श करके मास्टर-प्लान को अंतिम रूप दे दिये जाने पर, मास्टर प्लान के कार्यान्वयन संबंधी उत्तरदायित्वों को संबंधित एजेंसियों को सौंप दिया जायेगा।

भारत पर्यटन विकास निगम ने, जोकि एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, अपने भुवनेश्वर स्थित यात्री लॉज में 40 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 26 डबल रूम, 2 सूट, एक रेस्टोरैंट तथा एक कांफ्रेंस हॉल जोड़ कर उसके विस्तार का कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

पर्यटन विभाग ने पुरी में एक युवा होस्टल का निर्माण किया है जिसे 14–11–1975 को चालू किया गया था।

Incentives to Cooperative Societies to bring improvement in distribution of Essential Consumer Goods

4502. Shri Subhash Ahuja :

Shri Yagya Datt Sharma :

Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to provide incentive to cooperative societies with a view to bring about improvement in the distribution of essential consumer goods; and

(b) if so, the number of new cooperative societies proposed to be set up during the current year ?

The Minister of Commerce and Civil Supplies & Cooperation (Shri Mohan Dharia): (a) Yes, Sir.

(b) The matter is under consideration.

भारत–बंगला देश व्यापार समझौता

4504. श्री समर गुह : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत–बंगला देश व्यापार समझौता अभी भी बना हुआ है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1975–77 के दौरान दोनों देशों के बीच कितना और कितनी राशि का व्यापार हुआ;

(ग) वर्ष 1977–78 के दौरान अनुमानित व्यापार के ऐसे ही आंकड़े क्या हैं;

(घ) क्या सरकार को व्यापार समझौता क्रियान्वित करने में किसी कठिनाई का सामना करना पड़ा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां।

(ख) 1975–76 के दौरान भारत से बंगलादेश को 62.12 करोड़ रु० तथा 1976–77 (अप्रैल–फरवरी) में 46.14 करोड़ रु० के निर्यात किये गये। 1975–76 के दौरान बंगलादेश से भारत में 4.65 करोड़ रु० तथा 1976–77 (अप्रैल–फरवरी) के दौरान 6.07 करोड़ रु० के आयात हुए।

(ग) 1977–78 के लिए बंगला देश के लिए 60.5 करोड़ रु० का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बंगलादेश से आयात का कोई औपचारिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विशाखापत्तनम के सीमा-शुल्क अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

4505 **श्री ए० अशोकराज** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम स्थित सीमा शुल्क अधिकारी अभी भी आपात स्थिति के अन्तर्गत काम कर रहे हैं और भारतीय जहाजों के यात्रियों तथा अधिकारियों/कर्मचारियों को तंग करते हैं और उस बन्दरगाह से छुट्टी पर जाने वालों के साथ भेदभाव करते हैं ;

(ख) क्या इन अधिकारियों ने ऐसा सामान भी जब्त कर लिया है जो कि जहाजों के यात्रियों तथा अधिकारियों/कर्मचारियों का अपना व्यक्तिगत उपयोग में लाया हुआ होता है ;

(ग) क्या नियमों में ऐसा उपबन्ध है कि इस प्रकार का इस्तेमाल किया हुआ सामान निशुल्क आने दिया जाता है और स्वयं अपने/परिवार के उपयोग के लिये नया सामान सीमा शुल्क और यदि कोई जुर्माना लगाना आवश्यक हो तो उसे लगाने के बाद लाने दिया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो उनको तंग करने तथा उक्त प्रकार का व्यक्तिगत सामान्य सामान जब्त किये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) :(क) से (घ). विशाखापत्तनम पतन पर कोई यात्री आवागमन नहीं हैं। जलयानों के अधिकारियों और कर्मीदल के सदस्यों को असबाब नियम, 1970 और आयात व्यापार नियंत्रण सार्वजनिक सूचना संख्या 13/71 दिनांक 1 फरवरी, 1971 के उपबन्धों के अन्तर्गत असबाब लाने की छूट है, लेकिन यह छूट केवल उनके नियोजन की समाप्ति पर अन्तिम अदायगी के समय ही दी जाती है। उक्त नियम अथवा सार्वजनिक सूचना में उल्लिखित असबाब से अधिक लायी गयी असबाब की मदें कानून के अन्तर्गत जब्त की जा सकती हैं और उन पर एतद्नुसार कार्यवाही की जाती है।

Promotion of Non-Technical Employees in Directorate of Radio construction and development units, Safdarjang Aerodrome, New Delhi

4506. **Shri Mahi Lal** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether in the workshop of the Directorate of Radio Construction and Development Units, Safdarjang Aerodrome, New Delhi non-technical employees (clerk etc.) have been given promotion instead of technical employees and if so, the number of such employees who have been promoted; and

(b) the steps taken by Government to remove this administrative irregularity and stagnation keeping in view the discontentment created in the technical employees thereby ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purnshottam Kaushik) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में बैंक सुविधायें

4507. **श्री पी० एस० रामलिंगम** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में उपलब्ध बैंक सुविधाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इन क्षेत्रों में कमजोर वर्गों को उनके आर्थिक पुनरुद्धार के लिए दिए गए ऋणों के बारे में यदि कोई विश्लेषण किया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन क्षत्रों में बैंक सुविधाओं में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) तमिलनाडु में नीलगिरि पहाड़ी क्षेत्र में बैंक सुविधाओं की सही स्थिति क्या है तथा क्या इन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए योजना बनाई गई है?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) भारतीय विजर्व बैंक ने सूचित किया है कि मार्च, 1977 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार औद्योगिक रूप से 240 पिछड़े हुए और जन जातीय जिलों में वाणिज्यिक बैंकों की 10675 शाखायें थीं। उसी दिन की स्थिति के अनुसार बैंक के पास इन जिलों में शाखायें खोलने के लिए 923 लाइसेंस अनिर्णीत पड़े थे।

(ख) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बारे में उपलब्ध अनन्तिम आंकड़े ये प्रकट करते हैं कि दिसम्बर, 1976 की स्थिति के अनुसार इन जिलों में उपेक्षित क्षेत्रों को उनके द्वारा दिए गए ऋणों की बकाया राशि 1053.4 करोड़ रुपए थी।

(ग) और (घ). वाणिज्यिक बैंक पिछड़े और जन जातीय जिलों सहित, कम बैंक वाले क्षेत्रों में अपने शाखा जाल को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रक्रिया को गति देने के लिए रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि उन्हें महानगरीय क्षेत्र में एक शाखा खोलने तथा बैंक वाले स्थानों में एक और शाखा खोलने का अधिकार प्राप्त करने के लिए, चार शाखायें बैंक रहित ग्रामीण स्थानों में खोलनी पड़ेंगीं। सरकार ने भी बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि उन सभी सामुदायिक विकास खण्डों में, जिनमें बैंकिंग सुविधाएं नहीं हैं, जून 1978 तक कम से कम एक बैंक शाखा अवश्य खुल जाए। यह आशा की जाती है कि ये उपाय पिछड़े और जन जातीय क्षेत्रों में भी बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाने में सहायक होंगे।

(ङ) नीलगिरि जिले में 31 मार्च 1977 तक वाणिज्यिक बैंकों की 39 शाखायें थीं जबकि 19 जुलाई, 1969 को वहां केवल 15 शाखायें थीं। 31 दिसम्बर, 1976 की नीलगिरि जिले में प्रति बैंक औसत जनसंख्या 23000 के उराष्ट्रीय औसत की तुलना में 13000 थी।

चीनी का निर्यात

4508. **श्री एस० आर० दामाणी :**

श्री जेना बैरागी :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1976–77 में कितनी और कितने मूल्य की चीनी का निर्यात किया गया तथा इससे पूर्व के दो वर्षों में हुए निर्यात के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ख) चीनी के निर्यात पर राज्य व्यापार निगम कितना कमीशन लेता है तथा इसने कुल कितना कमीशन अर्जित किया है; और

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा की गई बिक्री की पूरी राशि वसूल कर ली गई है और यदि नहीं, तो कितनी राशि बकाया है, कब से बकाया है और इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) वर्ष 1974–75 से 1976–77 तक की अवधि में निर्यात की गई चीनी की मात्राएं तथा मूल्य निम्नोक्त प्रकार थे :—

वर्ष	मात्रा (लाख टन में)	मूल्य (करोड़ रु० में)
1974–75 . . .	6.24	314.34
1975–76 . . .	11.88	468.48
1976–77	5.86	154.37

(ख) सरकार द्वारा राज्य व्यापार निगम को बिक्री कारोबार पर $\frac{1}{2}$ प्रतिशत सर्विस चार्ज लेने की अनुमति की गई है। वर्ष 1974–75 से 1976–77 तक के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा प्राप्त सर्विस चार्ज की सही राशि निम्नोक्त थी :—

वर्ष	राज्य व्यापार निगम द्वारा प्राप्त सर्विस चार्ज की राशि (रु०)
1974–75 . . .	1,57,17,087.95
1975–76	2,31,28,530.95
1976–77	76,97,009.34

(ग) चीनी की बेची गई तथा निर्यात की गई सभी मात्राओं का भुगतान राज्य व्यापार निगम को मिल चुका है।

पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये अतिरिक्त सुविधाएं

4509. **श्री एस० आर० दामाणी :**

श्री डी० अमात :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1976–77 में किस-किस देश के कितने-कितने पर्यटकों ने भारत की यात्रा की तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई तथा इससे पिछले वर्ष की आय की तुलना में इसकी स्थिति क्या है ;

(ख) क्या विदेशी पर्यटक सामान्यतः सीमा शुल्क विभाग द्वारा अनुमति देने की प्रक्रिया से असंतुष्ट हैं और यदि हां, तो उसे सुव्यवस्थित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) भविष्य में अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये क्या नये प्रस्ताव हैं तथा इस कार्य के लिये क्या अतिरिक्त सुविधाएं दी जायेंगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) वर्ष 1975–76 तथा 1976–77 के दौरान भारत की यात्रा करने वाले विभिन्न देशों के विदेशी पर्यटकों की संख्या को दर्शाने वाला एक तुलनात्मक विवरण (अनुबन्ध-I) संलग्न है (**ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या** एल० टी० 802/77)। क्योंकि पर्यटन से होने वाली विदेशी मुद्रा की आय का अनुमान उसके समग्र आधार पर लगाया जा रहा है, न कि राष्ट्रीयवार आधार पर वर्ष 1975–76 तथा 1976–77 के लिए पर्यटन से होने वाली विदेशी मुद्रा की अनुमानित आय क्रमशः 131.9 करोड़ रुपए तथा 236.1 करोड़ रुपए थी, और इस प्रकार वर्ष 1976–77 में पिछले वर्ष की तुलना में 79 प्रतिशत की वृद्धि रिकार्ड की गयी।

(ख) मोटे तौर पर, विदशी पर्यटक कस्टम्स क्लीयरेंस प्रक्रियाओं से संतुष्ट हैं। तथापि, सामान को शीघ्रता से क्लीयर कराने के कार्य को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए, सरकार ने उपयुंक्त उपायो की सिफारिश करने के लिए 1976 में एक उच्च शक्ति सम्पन्न समिति स्थापित की।

(ग) भविष्य में और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के विभिन्न उपायों तथा इसी प्रयोजन से आयोजित की जाने वाली अतिरिक्त सुविधाओं को दिखाने वाला एक विवरण (अनुबन्ध-II) संलग्न है।

इंडियन एयरलाइंस के विमानों की उड़ानें

4510. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक मार्च, 1977 के पश्चात् इण्डियन एयरलाइन्स की कितनी उड़ानें निर्धारित समय के अनुसार नहीं की गईं तथा गत वर्ष ऐसी प्रति माह औसत उड़ानों की तुलना में इनकी क्या स्थिति है ;

(ख) इस कार्यकरण में अकुशलता के क्या कारण हैं ; और

(ग) इसमें सुधार के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख). अब तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार मार्च, 1977 से जून, 1977 की अवधि के दौरान 8702 उड़ानें विलम्ब से परिचालित/रद्द की गयीं। मार्च, 1977 से जून 1977 की अवधि के लिये विलंब से परिचालित/रद्द की गयी उड़ानों की मासिक औसत 2486 निकली, जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष यह 2348 थी। विलंब सामान्यत: खराब मौसम जैसे ऐसे कारणों से हुए जो कारपोरेशन के नियंत्रण से बाहर थे।

(ग) सरकार ने इंडियन एयरलाइंस के परिचालनों पर कड़ा नियंत्रण रखने का निर्देश दिया है जिससे कि उड़ानों के ऐसे कारणों से होने वाले विलंब अथवा रद्द किए जाने को रोका जा सके जो इंडियन एयरलाइन्स के काबू के हों।

नये भारतीय वस्त्र 'लूरेक्स' की अमरीका में लोकप्रियता

4511. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नया भारतीय वस्त्र, 'लूरेक्स' अमरीका में लोकप्रिय हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे लोकप्रिय बनाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या कपड़ा समिति इन निर्यातों को रोके हुए है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) तथा (ख). ऐसे संकेत मिले हैं कि मैटेलिक यार्न वाले हथकरघा वस्त्र, तैयार कपड़े तथा परिधान सं० रा० अमरीका के खरीदारों को आकृष्ट कर रहे हैं। इन वस्त्रों का निर्यात व्यापार द्वारा संवर्धन किया जा रहा है।

(ग) ये निर्यात रोके नहीं जा रहे हैं। वस्त्र आयुक्त ने कुछ मसलों पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था। ये मसले अब स्पष्ट हो गए हैं।]

"करेंसी" और वित्त के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के वार्षिक अध्ययन का परिणाम

4512. **श्री के० प्रधानी** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश में "करेंसी" और वित्त के बारे में किए गए नवीनतम वार्षिक अध्ययन के परिणामों का मुख्य ब्यौरा क्या है; और

(ख) घाटे की वित्त व्यवस्था और ऋण नियंत्रण के बारे में इस बैंक द्वारा की गई टिप्पणियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा करेंसी और वित्त के सम्बन्ध में प्रकाशित सब से हाल की रिपोर्ट वर्ष 1975–76 (जुलाई से जून तक) के बारे में है। रिपोर्ट में उक्त वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था की घटनाओं का सर्वेक्षण किया गया है। इसमें वर्ष 1975–76 (जुलाई से जून तक) में कीमतों में 3 प्रतिशत की कमी होने, कुल मिलाकर वस्तुओं की सप्लाई की स्थिति में सुधार होने, योजना के खर्च में वृद्धि किए जाने तथा विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि के बढ़ने का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। लेकिन रिपोर्ट में जून, 1976 से नवम्बर, 1976 तक की अवधि में नोट की गई कीमतों के बढ़ने की प्रवृत्ति तथा मुद्रा उपलब्धि के विस्तार के विरुद्ध सावधान किया गया है (यह रिपोर्ट 1976 के अन्त तक प्रकाशित की गई थी)।

(ख) रिपोर्ट में, कुल मिलाकर मांग और पूर्ति के बीच असन्तुलन को ठीक करने के लिए मुद्रा सम्बन्धी प्रतिबन्ध जारी रखने की सिफारिश की गई थी। सरकार को दिए जाने वाले बैंक ऋणों के सम्बन्ध में रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जुलाई, 1975 से जून 1976 के दौरान सरकार पहले के मुकाबले बैंकों पर, जिनमें रिजर्व बैंक भी शामिल है, बहुत कम निर्भर रही। सरकार रिपोर्ट में किए गए मूल्यांकन से सहमत है।

Encashment of earned leave in State/Public Sector undertakings

4513. **Shri Ishwar Choudhary** : Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state the names of States or public sector undertakings where encashment of earned leave is permitted along with other details in respect thereof ?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H. M. Patel): Presumably the Hon'ble Member is referring to schemes for encashment of earned leave in Central Government enterprises. Information in respect of some enterprises which gives an idea of the general picture is given in the Annexure. [*Placed in the Library. See* No. LT-803/77].

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों द्वारा अर्जित लाभ एवं दिया गया बोनस

4514. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के सभी होटलों ने वर्ष 1976 में लाभ अर्जित किया ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी संक्षिप्त रूपरेखा क्या है ; और

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम के कितने होटलों ने अपने कर्मचारियों को बोनस दिया है और उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख). भारत पर्यटन विकास निगम ने 1975-76 के दौरान 14 होटलों का परिचालन किया। इनमें से छः होटलों ने लाभ अर्जित किया जबकि शेष 8 को हानि हुई जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

क्रम सं०	होटल का नाम	लाभ (+) / हानि (—) (लाख रुपयों में)
1.	अशोक होटल, नई दिल्ली	(+) 93.23
2.	जनपथ होटल, नई दिल्ली	(+) 18.00
3.	लोदी होटल, नई दिल्ली	(+) 5.88
4.	रणजीत होटल, नई दिल्ली	(+) 0.66
5.	अकबर होटल, नई दिल्ली	(+) 20.00
6.	कुतब होटल, नई दिल्ली	(+) 1.15
7.	होटल अशोक, बंगलौर	(—) 9.57
8.	लक्ष्मी विलास पैलेस होटल, उदयपुर	(—) 1.55
9.	औरंगाबाद होटल, औरंगाबाद	(—) 3.51
10.	खुजराहो होटल, खुजराहो	(—) 1.06
11.	वाराणसी होटल, वाराणसी	(—) 2.09
12.	एयरपोर्ट होटल, कलकत्ता	(—) 32.69
13.	कोवालम होटल, कोवालाम	(—) 19.14
14.	ललित महल पलेस होटल, मैसूर	(—) 4.17

(ग) तीन होटलों अर्थात् अशोक, अकबर तथा जनपथ (सभी नई दिल्ली स्थित) ने अपने कर्मचारियों को क्रमशः 13, 20 तथा 4 प्रतिशत बोनस दिया। औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा इस बात का निर्णय होने तक कि 'बोनस' का भुगतान करने के प्रयोजन के लिए जनपथ, रणजीत तथा लोदी होटल को एक ही यूनिट समझा जाए अथवा तीन पृथक् पृथक् यूनिटें, जनपथ होटल के कर्मचारियों को बोनस का भुगतान अन्तिम आधार पर किया गया है।

केरल में पर्यटन परियोजनाएं

4515. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल की नई पर्यटन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने वाइनाड को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने के बारे में कोई निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : कोवालम में मुख्य समुद्र तटीय विहार स्थल पर सुविधाओं की वृद्धि, त्रिवेन्द्रम में युवा होस्टल के कार्य को पूरा करने तथा पेरियार वन्य जीव शरण-स्थल में वन्य जीवों को देखने के लिए मोटर लॉज की व्यवस्था करने के कार्यों को छोड़कर पांचवीं योजना की शेष अवधि के दौरान केरल में केन्द्रीय क्षेत्र में कोई भी नई पर्यटक परियोजना हाथ में नहीं ली जा रही है।

(ख) वाइनाड का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ;

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हाथ औजार पर उत्पादन शुल्क लगाया जाना

4516. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हाथ औजार बनाने वाले लघु क्षेत्र एककों के मालिकों ने उनके द्वारा उत्पादन किए जाने वाले माल पर 10 प्रतिशत का उत्पादन शुल्क लगाने के विरोध में 20 जून, 1977 को जालन्धर में पूर्ण हड़ताल की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) सरकार को ज्ञात है कि हाथ औजारों के लघु निर्माताओं ने उनके द्वारा उत्पादित औजारों पर 1·0 प्रतिशत उत्पादन-शुल्क लगाने के विरोध में 20 जून, 1977 को जालन्धर में हड़ताल की थी।

(ख) मैंने 15 जुलाई, 1977 को अपने भाषण में लघु एककों द्वारा (जिनके संयंत्र और मशीनों पर पूंजी निवेश 10 लाख रुपये से अधिक नहीं हो) निर्मित औजारों पर शुल्क से छूट देने के सरकार के निर्णय के बारे में सदन को पहले ही बता दिया है। इस प्रकार के एकक शुल्क से समस्त छूट पाने के हकदार होंगे बशर्ते घरेलू खपत के लिए निकासी किए गए औजारों का कुल मूल्य किसी वित्तीय वर्ष में 5 लाख रुपये से अधिक नहीं हो, और कतिपय विनिर्दिष्ट प्रकार के हाथ के औजारों के सम्बन्ध में 5 लाख रुपये की अतिरिक्त सीमा तक छूट होगी। उक्त छूट प्रदायी अधिसूचना (सं० 241/77-के० उ०शु०, दिनांक 15 जुलाई, 1977) सभा पटल पर पहले ही रख दी गई है।

बैंक कर्मचारियों द्वारा हड़ताल का आह्वान

4517. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बैंकों की 680 शाखाओं के कर्मचारियों द्वारा 28 जून, 1977 से हड़ताल का जो आह्वान किया गया है उसका उक्त सभी शाखाओं पर प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या थीं ;

(ग) क्या केन्द्रीय मन्त्रालय ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) हड़ताल को टालने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है।

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ङ). इण्डियन बैंक ने सूचित किया है कि भारतीय बैंक कर्मचारी संघों के फैडरेशन ने 22 जून, 1977 को श्री आर०एम० वेल्लायन, जो फैडरेशन के महासचिव भी हैं, के निलम्बन आदेशों को वापस लेने की अपनी मांग के समर्थन में 28 जून 1977 से अनिश्चित काल के लिये हड़ताल का नोटिस दिया था। चूंकि यह नोटिस भारतीय विवाद अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप नहीं था, इसलिये बैंक ने क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) मद्रास को हस्तक्षेप करने के लिये अनुरोध किया था और उसने समझौते की कार्रवाई शुरू कर दी है। क्षत्रीय श्रम आयुक्त के समक्ष दोनों ही पक्ष परस्पर बातचीत करने के लिए राजी हो गये तथा इस दौरान और किसी पक्ष द्वारा आगे कोई कार्रवाई नहीं की जायगी। इसलिये बैंक के कलकत्ता क्षेत्र को छोड़ कर कहीं सम्भावित हड़ताल नहीं हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि कलकत्ता क्षेत्र में फैडरेशन से सूचना समय पर नहीं पहुंची इसलिए बैंक के कुछ कार्यालयों में लिपिक और अधीनस्थ कर्मचारियों ने 28 जून, 1977 को एक दिन की हड़ताल कर दी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लीड क्षेत्रों में खोली गई शाखायें

4518. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने गत दो वर्षों के दौरान पिछड़े क्षेत्रों में अपने-अपने लीड क्षेत्रों में कितनी शाखाएं खोलीं।

(ख) ऐसी शाखाओं में कितनी धनराशि जमा की गई ; और

(ग) ऐसे क्षेत्रों में विभिन्न प्राथमिकता क्षेत्रों को और छोटे व्यापारियों और किसानों को कितनी धन राशि के ऋण दिये गये ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 1975 के दौरान 222 कार्यालय और 1976 के दौरान 331 कार्यालय अपने उन लीड जिलों में खोले थे जिनका वर्गीकरण औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा किया गया था। 31 दिसम्बर, 1976 की स्थिति के अनुसार सभ 240 पिछड़े जिलों में राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यालयों की कुल संख्या 8005 थी। इनमें से 2897 कार्यालय लीड बैंकों के थे और 5108 कार्यालय अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के थे।

(ख) और (ग). इस सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सम्बन्ध में है। दिसम्बर, 1977 के अन्त की स्थिति के अनुसार औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े इन जिलों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाओं की राशि 3815.64 करोड़ रुपये थी। उसी तारीख को इन जिलों के सभी उपेक्षित क्षेत्रों को दिये गये उनके कुल ऋणों की राशि 1053.44 करोड़ रुपये थी। इसमें से "कृषकों को प्रत्यक्ष वित्त" को दी गयी राशि 450.40 करोड़ रुपये थी और "खुदरा व्यापार और छोटे व्यवसाय" को दी गई राशि 103.43 करोड़ रुपए थी।

अराष्ट्रीयकृत अनुसूचित बैंकों पर सरकार का नियंत्रण

4519. **श्री शंकरसिंहजी वाघेला** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में अराष्ट्रीयकृत अनुसूचित बैंकों पर कोई नियंत्रण रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार के नोटिस में यह बात आई है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त हुए गत तीन वर्षों के दौरान कांग्रेस पार्टी का कोष भरने के लिये कुछ बैंकों ने विशाल धनराशियां दी थीं ;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ङ) क्या इन बैंकों के कार्यकरण विशेषकर आन्तरिक आपातस्थिति के दौरान, के बारे में जांच करने का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) और (ख). रिजर्व बैंक सभी कार्यरत वाणिज्यिक बैंकों पर नियंत्रण रखता है जिनमें गैर राष्ट्रीयकृत, अनुसूचित और साथ ही गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक भी शामिल होते हैं। रिजर्व बैंक की कुछ अधिक महत्वपूर्ण शक्तियां नीचे दी जाती हैं :—

(1) निजी क्षेत्र के सभी बैंकों के लिए यह अपेक्षित है कि बैंकिंग का कारोबार करने के लिए रिजर्व बैंक से लाइसेंस लें।

(2) वे रिज़र्व बैंक से शाखा खोलने का लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही कोई शाखा खोल सकते हैं ।

(3) प्रत्येक बैंक के अध्यक्ष की नियुक्ति की शर्तों का रिजर्व बैंक से अनुमोदन कराना अपेक्षित होता है ।

(4) रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित सभी बैंकों का सावधिक निरीक्षण किया जाता है ताकि बैंक की निवेश और ऋण नीतियों, उसकी परिसम्पत्तियों की स्थिति, उसकी अर्जनक्षमता, उसके प्रबन्ध के स्तर और कानून के सम्बद्ध उपबन्धों के अनुपालन का मूल्यांकन किया जा सके ।

(5) इस निरीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर रिजर्व बैंक को कार्यरत बैंक के प्रति समुचित निदेश जारी करने और उसके प्रबन्ध में परिवर्तन करने की शक्तियां प्राप्त हैं ।

2. इसके अतिरिक्त कानून के अधीन सरकार को यह शक्ति भी प्राप्त है कि वह कुछ विशिष्ठ अवस्थाओं में किसी बैंकिंग कम्पनी के उपक्रमों का अधिग्रहण कर ले । वह रिजर्व बैंक को यह निदेश भी दे सकती है कि वह किसी बैंकिंग कम्पनी का विशेष निरीक्षण करे और यदि उस निरीक्षण रिपोर्ट की जांच के बाद उसे यह संतोष हो जाय कि बैंक का कार्यकलाप इस प्रकार चलाया जा रहा है कि वह जमाकर्ताओं के हितों के लिए घातक हो सकता है । तो वह उस बैंक के कार्यचालन के स्थगन के आदेश जारी कर सकती है और रिजर्व बैंक से यह भी कह सकती है कि उस बैंक के समापन अथवा अन्य बैंकों के साथ उसके विलय की कार्रवाई करे ।

(ग) और (घ). रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि बैंकों ने गत 3 वर्षों के दौरान कांग्रेस पार्टी को रुपया दिया हो तो उसकी कोई सूचना उनके पास नहीं है ।

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

बंगलादेश अथवा थाइलैंड से कच्चे पटसन का आयात

4520. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार बंगलादेश अथवा थाइलैंड से कच्चा पटसन आयात करने का है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया): फिलहाल ऐसी कोई प्रस्थापना विचाराधीन नहीं है ।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा पश्चिमी देशों को निर्यात

4521. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों तथा अन्य पश्चिमी देशों को वर्ष 1975 और 1976 में कुल कितना निर्यात किया गया और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) समाजवादी देशों को वर्ष 1975 और 1976 में कुल कितना निर्यात किया गया और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार उत्तर कोरिया, वियतनाम तथा क्यूबा, मोजाम्बिक तथा अंगोला के साथ निर्यात करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बधी तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क), (ख) तथा (घ). एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी०–804/77]

(ग) अंगोला को छोड़ कर इन सभी देशों को भारत अपने उत्पाद निर्यात करता है । अंगोला के साथ व्यापार अभी शुरू नहीं हुआ है ।

उड़ीसा में पर्यटन केन्द्र

4522. **श्री डी० अमात** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) उडीसा में पर्यटक केन्द्र कौन-कौन से हैं

(ख) क्या पर्यटक केन्द्रों की वर्तमान सूची में कुछ और स्थान शामिल करने का प्रस्ताव हैं; और

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क) उड़ीसा में ऐसे कई स्थान हैं जिनका पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकास किया जा सकता है। तथापि जिन पर्यटक केन्द्रों में केन्द्रीय क्षेत्र में विभिन्न योजनावधियों में आवास, परिवहन तथा पर्यटक कार्यालयों के रूप में सुविधाएं प्रदान की जा चुकी है वे भुवनेश्वर, पुरी, कोणार्क, रम्भा, चिल्का झील, रूरकेला तथा हीराकुंड है ।

(ख) मुख्यत: साधनों की कमी तथा अन्य प्राथमिकताओं के कारण फिलहाल पर्यटक सुविधाओं का विकास केवल भुवनेश्वर, पुरी, कोणार्क तथा चिल्का झील में ही किया जा रहा है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उड़ीसा में कृषकों को दिया गया ऋण

4523. **श्री डी० अमात :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान उड़ीसा में कृषकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कितनी धनराशि के ऋण दिए गए ; और

(ख) क्या उत्पादन में वृद्धि के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है और यदि हां तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) उड़ीसा में कृषि प्रयोजनों के लिए (राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की बकाया राशियों की दिसम्बर, 1975 और 1976 के अन्त की स्थिति निम्नलिखित है :—

		(लाख रुपयों में)
	दिसम्बर, 1975	दिसम्बर, 1976
(क) भारतीय स्टेट बैंक समूह		
प्रत्यक्ष	352.58	687.09
अप्रत्यक्ष	89.35	29.17
	441.93	716.26
(ख) राष्ट्रीयकृत बैंक		
प्रत्यक्ष	215.23	330.43
अप्रत्यक्ष	239.54	408.80
	454.77	739.23

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि उपज पर बैंक ऋण के प्रभाव का कोई आम मूल्यांकन नहीं किया गया है। फिर भी, सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों से अनुरोध किया है कि बैंक ऋण के प्रभाव के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में सूचना इकट्ठी करने तथा रखने के लिए उचित कार्यवाई आरम्भ करें।

आपात काल के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दी गई दान की राशि

4524. **श्री अनंत दवे :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात काल के दौरान कांग्रेस पार्टी को प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा दी गई दान की राशि कितनी है ;

(ख) राजनीतिक दलों के नेताओं को तथा राजनीतिक दलों के नेताओं की फर्मों को प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक ने कितनी राशि का ऋण दिया ; और

(ग) क्या सरकार का विचार आपात काल के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण के बारे में जांच के लिए आदेश देने का है?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) सरकारी क्षेत्र के बाईस बैंकों में से उन्नीस बैंकों ने जिनके उत्तर प्राप्त हो चुके हैं सूचित किया है कि उन्होंने आपात काल के दौरान कांग्रेस पार्टी को कोई राशि दान में नहीं दी है।

(ख) बैंकों ने सूचित किया है कि शब्द "राजनीतिक दलों के नेता" सुस्पष्ट नहीं है। अतः दिसम्बर 1975 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार उनके खातों की लगभग 59 लाख की संख्या में से बैंकों के लिए यह पता लगाना कठिन होगा कि कौन से खाते राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के हैं अथवा उनकी फर्मों के हैं ;

(ग) सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि आपात काल के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण के बारे में जांच की जाये।

फालतू रबड़ के निपटान की कार्यवाही

4525. **श्री वयालार रवि** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने फालतू रबड़ का निपटान करने और छोटे उत्पादकों की सहायता करने के लिए मूल्य स्तर को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठायें हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : बेशी रबड़ की समस्या 1976–77 में विशेष रूप से महसूस होने लगी थी। उस अवधि में रबड़ की कीमतें अपेक्षतया निम्न स्तरों तक गिर गई थीं। स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने अनुमानतः 21,000 मे० टन के बेशी रबड़ के निर्यात की स्वीकृति दे दी। इसमें से लगभग 15,000 मे० टन का निर्यात किया जा चुका है तथा इसके परिणामस्वरूप कीमतें जो कि 520 रुपए प्रति क्विटल आर० एम० ए–1 ग्रेड की सांविधिक न्यूनतम कीमत के स्तर तक गिर गई थीं अब बढ़कर 620 रुपए प्रति क्विटल हो गई हैं। सरकार न्यूनतम कीमत में संशोधन करने के लिए भी सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

लेखा-परीक्षा से लेखा पृथक करने के बारे में राज्य सरकारों को निर्देश

4526. **श्री वयालार रवि** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेखा-परीक्षा से लेखा पृथक करने के कार्य को 31 अक्तूबर, 1977 तक पूरा करने के लिए भारत सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश दिये थे ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है और क्या सरकार का वचार इस बारे में नीति में कोई परिवर्तन करने का है ; और

(ग) क्या लेखा-पृथक्करण के परिणामस्वरूप राज्य सरकारों को अन्तरित किये जाने वाले लेखा-परीक्षा कर्मचारियों की सेवा-शर्तों को अन्तिम रूप दिया जायेगा और अग्रिम रूप में प्रकाशित किया जायेगा ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, नहीं । अप्रैल, 1976 में यथा संशोधित नियंत्रक महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य शक्तियां तथा सेवा शर्त) अधिनियम 1971 की धारा 10 किसी राज्य के राज्यपाल को, राष्ट्रपति को पूर्वानुमति से तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के साथ परामर्श करने के पश्चात् भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से लेखाकरण संबंधी कार्यों को अपने हक में खोलने और इस प्रकार लेखाओं को लेखा-परीक्षा से अलग करने की शक्ति प्रदान करती है। केन्द्रीय मंत्रालयों में लेखाओं के विभागीयकरण की पृष्ठभूमि में भारत सरकार ने नवम्बर, 1976 में राज्य सरकारों से लिखा-पढ़ी की थी जिसमें राज्यों में लेखाओं को लेखा-परीक्षा से अलग करने के इसी प्रकार के सुधारों के कार्यान्वयन का सुझाव दिया गया था। इस मामले में पहलू करने और व्यापक प्रस्तावों को जिनमें उससे संबन्धित तकनीकी प्रशासनिक और कार्मिक पहलू भी आ जाएं, केन्द्रीय सरकार के पास भेजने का काम राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया था।

(ख) लेखाओं को लेखा परीक्षा से अलग करने संबंधी प्रस्ताव कुछ राज्यों से प्राप्त हुए हैं और उन पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है। लेखाओं को लेखा-परीक्षा से अलग करने के लिए राज्य सरकारों दवारा भेजे गये प्रस्तावों पर भारत सरकार की स्वीकृति देते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लेखा परीक्षा विभाग के कर्मचारियों की वर्तमान सेवा शर्तों तथा वेतनमानों को उनके राज्य सरकार में स्थानान्तरण होने की स्थिति में संतोषजनक संरक्षण प्रदान किया जाए। केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृति दिये जाने से पहले प्रत्येक मामले पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से भी परामर्श किया जाएगा।

(ग) लेखाओं को लेखा-परीक्षा से अलग करने तथा राज्य सरकारों में उनके स्थानान्तरण की स्थिति में लेखा परीक्षा कर्मचारियों को राज्य सरकारों द्वारा पेश की गयी सेवा-शर्तों को पहले ही तय कर दिया जाएगा।

राजपत्रित अवकाश में कार्यालय आने के लिए नकद धनराशि देना

4527. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के राजपत्रित अवकाश में कार्यालय आने के लिए नकद समयोपरि राशि देने संबंधी वर्तमान नीति में संशोधन करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति किस प्रकार की जाएगी ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) : किफायत के संबध में सबसे हाल के अनुदेशों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के जिन गैर-औद्योगिक कर्मचारियों को रविवारों तथा छुट्टियों के दिन कार्यालय में उपस्थित होना पड़े उन्हें केवल प्रतिपूरक छुट्टी दी जानी चाहिए न कि समयोपरि भत्ता। ऐसा सरकार के प्रशासनिक व्यय में अधिकतम किफायत करने के लिए किया गया है। इस निर्णय में संशोधन करने का कोई विचार नहीं है।

कृत्रिम धागे के आयात के लिये परमिट

4528. **श्री माधव राय सिन्धिया** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृत्रिम कपड़ा बनाने वाले एककों को विभिन्न प्रकार के कृत्रिम धागे का आयात करने के परमिट दिये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में उक्त परमिट किन-किन को दिये गये और वे कितनी मात्रा के थे ;

(ग) उक्त परमिटों पर उपरोक्त अवधि के दौरान वास्तव में कितनी मात्रा में आयात किया गया ; और

(घ) आयात में यदि कोई कमी थी, तो उसका कृत्रिम कपड़ों के विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) संश्लिष्ट वस्त्रों के विनिर्माताओं के लिए नायलन फिलामेन्ट यार्न के आयात की 9–2–1977 से अनुमति दी गई है और इस का आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत है ।

(ख) से (घ): विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान नायलन यार्न के आयात के लिए कोई वास्तविक प्रयोक्ता लाइसेंस जारी नहीं किये गये थे । कमी की वजह से विगत कुछ महीनों के दौरान नायलन यार्न की कीमतें बढ़ गई हैं । चालू वर्ष के दौरान पर्याप्त मात्रा में आयात पूरे हो जाने की आशा है जिससे कीमतें गिर कर उचित स्तरों तक आ जायेंगी ।

Ex-Ministers Bank Accounts Abroad

4529. **Shri Mani Ram Bagri** : Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) the names of Ministers in the Indira Government who have bank account abroad;

(b) the names of the countries and banks where these accounts are held;

(c) the value of the property of each former Minister;

(d) whether prior permission was obtained from the Reserve Bank of India before opening the accounts in foreign banks; if not, the reasons for not taking the permission of Reserve Bank of India; and

(e) the action being taken by Government of India to bring to India the deposits of former Ministers held abroad and the details thereof ?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H. M. Patel): (a) and (b). Dr. Karan Singh holds an account in UK with Grindlays Bank Ltd. and Shri H. M. Trivedi holds an account jointly with his wife, Smt. J. H. Trivedi, in UK with Llyods Bank Ltd.

(c) The information is not readily available.

(d) Both the above mentioned accounts were opened in the year 1946, prior to extension of exchange control restrictions on monetary transactions with the U.K. and sterling area countries and, as such, no permission from the Reserve Bank of India was necessary in the matter. However, after the restrictions with the UK came into force, both the persons have been issued licences by the RBI to hold the above mentioned accounts.

(e) The Reserve Bank of India have permitted Dr. Karan Singh and Shri H.M. Trivedi, ex-Ministers, to keep a maximum balance of £500 and £100 respectively with the direction that the amounts in excess of these amounts should be repatriated to India.

Black Money amassed by Industrialists

4530. **Shri Mani Ram Bagri :** Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) the names of the industrialists against whom an enquiry was conducted by the Government of India during the last five years ;

(b) the names of the industrialists against whom there were charges of amassing black money or violation of Government rules; and

(c) whether each case has been thoroughly enquired into by Government and if so, the details of the action taken against them ?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H. M. Patel) : (a) to (c). The Income-tax Department has been making enquiries, as called for, in all cases of suspected tax evasion, including those of 'industrialists'. As per information presently available, during the five year period 1971-72 to 1975-76, the following were the numbers of penalties levied for concealment of income/wealth and the numbers of prosecutions launched for concealment of income/wealth and/or I.P.C. offences :

Financial Year	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76
Number of penalties levied for concealment of income . . .	18051	12544	12407	8216	8234
Number of penalties levied for concealment of wealth . . .	593	368	833	995	908
Number of prosecutions . . .	13	30	108	61	111

If the Honble Member desires information in respect of a particular case(s) the same can be collected and furnished.

मध्य और निम्न वर्गों के विदेशी पर्यटकों कोआकर्षित करने की संभावनायें

4531. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन को बढ़ावा देने के हमारे प्रयास मुख्य रूप से समृद्ध विदेशी पर्यटकों की आवश्यकता पूरी करने की ओर रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार ने मध्य और निम्न वर्गों के विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की संभावनाओं पर विचार किया है जिससे पर्यटक यातायात की अधिकाधिक वृद्धि हो सके ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का आवास, अच्छा भोजन तथा अन्य सुविधाओं के रूप में भारतीय संस्कृति और कला को समझने की पर्यटक-आवश्यकता पर विशेष बल देते हुए, समुचित दरों पर न्यूनतम सुविधायें देने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क) से (ग). विभिन्न आय वर्ग के अतराष्ट्रीय पर्यटकों के भारत आगमन को बढ़ावा देने के लिये सरकार हमेशा ही प्रयत्नशील रही है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पिछली / वर्तमान योजनावधियों में केन्द्रीय क्षेत्र में पर्यटक बंगलों, युवा होस्टलों व यात्री लाजों के रूप में मध्य एवं निम्न दरों वाले आवास के निर्माण तथा शिविर स्थलों के विकास की व्यवस्था की जा चुकी है अथवा करने का प्रस्ताव है। इनके अतिरिक्त राज्य क्षेत्र में बनाये गये पर्यटक बंगले भी अंतराष्ट्रीय पर्यटकों के प्रयोग के लिये उपलब्ध होते हैं। उपर्युक्त आवास ऐतिहासिक, पुरातात्विक, प्राकृतिक एवं धार्मिक महत्व के स्थानों पर उपलब्ध कराये गये हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भारतीय कला एवं संस्कृति के केन्द्रों की यात्रा कर सकें।

इसी प्रकार से भारत पर्यटक विकास निगम तथा राज्यों के परिवहन अथवा पर्यटन निगमों द्वारा संचालित दर्शनीय स्थलों की कोच यात्राएं परिचालित की जा रही हैं ताकि कम पैसे वाले पर्यटक भी हमारी सांस्कृतिक परम्परा तथा प्राकृतिक सौन्दर्य के स्थलों का भ्रमण कर सकें।

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा चालू किये गये "डिस्कवर इंडिया" विमान किराये तथा 'युवा किराये' और रेलवेज द्वारा प्रस्तुत किये गये 'इंडरेल पास' कुछ अन्य ऐसी सुविधाएं हैं जिनका सभी आय वर्गों के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक लाभ उठा सकते हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की चुनींदा शाखाओं की ऋण नीति का नमूना सर्वेक्षण अध्ययन

4532. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुछ चुनींदा शाखाओं का मोटे तौर पर यह सुनिश्चित करने के लिए नमूना सर्वेक्षण से अध्ययन किया है कि क्या उनकी ऋण देने की नीति राष्ट्रीय हितों को पूरा करती है ; और

(ख) यदि ऐसा कोई अध्ययन किया गया है तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) और (ख), सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं द्वारा अपनाई गई ऋण नीतियों के बारे में ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है फिर भी, ये शाखायें सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा बनाई गई समग्र ऋण और बैंकिंग नीतियों के दायरे में ही कार्य कर रही हैं। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के संदर्भ में, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के समग्र कार्य निष्पादन पर भी सरकार निरन्तर नजर रखती है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा छोटे ऋण कर्त्ताओं की सहायता करने के लिये किये गये सुनियोजित प्रयासों के परिणामस्वरूप कृषि, छोटे

पैमाने के उद्योग, सड़क परिवहन व्यवसायिक और स्वयंनियोजित व्यक्तियों, खुदरा व्यापार और छोटे व्यापारी आदि के उपेक्षित क्षेत्रों को दिये गये उनके ऋणों की बकाया राशि जून, 1969 में 2.60 लाख ऋणकर्त्ता खातों में 441 करोड़ रुपये थी, जो उनके समग्र ऋणों का 14.9 प्रतिशत बैठती थी, वह बढ़कर दिसम्बर, 1976 के अंत में 62.2 लाख ऋणकर्त्ता खातों में 3036 करोड़ रुपये हो गई जो उनके कुल अग्रिमों का 27.3 प्रतिशत बैठती है ।

राष्ट्रीय सार्वजनिक वितरण नीति

4533. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या, जैसा संसद में बताया गया है, सरकार का विचार उचित दरों पर समाज के सभी वर्गों को उचित प्रकार से आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए कोई राष्ट्रीय सार्वजनिक वितरण नीति लागू करने का है ;

(ख) इस नीति के निर्धारण और कार्यान्वियन की समयावधि क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस नीति के शीघ्र कार्यान्वयन की तात्कालिक आवश्यकता को ध्यान में रखा है ताकि मुनाफाखोरों दवारा लूटखसोट के बिना ही देश के दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी भी अपनी आवश्यकता पूरी कर सकें ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) व (ख), जी हां । आवश्यक वस्तुओं के लिए स्थायी सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्बन्धित प्रस्तावों को अगले तीन महीनों में अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है ।

(ग) इन प्रस्तावों के अंतर्गत दूरस्थ आदिवासी इलाकों की जनता को भी लाने का प्रस्ताव है, ताकि मुनाफाखोरों की लूट-खसौट से उन्हें बचाया जा सके ।

समुद्री उत्पादों का निर्यात करने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियां

4534. **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनकी शाखायें भारत में हैं और जो समुद्री उत्पादों का निर्यात कर रही है ;

(ख) उनका किन-किन देशों से सम्बन्ध है ;

(ग) गत तीन वर्षों में निर्यात किये गये समुद्री उत्पादों की मात्रा कितनी है तथा उत्पादों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इनका किन देशों को निर्यात किया गया ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी०--805/77]

गुजरात में बंद की गई विमान सेवायें

4535. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में गत दो वर्षों के दौरान बंद की गई विमान सेवाओं की संख्या और अन्य ब्यौरे क्या हैं;

(ख) इनके बन्द होने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार इन्हें पुनः आरम्भ करने पर विचार कर रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान इंडियन एयरलाइन्स द्वारा गुजरात के नगरों के लिए कोई भी विमान सेवा बन्द नहीं की गयी।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

समेकित कपड़ा नीति

4536. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादकों को रूई के लाभप्रद मूल्य और उपभोक्ताओं को उचित दर पर कपड़ा मिलने के आधार पर सरकार ने कोई समेकित कपड़ा नीति बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) समेकित वस्त्र नीति बनाने के लिये सक्रिय रूप से विचार हो रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राज्य व्यापार निगम द्वारा चपड़ा (शेलाक) की खरीद

4537. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने चालू वर्ष में खुले बाजार से चपड़ा खरीदने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो कितना तथा उसकी खरीद का तरीका क्या होगा; और

(ग) चालू वर्ष में चपड़ा के निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) जी हां।

(ख) जी चपड़ा खरीद लिया गया है। चालू वर्ष के दौरान अब तक जिसके खरीदने के लिए प्रबन्ध अंतिम रूप से कर लिये गये हैं, उसकी मात्रा 1035 मे० टन है। खरीदारियां विश्वसनीय सप्लायरों से प्रतियोगी पेशकशों के आधार पर की जाती हैं। परन्तु यह खरीद बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्य अभिकरणों से राज्य व्यापार निगम द्वारा की गई लाख दाने की खरीद से अलग है। 1977-78 के लिए लाख दाने की खरीद का लक्ष्य 5,500 मे० टन है।

(ग) चालू वर्ष के दौरान सभी किस्मों के चपड़े लिए निर्धारित निर्यात लक्ष्य 10,000 टन है।

भारत पर्यटन विकास निगम के कार्यकरण के बारे में एक समिति का गठन करना

4538. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के कार्यकरण की जांच करने और भारत में अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये मार्गोपायों का सुझाव देने के लिये एक समिति का गठन करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन-कौन से होंगे; और

(ग) इस समिति का गठन कब तक कर लिया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं। भारत पर्यटन विकास निगम के कार्यचालन की जांच करने के लिये एक नई समिति गठित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भारत पर्यटन विकास निगम का पुनर्गठन करने के लिये 1974 में एक समिति स्थापित की गई थी, जिसकी रिपोर्ट जल्दी ही प्राप्त हो जाने की आशा है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

एयर इंडिया का अध्यक्ष

4539. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया के आरम्भ से ही एयर इंडिया का निरन्तर एक ही व्यक्ति अध्यक्ष रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी वर्तमान पदावधि कब खत्म हो रही है और क्या सरकार का उनकी पदावधि को और आगे बढ़ाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां।

(ख) चेयरमैन सहित एयर इंडिया के बोर्ड का वर्तमान कार्यकाल 31-1-1978 तक है। पूरे बोर्ड के पुनर्गठन का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

लेखा-परीक्षा से लेखा पृथक् करने की योजना का पुनरीक्षण

4540. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लेखा-परीक्षा से लेखा पृथक करने की योजना के पुनरीक्षण और उसकी पूर्व स्थिति लाने के प्रश्न पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) सम्भवतः इसका ...र्भ केन्द्र में लेखाओं को लेखा-परीक्षा से अलग करने की योजना से है। सरकार योजना के परिवर्तन पर विचार नहीं कर रही है।

(ख) योजना की मुख्य-मुख्य बातें संलग्न विवरण-पत्र में दी गई हैं।

विवरण

कन्द्र में लेखाओं को लेखा-परीक्षा से अलग करने संबंधी योजना की मुख्य-मुख्य बात

लेखाओं को लेखा-परीक्षा से अलग किये जाने से पहले प्रचलित लेखाकरण की पद्धति के अन्तर्गत जिला राजकोषों तथा उप-राजकोषों के माध्यम से सभी अदायगियां की जाती थीं तथा सरकार को देय रकमों का संग्रहण किया जाता था और लेखाओं का संकलन नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अधीन कार्य कर रहे संयुक्त लेखा-परीक्षा और लेखा कार्यालयों द्वारा किया जाता था। वित्तीय प्रशासन, में सुधार लाने की दृष्टि से विशेषतः आयोजनागत योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के संदर्भ में, सरकार ने लेखाओं को लेखा-परीक्षा से अलग करने और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में विभागीयकृत लेखाकरण प्रणाली को अप्रैल, 1976 से शुरू करके चरणबद्ध रूप में लागू करने का निर्णय किया। लेखाओं के विभागीयकरण के पीछे मुख्य उद्देश्य यह था :—

(क) आयोजनागत परियोजनाओं को बनाने, उनका कार्यान्वयन करने तथा उन पर नियंत्रण रखने में सहायता देने के लिए प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को समय पर तथा ठीक-ठीक लेखाकरण संबंधी सूचना उपलब्ध करना; और

(ख) कर्मचारियों के व्यक्तिगत दावों की तुरन्त अदायगी करके तथा सरकार को देय रकमों की अदायगी के लिए जनता को बेहतर सुविधाएं प्रदान करके कर्मचारियों और जनता में अपेक्षाकृत अधिक संतोष का सुनिश्चित करना।

2. विभागीयकृत लेखाकरण पद्धति की मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के लिए उस मंत्रालय/विभाग का सचिव मुख्य लेखाकरण प्राधिकारी है और वह इस उत्तरदायित्व को वित्तीय सलाहकार के माध्यम से निभाता है;

(2) प्रत्येक मंत्रालय तथा मुख्य कार्यात्मक विभागों में एक प्रधान लेखा अधिकारी के अधीन, जिसकी सहायता के लिए एक अथवा एक से अधिक वेतन तथा लेखा अधिकारी होते हैं एक अलग और स्वयं में पूर्ण लेखाकरण संगठन की स्थापना की गयी है। वेतन तथा लेखा कार्यालय पूर्व-जांच के पश्चात् अदायगी करने, विभागीय प्राप्तियों का लेखाकरण करने, प्राप्तियों तथा व्यय के लेखाओं का संकलन करने और कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखाओं को रख-रखाव करने के लिए जिम्मेदार हैं। परन्तु, पेंशनों की अदायगी के लेखाकरण की जिम्मेदारी अभी तक विभागीयकृत लेखा संगठन द्वारा नहीं ली गयी है और यह अभी भी नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की है;

(3) कर्मचारियों के व्यक्तिगत दावों तथा आकस्मिक व्यय से संबंधित अदायगियों में तेजी लाने के उद्देश्य से चैक आहरण संबंधी शक्तियां भी अनेक विभागीय अधिकारियों को दी गई हैं;

(4) सरकारी क्षेत्र के चुने हुए बैंकों के माध्यम से सभी अदायगियां की जाती हैं तथा प्राप्तियों को वसूल किया जाता है—प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के लिए एक बैंक को नामित किया जाता है;

(5) कर-दाताओं को अपेक्षाकृत अधिक सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण करनें की प्रणाली देश-भर में लागू कर दी गई है।

(6) लेखा-महानियंत्रक के अन्तर्गत वित्त मंत्रालय के एक अंग के रूप में एक संगठन की स्थापना की गयी है जिसकी जिम्मेदारी विभागीयकृत लेखा-संगठन में तकनीकी रूप से सुदृढ़ लेखाकरण पद्धति की स्थापना करने तथा उसे बनाये रखने की है। 1-4-1977 से भारत सरकार के असैनिक लेखाओं को समेकित करने की जिम्मेदारी लेखा-महानियंत्रक की होगी। वह, नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणीकरण के पश्चात्, संसद् में पेश करने के लिए सभी मंत्रालयों के विनियोजन लेखाओं (1976-77 के लेखाओं से) को भी समेकित करेगा।

(7) लेखाकरण को प्रबंध का एक प्रभावी साधन बनाने के उद्देश्य से वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय सलाहकार समिति की स्थापना की गयी है जो आयोजनागत योजनाओं के कार्यक्रम तैयार करने, उन पर नियंत्रण रखने तथा उनका मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त लेखाकरण तथा प्रबन्ध सूचना प्रणाली को तैयार करने और बजट संबंधी नियंत्रण में सुधार करने के लिए मंत्रालयों/विभागों की सहायता करेगी।

3. लेखाओं के विभागीयकरण की योजना के अन्तर्गत चूंकि वेतन तथा लेखा कार्यालय संबंधित मंत्रालय/विभाग के अभिन्न अंग के रूप में कार्य करते हैं इसलिए दावों और देय रकमों की शीघ्रता से जांच और अदायगी की जाती है। अगले महीने के समाप्त होने से पहले ही अब संबंधित मंत्रालयों विभागों के लिए मासिक लेखे उपलब्ध होते हैं और इससे बजट तथा व्यय संबंधी नियंत्रण रखने में सुविधा होती है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से सरकार को देय रकमों की अदायगी की व्यवस्था किये जाने से आम जनता को काफी सुविधा हो गई है जिससे जनता को ज्यादा संतुष्टि हुई है।

अहमदाबाद से बम्बई अथवा दिल्ली जाने वाले विमान यात्री

4541. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अहमदाबाद से बम्बई अथवा दिल्ली जाने वाले बहुत से यात्रियों को भारी असुविधा होती है और प्रायः इस बात से परेशानी होती है कि अहमदाबाद से बम्बई को जाने वाला और बम्बई से अहमदाबाद को आने वाला केवल एक ही विमान है जबकि इससे पहले दो विमान होते थे और अहमदाबाद से दिल्ली आने वाला विमान प्रातः की बजाय सायंकाल में उड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का क्या तात्कालिक उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख). जी, हां। इंडियन एयरलाइंस नवम्बर, 1977 से लागू होने वाली अपनी शीतकालीन समयावलि में दिल्ली/अहमदाबाद/बम्बई सैक्टर पर एक दैनिक प्रातःकालीन सेवा का परिचालन करने की संभावना की जांच करेगी।

स्वैच्छिक प्रकटन योजना के अधीन प्रकट की गई आय

4542. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे व्यक्तियों के नामों की सूची क्या हैं, जिन्होंने स्वैच्छिक प्रकटन योजना के अधीन 5 लाख रुपये से अधिक की राशि और 15 लाख रुपये से अधिक की छिपी सम्पत्ति की घोषणा की; और

(ख) ऐसे कितने व्यक्ति हैं, जिन्हें तस्कर समझा जाता है और उनके नाम क्या हैं और इन व्यक्तियों ने आय कर और धन कर के अधीन कितनी धनराशि की घोषणा की ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) तथा (ख). आय तथा धन का स्वेच्छया प्रकटन अध्यादेश 1975 (अब, आय तथा धन का स्वेच्छया प्रकटन अधिनियम 1976) में, धारा 3(1) के अन्तर्गत तलाशी लेने तथा माल पकड़ने के मामलों के अलावा अन्य मामलों में आय को स्वेच्छा से प्रकट करने, धारा 14(1) के अन्तर्गत तलाशी लेंने तथा माल पकड़ने के मामलों में आय को प्रकट करने और धारा 15(1) के अन्तर्गत धन को प्रकट करने की व्यवस्था है।

जहां तक धारा 3(1) के अन्तर्गत, घोषणाओं का सम्बन्ध है, धारा 12 में अन्य बातों के साथ-साथ यह शर्त है कि उसमें निहित सभी व्यौरे गोपनीय माने जायेंगे और कोई भी सरकारी कर्मचारी, धारा 8 की उपधारा (1) अथवा धनकर अधिनियम में उल्लिखित कार्यों में से किसी भी कार्य के निष्पादन में नियुक्त किसी अधिकारी को अथवा आयकर प्राप्तियों अथवा वापसियों की लेखापरीक्षा के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा अथवा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी के अलावा किसी भी अन्य अधिकारी को नहीं बतायेगा। इसलिए, जिन व्यक्तियों ने 5 लाख रुपये से अधिक की अघोषित आय की धारा 3(1) के अन्तर्गत घोषणा की है उनका व्यौरा देना धारा 12 में किये गये उपबन्धों का उल्लंघन करना होगा।

धारा 14(1) और 15(1) के अन्तर्गत की गई घोषणाओं के बारे में अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) तस्करों को विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1974 के अधीन नजरबन्द किया जा सकता था। आय तथा धन का स्वेच्छया प्रकटन अधिनियम, 1976 की धारा 21 में निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए, जिस व्यक्ति के सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1974 के अधीन नजरबन्दी के आदेश जारी कर दिये गये थे, वह व्यक्ति अघोषित आय तथा धन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की घोषणा नहीं कर सकता था।

स्टेट बैंक आफ इंडिया के कर्मचारियों के बच्चों को नौकरी देने के लिए रियायत

4543. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को संसद सदस्यों से हाल ही में इस बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है कि स्टेट बैंक आफ इंडिया, दिल्ली सर्किल के ऐसे कर्मचारियों के बच्चों को नौकरी देने में कुछ रियायतें दी जायें जिन कर्मचारियों ने भारत पाक युद्ध के दौरान सीमा क्षेत्रों में स्वेच्छा से बाह्य कार्य करने का प्रस्ताव किया और कार्य किया;

(ख) क्या सरकार ने स्टेट बैंक आफ इंडिया को निदेश दिया है कि उक्त कर्मचारियों के बच्चों को बैंक में उपयुक्त नौकरी देने में कुछ रियायतें दी जायें; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार ने उक्त कर्मचारियों के हितों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाये हैं?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग). हाल ही में सरकार को भारतीय स्टेट बैंक के दिल्ली सर्किल के उन कर्मचारियों के बच्चों को रोजगार में रियायतें देने के बारे में संसद सदस्यों से कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है, जिन्होंने भारत–पाक युद्ध के दौरान सीमा क्षेत्रों में बहिरंग (आउट-डोर) काम करने के लिये अपनी इच्छा से अपनी सेवायें अर्पित कीं, और सीमावर्ती क्षेत्रों में काम किया हो किन्तु अप्रैल मई, 1976 में दो संसद सदस्यों ने भारतीय स्टेट बैंक के एक ऐसे कर्मचारी की लड़की को नौकरी देने की विशेष रूप से सिफारिश करते हुए सरकार को लिखा था, जिसने 1965 के भारत–पाक युद्ध के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में काम किया था। चूंकि सरकार ने ऐसे कर्मचारियों के बच्चों के लिये कोई रियायत/छूट नहीं दी है इसलिये ये अनुरोध स्वीकार नहीं किये गये।

कीटनाशी औषधियों पर आयात शुल्क

4544. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न कीटनाशी औषधियों के आयात पर उत्पादन शुल्क में काफी असंगति है;

(ख) क्या अनेक कीटनाशी औषधियों के संगठनों ने सभी कीटनाशी औषधियों को एक समान स्तर पर लाने और सभी किस्मों के कीटनाशकों/फफूंदीनाशकों/खरपतवार नाशकों पर समान उत्पाद-शुल्क लगाने की मांग की है ताकि वे कृषक समुदाय को किफायती दरों पर उपलब्ध हो सकें;

(ग) क्या सरकार का विचार सीमा-शुल्क को एक समान बनाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है और सरकार ने छोटे तथा सीमान्त कृषकों के हित की रक्षा के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) (क) से (घ). समस्त कीटनाशक/फफूंदीनाशक/खरपतवार नाशक रसायनों के आयात पर सीमा-शुल्क समान रूप से लगाया गया है, जिसमें 60 प्रतिशत मूल शुल्क और 15 प्रतिशत उपसंगी शुल्क शामिल है। परन्तु सरकार को, इन रसायनों पर सीमा शुल्क कम करने के सम्बन्ध में आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिन पर विचार किया जा रहा है।

टोकियो अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर इण्डिया के जेट लाइनर के इंजन में आग

4545. **श्री गंगा सिंह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टोकियो अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर इण्डिया के जेट लाइनर में 9 जुलाई, 1977 को कोई आग लग गई थी; और

(ख) यदि हां, तो आग लगने के क्या कारण थे और इसके फलस्वरूप यदि कोई क्षति हुई है; तो कितनी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख). जी, हां। टोकियो हवाई अड्डे पर एयर इंडिया के बोइंग 707 विमान वी०टी-डी एस आई के, जो 9 जुलाई, 1977 को टोकियो-बम्बई की अनुसूचित उड़ान ए आई- 315 परिचालित कर रहा था, इंजन में आग लगने की घटना हुई। इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। टोकियो में की गयी प्रारम्भिक जांच के अनुसार संभवतया यह घटना कम्प्रैसर सैक्शन में ईंजन की आंतरिक खराबी के कारण हुई। आगे जांच की जा रही है तथा आग लगने के सही कारणों एवं क्षति की माला के बारे में जांच पूरी हो जाने के पश्चात् ही पता चलेगा।

Exports and Imports during 1977-78

4546. **Shri Yagya Datt Sharma :** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state the total value, in foreign exchange, of commodities likely to be imported and exported during 1977-78 ?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) : Export expectations for the year 1977-78 are pleased in the region of Rs. 5750—6000 crores, depending on the trading conditions abtaining in foreign markets. It is too early to make any fair assessment of likely imports during the current financial year. However, in view of the recent increase in the price or of crude oil and various measures taken by the Government to liberalise imports of materials, components, spares & equipment and other necessary items like edible oils, raw cotton etc. the overall imports during 1977-78 may exceed the previous year's level.

कृत्रिम रेशम के धागे की कताई करने की मिलें

4547. **श्रीमती बी० जयलक्ष्मी :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृत्रिम रेशम के धागे की कताई की मिलों की संख्या कितनी है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) :

विनिर्माण की मद	एककों की संख्या
(1) विस्कोस फिलामेंट यार्न	8
(2) विस्कोस स्टेपल रेशा	2
(3) एसिटेट रेशा तथा यार्न	1
(4) नायलन फिलामेंट यार्न	8
(5) पोलिस्टर स्टेपल रेशा	5
(6) पोलिस्टर फिलामेंट यार्न	6
	30

इनके अतिरिक्त, औसतन 115 सूती कताई एकक वस्त्र आयुक्त द्वारा दी गई सामान्य अनुमति के अधीन स्टेपल रेशे से काता जाने वाला यार्न कात रहे हैं जो इस प्रयोजन के लिए उद्योग

(विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राप्त 24 स्टेपल रेशा कताई मिलों के अलावा हैं।

Financial irregularities committed by Central Government Undertakings

4548. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Finance & Revenue & Banking** be pleased to state :

(a) whether Government are taking any action to investigate into the financial irregularities committed by Public Sector Undertakings during emergency; and

(b) if so, the facts in this regard and names of the cases of financial scandalous transactions and bungling beinginvestigated and the time by which the investigations would be completed therein ?

The Minister of Finance & Revenue & Banking (Shri H. M. Patel) (a) & (b). As the Hon'ble Member is aware Government have decided to investigate irregularities and excesses committed during the emergency. This decision would apply to financial irregularities committed by Public Enterprises also. It would be the endeavour to complete all such investigations as expeditiously as possible.

Reduction in the Price of Coarse Cloth

4549. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) the action being taken by Government to reduce the prices of coarse cloth.

(b) the arrangements made for distribution of coarse cloth in Aligarh and Bulandshahar Districts; and

(c) the action being taken by Government to ensure that there is no shortage of coarse cloth in the future ?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) : (a) to (c). Apparently reference is to controlled cloth, the prices of which are statutorily fixed. It may not be possible to further reduce the existing price of controlled cloth. Allotments of controlled cloth produced every month are made by the Textile Commissioner to the Government of India to each State, pro-rata, on the basis of population in the State. Sale within the State is the responsibility of the State Government. Availability for future will depend on the production levels.

* * *

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा व्यक्तिओं/फर्मों/कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही

4550. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रवर्तन निदेशालय ने गत 2 वर्षों में जिन व्यक्तियों, कम्पनियों तथा फर्मों के विरुद्ध कार्यवाही की उनके नाम एवं पते क्या हैं ;

(ख) प्रत्येक मामले का ब्यौरा क्या है और निदेशालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई ;

(ग) क्या कुछ मामलों में कार्यवाही बन्द कर दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों एवं कम्पनियों के नाम क्या हैं और कार्यवाही बन्द करने के क्या कारण हैं ;

वित्त तथा राजस्व और बैंकिग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (घ). 1–6–1975 से 31–5–1977 तक के पिछले दो वर्षों के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने जांच-पड़ताल के लिये 10,358 मामले दर्ज किये और इस प्रकार की जांच-पड़ताल के सम्बन्ध में 3,898 तलाशियां भी ली गई जिनके परिणामत: अपराध आरोपणीय दस्तावेजों के अतिरिक्त, भारतीय तथा विदेशी मुद्रा की बहुत सी रकमें भी पकड़ी गईं। इस अवधि के दौरान 212,228 कारण बताओ नोटिस जारी किये गये, 11,722 मामलों में न्यायनिर्णय किया गया और 297 शिकायतें न्यायालय में दायर की गईं। इनमें से कुछ मामलों में जांच पड़ताल का कार्य, ऊपर उल्लिखित तारीख, अर्थात 1–6–1975 से भी पहले, आरम्भ किया जा चुका था।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दी गई कार्यवाही का ब्यौरा निदेशालय द्वारा रखे गये आंकड़े के आधार पर, ऊपर दिया गया है। जिन मामलों को छोड़ दिया गया था उनके बारे में अलग से कोई आंकड़े नहीं रखे गये हैं। जांच-पड़ताल के कुछ मामलों में एक से अधिक व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त होते हैं, एक ही व्यक्ति के विरुद्ध एक से अधिक तलाशियां ली जाती हैं तथा कुछ मामलों में एक ही व्यक्ति के नाम पर एक से अधिक, कारण बताओ नोटिस जारी किये जाते हैं। कुछ मामलों में एक ही कारण बताओं नोटिस के अन्तर्गत एक से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं। न्यायालय में दायर की गई शिकायतों के बारे में भी यही स्थिति है। कुछ मामलों में ऐसे भी हो सकता है कि जिस व्यक्ति के नाम कारण बताओ नोटिस जारी किया गया हो वह वही व्यक्ति हो जिसके विरुद्ध न्यायालय में शिकायत दायर की गई हो। प्रश्न में पूछे गये सभी ब्यौरों को प्रस्तुत करने का अर्थ यह होगा कि सूचना एकत्र करने के लिये सभी 10,000 फाइलों में से प्रत्येक फाइल देखी जाय और हो सकता है कि उससे प्राप्तव्य परिणाम, उसमें लगने वाले श्रम और समय के अनुरूप नहीं हों। यदि माननीय सदस्य के ध्यान में कोई विशेष मामला (मामले) हों तो, तत्सम्बन्धी पार्टियों के नाम दिये जाने पर, उनके सम्बन्ध में ब्यौरा प्रस्तुत किया जा सकता है। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करने वाले विभिन्न व्यक्तियों को दी जाने वाली सजा के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि विभागीय न्याय-निर्णय के मामलों में यह सजा, दण्ड लगाये जाने तथा गैर कानूनी मुद्रा को जब्त किये जाने के रूप में दी जाती है जबकि अभियोजिन के मामलों में यह सजा, न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किये जाने पर, कारावास तथा जुर्मानों के रूप में होती है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के दिये गये ऋण

4551. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 2 वर्षों में राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा जीवन बीमा निगम से 1 करोड़ रुपये से अधिक राशि का ऋण लेने वाली पार्टियों के नाम तथा पते क्या हैं ;

(ख) उनसे क्या जमानत ली गई थी ;

(ग) क्या सरकार को बैंकों अथवा जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण देने में बरती गई अनियमितताओं के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

2055 L.S.—9

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जीवन बीमा निगम से सम्बन्धित सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

रिजर्व बैंक ने बताया है कि ऐसे 1546 खाते हैं जिनमें राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 11 करोड़ रुपये से अधिक की ऋण सीमाएं मंजूर की गई हैं। दिसम्बर, 1975 के अन्त की स्थिति के अनुसार इन खातों में बकाया राशि 3326 करोड़ रुपये थी।

(ख) से (घ) : बैंक सभी अग्रिमों के मामलों में प्रतिभूति लेते हैं ; प्रतिभूति की प्रकृति, अलग अलग मामलों में उपलब्ध करायी गयी सुविधा पर निर्भर करती है। निर्धारित कार्यप्रणाली के अनुपालन में बैंक यदि कोई अनियमितता बरतते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत बैंकों का निरीक्षण करते समय उसकी जांच की जाती है और सम्बन्धित बैंकों की निरीक्षण रिपोर्ट में उसे आवश्यक कारवाई के लिये दिखाया जाता है।

जिन मामलों में बैंकों द्वारा कुल ग्राहकों को सुविधाएं प्रदान करने के बारे में लगाये गये गम्भीर आरोप के मामलों विषयक सूचना को तथा सरकार द्वारा उन पर की गयी कार्रवाई को अतारांकित प्रश्न संख्या 4553, जिसका उत्तर आज दिया जा रहा है, के उत्तर में दे दिया गया है।

जीवन बीमा निगम द्वारा दिये गये ऋणों के सम्बन्ध में इसी तरह की सूचना, जिसमें कोई आरोप लगाया गया है, इकटठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से मंत्रियों द्वारा स्वतः प्रगटन

4552. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार के उन मन्त्रियों के नाम तथा पते क्या हैं जिन्होंने हाल की स्वेच्छा प्रगटन योजना के अन्तर्गत आयकर विभाग में स्वतः प्रगटन किया है ;

(ख) प्रत्येक व्यक्ति ने कितनी धनराशि प्रगट की है ; और

(ग) उनके द्वारा घोषित आस्तियों का स्रोत क्या है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) :(क) तथा (ख). आय तथा धन का स्वेच्छया प्रकटन अध्यादेश 1975 (अब, आय तथा धन का स्वेच्छया प्रकटन अधिनियम 1976) में, धारा 3(1) के अन्तर्गत तलाशी लेने तथा माल पकड़ने के मामलों के अलावा अन्य मामलों में आय को स्वेच्छा से प्रकट करने, धारा 14(1) के अन्तर्गत तलाशी लेने तथा माल पकड़ने के मामलों में आय को प्रकट करने और धारा 15(1) के अन्तर्गत धन को प्रकट करने की व्यवस्था है।

जहां तक धारा 3(1) के अन्तर्गत घोषणाओं का सम्बन्ध है, धारा 12 में अन्य बातों के साथ साथ यह शर्त है कि उसमें निहित सभी ब्यौरे गोपनीय माने जायेंगे और कोई भी सरकारी कर्मचारी, धारा 8 की उपधारा (1) अथवा धनकर अधिनियम में उल्लिखित कार्यों में से किसी भी कार्य के निष्पादन

में नियुक्त किसी अधिकारी को अथवा आयकर प्राप्तियों अथवा वापसियों की लेखापरीक्षा के लिए भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अथवा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी के अलावा किसी भी अन्य अधिकारी को नहीं बतायेगा। इसलिये, माननीय सदस्य ने जो सूचना मांगी है, उसे बताने से धारा 12 के उपबन्धों की गोपनीयता का उल्लंघन होगा।

धारा 14(1) तथा 15(1) के अन्तर्गत की गई घोषणाओं के बारे में अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायगी।

(ग) आय तथा धन की स्वेच्छया प्रकटन नियमावली 1975 के अन्तर्गत घोषणा करने वालों से यह अपेक्षा नहीं की जाती थी कि वे परिसम्पत्ति (परिसम्पत्तियों) में लगायी गयी आय के स्रोतों का उल्लेख करें।

Complaints against Chairmen of Nationalised Banks

4553. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) the names of the Chairmen of nationalised banks against whom complaints have been received by Government during the last two years;

(b) the details of the complaints received against each one of them; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H. M. Patel): (a) and (b). A statement containing the names of Chairmen and Managing Directors of the public sector banks against whom complaints were received, along with the nature of allegations against each in brief is enclosed (Annexure) [*Placed in the Library. See* No. LT-806/77.] These complaints were received by the Central Government during the period of two years beginning from Ist July, 1975.

(c) Each of these complaints, where the facts of allegations were susceptible of verification, were enquired into an appropriate action taken in consultation with the Reserve Bank of India.

Development of Dev Ghar and Vasuki Nath in Santhal Parganas as places of Tourist Attraction

4554. **Shri Jagdambi Prasad Yadav** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Dev Ghar and Vasuki Nath in the Santhal Parganas are the famous pilgrim places in the country where lakhs of pilgrims from every part of the country and abroad visit every year;

(b) whether the Central Government have not taken any steps for their Development as places of tourist attraction so far and the reasons therefor; and

(c) whether there are many pilgrim and beautiful places near Dev Ghar and whether Government propose to develop these places by making arrangements ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik): (a) to (c). There are a large number of pilgrim centres and places of scenic beauty in the country, Dev Ghar and Vasuki Nath in the Santhal Parganas and other centres around Dev Ghar being some of them. However, no facilities for the pilgrims at the above places have been provided in the Central Sector due mainly to constraint on resources and other priorities

Board of Directors of Nationalised Banks

4555. **Shri Jagdambi Prasad Yadav** : Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) whether Government have examined the lists of members of Board of Directors ot nationalised banks; and

(b) the particulars of members other than the officers of these banks and justification for their inclusion in the Board of Directors ?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H. M. Patel): (a) and (b). The existing Boards of Directors of the 14 nationalised banks were constituted in accordance with the provisions of the clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 on 11th December, 1972. These Boards include, aparat from the Chairmen and Managing Directors, officials of the Reserve Bank of India and the Central Government, employee directors and representatives of depositors, farmers and artisans. Besides these, there are non-official directors drawn from different walks of life and having special knowledge or practical experience of matters likely to be useful for the working of the nationalised banks. The fields of knowledge and experience considered useful are economics, management, accountancy and administration, engineering, cooperation, industry, commerce, banking, etc. These Boards are expected to be reconstituted shortly.

Communication for United Nations regarding Cooperative Movement

4556. **Shri Jagdambi Prasad Yadav** : Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether keeping in view the importance of cooperative movement, the United Nations have asked the member countries to lay stress on its development and have passed a resolution in which all the countries have been asked to communicate their experiences regarding development of cooperative movement and its constructive work; and

(b) if so, the details of the communication sent or likely to be sent by the Government and the action being taken at national level on the basis thereof?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) : (a) Yes, Sir.

(b) The replv to be sent to the United Nations will indicate the structural and institutional reforms in the Cooperative movement its role in equitable distribution of income, member participation, contribution towards development, statistical information about Cooperation, and some general information about exchange of experience with other countries.

Setting up Head Offices or Companies in Public and Private Sectors at Patna.

4557. **Shri Birendra Prasad** : Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) whether the head offices of all the companies under public and private sectors in Bihar producing coal, iron and mica are located either in Calcutta or in Bombay as a result Bihar Government sustain annual loss of crores of rupees; and

(b) if so, whether, in view of backwardness of Bihar, Government propose to direct these public or private sector companies to set up their head offices at Patna ?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H. M. Patel) : (a) and (b). All the Central Government Companies operating in Bihar in the coal, iron and steel and mica industries have their head offices in that State as indicated below :—

1. Bokaro Ispat Ltd., Bokaro, Bihar ;

2. Central Coalfields Ltd., Ranchi, Bihar :

3. Central Mine Planning and Design Institute, Ranchi, Bihar;
4. Bharat Coking Coal Ltd., Dhanbad, Bihar;
5. Mica Trading Corporation Ltd., Patna, Bihar.

The location of the head office outside the State where the producing unit is located does not result in less of levies like sales tax, State excise and octroi to the State Government as these are payable at the producing/sales point.

The Government do not have powers to direct private sector Companies to set up their head offices/registered offices at any particular place.

कृषि पुर्नवित्त निगम द्वारा मध्य प्रदेश में उद्योग को दिये गये ऋण

4558. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि पुर्नवित निगम ने मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन से सम्बद्ध विभिन्न उद्योगों को गत तीन वर्षों में कितने ऋण दिये ; और

(ख) इस बारे में क्या प्रगति हुई है और क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) . कृषि पुर्नवित और विकास निगम औद्योगिक ऋण के लिए पुर्नवित की व्यवस्था नहीं करता। किन्तु, मैंन्यूफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग समग्र कृषि विकास योजना का अंग होने पर, योजना पुर्नवित पाने की पात्र होती है।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता प्राप्त डेरी विकास परियोजना में एक समन्वित डेरी विकास कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है, जिसे 6 वर्षों की अवधि में कार्यान्वित किया जायेगा तथा उसकी कुल लागत 25 करोड़ रुपए है जो कृषि पुर्नवित्त विकास निगम द्वारा मंजूर की गई है। अब तक इस परियोजना के अन्तर्गत कोई रकम नहीं दी गई है।

मध्य प्रदेश में कृषि पर आधारित उद्योगों की कोई योजना निगम द्वारा मंजूर नहीं की गई है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मध्य प्रदेश के जिलों में दिये गये ऋण

4559. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के उन जिलों के नाम क्या हैं जिनमें राष्ट्रीयकृत बैंक परियोजनाओं के माध्यम से 1975–76 के दौरान कुओं के निर्माण, पम्प लगाने तथा कृषि के विकास के लिये ऋण मंजूर किये गये हैं ; और

(ख) उक्त परियोजनाओं के पूरा होने के उपरान्त, जिलावार कितनी भूमि अतिरिक्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध होने से, जिलावार कितनी भूमि को लाभ पहुंचेगा ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) . राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रश्न में दिये गये प्रयोजनों के लिए अलग-अलग दिये गये अग्रिमों के जिलेवार वर्गीकरण और उससे लाभान्वित भूमि का क्षेत्रफल उपलब्ध नहीं है। फिर भी, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा मध्य प्रदेश में कृषि प्रयोजनों के लिए मंजूर किये गये सावधिक ऋणों तथा मार्च, 1976 को बकाया की स्थिति विषयक आंकड़े नीचे दिये जा रहे हैं।

(लाख रुपयों में)

	प्रयोजन	भारतीय स्टेट बैंक समूह	राष्ट्रीयकृत बैंक	जोड़
1.	कुओं और नलकूपों को खोदना और गहरा करना	385.94	315.03	700.97
2.	पम्प सेट/डिइल इंजन .	334.91	396.62	731.53
3.	संयुक्त छोटी सिंचाई योजनाएं .	120.05	296.94	416.99
4.	ट्रैक्टर और कृषि औजार तथा मशीनें	524.07	623.73	1147.80
5.	हल के लिए पशु (बैल) . . .	4.67	9.96	14.63
6.	भूमि सुधार और विकास योजनाएं	2.66	13.89	16.55
7.	गोदाम और ठण्डे गोदामों का निर्माण	0.38	0.57	0.95
8.	बागान . . .	0.01	0.31	0.32
9.	अन्य सावधिक ऋण . . .	40.38	35.20	75.58
	जोड़ . . .	1413.07	1692.25	3105.32

Introduction of Regular Airbus Flights of Air India to Gulf Countries

4560. **Shri Bhagirath Bhanwar :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to introduce regular flights of Air India Airbus to Gulf countries and if so, the outline thereof; and

(b) the time by which these services would be started ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) and (b). Under an arrangement between Air India and Indian Airlines, twice a week Airbus flights have been introduced to Dubai and Muscat with effect from 18th June, 1977.

Every Saturday	Bombay/Dubai/Bombay
Every Sunday	Bombay/Muscat/Bombay.

स्वदेशी काटन मिल, कानपुर का अधिग्रहण

4561. **डा० बापु कालदाते :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने और किसी रुग्ण मिल/मिलों का अधिग्रहण न करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो स्वदेशी काटन मिल, कानपुर का अधिग्रहण करने के लिए मजदूर संघों द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की जायेगी ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) जी हां ।

(ख) हिन्द मजदूर सभा, कानपुर ने सुझाव दिया था कि स्वदेशी काटन मिल कानपुर के प्रबन्ध में महाराष्ट्र की एक अन्य मिल की भांति परिवर्तन कर दिया जाए जहां बैंक वित्त के अतिरिक्त ऋण के सन्दर्भ में बैंक तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधि प्रबन्धक मण्डल में रखे गए हैं । यदि राज्य सरकार बैंक तथा सम्बन्धित पक्षकार इस प्रकार की शुरूआत करें तो केन्द्रीय सरकार द्वारा अर्थक्षम परियोजनाओं के लिए सभी सम्भव सहयोग दिया जाएगा ।

बिना प्रतिभूति के बैंकों द्वारा ऋण मंजूर किया जाना

4562. **श्री बालासाहिब बिखे पाटिल** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मन्त्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक अधिकारी भूमिहीन, श्रमिकों तथा कलाकारों को बिना किसी प्रतिभूति के ऋण मंजूर नहीं करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : ('क) जहांअर्थक्षम योजनाओं पर मूल रूप से जोर दिया जाता है, वहां बैंक अब सुरक्षा उन्मुख ऋण प्रदान करने के बजाय प्रयोजन और उत्पादनोन्मुख ऋण प्रदान कर रहे हैं और जमानत को अधिक प्रधानता नहीं देते हैं । उन भूमिहीन मजदूरों को जो कोई ठोस जमानत जुटा पाने की स्थिति में नहीं हैं, सामूहिक गारण्टी योजना के अधीन अत्यावधि ऋण प्रदान किया जाता है । कारीगरों को सामान्यतः औजारों, उपकरणों, कच्चे माल, आदि जिन्हें बैंक सहायता से खरीदा गया है, बन्धक रखने पर ऋण प्रदान किया जाता है । यदि उपलब्ध हो सके, तो तीसरी पार्टी की गारण्टी भी ली जाती है । लेकिन यदि ऋणकर्त्ता कोई ठोस गारण्टी देने की स्थिति में नहीं होता तो इसके लिए जोर नहीं दिया जाता ।

(ख) सरकार इस प्रयोजन और उत्पादनोन्मुख ऋणों पर जोर दिये जाने की एक प्रशंसनीय बात मानती है ।

रबड़ के संशोधित मूल्य की घोषणा में विलम्ब

4563. **श्री बी० के० नायर :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि सरकार द्वारा रबड़ के संशोधित मूल्य घोषित किये जाने में विलम्ब के कारण केरल में रबड़ बागान उद्योग में जहां डेढ़ लाख से भी अधिक कर्मचारी रोजगार पर लगे हैं, चल रही वेतन सम्बन्धी बातचीत बन्द हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या वह तुरन्त मूल्य निर्धारित करने के लिए कदम उठायेंगे ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) :

(क) जी नहीं

(ख) रबड़ की न्यूनतम कीमत में संशोधन करने का प्रस्ताव विचाराधिन है तथा शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की आशा है ।

मैसर्स गोदरेज सोप मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी और अन्य फर्मों को खाद्य तेल के आयात के लाइसेंस देना

4564. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोदरेज सोप मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई और स्वराज, पोल तथा अन्य व्यक्तियों की स्वामित्व वाली अप्पीजय प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता तथा अन्य 13 फर्मों को जारी किए गए लाइसेंसों के आधार पर प्रत्येक फर्म को कितनी कितनी मात्रा में तेल आयात करने की अनुमति दी गई तथा कितनी कीमत के खाद्य तेल के आयात की अनुमति दी गई और प्रत्यक को कितनी विदेशी मुद्रा की स्वीकृति दी गई :

(ख) क्या अमीचन्द प्यारे लाल से सम्बद्ध अप्पीजय नामक फर्म गम्भीर आर्थिक अपराध और स्टेनलैस स्टील और अन्य अनेक वस्तुओं के आयात की चोर बाजारी में शामिल थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें मैसर्स गोदरेज सोप मन्यु० क० बम्वई, एपीज प्रा० लि०, कलकत्ता समेत 13 फर्मों

को प्रदान किए गए लाइसेंसों के मूल्य दिए गए हैं। खाद्य तेल के लाइसेंसों पर मूल्य का उल्लेख केवल सीमा निश्चित करने के लिय किया जाता है। प्रत्येक मामले में विदेशी मुद्रा की वास्तविक रिलीज हर पार्टी द्वारा किए गए आयातों पर निर्भर होती है। किसी भी पार्टी को कोई विदेशी मुद्रा तब तक नहीं दी जाती जब तक कि उसे अपने आयातों के लिए भुगतान न भेजना हो।

(ख) मैसर्स एपीजे प्रा०-लि० अमीनचन्द ग्रुप आफ कन्सर्न के अधीन फर्म है। अमीनचन्द ग्रुप के विरुद्ध उनके वस्तु-विनिमय लाइसेंसों के एवज में निर्यात दायित्व पूरा न किए जाने के सम्बन्ध में कुछ अभिकथन है।

(ग) 'सरकार आयोग' की रिपोर्ट के आधार पर मैसर्स प्रा० लि० को 18–6–66 से 31–3–71 तक की पांच लाइसेंसिंग अवधियों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने पर रोक लगा दी गई थी। फर्म को फरवरी, 1977 में खाद्य तेल के आयात के लिए जब लाइसेंस दिया गया था तब वह फर्म आयात लाइसेंस प्राप्त करने से वारित नहीं थी।

विवरण

	लाइसेंसधारी का नाम	खाद्य तेल तथा तिलहन के आयात के लिए दिये गये आयात लाइसेंसों का कुल मूल्य
		(रु०)
1.	मैसर्स गोदरेज सोप लिमिटिड, बम्बई . .	47 [illegible],21,774
2.	मैसर्स जमनादास माघवजी एंड कं०, बम्बई	7;86,97,500
3.	मैसर्स जय हिन्द आयल मिल्स, बम्बई .	9, 00,00,000
4.	मैसर्स कमानी आयल मिल्स, बम्बई .	13,50,00,000
5.	मैसर्स श्री कृष्ण आयल मिल्स, बम्बई .	9,65,00,000
6.	मैसर्स कराची खोपरा मिल्स, बम्बई	8,41,50,000
7.	मैसर्स अपीजय (प्रा०) लि० कलकत्ता .	5,00,00,000
8.	मैसर्स प्रभात सोल्वेंट एक्ट्रकशन प्रा० लि०, मानवदार	10,05,00,000
9.	मैसर्स ओसनिक सोलवेन्ट इन्डस्ट्रीज, जामनगर	5,50,00,000
10.	मैसर्स कृष्ण आयल केक इंडस्ट्रीज, उपलेता	5,00,00,000
11.	मैसर्स बजरंग लाल अमृत कुमार, कलकत्ता . .	20,00,00,000
12.	मैसर्स दी वजिटेबल विटामिन फूड्स कं० (प्रा०) लि०, बम्बई	4,93,83,560
13.	मैसर्स मुलजीत देवशी एंड कं०, बम्बई . . .	4,61,50,000

काफी के निर्यात शुल्क में कमी

4565. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में काफी के निर्यात शुल्क में की गई कमी से देश में काफी के मूल्य में वृद्धि होगी ; और

(ख) हाल, ही में काफी के निर्यात शुल्क में की गई कमी के बाद देश में काफी के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकाररिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) काफी के निर्यात शुल्क में कमी होने से घरेलू कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि निर्यात तथा घरेलू खपत के लिए काफी अलग-अलग से रिलीज की जाती है । यह बात पिछले छः महीनों के दौरान काफी की मुख्य श्रेणियों की घरेलू नीलाम कीमतों के निम्नलिखित उतार-चढ़ाव से स्पष्ट हो जाएगी :—

काफी के 50 किग्रा० के बैग की कीमत

	निर्यात शुल्क की प्रति क्विंटल दर	प्लांट (ए)	अरेबिका चेरी ए० बी०	रोबस्टा चेरी ए० बी०
	रु०	रु०	रु०	रु०
जनवरी, 1977	1300	537.00	514.50	508.25
फरवरी, 1977	1300	550.50	526.50	523.50
मार्च, 1977	1300	529.75	497.50	450.25
अप्रैल, 1677	26 तारीख को संशोधित करके 2200 रु० की गई	508.50	471.75	480.00
मई, 1977	18 तारीख को कम करके 1600 रु० की गई	501.50	474.00	486.75
जून, 1977	25 तारीख को कम करके 1100 रु० की गई ।	510.25	97.75	464.00

सरकारी क्षेत्र में बैंकों के वेतन ढांचे का मानकीकरण

4566. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्री वी० आर० पिल्ले के नेतृत्व में नियुक्त समिति के, जिसने सरकारी क्षेत्र के सब बैंकों के वेतन ढांचे के मानकीकरण के बारे में जांच की थी, प्रतिवेदन पर कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि इस बारे में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है, तो वह उक्त समिति द्वारा मई, 1974 में प्रस्तुत प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित करेगी ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख). राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों के वेतन मानों, भत्तों, अनुलाभों आदि के मानकीकरण के लिए श्री वी० आर० पिल्ले की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट अभी सरकार के विचाराधीन है और समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के बारे में शीघ्र ही निर्णय किया जायगा ।

सरकारी क्षेत्र में बैंकों के अधिकारियों को देय महंगाई भत्ते की दरें

4567. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में स्थित बैंकों के अधिकारियों को देय मंहगाई भत्तें की दरें बैंक-बैंक में भिन्न-भिन्न हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सरकारी क्षत्रों में बैंकों के अधिकारियों को देय महंगाई भत्ते की दरें युक्तियुक्त करने और मूल्य सूचकांक तैयार करने के लिए विभिन्न वस्तुओं की समान महत्व देने के बारे में कार्य की है ; और

(ग) सरकार का इस मामले में उनके निर्णय को कब तक क्रियान्वित करने का विचार है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) विभिन्न सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों को देय मंहगाई भत्ते की दरों में अंतर है ।

(ख) और (ग). राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों के वेतनमानों, मंहगाई भत्ते सहित भत्तों और अन्य अनुलाभों के मानकीकरण के लिए श्री वी० आर० पिल्ले की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है ।

उपभोक्ता मूल्य सूची में शामिल की गई विभिन्न वस्तुओं पर समान बल देने के सम्बन्ध में सरकार के श्रम मंत्रालय ने उपभोक्ता मूल्य सूची के विभिन्न पहलुओं की जांच करके सिफारिशें करने के लिए 31 मई, 1977 को एक समिति का गठन किया है ।

स्टेट बैंक आफ इंडिया के निदेशक बोर्ड में कर्मचारी निदेशक

4568. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इण्डिया के निदेशक बोर्ड में कोई कर्मचारी निदेशक है;

(ख) स्टेट बैंक आफ इण्डिया अधिनियम (सशोधन) अधिनियम, को जिसे स्टेट बैंक आफ इंडिया के निदेशक बोर्ड में उक्त कर्मचारी निदेशक को नियुक्त करने के लिए संसद ने वर्ष 1973 में पारित किया था, प्रभावी बनाने के लिए कोई कार्यवाही की गई है;

(ग) संसद द्वारा वर्ष 1973 में पारित उक्त उपबन्ध को सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों में प्रभावी बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) दो निदेशकों की एक स्टेट बैंक का प्रतिनिधित्व करने वाला, जो कर्मचारी है और दूसरा कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला, जो कमचारी नहीं है, नियुक्ति के मामले, में क्या कठिनाइयां सामने आई हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (घ). इस समय भारतीय स्टेट बैंक के निदेशक मण्डल में कोई भी कर्मचारी निदेशक नहीं है। भारतीय स्टेट बैंक (संशोधित) अधिनियम, 1973 के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक तथा इसके अनुषंगी बैंकों के निदेशक मण्डलों में दो कर्मचारियों को एक तो कामगार कर्मचारियों में से और दूसरा सबंधित बैंक के उन गैर-कामगार कर्मचारियों अर्थात अधिकारियों में से निदेशक नियुक्त किया जाता है। सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 49 और 1973 में यथा संशोधित भारतीय स्टेट बक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम की धारा 62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी निदेशकों की नियुक्ति के लिए नियम बना दिए है। कामगार-निदेशक की नियुक्ति प्रतिनिधि कर्मचारी संघ द्वारा सरकार को भेजे गए तीन कर्मचारियों के पेनल में से होगी। प्रतिनिधि कर्मचारी संघ को, मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) द्वारा बैंक में कार्यरत कर्मचारी संघों की सदस्यता की ठीक-ठीक जांच करने के बाद, प्रमाणित किया जाता है।

2. मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को जुलाई, 1974 में आवश्यक जांच करने के लिए कहा गया था। जब छः अनुषंगी बैंकों के बारे में मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई तो यह सूचित किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक और एक अनुषंगी बैंक की जांच अपने अन्तिम चरण में है और शीघ्र ही इसके परिणामों को अन्तिम रूप दिए जाने की आशा है। जसे ही जांच के परिणाम प्राप्त होंगे वैसे ही इन सभी बैंकों में नियमों के अधीन कामगार निदेशक की नियुक्ति करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ अधिकारी निदेशक की नियुक्ति भी की जाएगी।

Creation of New Posts in Punjab National Bank

4569. **Shri Ram Naresh Kushwaha :** Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) whether despite the Prime Minister's economy appeal for austerity two new posts of Deputy General Manager have been created and new recruitments have been made in Punjab National Bank; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H. M. Patel): (a) & (b). The instructions issued by the Government *vide* their O.M. No. F. 14(4)/EE(Coord)/77, date 27th May, 1977 on economy in administrative expenditure of Government contemplate that all new recruitments of non-technical and non-operational staff in public sector undertakings be made subject to the approval of the Board of Directors of the concerned organisation. Punjab National Bank has reported that one additional post of Deputy General Manager was sanctioned by its Board of Directors in its meeting held on 10th June, 1977. According to the bank, the senior management level of the bank is thin and much less in number compared to other banks of comparable size and therefore, new recruitment is necessary for meeting expanding business of the bank.

Export of Stainless Steel Utensils

4570. **Shri Ugrasen :**
Shri Kalyan Jain :

Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state:

(a) Whether stainless steel utensils made in India are in great demand abroad;

(b) the value of such utensils exported during the past two years; and

(c) the countries which imported these utensils and the value of utensils imported by each country ?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) : (a) to (c). Export of Stainless Steel Utensils from India has been increasing progressively over the years. Country-wise exports of stainless steel utensils during 1974-75 and 1975-76 are given below :

Country	Value of Exports (Rs. lakhs) 1974-75	1975-76
Malaysia	50.25	40.00
U.K.	22.96	38.87
U.S.A.	6·43	30·61
United Arab Emirates	6·95	15·45
Singapore	9·85	11·94
Saudi Arabia	0·28	11·69
Kuwait	3·21	5·25
Zambia	11·94	5·14
Total including others	141·36	186·60

Country-wise figures for 1976-77 are not avilable. But, the provisional figure of exports of stainless steel utensils and cutlery during the year is Rs. 258·00 lakhs.

Delegation of World Trade Centre Association

4571. **Shri Ugrasen :**
Shri Kalyan Jain :

Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether the Delegation of World Trade Centre Association had met him in New Delhi recently and talks were held with them for increasing trade between the two countries; and

(b) the details of the scheme being formulated for increasing export of Indian Commodities to America as also the details of the special programme chalked out for increasing the sale of Indian handicrafts and cottage industry goods in America and the detaills of the talks held with the said Delegation ?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia): (a) Yes, Sir.

(b) It was mainly a courtesy call. Among other things I discussed with the delegation prospects of increasing India's exports to U.S.A. I brought to their notice the fact that India's share in U.S. imports was negligible and the percentage had gone down over the years. I also explained to the delegates my concern about the employment situation in India and the need for development of cottage and small scale industry. I requested the delegates to extend their special co-operation for increasing the exports of the products of such industries to U.S.A.

Intensive efforts are being made to increase India's exports to U.S.A. This is being done through export promotion measures like conducting market surveys, sending sales delegations, inviting buying delegations from U.S.A. holding Buyer-Seller Meets in U.S.A. participation in specialised fairs in that country and opening of Foreign offices of Indian Export Promotion organisation. There is no special programme for increasing sale of India's handicrafts and cottage Industry goods in America, but intensified efforts are being made for exports of these products, as for others.

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की शिकायतें

4572. **डा० बापू कालदाते :**
श्री वसंत साठे :
श्रीमती मृणाल गोरे :

क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्री महोदय जब 21 मई, 1977 को बम्बई में जीवन बीमा निगम के केन्द्रीय कार्यालय के दौरे पर गए थे तब वह अखिल भारतीय जीवन बीमा कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों से मिले थे;

(ख) क्या उन्होंने बोनस सम्बन्धी मुख्य शिकायत सहित जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की शिकायतों पर बातचीत की थी;

(ग) क्या बोनस विवाद, निपटाने के लिए प्रतिनिधियों को कोई आश्वासन दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) और (घ). कर्मचारी संघ को बता दिया गया था कि सरकार मामले पर विचार कर रही है ।

भारत-पाकिस्तान सीमा पर तस्करी तथा चोरी से शराब लाने ले जाने की गतिविधियां

4573. **श्री के० लकप्पा :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि भारत-पाकिस्तान सीमा पर चोरी से शराब लाने ले जाने की घटनाओं में हाल में वृद्धि हुई है और प्रत्यक्षतः तस्करों की गतिविधियां भी शुरू हो गई हैं ; और

(ख) यदि हां तो इन गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) अनुमातः प्रश्न का सम्बन्ध भारत-पाकिस्तान सीमा पर शराब के अवैध व्यापार और तस्करी से है । सरकार को मिली रिपोर्टों से यह संकेत नहीं मिलता है कि तस्करी के ऐसे क्रिया कलापों में कोई वृद्धि हुई है ।

(ख) हांलांकि भारत-पाकिस्तान सीमा के आर-पार तस्करी को प्रभावी ढंग से रोका जा रहा है, तथापि तस्करी विरोधी उपायों को सुदृढ़ किया जा रहा है । इन उपायों में सीमा पर सुगमता से पार किए जा सकने वाले क्षेत्रों और मुख्य परिवहन मार्गों की गश्त लगाना और भारत-पाकिस्तान सीमा पर तैनात सीमा-सुरक्षा बल के साथ निकट सम्पर्क स्थापित करके एक जुट होकर कार्यवाही करना शामिल है ।

बैंक ड्राफ्ट की फोटोस्टेट कापी के बारे में मारा गया छापा

4574. श्री **ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवर्तन निदेशालय की शाखा द्वारा श्री संजय गांधी और श्रीमती मेनका गांधी से पूछताछ की गई है और क्या इस सम्बन्ध में कोई छापा मारा गया है ;

(ख) क्या बैंक ड्राफ्ट बैंक चैक ट्रांसफर आर्डर की फोटोस्टेट कापी पर दिखाई देने वाले हस्ताक्षरों की समूचे विश्व में बैंकों के पास आम तौर पर उपलब्ध नमूना हस्ताक्षरों से पुष्टि की गई है ; और

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग). प्रवर्तन निदेशालय ने 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित बैंक ड्राफ्ट की फोटोस्टेट प्रतिलिपि के सम्बन्धित जांच के बारे में श्री संजय गांधी और श्रीमती मेनका गांधी से न तो कोई पूछताछ की है और न ही कोई छापा मारा है।

बर्न में स्थित कन्टोनल बैंक ने सूचित किया है कि श्री संजय गांधी और श्रीमती मेनका गांधी में से किसी का भी उनके बैंक के साथ न तो कोई व्यापारिक सम्बन्ध है और न ही कभी ऐसे सम्बन्ध रहे हैं। 6 जुलाई 1977 के 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित बैंक ड्राफ्ट की फोटोस्टेट प्रतिलिपि के सम्बन्ध में कन्टोनल बैंक का मत यह है कि यह दस्तावेज बैंक द्वारा अपने एक ग्राहक को जारी किए गए उस मूल दस्तावेज का जाली रूप होगा जिसे यह धारणा फैलाने के लिए तैयार किया गया होगा कि श्री संजय गांधी तथा श्रीमती मैनका गांधी का उस बैंक के साथ व्यापारिक सम्बन्ध है। बैंक ने यह भी सूचित किया है कि इस मामले में वह बहुत चिन्तित है और इसलिए वह उस पार्टी से सम्पर्क स्थापित कर रहा है जिसके नाम पर यह ड्राफ्ट वास्तव में जारी किया गया था।

बैंक ड्राफ्ट की फोटोस्टेट प्रतिलिपि पर दोनों हस्ताक्षरों का, ग्रिन्डलेज बैंक, नई दिल्ली (जो कन्टोनल बैंक स्विटजरलैंड के एजेन्ट के रूप में कार्य कर रहा है) से प्राप्त किए गए नमूना हस्ताक्षरों की जेरोक्स प्रतियों से मिलान किया गया है और केन्द्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला नई दिल्ली की राय है कि हस्ताक्षर मिलते हुए नजर आते हैं। परन्तु केन्द्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला मूल ड्राफ्ट के अभाव में जो जांच के लिए उपलब्ध नहीं है इस आशय की कोई निश्चित राय देने में असमर्थ है कि 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित ड्राफ्ट की प्रतिलिपि में दिखाए गए हस्ताक्षर बैंक अधिकारियों के असली हस्ताक्षर हैं अथवा नहीं। कन्टोनल बैंक से प्राप्त ऊपर उल्लिखित सूचना को ध्यान में रखते हुए इस तरह की जांच का कोई महत्व नहीं रह जाता।

पंजाब नेशनल बैंक के श्री तुली की कालावधि का बढ़ाया जाना

4575. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब नेशनल बैंक के श्री तुली की कालावधि जो शीघ्र खत्म होने वाली है को बढ़ाया जा रहा है ; और

(ख) क्या यह सच है कि उक्त अधिकारी विज्ञापनों के माध्यम से श्रीमती मेनका गांधी को बहुत सहायता दे रहा था ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) श्री टी० आर० तुली की वर्तमान सेवा अवधि 31-7-1977 को समाप्त होने पर पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(ख) पंजाब नेशनल बैंक ने "सूर्य इंडिया" नामक मैगजीन में 21,600/–रु० की कुल लागत से 6 पूरे पृष्ठों के विज्ञापन बुक किए थे। लेकिन बैंक ने अग्रिम अदायगी पर 15 प्रतिशत के डिस्काउन्ट का लाभ उठाया और उसने केवल 18,360/– रु० ही अदा किए।

ये विज्ञापन उक्त पत्रिका के दिसम्बर 1976 फरवरी, अप्रैल और जून 1977 के माह में प्रकाशित हुए हैं। अगस्त और अक्तूबर 1977 के अंकों में दो विज्ञापन प्रकाशित होने की सम्भावना है।

विजया बैंक की शाखाओं में कथित अनियमिततायें

4576. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विजया बैंक की विभिन्न शाखाओं से रिजर्व बैंक की हाल ही की निरीक्षण रिपोर्टों में (एक) अनिमितताओं (दो) गलत बयानी (तीन) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के निदेशों की गम्भीर उपेक्षा तथा (चार) बैंक के निदेशक बोर्ड आदि को गुमराह करने के बहुत से मामले दर्शाए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप हानि हुई है और बैंक की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या इस बैंक की शाखाओं तथा कार्यालयों पर हाल ही में पीछे आयकर विभाग द्वारा छापे मारे गए हैं; और

(ग) इस बैंक के कार्यालयों की स्थिति ठीक करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के उपबन्धों के अनुसार 30 जून 1975 की स्थिति के सन्दर्भ में रिजर्व बैंक द्वारा विजया बैंक और इसकी पुस्तकों एवं खातों की जांच की गई थी। जांच रिपोर्ट की एक प्रति विजया बैंक को उसकी टिप्पणी के लिए भेजे जाने की भी सूचना मिली है। रिजर्व बैंक से उसके द्वारा ली गई जांच की जांच-रिपोर्ट की प्रति सरकार को भेजने की अपेक्षा नहीं की जाती और न ही उसने भेजी है। रिजर्व बैंक ने यह भी बताया है कि कार्यरत बैंक के बारे में इनकी जांच रिपोर्ट की किसी बात को भी बताना जन हित में नहीं होगा।

(ख) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सूचित किया है कि उनके द्वारा विजया बैंक लि० की विभिन्न शाखाओं में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 132 के अधीन तलाशियां और धारा 133क के अधीन सर्वेक्षण कार्य किए गए थे।

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कार्यचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षित और विनियमित होता है। रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने विजया बैंक के निदेशक मंडल में तीन निदेशक नियुक्त किए हैं। जांच की रिपोर्ट पर विजया बैंक से प्राप्त टिप्पणी के आधार पर रिजर्व बैंक का प्रस्ताव है कि बैंक को नए निदेश जारी किए जायें।

Money Made through M.M.T.C.

4577. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to conduct an enquiry in regard to the activities of the former Commerce Minister as reported in the 18th June, 1977 issue of 'Current' Weekly;

(b) whether it is a fact that in the middle of 1976 some capitalists were granted illegal icences and funds were collected for Congress party ;

(c) whether it is also a fact that Congress and Sanjay Gandhi had made substantial money through M.M.T.C.; and

(d) if so, the facts and the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) : (a) No enquiry is so far contemplated in regard to the activities of the former Commerce Minister.

(b) to (d). As no specific cases have been mentioned, it is not possible to furnish any information on these points.

Articles Imported by Swami Dhirendra Brahmachari

4578. **Shri Raghavji** : Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) whether Swami Dhirendra Brahmachari incharge of Yogashram in Delhi paid a visit to Japan a few years ago and if so, in which year;

(b) whether Swami Dhirendra Brahmachari or his Yogashram was allowed to import certain articles without paying customs duty and if so, the value of articles imported by him without paying customs duty; and

(c) the value of articles imported by him from foreign countries without paying customs duty during the last ten years ?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H. M. Patel) : (a) No authentic records are available with the Department to indicate whether Swami Dhirendra Brahmachari paid a visit to Japan a few years ago. However, from a letter available on the Department's file it appears that Swami Dhirendra Brahmachari had visited Japan sometime in April/May, 1970.

(b) A T.V. set, claimed to have been gifted to Vishwayatan Yogashram, Delhi by a firm of Hong Kong, was imported by Swami Dhirendra Brahmachari as his unaccompanied baggage in 1970. The T. V. set of an assessed value of Rs. 1,200 was exempted from duty for reason of it being required by an institution engaged in the teaching of Yoga. On another occasion one Maule aeroplane with accessories imported from U.S.A. and claimed to be a gift to Aparna Ashram, Mantalai, District Udampur (J. & K.) was exempted from payment of customs duty by the Government in July, 1976. The value of the aeroplane with the accessories was declared to be about Rs. 4·9 lakhs.

(c) In the absence of relevant dates/details of imports or of his journeys it is not possible to state if Swami Dhirendra Brahmachari or the Yogashram had imported any other goods during the last ten years, without payment of duty under the Baggage Rules, Transfer of Residence Rules or otherwise.

सीमा-शुल्क अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

4579. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात काल के दौरान नई दिल्ली के श्री रमेश चन्द्र मुंजाल, लक्ष्मण-दास आहूजा और कृष्ण लाल आहूजा को 'कोफेपोसा' के अन्तर्गत झूठ-मूठ फंसाया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं और इस त्रुटि के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख). जी नहीं। श्री रमेश मुंजाल, लक्ष्मणदास आहूजा और श्री कृष्णलाल आहूजा को संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक द्वारा जारी किए गए दिनांक 3–7–76 के नजरबन्दी आदेशों के अनुसरण में तस्करी का सामान अर्थात् कलाई घड़ियां और घड़ियों के पुर्जे रखने, छिपाने और उनका व्यापार करने में लगे रहने से रोकने की दृष्टि से नजरबन्द किया गया था। इसलिए अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

Enquiry into the Working of M.M. .C.

4580. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to conduct an enquiry in regard to the news item published in 18th June, 1977 issue of 'Current' Weekly that previous Government had appointed some persons to high posts in M.M.T.C.;

(b) whether a relation of former Railway Minister was appointed to a high post in the Corporation ;

(c) whether an enquiry is being conducted in regard to the activities of the Chairman, M.M.T.C. so as to reveal the bunglings made at that time; and

(d) whether Government propose to appoint a Commission for conducting an impartial enquiry in regard to the working of M.M.T.C. and the appointments made therein during the last three years ?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) : (a) and (c) . The facts relating to cases referred to in the 'Current' Weekly of 18th June, 1977 are *inter-alia*, being looked into departmentally. Further action would be decided in the light of the results of the departmental investigations.

(b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(d) There is no such proposal to appoint any Commission. However, the Indian Institute of Management, Ahmedabad, has been asked to study the working of the MMTC and its subsidiaries.

बुल्गारिया से खरीदी गई टेटरासाइक्लीन हाइड्रोक्लोराइड

4581. **श्री किशोर लाल :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन ने दिसम्बर 1976 और मई 1977 में बुल्गारिया से 65 मीटरी टन टेटरासाइक्लीन हाइड्रोक्लोराइड खरीदी थी ;

(ख) क्या इन खरीददारों के बारे में केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन के प्रबन्ध निदेशक के आचरण की जांच की जा रही है और वाणिज्य मंत्रालय का एक वरिष्ठ अधिकारी स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष जांच में बाधा डाल रहा है ; और

(ग) जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं और दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स निगम ने बुल्गारिया से क्रमशः 50 मे० टन तथा 30 मे० टन टेट्रासाइक्लीन हाइड्रोक्लोराइड खरीदने के लिए दिसम्बर 1976 तथा मई 1977 में दो संविदाएं तय की थीं।

(ख) तथा (ग). सरकार को इन खरीदारियों में इस निगम के कई कर्मचारियों द्वारा किए गए कथित कदाचारों के बारे में रिपोर्ट मिली है। मामले की वस्तु-स्थिति पर विचार किया जा रहा है।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली-सदर) **:** मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री आर० मोहनरंगम (चेंगलपट्टू) : दो दिन पूर्व तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने तमिलनाडु विधान सभा में दो भाषा सूत्र के बारे में एक वक्तव्य दिया था। प्रधान मंत्री ने उस वक्तव्य की आलोचना की है और कहा है कि उनका वक्तव्य ठीक नहीं है। क्या प्रधान मंत्री संसद् के सदस्य तथा इस सभा के सदस्य होने के नाते तमिलनाडु विधान सभा के समक्ष दिये गये वक्तव्य की आलोचना कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : श्री गुप्ता का व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री आर० मोहनरंगम : आप मेरा निवेदन सुन लीजिये। आप केवल पुराने सदस्यों को अवसर देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह केवल आपकी शिकायत है।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : आपकी अनुमति से, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह काफी संवेदनशील मामला है और कई माननीय सदस्य इस बारे में उत्तेजित हैं। उन्होंने नियम

377 के अधीन सूचना दी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मामले पर चर्चा करने के लिए कोई समय मिल सकता है।

श्री ए० बाला पजनौर (पाण्डिचेरी) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री ए० बाला पजनौर : दो सरकारें हैं---तमिलनाडु और पांडिचेरी। मैं अपने दल के नेता की हैसियत से निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले पर ध्यान दिया जाना चाहिए। किसी विशेष मुख्य मंत्री के विरुद्ध इस प्रकार का वक्तव्य देना और दूसरे मुख्य मंत्री अर्थात् बिहार के मुख्य मंत्री जिसने कहा है कि राज्य की भाषा केवल हिन्दी है, को कुछ न कहना एक विचित्र मामला है। मद्रास की जनता के मन में इस वक्तव्य के प्रति रोष है।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले पर विचार करने के बाद यदि मैं आवश्यक समझूंगा, तो प्रधान मंत्री को वक्तव्य देने को कहूंगा।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं आपका ध्यान नियम 54(1) की ओर दिलाना चाहता हूं। यह नियम अल्प सूचना प्रश्नों से सम्बन्धित है। नियम इस प्रकार है :---

> "लोक महत्व के विषय के सम्बन्ध में कोई प्रश्न पूरे दस दिन से कम की सूचना पर पूछा जा सकेगा और यदि अध्यक्ष की यह राय हो कि प्रश्न अविलम्बनीय प्रकार का है तो वह निदेश दे सकेगा कि सम्बन्धित मंत्री से पूछताछ की जाये कि वह उत्तर देने की स्थिति में है या नहीं और यदि हां, तो किस तिथि को।"

मैंने कई अल्प सूचना प्रश्न भेजे हैं। मैं नहीं जानता कि उन प्रश्नों का क्या हुआ। प्रश्न दो सप्ताह पहले भेजे गये थे। अपेक्षित यह है कि अध्यक्ष का कार्यालय मंत्री से पूछता कि क्या वह उत्तर दे सकते हैं अथवा नहीं। हमें पता लगना चाहिए कि उन प्रश्नों का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यदि आप चाहें तो मुझ से मेरे कक्ष में मिल सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं केवल आधी मिनट का समय लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, मैंने श्री उग्रसेन को कहा है, पहले उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिये।

Shri Ugra Sen (Deoria) : Mr. Speaker, Sir, my submission is that the Ministers may kindly be asked not to give evasive replies of our questions.

श्री वयालार रवि (चिरयिकील) : यदि ऐसा हो जाता है, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि अब प्रश्न-काल समाप्त हुआ है। फिर सभा-पटल पर पत्र रखे जायेंगे और उसके बाद ध्यान आकर्षण। उसके बाद 'शून्य काल' होगा। किसी को भाषण के बीच में नहीं बोलना चाहिए। यह ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप बिल्कुल ठीक कहते है, परन्तु यह बात आप अपने आप पर भी लागू कीजिये।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पत्र, एक विवरण तथा केन्द्रीय रेशम बोर्ड का 1975–76 का प्रतिवेदन

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) (क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये** संख्या एल०टी०–788/77]

(दो) (क) निर्यात ऋण तथा प्रतिभूति निगम लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1975 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) निर्यात ऋण तथा प्रतिभूति निगम लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1975 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए** संख्या एल०टी०–789/77]

(2) उपर्युक्त मद (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए** संख्या एल०टी०–789/77]

(3) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 12क के अन्तर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड के वर्ष 1975–76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [**ग्रंथालय में रखे गये। देखिए** संख्या एल०टी०–790/77]

सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त और राजस्व तथा बैंककारी मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) सा०सां०नि० 838 जो दिनांक 2 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०सां०नि० 895 जो दिनांक 9 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा०सां०नि० 896 से 898 जो दिनांक 9 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०–791/77]**

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : महोदय, मुझे महासचिव, राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (संख्या 2) विधेयक को, जो लोक-सभा द्वारा 14 जुलाई, 1977 को हुई अपनी बैठक में पास किया गया था तथा राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, लौटाने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि इस सभा को उक्त विधेयक के बारे में राज्य सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

विधेयकों पर अनुमति

ASSENT TO BILLS

सचिव: महोदय, मैं चालू सत्र के दौरान संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित तीन विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत प्रमाणित प्रतियां सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 1977

(2) राष्ट्रपतीय तथा उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) विधेयक, 1977

(3) योग उपक्रम (प्रबन्ध-ग्रहण) विधेयक, 1977

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF PUBLIC IMPORTANCE

मूंगफली के तेल के बाजार से गायब होने तथा मूल्यों में असाधारण वृद्धि का कथित समाचार

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपुर) : महोदय, मैं वाणिज्य और नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें। "मूंगफली के तेल के बाजार से गायब होने, उसकी कीमतों में असाधारण वृद्धि होने, दोहरे शुद्ध किए गए खजूर के तेल

को मूंगफली के तेल के रूप में बेचे जाने के समाचार और मूंगफ़ली के तेल की कमी को पूरा करने के लिए उसकी चोर-बाजारी रोकने के लिए सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही का कथित समाचार"

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : महोदय, मैं बाजारों से मूंगफली के तेल के कथित लोप, उसके मूल्यों में असाधारण वृद्धि, दो बार परिष्कृत ताड़ के तेल की मूंगफली के तेल के रूप में कथित बिक्री और मूंगफली के तेल की कमी दूर करने तथा उसकी कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार द्वारा की जा रही कारंवाई के बारे में एक वक्तव्य दे रहा हूं।

माननीय सदस्य जानते ही हैं कि मूंगफली उगाने वाले प्रमुख राज्य गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक हैं और दूसरे राज्यों की मूंगफ़ली के तेल की मांगें प्रमुख उत्पादक राज्यों से मंगाकर ही पूरी करनी होती हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि यह मूंगफली के तेल के बारे में कमी का मौसम है और प्रमुख उत्पादक राज्यों में उपलब्ध स्टाक करीब-करीब समाप्त हो गया होता है। माननीय सदस्य भी कृपया इस बात से सहमत होंगें कि इस वर्ष इस मौसमी प्रक्रिया ने उत्पादन में हुई कमी के कारण ही गम्भीर रूप लिया है। वर्ष 1975–76 में मूंगफली का उत्पादन 16.2 लाख मीटरी टन हुआ था, जिसके मुकाबले में उसके बाद के वर्ष में केवल 12.50 लाख मीटरी टन उत्पादन होने का अनुमान है। इसलिए खपत वाले राज्यों के मण्डी केन्द्रों में इसकी आमद में कमी हुई है और परिणामस्वरूप मूल्य चढ़े हैं।

इस बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं कि बम्बई में परिष्कृत ताड़ के तेल अथवा पामोलियन को मूंगफली के तेल के रूप में बेचा जा रहा है। इन शिकायतों की जांच की जा रही है।

यह जानते हुए कि इस वर्ष मूंगफली का तेल अपेक्षाकृत कम मात्रा में उपलब्ध है, सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए कुछ उपाय किए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण उपाय वनस्पति घी के निर्माण में मूंगफली के तेल पर रोक लगाने तथा सीधी खपत के लिए रेपसीड तेल का आयात करने का निर्णय है। मैंने पहले भी एक अवसर पर सूचित किया था कि राज्य नागरिक पूर्ति आयुक्तों के माध्यम से महत्वपूर्ण केन्द्रों में उचित मूल्य की दुकानों के जरिए अधिक से अधिक 8.50 रुपए प्रति किलोग्राम के अन्तिम फुटकर भाव पर परिष्कृत आयातित रेपसीड तेल वितरित करने के लिए व्यवस्था की गई है।

त्यौहार के मौसम में वितरण के लिए राज्य व्यापार निगम के माध्यम से 20,000 मीटरी टन मूंगफली का तेल आयात करने की व्यवस्था की गई है।

विभिन्न उपायों के किए जाने के परिणामस्वरूप कुछ नीजी व्यापारी आयातित तेल लाने के लिए अपने लाइसेंसों का प्रयोग कर रहे हैं। 11 जुलाई, तक बम्बई बन्दरगाह में लगभग 70 करोड़ रुपए के मूल्य के 106 लाख मीटरी टन से कुछ अधिक तेल अब निजी व्यापारियों के माध्यम से आ चुके हैं। राज्य व्यापार निगम को देश की आवश्यकता के अनुसार खाद्य तेलों का आयात करने के लिए कहा गया है और निगम नें आवश्यक

कार्रवाई आरम्भ कर दी है। अगले तेल वर्ष (1 नवम्बर, 1977 से 30 अक्तूबर, 1978) के लिए एक अस्थायी योजना बनाई भी गई है और देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिये आवश्यक उपाय, जिनमें आयात भी शामिल है, किए जा रहे हैं।

राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे जमाखोरों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु तथा दूसरे अधिनियमों के अन्तर्गत कड़ी कार्रवाई करें। मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन 30 जुलाई, 1977 को बुलाया गया है, जिसमें वर्तमान मूल्य तथा आर्थिक स्थिति पर विचार किया जाएगा।

श्री यादवेन्द्र दत्त : मंत्री महोदय के वक्तव्य से यह जानकर आश्चर्य हुआ कि गत वर्ष मूंगफली के तेल का उत्पादन 16.2 लाख टन था और इस वर्ष 12.50 लाख टन ही हुआ है। क्या यह सच नहीं है कि गत वर्ष अर्थात् 1975-76 में भी महाराष्ट्र में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी? गत वर्ष जब कमी हुई थी तो कुछ उपाय किए गए थे ताकि ऐसी स्थिति पुनः उत्पन्न न हो। मंत्री महोदय ने कहा है कि वनस्पति के निर्माण में मूंगफली के तेल के इस्तेमाल पर पाबन्दी लगा दी गई है ताकि मूंगफली के तेल की कमी न हो। मेरा प्रश्न है कि यदि वनस्पति की कमी हो जाती है तो क्या वनस्पति में चोर-बाजारी नहीं होगी।

श्री मोहन धारिया : जैसा कि मैं कई बार पहले कह चुका हूं, हमने हाल में ही सत्ता सम्भाली है तथा सत्ता सम्भालने के तुरन्त बाद हम जो कार्यवाही कर सकते थे, हमने कार्यवाही आरम्भ कर दी है। जहां तक वनस्पति घी की कमी का प्रश्न है, हो सकता है कि माननीय सदस्य का भय सही हो, परन्तु मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि वनस्पति उद्योग के कच्चे माल की आवश्यकता की 90 प्रतिशत पूर्ति हम राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात किए गए तेल से कर रहे हैं। हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि वनस्पति के उत्पादन में कमी न हो।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मेरा ध्यान आकर्षण केवल मूंगफली के तेल तक ही सीमित नहीं है। इसमें अन्य तेल भी शामिल है। केवल मूंगफली के तेल ही नहीं अपितु सरसों के तेल, वनस्पति, नारियल के तेल और दूसरे तेलों का मूल्य एक महीने में 25 प्रतिशत बढ़ गया है। मैं जानना चाहता हूं कि मूल्यों में यह वृद्धि क्यों हुई है तथा ग्रामों में तेल क्यों नहीं मिल रहे हैं? अप्रैल के महीने में सरसों के तेल तथा अन्य खाद्य तेलों के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि इसके क्या कारण हैं? यदि जामखोरी हो रही है, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? सरकार ने कहा है कि विदेशों से तेल के आयात में घोटाला हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि इसे रोकने के लिए क्या सरकार ने कोई कड़े उपाय किए हैं? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि खाद्य तेल न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को उपलब्ध हों, सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

श्री मोहन धारिया : मैं कई बार कमी के कारण बता चुका हूं। मैंने यह भी कहा है कि जहां कमी है, वहां जमाखोरी की प्रवृत्ति है। जहां तक खाद्य तेल के आयात लाइसेंसों

में घोटाले का सम्बन्ध है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि कुछ मामले सी०बी० आई० को सौंप दिए गए हैं। जांच करना उनका काम है। जांच के बाद जो भी कार्यवाही आवश्यक समझी जायेंगी की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, स्थिति का मुकाबला करने के लिए हम ने राज्य व्यापार निगम को तुरन्त कार्यवाही करने को कह दिया है। हम केवल इस वर्ष के लिए नहीं बल्कि अगले वर्ष के लिए भी योजना बना रहे हैं। समुचित कार्यवाही की गई है। राज्य व्यापार निगम को आयात की अनुमति दे दी गई है। आयात के आंकड़े बताना उचित नहीं होगा। इसके अतिरिक्त मूंगफली, कपास, दालों और पटसन की फ़सलों के सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही करने के लिए एक समिति गठित की गई है। सब समुचित कदम उठाए जा रहे हैं। मैं सभा को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि इस मामले पर 30 जुलाई, 1977 को प्रधान मंत्री द्वारा बुलाए गए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा की जाएगी।

श्री वयालार रवि : (चिरयिंकल) : मूंगफली का तेल कई राज्यों में राजनीति का खेल बन गया है। गुजरात मूंगफली का मुख्य उत्पादक राज्य है। परन्तु वहां भी समस्या है। किसानों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिलता। जमाखोरी मिल मालिक़ करते हैं, न कि किसान। किसान हमेशा यही शिकायत करते रहते हैं कि उन्हें समुचित मूल्य नहीं मिलते।

अध्यक्ष महोदय : यह ध्यान आकर्षण है, वादविवाद नहीं।

श्री वयालार रवि : किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलता। असली अपराधी मिल मालिक हैं। वह इसकी जमाखोरी करते हैं और सारा बाजार उनके नियंत्रण में है। वे सट्टेबाजी को प्रोत्साहन देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना कथन केवल तेल तक सीमित रखिए।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : माननीय सदस्य को यह सब बातें नहीं उठानी चाहियें। यह वाद-विवाद नहीं है। मेरा निवेदन है कि भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाए कि ध्यान आकर्षण वाद विवाद का रूप न ले ले।

श्री वयालार रवि : मैं इसे वाद विवाद नहीं बना रहा हूं। इस पर नियम समिति में चर्चा की जा सकती है। मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री भी मूल्य वृद्धि से समान रूप से प्रभावित हैं। माननीय प्रधान मंत्री इस बात से सहमत होंगे कि सभा में मूल्य वृद्धि पर चर्चा करना जरूरी है। यदि सभा इस मामले पर अलग से विचार करती है तो यह बड़ी खुशी की बात होगी।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य केवल ध्यान आकर्षण के विषय तक ही सीमित रहें।

श्री वयालार रवि : मुख्य प्रश्न यह है कि मूंगफली का तेल गायब हो गया है। इस में सत्ताधारी दल और विपक्ष का प्रश्न नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप ने कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछिये अन्यथा बैठ जाइए।

श्री वयालार रवि : मेरा पहला प्रश्न यह है कि ग्रामों में खाद्य तेल उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षक परिषद् को पुनर्जीवित करने अथवा सक्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं, ताकि ऐसी स्थिति पुनः पैदा न हो। मैं यह भी जानना चाहता हूं .....

अध्यक्ष महोदय : बस और नहीं। मंत्री महोदय पहले दो प्रश्नों का उत्तर दे दें। अब केवल एक एक प्रश्न की ही अनुमति दी जायेगी।

श्री समर गुह : मेरा एक निवेदन है। यह अल्प सूचना प्रश्न नहीं है। यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है। 'प्रस्ताव' शब्द इस में शामिल है। इस लिए प्रस्तावना जरूरी है। यह परम्परा भी रही है।

श्री वयालार रवि : आप इस मामले पर चैम्बर में चर्चा कर सकते हैं। अपना विनिर्णय यहां न दें।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विनिर्णय अन्तिम है।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock

---

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बज कर 5 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after lunch at five minutes past fourteen of the clock

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : 25 जुलाई, 1977 से शुरू होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित कार्य लिया जाएगा :—

(क) आज की कार्य सूची में शेष सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार

(ख) राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विधेयकों पर विचार तथा पास करना :—

(एक) मोटरयान (संशोधन) विधेयक, 1977

(दो) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (संशोधन) विधेयक, 1977

(तीन) कीटनाशी (संशोधन) विधेयक, 1977

(ग) विचार तथा पास करना :—

(एक) पेट्रोलियम (संशोधन) विधेयक, 1977

(दो) चाय (संशोधन) विधेयक, 1977

(घ) चर्चा :—

(एक) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त का 20 वां, 21वां तथा 22वां प्रतिवेदन

(दो) संघ लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन, 1975–76 ।

श्री वयालार रवि : मैं इसमें एक मद जोड़ने की सिफारिश करता हूं। इस बात की समाचार पत्रों में चर्चा है कि प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के मुख्य मंत्री को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने उनसे जनसाधारण में भाषा के बारे में उनके निजी विचारों को प्रकट न करने और उनसे निजी तौर पर बातचीत करने के लिए कहा है। मेरा विश्वास है कि यह प्रधान मंत्री एवं मुख्य मंत्री के बीच निजी मामला नहीं है। देश के लोगों का भी भाषा समस्या के साथ सम्बन्ध है। अतः इस विषय को भी कार्य सूची में शामिल कर लिया जाए।

Shri Gauri Shankar Rai (Gazipur) : In 1960, a study team of Planning Commission had submitted a report on the backwardness of eastern U.P. This study team is known as Patel Commission. Government should make allocation for the implementation of Patel Commission. I request that this item may also be included in the list of business.

श्री समर गुह (कन्टाई) : आज के समाचार-पत्रों में कहा गया है कि विदेशी संवाददाताओं की खबर के अनुसार संजय गांधी का अमरीका और ब्रिटेन में किसी फिल्म एजेन्सी पर एकाधिकार है। मैंने इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है। यदि इसे स्वीकार नहीं किया जाता, तो मेरा निवेदन है कि सरकार इस बारे में वक्तव्य दे। दूसरे, नेताजी जांच आयोग के प्रस्ताव पर केवल दो घन्टे का समय दिया गया है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : श्री वयालार रवि और श्री गौरी शंकर राय से मेरा अनुरोध है कि वे अन्य रूप से चर्चा उठा सकते हैं। कार्य सूची में इन मदों को शामिल करना सम्भव नहीं।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

तीसरा प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के तीसरे प्रतिवेदन से, जो 21 जुलाई, 1977 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरे विचार से बेरोजगारी पर चर्चा का समय गलती से 2 घंटे छप गया है। मंत्री महोदय को याद होगा कि हमने उनकी अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया था कि इस पर चार घंटे चर्चा की जाएगी। मंत्री महोदय यह स्पष्ट करें कि चार घंटे की चर्चा की जाएगी।

श्री समर गुह : जांच आयोगों सम्बन्धी प्रस्ताव पर दो घंटे का समय रखा गया है। यह समय बहुत कम है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस मद पर चर्चा सत्र के गत सप्ताह में की जाएगी।

श्री रवीन्द्र वर्मा : यह तय किया गया था कि इन प्रस्तावों पर चर्चा ढ़ाई बजे के बाद की जाएगी। यदि सदन चाहे तो चर्चा का समय बढ़ाया जा सकता है।

अन्तर्देशीय वाष्प जलयान (संशोधन) विधेयक

INLAND STEAM-VESSELS (AMENDMENT) BILL

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि अन्तर्देशीय वाष्प जलयान अधिनियम, 1917 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अन्तर्देशीय वाष्प जलयान अधिनियम, 1917 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

श्री मोरारजी देसाई : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

कार्य मंत्रणा समिति—जारी

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE—*contd.*

तीसरा प्रतिवेदन—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति की तीसरे प्रतिवेदन से, जो 21 जुलाई, 1977 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

अनुदानों की मांगें (नागालैंड), 1977–78

DEMANDS FOR GRANTS (NAGALAND), 1977-78

श्री टी० ए० पाई (उद्दीपी) : मैं मांगों का समर्थन करता हूं। नागालैण्ड के लोग सीधे-सादे और सरल हैं और उन्हें अपनी परम्पराओं और संस्कृति पर गर्व है। यहां के लोग शिक्षित हैं और विश्व की समस्याओं से अवगत है। प्रसन्नता की बात है कि नागा लोग राष्ट्रीय धारा में शामिल हो गये है। अब सरकार ने विद्रोही नागाओं के पुनर्वास का भी कार्यक्रम बनाया है।

नागालैण्ड में भारी मात्रा में प्राकृतिक सम्पदा है। पता चला है कि वहां पर चांदी, सिक्का और कोयला पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इस सम्पदा का विस्तृत सर्वेक्षण किया जाना बहुत आवश्यक है। मुख्य समस्या आधारभूत ढांचा बनाने की होगी जिससे इस क्षेत्र के विकास में सहायता मिलेगी। हमने तुली में एक कागज का कारखाना चालू करने का निर्णय किया था। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि यह परियोजना समय पर पूरी हो क्योंकि यह इस क्षेत्र में हमारे लिए एक राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का मामला है।

नागालैण्ड कारखाने में निर्मित कागज अन्य स्थानों पर निर्मित कागजों से अधिक महंगा होगा। अतः हमारा सुझाव है कि कागज फैक्टरी तक रेलवे लाइन के विस्तार की अतिरिक्त लागत और इस परियोजना को व्यवहार्य बनाने के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचा लागत केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान के रूप में देनी चाहिये। इस फैक्टरी में उत्पादित कागज पर कुछ वर्षों के लिए उत्पाद शुल्क से पूरी छूट भी दी जानी चाहिये।

नागालैण्ड में चालू किये गये लघु उद्योगों के समक्ष कुछ कठिनाइयां है। इस क्षेत्र में प्रवेश पाना शिक्षित लड़कों के लिए आसान है, परन्तु जब कच्चा माल हासिल करने या विद्युत की अन्य समस्याओं से जूझने का प्रश्न उठता है तो यह बात उनके लिए आसान नहीं है क्योंकि वे इस प्रकार के उद्योग चालू करने के मामले में नये हैं और दिल्ली आकर अपनी समस्याओं का समाधान करवाने में असमर्थ है। हमें आशा है कि सरकार देश के इस भाग में रहने वाले लोगों की समस्याओं को महसूस करेगी और आवश्यक वस्तुओं सम्बन्धी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामान्य वितरण प्रणाली पर चलना ही पर्याप्त नहीं है। हमें इससे कुछ परे हटकर भी चलना होगा ताकि ये बातें सुनिश्चित की जा सकें।

यह नागालैण्ड कागज परियोजना इस प्रकार से आयोजित की गई है कि इसे आसाम से विद्युत की सप्लाई की जाएगी। इस परियोजना के लिए आसाम से विद्युत की सप्लाई प्राप्त करना अत्यन्त कठिन होगा। अतः हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि इस परियोजना के लिए वहीं पर एक बिजलीघर बनाया जाए ताकि विद्युत की कमी के कारण इसे नुक्सान न हो।

इस क्षेत्र के उत्पादों के विपणन की समस्यायें भी विकट है। हमने भाड़े के मामले में राजसहायता दी है परन्तु बड़े दुःख की बात है कि गत दो वर्षों से राजसहायता का

उपयोग नहीं किया गया । राजसहायता इसलिए उपलब्ध कराई गई थी कि इन अगम्य क्षेत्रों को कच्चे माल या विपणन सुविधाओं के अभाव में कष्ट न उठाना पड़े । लेकिन यह तथ्य कि राजसहायता का लाभ नहीं उठाया गया, यह सिद्ध करता है कि राजसहायता उद्देश्य हल करने में पर्याप्त नहीं थी । अतः हमें केवल योजना बनाकर ही सन्तुष्ट नहीं होना चाहिये, अपितु हमें इस बात के लिए सावधानी बरतनी होगी कि क्या उन उद्देश्यों की पूर्ति होती है, जिन उद्देश्यों से हमने योजना बनाई है ।

नागालैण्ड में हथकरघा उद्योग बहुत महत्वपूर्ण है । इस क्षेत्र में प्रत्येक स्त्री बुनाई का काम करती है । यह वहां की स्त्रियों का परम्परागत पेशा है । जहां दक्षिण में कुछ जातियां ही हथकरघा उद्योग में दक्ष है, वहां पूर्वोत्तर क्षेत्र में यह परिवार के पेशे का एक अंग है । इसके विकास के लिए हम जो कुछ करेंगे, उससे परिवारों की आय तुरन्त बढ़ जाएगी । अतः इस क्षेत्र में हथकरघा उद्योग के विशेष विकास पर अधिक ध्यान देना होगा और यह देखना होगा कि सूत प्राप्त करने की उनकी मुख्य समस्या दूर हो ।

जहां तक इन क्षेत्रों में बैंकों के कार्यकरण का सम्बन्ध है, यदि बैंक विकास की एजेंसी है तो बैंक की शाखा खोलना ही पर्याप्त नहीं है । इनका प्रबन्ध विचारवान व्यक्तियों के हाथों में होना चाहिये और इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए भरसक प्रयत्न किया जाना चाहिये ।

सरकार को नागालैण्ड की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये क्योंकि हमें मालूम है कि केन्द्र में नई सरकार के आने के बाद वहां पर गड़बड़ी हो रही है या होने की आशंका है और विद्रोह फिर से उभर रहा है ।

श्रीमती रानो एम० शैजा (नागालैण्ड) : हमें यह स्वीकार करना होगा कि कांग्रेस के 30 वर्षों के शासन में सरकार ने आन्तरिक रूप से एवं बाह्य रूप से साहस का परिचय दिया था लेकिन शासन के अन्तिम वर्षों में सरकार ने गांधीवादी पथ को त्याग अशांति का मार्ग अपना लिया । गत दो वर्षों में जो कुछ घटा, वह असहनीय था ।

प्राप्त समाचारों के अनुसार नागालैण्ड में राष्ट्रपति शासन के दौरान सरकार ने अच्छा कार्य किया । परन्तु स्थिति बताने का यह ठेठ कांग्रेसी ढंग है और इसका वास्तविक निष्पादित काय या उपलब्धियों से कोई सम्बन्ध नहीं है । यदि कोई यह दावा करता है कि नागालैण्ड में शान्ति का वातावरण है तो इसका श्रेय नागालैण्ड शान्ति परिषद को जाता है । इसी परिषद् के प्रयास से ही यह सब सम्भव हो सका है । इसी परिषद् ने भारत सरकार के प्रतिनिधियों और भूमिगत संगठन के प्रतिनिधियों के बीच नवम्बर, 1975 में समझौता करवाया था ।

हम कोई विशेष प्रकार के व्यवहार, विशेष प्रकार का संरक्षण नहीं चाहते हैं । हमें सरकार की सद्भावना चाहिये । यदि हम सही कदम उठाते हैं तो हम नागालैण्ड में अवश्य शांति स्थापित कर सकेंगे । हमें इस सम्बन्ध में बिल्कुल अलग दृष्टिकोण अपनाना

होगा । मानव समस्या को गम्भीरता को न समझना गलत है । नई सरकार को अच्छे ढंग से काम करना होगा । नागा लोग इससे बहुत प्रसन्न होंगे ।

नागालैण्ड में वर्गहीन समाज बनाए रखने के लिए वहां पर योजनाबद्ध आर्थिक विकास की आवश्यकता है । हमें डाक्टरों और नर्सों के प्रशिक्षण के लिए और राज्य में जिन रोगों के इलाज की सुविधायें उपलब्ध नहीं है उनके लिए राजधानी में एक बहुत अच्छे अस्पताल की आवश्यकता है । हमारी नई सरकार को नागालैण्ड की राजधानी में एक नये अस्पताल के निर्माण पर विचार करना चाहिये जिसके लिए नक्शे आदि पहले से ही भेजे जा चुके है ।

निम्न वतन मान वाले नागालैण्ड के कर्मचारी 'महंगाई भत्ते' के प्रश्न पर काफी विक्षुब्ध है । उनको शिकायतें जायज है और वित्त मंत्री को इस मामले में सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिये । वे 1-4-1974 से आसाम सरकार के कर्मचारियों को दिए जा रहे महंगाई भत्ते की दर से अधिक दर पर महगांई भत्ता नहीं चाहते है ।

सितम्बर-अक्तूबर, 1975 में नागालैण्ड के कुछ शिक्षित युवक प्राधिकारियों के व्यवहार से तंग आकर नागालैण्ड छोड़ कर चले गये । उनके सम्बन्धियों और मित्रों द्वारा अपील करने पर राज्य प्राधिकारियों ने आश्वासन दिया कि यदि व वापस लौट आते है तो उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नही की जायेगी । कुछ लोग वापस लौट आये । उनमें से कुछ एक लोगों को कोहिमा जेल में नजरबन्द कर लिया गया । विजोल की संयुक्त लोकतंत्र मोर्चा सरकार के मंत्रियों सहित बहुत से राजनीतिक कार्यकर्ताओं को आंसुका के अन्तर्गत राज्य से बाहर नवगांव और शिलांग में नवम्बर 1976 में गिरफ्तार तथा नजरबन्द किया गया था । उन्हें केवल तभी छोड़ा गया जब केन्द्र में जनता सरकार स्थापित हुई । नजरबन्दी के दौरान उन पर अमानवीय अत्याचार किये गये ।

यदि उन्हें राजनीतिक कारणों से गिरफ्तार नहीं किया गया तो उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिये था, उनकी दोषसिद्धि की जानी चाहिये थी । उन लोगों को इस प्रकार से गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिये था ।

नागालैण्ड में कांग्रेस दल के चुनाव अभियान में भूतपूर्व परामर्शदाता द्वारा सक्रिय रूप से भाग लेने के बावजूद भी इस प्रकार की अवांछित गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है । ग्रामीणों को इस कारण तंग नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि वे वहां की तुरन्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असफल रहे हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : बजट कागजों को देखने पर मैं यह महसूस करता हूं कि ये पहले ही तैयार किये जा चुके थे; उन्होंने सोचा था कि शायद वही सरकार फिर सत्ता में आयेगी । मैं इसके कारण बताऊंगा । यदि आप वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवदन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह भूतपूर्व प्रधान मंत्री के रुख के मुताबिक बनाया गया है । सामान्य प्रशासन के बारे में प्रतिवेदन में कहा गया है कि नागालैण्ड की आइ ए एस काडर की अधिकृत संख्या 45 है जिसमें से 38 पद सीधे भर्ती के हैं और 7 पद स्टेट सिविल सर्विस से पदोन्नति वाले हैं । गृह मंत्रालय के हाल के निर्णयानुसार यह कोटा $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत होना चाहिये । पहले उन्होंने कहा था कि यह 25 प्रतिशत

होना चाहिये । 45 पदों में से 7 पद 25 प्रतिशत नहीं बैठता । नागा लोगों के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है । यह दुर्भाग्य की बात है कि नागा लोगों पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया गया है और उन्हें सन्देह की नजर से देखा गया है । नागालैंड राज्य को पुलिस देश में एक पुलिस राज्य में बदल दिया गया है। नागालैंड की जनसंख्या 5 1/2 लाख है। पुलिस महानिरीक्षक समूचे पुलिस दल पर नियंत्रण रखता है । इसके अलावा पांच नागालैंड सशस्त्र पुलिस बटालियन और 3 जिला कार्यकारी दल आदि कई दल हैं । कुल संख्या 2,492 है । इसके अलावा सुरक्षा दल भी हैं । वे सब क्या कर रहे हैं ? नागालैंड के लोगों पर अमानवीय अत्याचार किये जाने के कई उदाहरण हैं । ऐसा ही एक अत्यन्त गम्भीर मामला श्री तौल हाऊ, एल० खेल, कोहिमा ग्राम, कोहिमा जिला, नागालैंड का है । इस व्यक्ति को आंसुका के अन्तर्गत 10 दिसम्बर, 1976 से 26 मार्च, 1977 तक नजरबन्द रखा गया था । उस पर अनेक प्रकार से अमानवीय अत्याचार किये गये । लगभग यह आंखों से अन्धे हो गए । मैं मंत्री महोदय से अपील करता हूं कि वह यह पता लगायें कि इस भद्र पुरुष तथा अन्य लोगों पर अत्याचार करने वाला एस० बी० आई० का कौन अधिकारी है । इसके साथ-साथ सरकार को उन लोगों को उदारतापूर्वक मुआवजा देना चाहिए जो इस प्रकार के बर्बरतापूर्ण व्यवहार के शिकार हुए हैं ।

मंत्री महोदय हमें यह बतायें कि 25 जून, 1975 को आपातस्थिति के लागू होने से 25 मार्च. 1977 तक किसी भी प्रकार के राजनीतिक आन्दोलन से सम्बन्धित कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और कितनों पर मुकदमा चलाया गया ।

1976-77 के वित्तीय वर्ष में भारी कराधान उपायों के द्वारा राजस्व बढ़ाये जाने का प्रस्ताव किया गया है । गत तीन वर्षों में कर वसूली में कोई वृद्धि नहीं हुई है । इसका कारण यह है कि वहां पर भ्रष्ट नौकरशाही काम कर रही थी । व्यापारियों से उनकी मिली भगत थी ।

जहां तक नागालैंड राज्य के लिये बजट नियतन का सम्बन्ध है, आप देखेंगे कि राज्य के राज्यपाल के लिये 7.38 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया जा रहा है। इस के अलावा प्रशासनिक सेवाएं गैर-योजना व्यय 1266.17 लाख रुपये है और यह कुल व्यय का 20.38 प्रतिशत है ।

साढ़े पांच लाख जनसंख्या के लिए यह प्रति व्यक्ति 200 रुपये बैठता है । जब सम्पूर्ण धन-राशि को पुलिस सुरक्षा सेवाओं, प्रशासनिक सेवाओं तथा जेलों आदि पर खर्च किया जा रहा था तो फिर भला कल्याण कार्य किस प्रकार हो सकता था ? तथ्य तो यह है कि जो कुछ भी विकास कार्य हुआ है, वह पूर्णतया असन्तोषजनक है तथा यह कार्यकरण वास्तव में न के बराबर ही है ।

संविधान के अनुच्छेदों 371 (एक) (ख) के अन्तर्गत नागालैण्ड के राज्यपाल को कुछ विशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं । मैं समझता हूं कि ऐसा करना वास्तव में नागालैण्ड के लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का अपमान करना ही है ।

मैं सरकार का ध्यान विशेष रूप से इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि नागालैण्ड सरकार के वर्तमान सलाहकार, श्री रामून्नी नागालैण्ड के सब से अवांछनीय व्यक्ति हैं । वह अक्सर राजनीति में ही उलझे रहते हैं तथा सभी प्रकार के ओछे हथकंडे अपनाते रहते हैं । अतः मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि इस भद्र पुरुष को तुरन्त ही वहां से वापिस बुला लिया जाना चाहिये ।

सदन इस बात से भली भांति परिचित है कि नागाओं की अपनी विशिष्ट संस्कृति है, उनकी अपनी परम्पराएं हैं। उनकी विरासत अपने आप में काफी समृद्ध है अतः हमें केवल उसे देश की मुख्य धारा में मिलाने के नाम पर नष्ट नहीं करना चाहिये। मैं समझता हूं कि नागाओं का दमन करने के लिए हमें वहां अपनी सुरक्षा सेनाओं को नहीं भेजना चाहिये तथा न ही उन्हें प्रताड़ित करने के लिए गुप्तचर विभाग के कर्मचारियों को वहां भेजना चाहिये।

श्री एम० एन० गोविन्द नायर (त्रिवेन्द्रम) : मैं वर्तमान शासक दल तथा भूतपूर्व शासक दल दोनों को ही यह याद दिलाना चाहता हूं कि नागालैण्ड को राज्य का दर्जा दिया जा चुका है। मैं समझता हूं कि नागालैण्ड में राष्ट्रपति का शासन चलाये रखना नागालैण्ड के लोगों पर कुठाराघात करना होगा। यह उनके राजनीतिक हितों के विरुद्ध होगा। यह ठीक है कि नागालैण्ड इस देश का अंग बना रहना चाहिये। यह ठीक है कि नागालैंड के लोग अभूतपूर्व ढंग से इस देश के पक्ष में हो गये हैं परन्तु फिर भी मेरी मान्यता यह है कि वर्तमान बजट पर चर्चा करने का उपयुक्त स्थान राज्य विधान सभा ही है। परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है, वहां चुनाव नहीं करवाये गये हैं।

आज नागालैण्ड की परिस्थितियां 1954 की परिस्थितियों से पूर्णतया भिन्न हैं। 1954 में वहां श्री फीज़ो ने स्वतन्त्र नागालैण्ड के विचार की घोषणा की तथा फिर 1956 में वहां नागा केन्द्रीय सरकार का गठन भी किया गया। वर्ष 1975 में जब फिर शिलांग समझौता हुआ तो उस समय नागाओं ने अपनी सशस्त्र कार्यवाहियां छोड़ देने की घोषणा की। शिलांग सम्मेलन के समय जब बातचीत चल रही थी तो उस समय भी भूमिगत नागाओं ने यही घोषणा की थी कि सैनिक नेताओं द्वारा जो कुछ भी फैसला किया जायेगा वह उन्हें मान्य होगा। यह काफी सन्तोष की बात है कि अब वहां शान्ति का वातावरण है। अब नागालैण्ड की स्थिति पहले से पूर्णतया भिन्न है और मैं समझता हूं कि अब वहां लोकतांत्रिक स्थापित करने के लिए बहुत ही उपयुक्त वातावरण है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस दिशा में शीघ्र ही कार्यवाही की जानी चाहिये। मैं समझता हूं कि अब वहां राष्ट्रपति का शासन जारी रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। मैं समझता हूं कि अब नागालैण्ड में राष्ट्रपति का शासन जारी रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। सरकार द्वारा नागालैण्ड के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। मैं समझता हूं कि सम्भवतः हाल ही में मिज़ो नेता द्वारा नागालैण्ड की स्वतन्त्रता के लिए जो सशस्त्र संघर्ष आरम्भ करने का आह्वान दिया गया है इसका कारण सरकार का अवांछनीय हस्तक्षे ही है। दुर्भाग्य से वर्तमान परिस्थिति में इस चीज का अभाव है और जब तक हम उसे नहीं सुधारते तब तो स्थिति और भी बिगड़ जायेगी।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे (अहमदनगर) : जैसा कि सभा को ज्ञात है, समस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषकर नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में विशेष प्रकार की राजनीति एवं आर्थिक समस्याएं हैं। इसलिए हमारी उनके साथ सहानुभूति होनी चाहिये।

अब स्थिति बदल गई है और फीज़ो को नागालैण्ड में उतना समर्थन प्राप्त नहीं हो सकेगा। वहां की समस्या का राजनैतिक समाधान ढूंढने के लिए सरकार द्वारा लगातार उपाय किये जाते रहे हैं। हमें फीज़ो को अधिक महत्व न देकर नागालैण्ड की समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिये।

नागालैण्ड को राज्य का दर्जा दे दिया गया है और संविधान के अनुच्छेद 46 के अन्तर्गत उसे विशेष सुरक्षा प्राप्त है। अनुच्छेद 317(क) के अन्तर्गत भी उसे विशेष स्थान मिला है।

यह कहा गया है कि कुछ गैर नागाओं ने नागाओं की भूमि हथिया ली है। लेकिन संविधान के अन्तर्गत नागालैण्ड वासियों को विशेष दर्जा प्राप्त है। यह विशेष व्यवस्था धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं के अतिरिक्त भूमि के बारे में भी है।

कृषि का विकास करके और आर्थिक समस्याओं को सुलझा कर ही हम नागालैण्ड का विकास कर सकते हैं। दुर्भाग्य से इस दिशा में विशेष कार्य नहीं हुआ है। वहां चावल की उपज प्रति एकड़ देश में सब से कम है। नागालैण्ड में वनों की बहुतायत है लेकिन वन सम्पदा नष्ट की जा रही है। वहां चाय और काफी की खेती भी हो सकती है।

लेकिन खेद है कि बजट में अपेक्षित उपाय किये जाने का संकेत नहीं है। छोटी सिंचाई योजनाओं और मछली पालन के लिए केवल 2.33 करोड़ रुपये रखे गये हैं। यह राशि अपर्याप्त है। सहकारिता, पशु पालन, वन संरक्षण आदि के लिए पर्याप्त राशि रखी जानी चाहिये।

कृषि विकास की वहां अधिक संभावनाएं हैं। अभी तक आधुनिक औजारों से खेती कराने के लिए वहां प्रयास नहीं हुए हैं। वहां की समस्याओं के बारे में विशेषज्ञ समिति ने भी कई सुझाव दिये हैं उन्हें भी कार्यान्वित किया जाये।

वहां इस बात की जरूरत है कि आधुनिक ढंग से खेती शुरू की जाये। कृषि विभाग के गठन में परिवर्तन किया जाये। वहां की विकास सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करने के लिए एक विशेष विकास विभाग बनाया जाना चाहिये।

झूम खेती बहुत पुराना तरीका है। इसमें धीरे-धीरे परिवर्तन किया जाना चाहिये। नागालैण्ड की भूमि पंजाब से भी अधिक उपजाऊ है। यहां भारी वर्षा होती है लेकिन सारा जल व्यर्थ चला जाती है। इसलिए हमें साहसिक निर्णय करने होंगे।

भारत के इस आदिवासी क्षेत्र का विकास करने के लिये सरकार को एक अलग रवैया अपनाना होगा। सरकार एक ओर तो प्रगति की बात करती है और दूसरी ओर अतीत से भी बंधी रहना चाहती हैं। यह ढुलमुल नीति इस क्षेत्र के सुधार की दिशा में बाधक हैं। इस क्षेत्र के सुधार के लिये सरकार को साहसपूर्ण कदम उठाने होंगे। इस क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के हल करने को लिये एकदम अलग रवैया अपनाना होगा।

श्री पूर्ण सिन्हा (तेजपुर) : नागालैण्ड के लोगों को झूझियां खेंती त्याग कर सीढ़ीनुमा खैती करने कें लिए राजी किया जाना चाहिये।

लन्दन में हमारे प्रधान मन्त्री तथा श्री फ़ीजो के बीच बातचीत के असफल हो जाने पर नागालैण्ड में पुन: विद्रोहात्मक आन्दोलन आरम्भ हो गया हैं। पिछले महीने शान, कालिन और भूमिगत नागाओं

क सम्मेलन हुआ। वह चीन में छापामार युद्ध में प्रशिक्षण प्राप्त 600 प्रशिक्षित नागाओं के साथ भारत की सीमा में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिये भारत सरकार को नागालैण्ड की सुरक्षा की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये तथा इस कार्य के लिये गुप्तचर विभाग के लोगों की नियुक्ति गांव के चौकीदार तक के स्तर पर की जानी चाहिये ताकि भूमिगत छापामारों की गतिविधियों पर काबू पाया जा सके। मनीपुर के पूर्वी क्षेत्र में एक भूमिगत नेता श्री चूईबोई, अपने अनेक विद्रोही साथियों सहित वहां घूम रहा है और वह मनीपुर तथा नागालैण्ड में घुसने के अवसर की ताक में हैं। यह तो है नागालैण्ड की राजनीतिक हालत। नागालैण्ड में जो कुछ हो रहा हैं, हमें उससे आंखें नहीं मूंदनी चाहिये।

सरकार को इस स्थिति के बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। नागालैण्ड के उन लोगों की सुरक्षा के लिये शीघ्र ही उपयुक्त कदम उठाये जाने चाहिये जो कि देश की मुख्यधारा के साथ रहने की इच्छा रखते हैं।

भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की सम्पूर्ण वर्तमान प्रशासन व्यवस्था में परिवर्तन किया जाना चाहिये। इन सभी राज्यों के लिये अलग अलग राज्यपाल होना चाहिये ताकि इन राज्यों का प्रशासन अधिक कार्य-कुशलता तथा शीघ्रता के साथ चलाया जा सके। इससे इन राज्यों के विकास कार्यों को भी शीघ्र किया जा सकेगा।

Shri Ugra Sen (Deoria): The people of Nagaland have their own democratic traditions and political ambitions. Those have been ruthlessly crushed by the previous Government. The Janata Government must restore democratic functioning of the State.

I am happy that the Home Minister has assured that elections will be held there as soon as the rainy season is over. Meanwhile, I will suggest that the dministration of that state must be completely overhauled. The present officials have not been able to restore confidence in the people there. They should be replaced by other competent officials. Many missionaries have been working in that state. They have been propagating a type of education which is not condvie to national interests. The refore, the system of education in that State needs to be reorganised.

उपाध्यक्ष महोदय : वित्त मन्त्री सोमवार को उत्तर देंगे। अब वह जो वक्तव्य देना चाहते यें दे सकते हैं।

अतिरिक्त महगाई भत्तें की जमा राशियों की दूसरी किस्त की वापसी प्रदयगी के बारें में वक्तव्य

STATEMENT *RE*. REPAYMENT OF SECOND INSTALMENT OF ADDITIONAL DAERNESS ALLOWANCE DEPOSITS

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 में और आगे संशोधन करने के लिए 11 जून, 1977 को लोकसभा में एक विधेयक पेश किया गया था और उसे लोक सभा ने 18 जून, 1977

को पास कर दिया था। यह विधेयक उस अध्यादेश का स्थान लेने के लिए था जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा 9 मई, 1977 को जारी किया गया था । इसमें यह उपबंध किया गया था कि (i) अतिरिक्त मंहगाई भत्ते का अनिवार्य निक्षेप 6 मई, 1977 से बंद हो जाएगा और (ii) अतिरिक्त महंगाई भत्ते की जमाराशियों की दूसरी किस्त की वापसी-अदायगी जो 6 जुलाई, 1977 से देय होगी वह नकदी के रूप में नहीं होगी बल्कि उसे कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा कर दिया जाएगा। लोक सभा में बहस के दौरान, यह सुझाव दिया गया था कि भविष्य निधि में इस प्रकार जमा की जाने वाली राशियों पर ब्याज की दर वही होनी चाहिए जो अनिवार्य निक्षेप योजना के अन्तर्गत रोकी गई जमाराशियों पर दी जाती है। कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए, मैंने तुरन्त इस सुझाव को स्वीकार कर लिया था। अतः यह देखा जाए कि इस विधेयक को पेश करने में सरकार का इरादा यह था कि कर्मचारियों की उन सभी उचित मांगों को पूरा किया जाए जो मुद्रास्फीतिकारी दबावों को फिर से उभरने को रोकने की जरूरत को देखते हुए ठीक हैं।]

2. कर्मचारियों, कर्मचारी संघों और श्रमिक संघों आदि से सरकार के पास बहुत से अभ्यावेदन आए हैं जिनमें उन्होंने 6 मई, 1977 से अतिरिक्त महंगाई भत्ते की राशि को न रोकने के बारे में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय का स्वागत किया हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने सरकार से यह भी अनुरोध किया हैं कि 6 जुलाई, 1977 से देय होने वाली वापसी-अदायगी की राशियों को कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में जमा करने के निर्णय पर फिर से विचार किया जाए। सरकार ने इन अभ्यावेदनों पर समानुभूतिपूर्वक विचार किया है। श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों के साथ यह देखने के लिए अनौपचारिक परामर्श किया गया कि कामगारों की मांगों को पूरा करने के लिए क्या कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है जो मुद्रा उपलब्धि के अनुचित विस्तार को रोकने की सतत आवश्यकता के साथ मेल खाता हो। इन परामर्शों के दौरान, हमने इस सुझाव पर भी विचार किया कि अनिवार्य निक्षेप योजना के अन्तर्गत वापसी-अदायगी की राशियों को भविष्य निधि में जमा करने की बजाए, वापसी-अदायगी आकर्षक ब्याज दर वाले बांडों के रूप में की जा सकती है। किन्तु किसी भी अन्य योजना पर मतैक्य नहीं था इसलिए सरकार ने यह निष्कर्ष निकाला कि सबसे व्यावहारिक रास्ता यह होगा कि संशोधनकारी विधेयक को और आगे न ले जाया जाए।

अतः श्रमजीवी संगठित वर्गों के लिए सदभावना के एक और संकेत के रूप में, सरकार ने अब यह निश्चय किया है कि अतिरिक्त महगाई भत्ते की जमा राशियों की, 6 जुलाई, 1977 से देय होने वाली दूसरी किस्त की वापसी अदायगी को नकदी के रूप में किया जाए और उसे कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में न जमा किया जाए। इस निर्णय को देखते हुए अब यह निश्चय किया गया हैं कि अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 में संशोधन करने के लिए राज्य सभा के विचारार्थ जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसके सम्बन्ध में आगे कार्रवाई न की जाए। इस विधेयक को अपने आप व्यपगत होने दिया जाएगा और इसका परिणाम यह होगा कि 9 मई, 1977 को जारी किया गया अध्यादेश भी 23 जुलाई, 1977 को व्यपगत हो जाएगा।

मैं यह भी बता दूं कि अनिवार्य निक्षेप योजना को समाप्त करने और जमा कराई गई रकमें नकद वापस करने के पिछले वायदों को पूरा करने के निर्णय से चालू वर्ष में मुद्रा उपलब्धि में काफी विस्तार होगा। मुद्रा उपलब्धि पर पड़ने वाले स्फीतिकारी प्रभाव के बावजूद, भी, इस प्रस्तावित मार्ग को अपनाने का, सरकार ने जो निश्चय किया है उसका कारण यह हैं कि सरकार देश की अर्थ-व्यवस्था के सामने आने वाली मौजूदा कठिन समस्या को हल करने में संगठित श्रमजीवी वर्गों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने की इच्छुक हैं। कीमत की स्थिति अब भी बराबर चिन्ता का विषय बनी हुई हैं। स्फीतिकारी दबावों को रोकने के लिए हमारे लिए यह जरूरी हैं कि उत्पादन अधिक से अधिक हो, बचतों को बढावा मिलें और जहां तक हो सके अनुत्पादक खर्च को कम किया जाए। सरकार को आशा हैं कि इस प्रयास में मजदूरों सहित जनता के सभी वर्गों का उसे पूरा-पूरा सहयोग मिलेंगा।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBER'S BILLS AND RESOLUTIONS

तीसरा प्रतिवेदन

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपुर) : श्रीमन, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के तीसरे प्रतिवेदन से, जो 20 जुलाई, 1977 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत हैं।"

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : इस प्रतिवेदन के पैरा 7 में एक चौदह वर्ष पुराने संकल्प का जिक्र है, जिसमें कहा गया था कि सदस्यों को एक सत्र में चार से अधिक विधेयकों के लिये नोटिस नहीं देने चाहिए। मुझे खुशी हैं कि इस संकल्प को पुनः अपनाया जा रहा है। मेरा सुझाव हैं कि सदस्यों को छोटे सत्र में केवल 4 विधेयकों के लिये और बड़े सत्र में 6 या 8 विधेयकों के लिये नोटिस देने की अनुमति होनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको इस सम्बन्ध में चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। हम इसके बारे में आवश्यक कार्यवाही करेंगें।

प्रश्न यह हैं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के तीसरे प्रतिवेदन से, जो 20 जुलाई, 1977 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों के हनन के बारे में संकल्प— ारी

RESOLUTION *RE:* SUBVERSION OF DEMOCRATIC NORMS BY THE FORMER PRIME MINISTER—*concld.*

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : यह मामला शाह आयोग के निदेश पदों से सम्बन्धित हैं। इस संकल्प के अधीन जिन प्रश्नों पर चर्चा होनी है वे सब शाह आयोग के निदेश पदों में शामिल हैं।

यह देश की न्यायिक प्रणाली का उल्लंघन है। इस प्रश्न के बारे में एक जांच आयोग गठित किया जा चुका है। यह उन तथ्यों तथा परिस्थितियों की जांच करेगा जो आपात-स्थिति के दौरान वैध तथा सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था को उलटने सम्बन्धी विशेष घटनाओं से सम्बन्धित है। अतः यह समूचा संकल्प कानूनी व्यवस्थाओं के प्रतिकूल है।

क्या संकल्प के प्रस्तावक की इच्छा लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चन्द्र बोस और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नामों का उल्लेख करके इतिहास को उलटने-पलटने का है? क्या आधुनिक भारत के महान शिल्पी जवाहरलाल नेहरू का नाम लेना जरूरी नहीं हैं। क्या जनता पार्टी के लोगों की इच्छा इतिहास को तोड़ मरोड़ कर उसे एक नया ही रूप देने की हैं?

इस देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी अर्ध-सैनिक संस्थाओं के रहते आप क्या सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन ला सकते हैं? वे हिन्दू विश्वविद्यालय में दंगे तथा अत्याचार कर रहे है। जब आप उन लोगों के नामों का जिक्र करने में संकोच करते हैं जिन्होंने समाजवाद के लिये संघर्ष किया तो फिर किस प्रकार का सामाजिक आर्थिक-परिवर्तन आ सकता है?

हमें उस दल का अपमान नहीं करना चाहिए जिसने देश की आजादी, नैतिक उत्थान और समाजवाद के लिये संघर्ष किया।

जनता शासन के थोड़ें से समय में क्या हुआ? डाक्टरों को जेलों में रखा जा रहा है। केरल में संकट है। बेलची दुर्घटना में 11 व्यक्ति मारे गये। अन्य जगहों पर भी हरिजनों को तंग किया गया और उन्हें मारा-पीटा।

हमने आपात-स्थिति में क्या किया? हमने शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया। हमने बन्धक मजदूरों की प्रणाली समाप्त की। हमने कहा कि हरिजनों तथा भूमिहीनों को जमीन दी जाये तथा भूमि मैं सुधार किया जाये। हमने कहा कि ग्रामीण ऋणग्रस्ता समाप्त की जाये। हमने इस देश की तरक्की के लिए उपाय किए हमने कुछ सिद्धांतों के लिये काम किया।

यह संकल्प कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए लाया गया हैं। ये लोग आपात स्थिति के दौरान पास किये कानूनों को काले कानून कहते हैं। अतः मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं।

Shri Mukhtiar Singh Malik (Sonepat): First of all I would like to thank Shri H. V. Kamath the mover of this resolution by which we have been able to express our views. A number of excesses were committed during the emergency. In human treatment was meted out to political leaders and detenus in jails. Political leaders like S/Shri Devi Lal, Hardwari Lal and Pt. Vishnu Dutt Sharma were not given proper medical attention when they fell ill.

Cruelties perpetrated on people during the emergency were unparalled in history. Human considerations had become a thing of past. Reign of terror was let loose on the country. Administration was completely demoralised. The entire country was in the grip of fear psychosis.

And where is Mr. Barua—the 'Joker'. He had said that they had put us in jails only and not thrown in sea. He had also said that there was no need of opposition in a democracy. He said that Indira is India, and India is Indira.

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । उन्होंने इस सदन के एक माननीय सदस्य को 'जोकर' कहा है । वह ऐसा नहीं कह सकते ।

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्य को 'जोकर' जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये । इससे सदन की गरिमा नहीं बढ़ती ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : इसे कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल देना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह असंसदीय है तो इसे निकाल दिया जायेगा ।

Shri Mukhtiar Singh Malik: If you feel that I used a wrong word against his dignity, I am prepared to withdraw it.

When Mr. Jayaprakash Narayan advised Mrs. Gandhi to step down after the Allahabad High Court Judgement, it was termed as anti-democtatic. But her own men resorted to firing on peaceful demonstration led by Shri Jayaprakash Narayan. The country was demoralised. They thought that nobody could raise his head against them. Elections were ordered in the hope that the terror stricken people will not dare vote against the Congress. But the people had acted courageously and wisely and given their verdict against dictatorship.

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

Loknayak Jayaprakash Narayan who is the embodiment of sacrifice and renunciation, has restored democracy in the country. It is a great thing for our country.

Shrimati Chandravati (Bhiwani) : The Members on the other side have asked for proof for what we have said. But I would like to tell you that between 20th March and 24th March they had burnt about 2800 files with a view to destroying the evidence for the excesses committed during the emergency. Moreover, there was strange way of running the Government during emergency. Verbal orders were given to do certain things.

There were strong rumours circulating during emergency about Government's evil intentions against the leaders who had been detained in jails. After the events in Dacca the Government retraced their steps.

Rule of law had completely gone. Who ever spoke against the Government was put in jail. A large number of people were put behind the bars. In Haryana perhaps there was not a single family whose one member or the other had not been arrested. False cases were instituted against certain very good persons. The Government had stooped so low to victimise innocent people. In human cruelties were perpetrated on the people.

Cruelties inflicted by the previous Government will not come to light by appointing two or three commissions. Commissions should be appointed at village level and municipal committee level to find out the extent of economic, political and social crimes committed during the emergency to name the culprits so that they can be punished adequately.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानोर) : श्री कामथ द्वारा पेश किये गये संकल्प से हमें देश के समक्ष पैदा हुए मौलिक मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिला है । आपातकालीन स्थिति में की गई ज्यादतियों की निन्दा दो चुनावों के दौरान हो चुकी है । लोगों ने अपना मत स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दिया है । संकल्प में लोकतंत्र बहाल किये जाने के बारे में भी कहा गया है । चुनावों में जनता ने जो भूमिका निभाई है उसका भी उल्लेख किया गया है । चुनावों के बाद जो कुछ भी सामने आया है उसे ठीक तरह से समझना चाहिये । देश में कांग्रेस का तीस वर्षीय सत्ता एकाधिकार टूट गया हैं । परन्तु जनता को एकाधिकार प्राप्त नहीं हुआ है यह तथ्य हैं । कुछ राज्यों में अनेक दलीय शासन भी है ।

इस बात से इन्कार करने से कोई लाभ नहीं कि देश के अन्दर एक नई स्थिति उभर रही है । देश के अन्दर बुनियादी सामाजिक एवम् आर्थिक परिवर्तन लाने के लिये हमें कठिन परिश्रम करना है । भावनाओं को प्रकट करने मात्र से सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का हल नहीं होगा । सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन लाने के लिये आर्थिक नीति में बुनियादी परिवर्तन लाना जरूरी है । हमारी अर्थव्यवस्था में बुनियादी सुधारों की आवश्यकता है । भूमि सुधार-रोजगार की व्यवस्था शिक्षा सुविधा, गरीबी हटाने आदि आदि के बिना सामाजिक-आर्थिक क्रान्ति से कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं होगा ।

पुलिस प्रशासन में प्रजातंत्रीय परिवर्तन लाये जाने की आवश्यकता है । प्रशासन तथा पुलिस का प्रजातंत्रीकरण होना चाहिये, चाहे जनता हो या कांग्रेस, पुलिस समझती है कि लोगों का दमन करना ही उनका काम है । पुलिस प्रशासन में मूलभूत सुधार होना चाहिये ।

Shri Ugrasen (Deoria) : The former Prime Minister had destroyed the Constitution, democratic principles and moral traditions. She did not allow the socio-economic transformation to proceed in this country. But the greatest sin committeed by her was that she tried to impose dictatorship in the country of Gandhiji and Dr. Lohia.

A large number of people were put in jail. Even in 1942 movement 60-62 thousand people were put in jail. Where as $1\frac{1}{2}$ lakh people were put in jail during emergency. Out of this 38-40 thousand persons were detained under MISA. In human treatment was meted out to leaders in jails. Proper medical attention was not paid to detenues who fell ill. Eeven deaths had taken place in jails.

The resolution should be amended to provide that stringent punishment should be awarded to those who had subverted democratic norms and established values under the intoxication of power.

With these words I support this Resolution.

Shri Hukam Deo Narain Yadav (Madhubani) : Mr. Speaker, Sir, As regards the motion moved by Shri Kamath, I would like to say that the people of our country have already censured the Congress Party by giving them a crushing defeat at the polls.

Our countrymen have suffered sufferings and tortures but they have never raised any revolt. The reason is the sectarian society of India. Indira Gandhi and her partymen have been thrown away from entire northern India where they gave a slogan of Brahamanism. The position of the Congress in south, where the power was in the hands of backward classes and Harijans, has been sound. We will have to try to bring a society in India where there are no sects.

The Government should try to awaken the backward class so that they may come to national mainstream. The Government should provide tribals, Harijans, backward classes and religious

minorities 60 percent seats in Government services politics, trade and army so that they may feel strong and may oppose dictatorial designs.

Shri Yuvraj (Katihar) : Some people were released during emergency. After being released Loknayak Jayaprakash Narayan come to Patna where his treatment was going on. Police officials were posted outside his residence and they were instructed to note down the names of the persons who come to see him. Under what law was all this done ?

Shri Jayaprakash Narayan was to go to Bombay on Oct. 6 for treatment. On reaching airport he was denied even ordinary facilities. He was not given even place to rest and he had to remain in his car all the while. What more injustice can be done ?

Sarvodaya leader Shri Prabhakar Sharma had to resort to slelf immolation in protest against dictatorial rule of Shrimati Indira Gandhi. He informed Mrs. Indira Gandhi that since there was no freedom left in the country it is better to die.

A democracy can not function unless there is a strong opposition and there will always be a fear of emergence of dictatorial rule. So we are to see that we are having a balanced political system in the country.

During the emergency we find a number of cases of excesses committed and cruelities perpetrated on the people. There was no democracy left in those days. People were detained and no grounds were given for their detention. Shrimati Indira Gandhi should be tried for treason so that in future no body may dare play with the life of the people and tarnish the image of the Country.

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है । मैं केवल उन्हीं सदस्यों को समय दे रहा हूं जिन्होंने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं ।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी (अनन्तनाग) : सभी संशोधन सत्ता पक्ष की ओर से ही प्रस्तुत किये गये हैं । विपक्ष के लोगों को भी अवसर दिया जाना चाहिये (**व्यवधान**) ।

श्री पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : आधे घंटे का समय बढ़ाकर सभी को पांच-पांच मिनट का समय दिया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : क्या इस संकल्प के लिये सभा समय बढ़ाना चाहती है ?

माननीय सदस्य : जी हां ।

अध्यक्ष महोदय : श्री एस० कुन्डु :

श्री समरेन्द्र कुण्डु (बालासौर) : ऐसा महत्वपूर्ण संकल्प लाने के लिये मैं श्री कामथ को धन्यवाद देता हूं । श्री कामथ के इस महत्वपूर्ण संकल्प का सार यह है कि हम सदन में ऐसा निर्णय करें कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति, चाहे कितना भी बड़ा वह क्यों न हो देश में लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास न कर सके, मानवीय अधिकारों का हनन करने का प्रयत्न न करे । समस्या यह है कि निरन्तर जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है इस विचार को किस प्रकार सुदृढ बनाया जाये ताकि जो भी कोई सत्ता में आये वह इस उन्नीस माह के काले भयानक इतिहास की पुनरावृत्ति न कर सके । मैंने इसी उद्देश्य से अपना संशोधन प्रस्तुत किया है ।

पिछले दिनों विरोधी पक्ष के मित्रों ने इस बात पर हंगामा किया कि ग्रह मंत्री ने कहा था कि जेल में लोगों को मार डालने की योजना थी । एक मित्र ने पूछा इसका प्रमाण क्या है ? क्या कोई इसके लिये प्रमाण रखेगा ।

कुछ माह पूर्व जब मैं जयप्रकाश जी से मिला तब मैंने उनसे पूछा कि जसलोक अस्पताल में उन्होंने क्या महसूस किया। जयप्रकाश जी ने मुझे बताया कि डा० मनी ने उनसे कहा था कि कोई भी डाक्टर उन्हें नहीं बचा सकता था। केवल उनकी इच्छा शक्ति ने ही उन्हें पुनर्जीवन प्रदान किया है। यदि जयप्रकाश जी को रिहा करने में एक दिन का भी विलम्ब किया जाता तो शायद हम उन्हें जीवित न देख पाते। इसीलिये हम यह आरोप लगाते हैं। पटना में उनके दाहसंस्कार के प्रबन्ध कर लिये गये थे।

जहां तक प्रेस का सम्बन्ध है सरकार का रवैया गोयबल्स या हिटलर द्वारा अपनाये गये रवैये से भी बदतर था। पूर्ण सेंसरशिप लागू की गई थी और एक आई० पी० एस० अधिकारी उसे लागू करने के लिये चुना गया था।

मैंने इस संकल्प पर एक संशोधन दिया है जिसमें तीन बातें हैं। प्रथम यह कि संविधान में उचित परिवर्तन करके पर्याप्त प्रबन्ध किये जाने चाहियें। संविधान में समुचित परिवर्तन करके ऐसी व्यवस्था की जाये ताकि इन लोगों ने जो कुछ किया है उसे फिर से दौहराने का इनके पास अवसर ही न रहे। दूसरे हमें लोकतंत्र, स्वतंत्रता, मानव अधिकारों, धर्मनिर्पेक्षता, राष्ट्रीयता और समाजवाद के मूल्यों के सम्बन्ध में शिक्षा देकर नागरिकों के मन में सतर्कता की भावना जागृत करनी चाहिये। तीसरे, हमें आन्तरिक आपात स्थिति के काले युग का इतिहास तैयार करना होगा और इसे स्कूलों और कालिजों में पाठ्यक्रम के रूप में लागू करना चाहिये और इस प्रयोजन हेतु दोनों सभाओं के 21 सदस्यों की गठित की गई समिति द्वारा सुझाये गये तरीके अपनाने चाहियें ताकि आन्तरिक आपात स्थिति के दौरान देखे गये जुल्म और आतंक के काले दिनों की पुनरावृत्ति न हो। श्री कामथ को मेरे संशोधन को स्वीकार करना चाहिये।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : मैं व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा होता हूं। केन्द्रीय सरकार ने 19 मई को शाह आयोग के निदेश पदों की घोषणा की है। आयोग जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत गठित किया गया है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि माननीय गृह मंत्री को अपने उत्तर के नियम 352 का जो उन तथ्यों के बारे में है जो शाह आयोग की जांच के अधीन हैं, अवहेलना नहीं करनी चाहिये थी, दूसरे यहां इस संकल्प को पारित नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि ऐसा करने से शाह आयोग की कार्यवाही का कोई अर्थ ही न रहेगा।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक ग्राह्यता का प्रश्न है वह स्थिति निकल चुकी है और यह विषय अब चर्चा का विषय नहीं रहा है। जहां तक गृह मंत्री के भाषण का सम्बन्ध है, हमें अभी उनके विचार सुनने हैं और मुझे आशा है कि वह किसी नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे।

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : मुझे कोई नई बात नहीं कहनी है। मैं श्री कामथ के संकल्प को पूर्णतया स्वीकार करता हूं। मेरे विचार में संशोधन आवश्यक नहीं है। यदि इस ओर बैठे मेरे मित्र सहमत हों तो मेरा अनुरोध है कि संकल्प को इसके मूल रूप में ही पारित किया जाये।

श्री यशवन्तराव चव्हाण (सतारा) : मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि गृह मंत्री को नियमों का उल्लघंन न करने के आपके सुझाव को मानना चाहिये था। मेरे विचार से हम संसद् की

स्थिति को बिगाड़ रहे हैं। संसद् की बैठकें तो होती ही रहती हैं। यदि शाह आयोग के प्रतिवेदन के पश्चात् ऐसा विचार बने तब ऐसा दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। इस प्रकार का संकल्प पारित करने से न्यायिक प्रक्रिया का हनन होगा। इस प्रकार के हनन में हम भागीदार बनना नहीं चाहते।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधी नगर) : मेरा अनुरोध है कि विपक्ष के नेता शन्तिपूर्वक इस बारे में विचार करें। यह संकल्प किसी बारे में केवल सभा के विचारों की अभिव्यक्ति मात्र है जिन्हें अभिव्यक्त करने का सभा को पूर्ण अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : श्री हरि विष्णु कामथ।

श्री हरि विष्णु कामथ : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संकल्प पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : क्या संशोधन प्रस्तुत करने वाले सदस्य अपने संशोधनों को पारित किये जाने पर बल देते हैं (**व्यवधान**)।

कुछ माननीय सदस्य: हम उन्हें वापस लेते हैं (**व्यवधान**)।

सभी संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिये गये।

All the amendments were by leave of the House withdrawn.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"यह सभा 25 जून, 1975 को आपात स्थिति की उद्घोषणा के बाद होने वाले अत्याचार और आतंक के काले दिनों के दौरान तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा उनके गिरोह द्वारा लोकतंत्रामक सिद्धान्तों के निन्दनीय हनन, नैतिक मान्यताओं और अध्यात्मिक मूल्यों को निन्तात रूप से समाप्त किये जाने की घोर निन्दा करती है, उद्घोषणा की प्रतिक्रियास्वरूप स्वाधीनता और स्वतंत्रता के लिये देश-पर्यन्त चलाये गये आन्दोलन के असंख्य पीड़ितों और शहीदों के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करती है, विनीत भाव से परन्तु हर्ष के साथ हमारी निर्भीक जनता द्वारा निकृष्ट सत्तावादी शासन को अपदस्थ करने में मतपत्र के माध्यम से निभायी गयी ऐतिहासिक भूमिका की भारी सराहना करती है और जनता के निकट सहयोग से एवं शन्तिपूर्ण, वैध तरीके अपनाकर तेजी से एक ऐसी सामाजिक-आर्थिक क्रान्ति लाने के लिये गम्भीर प्रयास करने की पावन प्रतिज्ञा करती है, जो लोकतांत्रिक मान्यताओं से आलोकिक हो, समाजवादी आदर्शों से अनुप्राणित हो और जिसकी दृढ़ नींव उन नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित हो जिनके लिये लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने कष्ट उठाये और बलिदान किये, जीये और मरे तथा जिनकी रक्षा के लिए तीन वर्ष पूर्व लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संघर्ष के लिये राष्ट्र का आहवान किया।"

(**व्यवधान**)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

(व्यवधान)

इस समय कुछ माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गये।

At this stage some hon. members left the House.

(व्यवधान)

राष्ट्र निर्माण में युवकों के भाग लेने के बारे में संकल्प

RESOLUTION *RE.* PARTICIPATION OF YOUNG MEN IN NATION BUILDING

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि सब युवकों को स्नातक बनाने अथवा रोजगार के लिये पात्र होने से पूर्व प्रादेशिक सेना में जवानों के रूप में सेवा करनी चाहिये अथवा किसी सरकारी फार्म या कारखाने या सिंचाई परियोजना में कार्य करना चाहिये ताकि उन में राष्ट्र निर्माण में भाग लेने की भावना पैदा हो और सरकार से अनुरोध करती है कि इस बारे में समुचित पग उठायें।"

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार 25 जुलाई, 1977/श्रावण 3, 1899 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Monday, July 25, 1977/Sravana 3, 1899 (Saka).

GMGIPND—M—2055 L.S.—23-11-77—200